महानगर नई दिल्ली शनिवार 24 अगस्त, 2024, रु. 6.00 (16+6 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

यूक्रेन और रूस साथ बैठकर युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की और यूक्रेन व रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक-दूसरे से बातचीत की जरूरत पर बल दिया। साथ ही मोदी ने कहा कि भारत, शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोदी ने चर्चा के दौरान एक ऐसा अभिनव समाधान विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच 'व्यावहारिक बातचीत' की आवश्यकता जताई जो व्यापक स्वीकार्यता बनाने में मदद करे और क्षेत्र में शांति व स्थिरता में योगदान दे सके।

वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए और उन्हें इस संकट से बाहर आने के रास्ते तलाशने होंगे। आज मैं यूक्रेन की धरती पर आपके साथ शांति और आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत, शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें योगदान दे सकता हूं तो मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग भी जानते हैं कि भारत का शांति प्रयासों में सक्रिय योगदान रहा है और उसका दृष्टिकोण लोगों पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह भारत की प्रतिबद्धता बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले।

भारत और यूक्रेन के बीच चार समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई वार्ता के बाद भारत और यूक्रेन ने शुक्रवार को चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया कि इन समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित होगा।

आज इतिहास रचा गया। यूक्रेन की आजादी के बाद से हमारे स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की है। इस यात्रा के बाद हम रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निरंतर सैन्य-तकनीकी सहयोग के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य पर भी सहमत हुए।
-वोलोदिमीर जेलेंस्की, राष्ट्रपति यूक्रेन

बेबाक बोल

इति गारंटी

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष ने जनता को जिस शब्द से सबसे ज्यादा डराया, वह था गठबंधन। गठबंधन यानी कमजोर सरकार, जिसके फैसलों की कोई 'गारंटी' न हो। पेज 7

रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से चार लोगों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 23 अगस्त।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार देर रात हुए भूस्खलन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। ये सभी नेपाल के श्रमिक थे। एक अन्य घटना में हरिद्वार जिले के कांगदी क्षेत्र में एक व्यक्ति गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बह गया। इसके अलावा बदरीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह-जगह हुए भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले फाटा गांव में गुरुवार देर रात करीब 1:20 बजे हेलीपैड के पास भूस्खलन हुआ।

-पूरी खबर पेज 14

शराब घोटाला : सीबीआइ ने कोर्ट को बताया

केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के मुकदमे की मंजूरी मिली

जनसत्ता टीम
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर दिल्ली के उपराज्यपाल से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को सूचीबद्ध कर दी। वहीं, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। जमानत याचिका और सीबीआइ द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

दिल्ली की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में सीबीआइ ने बताया कि कथित शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजंसी को अब दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की आवश्यक मंजूरी मिल गई है। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआइ को इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने को 15 दिन का समय दिया था।

दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका और सीबीआइ द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है।

दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा, सीबीआइ ने कोर्ट में दी जानकारी। *अदालत* ने 12 अगस्त को सीबीआइ को इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने को 15 दिन का समय दिया था। *सुप्रीम* कोर्ट में केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई पांच सितंबर तक टली।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआइ ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और इसे बीते गुरुवार रात आठ बजे उन्हें सौंपा गया। केजरीवाल ने उन्हें जमानत से इनकार किए जाने और सीबीआइ द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजंसी से जवाब मांगा था। इस पर सीबीआइ ने शीर्ष अदालत में विस्तृत हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल को 25 जून को उनसे पूछताछ करने के बाद ही गिरफ्तार किया था।

कतर में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जब्त करने का मुद्दा उठाया भारत ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जब्त किए जाने का मुद्दा कतर के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पवित्र ग्रंथ के एक स्वरूप को कतर के अधिकारियों ने वापस कर दिया है और यह आश्वासन दिया है कि दूसरे स्वरूप को भी सम्मान के साथ रखा जाएगा।

विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम मुद्दे के शीघ्र समाधान की आशा करते हैं और इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कतर के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए गुरु ग्रंथ साहिब की खबरें देखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कतर के समक्ष पहले ही इस मामले को उठाया है और दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने वहां सिख समुदाय को घटनाक्रम से अवगत कराया है। इस मुद्दे पर जायसवाल ने कहा, 'कतर के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों/समूहों से गुरु ग्रंथ साहिब के दो स्वरूप जब्त किए थे, जिन पर कतर की मंजूरी के बिना धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने का आरोप लगाया गया था।'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पवित्र ग्रंथ का एक स्वरूप कतर के अधिकारियों ने वापस किया

उन्होंने कहा कि दूतावास ने स्थानीय कानूनों और नियमों के दायरे में हरसंभव सहायता प्रदान की है।पवित्र ग्रंथ के एक स्वरूप को कतर के अधिकारियों ने वापस कर दिया और यह आश्वासन दिया गया कि दूसरे स्वरूप को भी सम्मान के साथ रखा जाएगा।

नेपाल में भारत की बस नदी में गिरी, 27 की मौत

महाराष्ट्र के ये यात्री 104 तीर्थयात्रियों के समूह का हिस्सा थे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

मध्य नेपाल में एक भारतीय पर्यटक बस शुक्रवार को राजमार्ग से पलटकर 150 मीटर नीचे तेज बहाव वाली मर्स्यांगदी नदी में गिर गई, जिससे कम के कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। बताया गया कि 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की यह बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी यह तनहुन जिले के आइना पहारा में राजमार्ग से पलट गई। बस में चालक और सह-चालक समेत 43 लोग सवार थे। सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के उप प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने बताया कि 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 16 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हवाई मार्ग से काठमांडू लाया गया है और त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नेपाल में नदी में गिरी बस।

समाचार पोर्टल 'माई रिपब्लिका' की खबर के मुताबिक, बस में सवार यात्री 104 भारतीय तीर्थयात्रियों के एक समूह का हिस्सा थे, जो दो दिन पहले हिमालयी देश की 10-दिवसीय यात्रा के लिए तीन बसों में सवार होकर महाराष्ट्र से नेपाल पहुंचे थे। तीर्थयात्री जलगांव जिले के भुसल गांव से आए थे। पोखरा में दो दिन घूमने के बाद तीनों बस शुक्रवार सुबह राजधानी काठमांडू के लिए रवाना हुईं। कुरिन्तार के सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के प्रमुख माधव प्रसाद पौडेल ने कहा कि तीनों बस में यात्रा करने वाले ज्यादातर यात्री परिवार के सदस्य और बाकी पेज 8 पर

महिला व चार बच्चों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, दो गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुंबई में एक महिला और उसके चार नाबालिग बच्चों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

कुशीनगर के क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 30 वर्ष के आसपास है। दोनों को मुंबई से बुधवार को गिरफ्तार किया गया। वे कुशीनगर में महिला के पड़ोसी थे और पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में रहकर छोटा-मोटा काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी को कुशीनगर की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाकी पेज 8 पर

मुंबई से पकड़े गए आरोपियों की पहचान अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी के रूप में हुई है। *आरोपी* यूपी के कुशीनगर में महिला के पड़ोसी थे और पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में छोटे-मोटे काम कर रहे थे।

दिल्ली : चाणक्यपुरी में बारिश के पानी में डूबकर किशोर की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बारिश के पानी में डूबकर एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान विवेकानंद कैंप निवासी 15 वर्षीय सौरभ के तौर पर हुई है। घटना के वक्त वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बारिश के पानी में खेल रहा था। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और एक वाहन के नीचे फंस गया।

पुलिस के मुताबिक, चाणक्यपुरी के सेंट मार्टिन रोड स्थित ब्रिटिश स्कूल के पास शुक्रवार को भारी बारिश के बाद सड़क पर जलभराव हो गया था। सौरभ अपने दोस्तों के साथ बारिश के पानी में खेल रहा था, तभी वह एक वाहन के नीचे फंस गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और सौरभ को पानी से बाहर निकला। इसके बाद उसके दोस्तों और परिजनों ने सीपीआर देकर भी उसे बाकी पेज 8 पर

घटना के वक्त 15 वर्षीय सौरभ अपने दोस्तों के साथ सड़क पर जमा पानी में खेल रहा था। *इस* दौरान वह गहरे पानी में चला गया और एक वाहन के नीचे फंस गया।

सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

धन के हेर-फेर के मामले में कार्रवाई। *अंबानी* पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया।

सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अंबानी को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) लेने से भी पांच साल के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा 24 इकाइयों पर 21 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उसपर छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

अनिल अंबानी नीत रिलायंस समूह की कंपनी को इस संबंध में भेजे ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के धन की कथित हेरा-फेरी की कई शिकायतें मिलने के बाद सेबी ने किसी भी नियामकीय उल्लंघन का पता लगाने के बाकी पेज 8 पर

सीएनजी वाहन उच्च स्तर पर नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित करते हैं — अध्ययन — उत्सर्जन को मापने के लिए 'रिमोट सेंसिंग' का उपयोग किया गया

वाहनों से होने वाला वास्तविक उत्सर्जन प्रयोगशाला परीक्षणों से कहीं ज्यादा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

एक नए अध्ययन के अनुसार सड़कों पर वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वास्तविकता में प्रयोगशाला परीक्षणों से कहीं अधिक है और सीएनजी वाहन उच्च स्तर पर नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित करते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के प्राधिकारियों के सहयोग से 'रियल अर्बन एमिशन (टीआरयूई)' पहल के तहत किए गए इस अध्ययन में सड़कों पर चलने वाले वाहनों के उत्सर्जन को मापने के लिए 'रिमोट सेंसिंग' तकनीक का उपयोग किया गया।

वैश्विक 'थिंक टैंक' इंटरनेशनल काउंसिल आन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आइसीसीटी) के तकनीकी विश्लेषण के साथ किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत चरण-छह (बीएस-6) वाली निजी कारों से नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जन भारत चरण- चार (बीएस-4) कारों की तुलना में 81 फीसद कम है। इसी तरह बीएस-4 बसों की तुलना में बीएस-6 बसों से 95 फीसद कम नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन होता है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि सीएनजी से चलने वाले वाहनों से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए हल्के माल वाहन अपनी प्रयोगशाला सीमा से 14.2 गुना तक नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जबकि टैक्सियां चार गुना अधिक मात्रा में उत्सर्जित करती हैं। इसका यह भी अर्थ है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए, सड़क पर वाहनों से होने वाले वास्तविक उत्सर्जन पर ध्यान देना जरूरी है, न कि केवल उनके प्रयोगशाला परिणामों पर।

टैक्सी और हल्के माल वाहन जैसे वाणिज्यिक वाहन निजी कारों की तुलना में बहुत अधिक नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित करते हैं, भले ही वे उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हों। 'आइसीसीटी इंडिया' के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि परिवहन वाहनों से होने वाला वास्तविक उत्सर्जन प्रयोगशाला परीक्षणों में बताए गए आंकड़ों से काफी भिन्न होता है। भारत में पहली बार हमने सड़कों पर मोटर वाहनों से उत्सर्जन के पर्याप्त आंकड़े एकत्र किए हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी उत्सर्जन परीक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करें तथा शून्य-उत्सर्जन वाहनों को अपनाने के प्रयास करें। एफआइए (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी लह्लआटोमोबाइल) फाउंडेशन की उप निदेशक शीला वाटसन ने कहा कि अध्ययन ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएनजी वह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन नहीं है जिसका वादा किया गया था जबकि दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, जो शहर के लोगों के दम घोंट रहा है। अध्ययन ने दिखाया है कि यह कम दिखाई देने वाला घातक ईंधन समाधान नहीं है। वाटसन के मुताबिक प्रदूषण का समाधान पैदल चलने, साइकिल चलाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में निहित है। यह रपट ऐसे समय पर जारी हुई है जबकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया में 'आटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड' (एआइएस) 170 को अंतिम रूप देने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'रिमोट सेंसिंग' को लागू करने के लिए निर्देश दिया हुआ है। एआइएस 170 रिमोट सेंसिंग उपकरणों के लिए तकनीकी मापदंड निर्धारित करेगा तथा अधिकारियों को वास्तविक समय में वाहन उत्सर्जन को मापने के लिए आवश्यक संसाधनों से लैस करेगा।

इस बीच, आटो एलपीजी (तरल पेट्रोलियम गैस) को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन विकल्प के रूप में विचार करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। यह कम हानिकारक प्रदूषक पैदा करता है और सीएनजी का बेहतर विकल्प हो सकता है। भारतीय आटो एलपीजी गठबंधन (आइएसी) ने हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक ईंधन के रूप में आटो एलपीजी का समर्थन करने का आग्रह किया।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Tanu Adlakha alias Tanu Balasubramanian D/o Gulshan Kumar Adlakha W/o R Balasubramanian R/o Flat No.B-501, Spring Valley Apartment, Plot No.3C, Sector-11, Dwarka Sec-1, Dwarka Delhi Cantonment, South West Delhi, Delhi-110075 have changed my name to Adlakha Tanoo for all purposes. 0040745317-2

I Siddharth Goyal alias Siddarth Goel S/o Pramod Goyal R/o E-18/190 Sector-3, Rohini, North Delhi-110085 changed my name to Sidhaarth Goyal. 0040745404-7

I Rohit S/o Sh.Virander Sharma R/o C-31, Gali No.1, Johripur, Kardam Farm, Gokal Pur, North East Delhi, Delhi-110094 have changed the name of my minor son from Pratyaksh to Parth Sharma for all purposes. 0040745317-4

I Rajender S/O Veer Bhan Narang R/O B 522 Sudhershan Park Moti Nagar, Ramesh Nagar PO Ramesh Nagar West Delhi 110015 has changed name to Rajender Kumar Narang 0070920245-1

I MOHANA RAO KORRAYI S/O LATE KORRAYI TATAYYA JC 388304W, RANK SUB, R/O 12 EW BN ARMY CANTT JAISALMER-345001, DO HEREBY DECALRE IN MY SERVICE DOCUMENTS MY SON'S NAME HAS BEEN WRONGLY WRITTEN AS TEJESWARA RAO INSTEAD OF HIS CORRECT NAME KORRAYI TEJESWARA RAO. 0040745330-2

I KAILASH KHANDELWAL S/O JAGDISH PRASAD R/O RZ G-525, RAJ NAGAR PART-2, PALAM COLONY, NEW DELHI-110077, HAVE CHANGED MY NAME TO KAILASH CHAND. 0040745330-4

I Amit Kumar S/o Sh.Rajbir Singh R/o H.No.D-7/77, Sector-6, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Amit Kumar Rana for all purposes. 0040745317-1

I,PREETI TYAGI,W/O RAJEEV TYAGI.R/O 8/58 CHIRANJEEV-VIHAR, KAVI-NAGAR GHAZIABAD U.P-201002.HAVE CHANGED MY NAME TO PRITI TYAGI,FOR ALL,FUTURE PURPOSES. 0040745327-4

I,HARSH VARDHAN S/O-RAJEEV TYAGI.R/O-8/58 CHIRANJEEV VIHAR,KAVI-NAGAR GHAZIABAD U.P-201002.HAVE CHANGED MY NAME TO HARSHVARDHAN TYAGI,FOR ALL,FUTURE PURPOSES 0040745327-5

Shruti D/o Nemi Chand Jethwani, R/o.H.No.1383,3rd Floor,Gali no 40 DDA Flats Madangir,Dr Ambedkar Nagar,Pushpa Bhawan,South Delhi,Delhi-110062,Changed my Name as Shruti Jethwani. 0130044590-1

I UMA SHANKAR GARG s/o RAJPAL GARG r/o A-727, Shastri Nagar, Delhi declares that my father correct, exact and complete name is RAJPAL GARG instead of R.P. GARG . 0050248905-1

I UMA SHANKAR GARG s/o RAJPAL GARG r/o A-727, Shastri Nagar, Delhi declares that my correct, exact and complete name is UMA SHANKAR GARG instead of UMA SHANKAR 0050248904-1

It is general information that I,DIMPLE BHANDARI,D/O-BIRENDRA SINGH,R/0-967 GROUND-FLOOR,NEAR-VAN VIGYAN BHAWAN,R. K.PURAM,SECTOR-5,VASANT VIHAR, SOUTH WEST DELHI-110022,declare that name of my father and my mother has been wrongly-written as BIRENDRA SINGH BHANDARI and SANJU in my 10 and 12"Marksheet and Certificate. The actual-name of my father and my mother are BIRENDRA SINGH and SANJU BHANDARI respectively, which may be amended accordingly. 0040745400-9

I,Surander Pal Sharma,S/o-Vishambhar Sharma,R/o,F-1,Gali.No.-14,Jagatpuri, Parwana-Road,Krishna-Nagar,East-Delhi, Delhi-110051,have changed my name from Surander Pal Sharma to Surender Sharma,for all,future purposes. 0040745400-2

I,Sumit kumar,S/o-Nanak chand,R/o-1/7505A,Street no-12-A,East Gorakh Park, shahdara,Delhi-110032,have changed my name to Aditya kumar. 0040745401-1

I, VINOD KUMAR MISRA, S/o Shyam Dhar Misra, R/o 21, Empire Estate, Sultan Pur, Delhi-110030, have changed my name to VINOD SHYAMDHAR MISRA, for all future purposes. 0040745402-1

I Pawan Sharma alias Arvind Sharma S/o Sh.Nathu Ram Sharma R/o J-43A, Laxmi Nagar, Shakar Pur Baramad, East Delhi, Delhi-110092 have changed my name to Arvind Sharma for all purposes. 0040745317-3

I Sahil Krapchhaki Magar alias Sahil Thapa S/o Jit Bahadur Krapchhaki R/O,Flat-No-204 2nd-Floor Lal Mandir Neb-Sarai,Delhi- 110068 changed my name to Sahil Krayapchhaki Magar. 0040745404-6

It is for general information that I,SUSHMA DHIRAJ KATYARMAL,W/O-KATYARMAL DHIRAJ PRAKASHRAO,R/O,Q.NO.91-A, TYPE-II,THIRD-FLOOR, SECTOR-8,R.K. PURAM, NEW DELHI-110022,declare that name of mine and my husband have been wrongly-written as SUSHMA KATYARMAL and DHIRAJ KATYARMAL in school PM Shri Kendriya Vidyalaya, R.K.Puram,Sector-2, New Delhi-110022,of my minor son VIHAAN KATYARMAL aged-09-years.That the actual names of mine and my husband are SUSHMA DHIRAJ KATYARMAL and KATYARMAL DHIRAJ PRAKASHRAO respectively, which may be amended accordingly. 0040745400-10

IT'S FOR GENERAL INFORMATION, THAT, I,OJJASV KUMAR, S/O.DINESH KUMAR, 113, GUJRATILANE, MOOLCHAND-COLONY ADARSHNAGAR, DELHI-33, HAVE CHANGED MY NAME TO OJJASV SINGH, PERMANENTLY. 0040745327-6

I,parveen kumar,s/o-Shri Vishwa nath yadav, R/o.house.number-12 ,E-block,qutub-vihar, goyla dairy phase-1,goyla khurd,south-west Delhi-110071,have changed my name parvinder Kumar,for all purpose. 0040745400-8

I,hitherto known Richa Bhasin alias Richa Grover D/o Vinay Varma,w/o Gagandeep Singh,R/o S-30,Janta Market,Rajouri Garden,New Delhi-110027,have changed my name and shall hereafter be known as Richa Grover. 0040745389-3

I,Vikas Maurya S/o Hari Har Nath Maurya R/o Laxmi Apartment, F.No.D-2, Plot No.1381/B-IV,Annapurna Chowk, Burdwan Compound, Lalpur,Ranchi,Jharkhand-834001,declare that name of my father has been wrongly-written as Nath Harihar Jatav in my PAN Card No.AOCPM5088A.Correct name is Hari Har Nath Maurya. 0040745389-4

I,Vasudev,S/o Surender Sharma,R/o F-1, Gali.No.-14,Jagatpuri,Parwana-Road, Krishna-Nagar,East Delhi,Delhi-110051,have changed my name from Vasudev to Vasudev Sharma,for all,future purposes. 0040745400-1

I,Vaishali D/O Ram Lal Khanna,R/O KH.No-8/24 Jain-Park Uttam-Nagar D K Mohan Garden New-Delhi-110059, Have Changed my Name Vaishali Khanna. 0040745327-1

I,Vaibhav Bhanot,S/o-Vijay Kumar Bhanot,R/o-C-4/99/1, Safdarjung Development Area,New Delhi-110016,have changed my name,from Vaibhav Bhanot to Vaibhhav Banot,for all purposes. 0040745402-2

I,MANMEET SINGH,S/o BALBIR SINGH,R/o A-70 VIKAS VIHAR CHANDER-VIHAR NILOTHI-EXTN NANGLOI,Delhi-110041,have changed my name to MANMEET SODHI. 0040745402-4

I,Mahaveer Singh,s/o Khajan Singh,R/o H.No.2401/2, Street.No.19,Shadipur,Delhi-110008,have changed my name to Mahabir Singh Permanently. 0040745389-5

I, Vivek kumar tyagi S/o,Vasu dev tyagi R/o.VB-132,Gali-No.5, Virender Nagar, Delhi-110058, have changed my name to Vivek Tyagi 0040745319-2

I,AMARDEEP KAUR KHATTAR W/O ASHISH ANEJA R/O-FLAT NO-7 MAYA APARTMENTS F-BLOCK VIKAS PURI DELHI-110018,HAVE CHANGED MY NAME TO AMARDEEP ANEJA. 0040745402-7

I,Mam Chand S/o,Late Madan Lal Mittal R/o,Gali-No.2, Near R.K.Builder, I.P.Colony Part-1,Burari, Delhi-110084,have changed my name to Mam Chand Mittal. 0040745404-2

I, Vijay Lakshmi W/o Satish Arora R/o-173F, flat-No.304, Ward-No.3, Mehrauli, Delhi, have changed my name to Vijay Arora 0040745319-1

I, Trilok Singh Gahla s/o Late Gurdev Singh R/o F-210, Third Floor, Mansarover Garden, New Delhi-110015, have changed my name to Trilok Singh. 0040745328-1

I,Aditi D/o Shyam Sunder Sharma,R/o RZS 120,New Roshanpura Najafgarh,New Delhi-110043,have changed my name to Aditi Sharma. 0040745400-3

I,Mohd Salman s/o Mohd Farooq,R/o.H.No.14,Fourth-Floor Chamelian Road, Jhabbu Lal Colony, Bara Hindu Rao, Delhi-110006, have changed my name to Salman Permanently 0040745327-7

I,Manoj Arya,S/o Puran Prakash Addrs-flat no-8053,ground-floor,pocket-D-8, Vasant Kunj-110070,changed my name to Manoj Kumar Arya permanently 0040745400-4

I,Mohit S/o-Vinod Sharma,R/o D-40/2B,Gali No.7,D-Block,Vijay Colony,Delhi-110053,have changed my name to Mohit Sharma. 0040745400-7

I,Mukesh Kumar s/o Shambhu Nath R/o WA-34, Shakarpur, Baramad, Delhi-110092,have changed my name to Mukesh Kumar Arora Permanently. 0040745327-9

I,Narender Kumar,S/o Rajender Krishn R/o RZ-C-9, Mahavir Enclave Part-1,New Delhi,have changed my name to Narender Kumar Duggal. 0040745389-1

I,PARAMJIT SINGH S/o SURENDER SINGH,R/o A-91,BLOCK-A UDAY VIHAR NILOTHI EXTN NANGLOI, Delhi-110041,have changed my name to PARAMJEET SINGH. 0040745402-3

I,Prameela D/o Ramdiya, W/o Arvind Singh, R/o V.P.O. 66,Pipli Khera Distt. Sonipat Haryana-131039 have changed my name to Parmila Devi 0040745386-4

I,Prem Kumar Gaur,s/o Khem Chand Sharma,R/o C1-B 193,Near-St.Thomas School,Sashtri Puram,Agra-282007,Uttar Pradesh have changed my name to Prem Kumar Sharma,Permanently. 0040745389-6

I,RAJENDER SINGH,S/O KIRPAL SINGH,R/O H.NO.157,GALI.NO.3,RAO CHATURBHUJ MARG, KAPASHERA,DIST- SOUTH WEST DELHI, DELHI-110037,INFORM THAT RAJENDER SINGH & RAJINDER SINGH,BOTH NAMES ARE SAME PERSON. 0040745402-8

I,Rajwanti Devi W/o Jagbir Singh R/o V.P.O. Pipli Khera(5) Sonipat Haryana-131039,have changed my name to Rajbala also my D.O.B. wrongly,written 01.07.1963 in my,Various documents but my correct D.O.B is 01.01.1958 0040745386-3

I,Ramesh Chandra Bhatt S/o Mathura Dutt Bhatt R/o 117-B,Lal Qtrs.Punjabi Bagh West Delhi-110026,have changed my name to Ramesh Bhatt Permanently. 0040745386-2

I,Rakesh Sharma,S/o-Shree Radhey Shyam Sharma, R/o,H.No.L-387,Rishi-Nagar, Saraswati-Vihar,North West-Delhi -110034,have changed my name to Rakesh Kumar,for all Purposes. 0040745402-5

I,Reena Diwan W/o Narender Kumar Duggal R/o RZ-C-9,Mahavir Enclave Part-1,New Delhi,have changed my name to Reena Duggal. 0040745389-2

I,Santosh Kanwar,W/o-Rohtash Singh-R/o-Ward.No.1,Syaloo Kalan, Th.Chirawa,Jhunjhunu, Rajasthan-333026,declare that my date-of-birth has been wrongly written as-26/04/1968. Whereas my correct date-of-birth is-01/01/1978. 0040745327-8

I,Vishal S/o Ishwar Singh R/o Village and Post Officer, Surhera, New Delhi-110043, have changed my name to Vishal Singh. 0040745404-4

I, Shakeel Ahmed S/o Lal Mohammad R/o 69, Sanjhak-1, Tawli, Muzaffarnagar, have changed my name to Shakeel Ahamed. 0040745327-2

I, Sangita Kumari W/o Dheeraj Rawat R/o Flat No.-02025, Tower-Pine Mahagun Mywoods, Greater Noida West, UP-201318 have changed by name to SANGITA RAWAT for all purposes. 0070920274-1

I,Km.Chanchal Kumari Bansal,W/o Animesh Singhal R/o,H.No.59,DDA-Flats,Badarpur, Delhi-110044,have changed my name to Chanchal Bansal. 0040745389-7

I,Kaushalya Devi Sachdeva W/o Surinder Sachdeva R/o Flat-No.223, GH-14, Paschim-Vihar, New Delhi-110087, have changed my name to Kaushalya Devi. 0040745404-3

I,Karan,S/o jayanti lal Bhatia,Addr-A-114,amar colony,lajpat nagar-110024, changed my name to karan Bhatia Permanently. 0040745400-5

I,Jyoti W/o Bharat Chaudhary,House no-16/420 I,Gali no-5,bapa nagar,Karol bagh, Delhi,changed my name to Jyoti Chaudhary Permanently 0040745400-6

I,KULDEEP S/o MITTHAN LAL, R/o-N-49/324 Near, Ayurvedic Hospital,Haiderpur Village Delhi-110088,declare that name of my minor daughter has been wrongly written as NANDINI in my minor daughter NANDANI aged-17,years in her school record. The actual name of my minor daughter is NANDANI 0040745386-7

I,Jagbir Singh Malik S/o Mojiram R/o V.P.O. Pipli Khera(5) Sonipat Haryana-131039 I,have changed my name to Jagbir Singh also my D.O.B. wrongly written 01.07.1958 in my Various documents but my correct D.O.B is 01.01.1960 0040745386-6

I, Mamta Bhandari W/o Ravi Mehra R/o Flat no-G-4013 Deluxe, Tower no-17 4th floor, River Heights Noor Nagar, Ghaziabad U.P- 201017 have changed my name to Mamta Mehra for all future purposes 0070920275-1

I,Bijaya Lakshmi Patra W/o Prakash Kumar Patra R/o WZ-372, Basai-Darapur, New Delhi-110015, have changed my minor son's name Biren Kumar Patra to Sanchit Kumar Patra. D.O.B.-19.10.2010. 0040745404-5

I,Banti Dhindwal D/o Attar Singh, W/o Mukesh Kumar R/o H.No.9,Badrai Bhiwani Haryana-127308,have changed my name to Banti 0040745386-5

I,Azad kumar,S/o-Sh. Shiv Charan,R/o-H.no- C-2/8-A,2 Floor,Acharya, Niketan,Mayur vihar,Ph-1,East Delhi-110091,inform that Azad kumar & Sonu both are one & the same person. 0040745401-2

I,Anushree W/o Rahul Roy R/o-H.No.98, Second-Floor,BJ-Block Shalimar Bagh,West Delhi-110088 have changed my name to Anushree Haldar 0040745386-1

I,Agarwala Lalitha(DOB 21-12-1974),D/o Chotmal,W/o-Rajiv Kumar,R/o-H-4/7 2nd Floor,Krishna Nagar,Delhi-110051,have changed my name to Lalita Aggarwal,for all purposes. 0040745402-6

I, Devi Lal S/o Duli Chand R/o DA-64, Third Floor, DDA MIG Flats, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my minor daughter's name from Dimple aged 13 years to Dimple Pachar forever 0070920264-1

I, Bishan Kaur Gahla w/o Trilok Singh Gahla, R/o F-210, Third Floor, Mansarover Garden, New Delhi-110015, have changed my name to Bishan Kaur. 0040745328-2

I, Ghanshyam khatri S/o Asulal Padmaji khatri,R/o-162, 2nd-floor SBI Colony,Paschim-Vihar, Delhi, have changed my name to Ghanshyam Das Khatri 0040745319-3

I, Harshit Mendiratta S/O Sandeep Mendiratta R/O A-10 E Flat No-201 Vasant Kunj Enclave Malikpur Kohi Delhi-110070 have changed My Name to Harshit 0130044577-1

I, KARAMVIR SINGH S/O-BHIM SINGH SINGH R/O-JAHANGIRPUR (265), JHAJJAR, HARYANA-124105 HAVE CHANGED MY NAME TO KARAMVIR 0040745327-3

I, JEETPAL, S/O HARBANS LAL, R/O I-32A GARHWALI MOHALLA LAXMI-NAGAR DELHI-110092, HAVE CHANGED MY MINOR DAUGHTER'S NAME FROM TISHA TO MUSKAN. 0040745404-8

I, Manish Bhatia S/o Shri Dev Kishan Bhatia, R/o flat 1305, Tower A, Saya Zenith Apartment, Ahinsa Khand 2, Indrapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201014 have changed my wife's name from vandna Bhatia to Vandana Bhatia for all future Purpose. 0040745212-1

I, Mohd Shahnawaz S/o Abdul Kadir R/o 347, Ward-4, Gokulpuri, Kharkhauda, Meerut have changed my name to Mohd Shahanawaz. 0070920268-1

I, Ruchi W/O Dinesh Kumar Bhardwaj R/O C-407, Vikaspuri, New Delhi-110018, have changed my name to Ruchi Bhardwaj. 0040745404-9

I, NITIKA, W/O PARDEEP KUMAR,H.NO.860D(179), STREET.NO-5,NEAR SITA RAM MANDIR,ASHOK-VIHAR PHASE-1, GURUGRAM, HARYANA-122001, changed my name to NITIKA KAUSHIK 0040745404-1

I, Parasuraman Girija w/o V.Nagarajan (alias Vembu Nagarajan), R/o H.No.762, G.F, Pocket 6/1, Sector-2, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Parasurama Girija. 0040745328-3

I, Fateh Singh Nagar S/o Budh Singh R/o Sadullapur, Gautam Buddha Nagar, U.P-203207 have changed my name to Fateh Singh for all future purposes 0070920267-1

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE

The Public in general is hereby informed that Mr. Surendra Kumar Singhal S/o Late Mr. Mitrasen Singhal & Ms. Suman Goel W/o Mr. Surendra Kumar Singhal have entered into an Agreement to Sell & Purchase with Mrs. Kamlesh Kumari W/o Mr. J.K. Jain, Mr. Mohit Kumar Jain S/o Mr. J.K. Jain and Ms. Anita Jain W/o Mr. Mohit Kumar Jain, all residents of 171, New Prem Puri, Railway Road, Meerut, Uttar Pradesh 250002, India in respect of Apartment No. 1901, Tower 6, Super Area (Approx.)- 3650.00 Sq. Ft. in "Lotus 300" located at Plot Number GH- 01/A (Beta), Sector 107, Noida Gautam Budhh Nagar, Uttar Pradesh 247001, India who claims to be the owner of the said property.
Any person having any rights, title, claim or interest in the said property, by way of sale, inheritance, possession, succession, mortgage, lien, lease, gift or otherwise howsoever in respect of same, shall intimate the objection in writing to undersigned with supporting documents thereof within 15 days from the date of this notice or else any such claims by anyone shall not be considered and shall deemed to have been waived and/or abandoned. And, Mr. Surendra Kumar Singhal & Ms. Suman Goel shall proceed to conclude the purchase and no claims shall be entertained thereafter.

Sd/-
Dipesh Sharma (Advocate)
Enrl. No. D/830/2008
C-203, 1st Floor, Deffnce Colony, New Delhi-110024

PUBLIC NOTICE

My clients, **Sh. Ramesh Kumar Arora** Son of Late Shri. Rajinder Lal Arora and **Sh. Manish Arora** S/o Sh. Ramesh Kumar Arora, Resident of, 90/91, Sector 23, Pocket-9, Rohini, New Delhi-110085 has disowned his son/brother namely **Ashish Arora** Resident of Upper 3rd Floor 90/91, Sector 23, Pocket-9, Rohini, New Delhi-110085 from all his legal rights in my client's assets / properties due to disobediences, mischievous behaviours and unlawful acts of his son/brother namely Ashish Arora. Whosoever will deal with my client 's son/brother namely **Ashish Arora,** in any manner or in relation to any assets of my client shall be doingat any kind of legal activities. He shall be doing any criminal and civil activity at his own risk and consequences.

Sd/-
Taksh Suri (Advocate)
Chamber No. 397,
Patiala House Courts,
New Delhi-110001

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल सीता देवी पत्नी स्व० श्री नंदी राम निवासी 55/15 फ्रंट साइड, अशोक नगर, दिल्ली–110018 ने अपने पौत्र/पौता राहुल और उसकी पत्नी दीक्षा व उनके बच्चे सोम्या को उनके गलत आचरण एवं दुर्व्यवहार के कारण अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं और उन्हें अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल कर दिये हैं। यदि ये भविष्य में कोई गलत कृत्य एवं किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो वे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरे मुवक्किल व उनके परिवार वालों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी ।

हस्ता./–
आशीष वर्मा
अधिवक्ता

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (TESTAMENT INTESTATE, JURISDICTION) CITATION U/s 283, INDIAN SUCCESSION ACT, 1925

In the matter of
TEST. CAS. No. 12/2024
RAHUL JAIN
.....PETITIONER
Versus
STATE (GOVERNMENT OF NCT OF DELHI) & ORS
.....RESPONDENTS

To,
All Concerned.
In the matter of estate of Late Mr. Kranti Prakash Jain, S/o Late Shri Jagat Prakash Jain, R/o C-5, Maharani Bagh, New Delhi- 110065.
Whereas Rahul Jain, S/o Late Mr. Kranti Prakash Jain, R/o C-5, Maharani Bagh, New Delhi- 110065, has filed a Petition U/s 276 of the Indian Succession Act, 1925 for Probate of the Will dated 15.08.2022 in respect of estate of Mr. Kranti Prakash Jain, Deceased. And whereas the aforesaid case is fixed for hearing on 05.09.2024 at 10:30 A.M. before the Hon'ble Court. This Citation is issued in terms of Section 283 of the said Act to all persons claiming to have any interest in the property/ properties of the said deceased to come to this Court, file objections, if any, and take part in the proceedings on the date specified above for the grant of Probate.
Given under my hand and the seal of this Court, in terms of the orders dated 21.02.2024 & 24.05.2024.

Seal
Assistant Registrar (O) for REGISTRAR GENERAL GM

Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

TRUST IAS
KHUSHBOO OBEROI
AIR 139
Public Admin
Marks - 294
Our Classroom Student
Ashish Kumar Sir
New Live Online Batch
Public Administration
Starting on 25th August 2024
Aadhaar Polity Batch
Starting on 15th August 2024
Call us: 09717310441
Mail us: online@trustias.com
Visit us: www.trustias.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
(M): 9212665841, 9212008155

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS
ONLINE AT ALL CENTERS
OFFLINE AT BELOW CENTERS
Dr. Hardeep Singh
Dr. Ghanshyam Singh
DEMO CLASSES Available
HINDI MEDIUM
UPSC | BPSC | UPPSC | RPSC | HPSC | HPPSC
DELHI(KAROL BAGH)
+91 8448440231
OUR CENTRES Karol Bagh | Chandigarh | Shimla | Bilaspur

PUBLIC NOTICE

It is for general information that **I, NARESH KUMAR S/O JAGDISH LAL R/O D- 16/145, ROHINI SECTOR-3, PO: ROHINI SECTOR-7, DIST: NORTH WEST DELHI, DELHI-110085** declare that name of mine and my minor son has been wrongly written as **NARESH** and **PARTEEK** in my minor son **PRATEEK** aged 15 years in his Birth Certificate No. **MCDOLR09137363** and name of my minor son has been wrongly written as **PARTEEK** in his school records. The actual name of mine and my minor son are **NARESH KUMAR** and **PRATEEK**, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS **KESAR SINGH S/O KHUSHAAL SINGH AND RAMA DEVI W/O KESAR SINGH R/O A-36, STREET NO. 31, CHANDER VIHAR, EXTENTION, NILOTHI, WEST DELHI, DELHI- 110041,** HEREBY REMOVE THEIR RELATIONSHIP WITH **AMIT PIYAL** AND HIS WIFE **PUSHPA KUMARI** AND EXPEL THEIR SON AND DAUGHTER-IN-LAW FROM ALL THEIR MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTIES BECAUSE THEY ARE OUT OF THEIR CONTROL. IF ANYBODY DEALS WITH THEM, HE/SHE WILL DO SO ON HIS/HER OWN RISK.

Sd/-
PRAGATI GAHLAUT
Advocate
OFFICE:- C-62, CLJ LAWYER CHAMBERS TIS HAZARI, DELHI-54

PUBLIC NOTICE

This is to inform General Public that my Client Sh. Rakesh Kumar Goel S/o Sh. H.S. Goel R/o H.no 173, New Rajdhani enclave, Sneh International School, Vikas Marg, East Delhi-92 here by Disown & Disinherit his wife Sunita Goel & his Son Gaurav Goel, Daughter -in Law Swati Goel, from all his properties including but not limited to moveable & immoveable properties because of their bad behaviour with immediate effect. If any person deals with them, shall be responsible at his/her own risk in future. My client shall not be responsible in any manner whatsoever

Himanshu Gupta (ADVOCATE)
5/113-A, Subhash Gali, main 60 ft Rd, Vishwas Nagar, Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

This is to inform General Public that my Client Sh. Mukesh Kumar Goel S/o Sh. H.S. Goel R/o H.no 173, New Rajdhani enclave, Sneh International School, Vikas Marg, East Delhi-92 here by Disown & Disinherit his wife Babita Goel & his Son Saurabh Goel, Daughter -in Law Aashi Gupta, or daughter Mehak Gupta from all his properties including but not limited to moveable & immoveable properties because of their bad behaviour with immediate effect. If any person deals with them, shall be responsible at his/her own risk in future. My client shall not be responsible in any manner whatsoever

Himanshu Gupta (ADVOCATE)
5/113-A, Subhash Gali, main 60 ft Rd, Vishwas Nagar, Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the original documents (i.e., Sale Deed and other papers) relating to the PROPERTY OUT OF KHASRA NO. 24/24, 66 FOOTA ROAD, MASTER MOHALLA, LIBASPUR, DELHI-110042, has been misplaced on 20/08/2024 and not traceable yet. The report of the same has been lodged at the P.S. CRIME BRANCH, DELHI on 22/08/2024 vide Lost report no. 2047289/2024. If found, kindly inform to MR. DINESH YADAV S/O MR. TARA CHAND R/O WZ-320, SHAKURPUR GAON, SARASWATI VIHAR, DELHI, mobile No. 9711131813 Description of lost/ misplaced original documents All that piece and parcel of the PROPERTY OUT OF KHASRA NO. 24/24, 66 FOOTA ROAD, MASTER MOHALLA, LIBASPUR, which is being constructed at DELHI-110042 within the jurisdiction of Village: LIBASPUR, District: BADLI, State: DELHI

Sd/-
(DINESH YADAV)
(WZ-320, SHAKURPUR GAON, SARASWATI VIHAR, DELHI)
Date: 24.08.2024
Place: Delhi

Public Notice

Public is hereby informed that my client Sanjeev Puri S/o Late Sh Kishori Lal Puri has entered into Agreement of sell of Property no C-143 (Ground Floor) Mansarover Garden New Delhi -15 area measuring 200 sq. yards to Satish Kumar and Dhan Singh. The original Sale Deeds pertaining to the aforementioned propetry vide documents no.14266 dated 16/06/2008 and 26952 dated 16/12/2008 were missing from the original documents an FIR (LR no. 588233/2016) was logged. Therefore the public is hereby informed that my client has sole ownership of the said property and any person/s find the above said documents will return to my client. Anybody will be used/misused the above said documents will be illegal and he/she will be doing so at his/her own risk and cost and my client will not be responsible for the same.
Gurjeet Singh (Advocate)

गोविंद मोहन ने केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाला। अजय कुमार भल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद मोहन ने यह पद संभाला है।

सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन इससे पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के पद पर कार्यरत थे। पिछले सप्ताह उन्हें केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया था। मोहन ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बी.टेक और आईआईएम (अहमदाबाद) से पीजी डिप्लोमा किया है। उनके पास सिक्किम और केंद्र सरकार दोनों में विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव है। मोहन इससे पहले भी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कई प्रमुख प्रभागों में काम कर चुके हैं। केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में मोहन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रमों 'आजादी का अमृत महोत्सव' और 'हर घर तिरंगा आंदोलन' की सफलतापूर्वक शुरुआत की थी।

व्यक्तिगत

मैं सना झबीन मोहम्मद इसाक फिदोर्शी धर्मपत्नी श्री ललित दलाल, निवासी एच–2053, 11वीं एवेन्यू, गौर सिटी–02, गौर चौक के पास, नोएडा एक्सटेंशन, नॉएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 ने अपना नाम सना झबीन मोहम्मद इसाक फिदोर्शी से बदलकर सना झबीन फिदोर्शी कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

PUBLIC NOTICE

My Client Brijpal Singh S/o Sh. Jamadar Singh R/o H.No. 309, Old Post Office Street, Shahdara, Delhi- 110032 has severed all his relations with his son Bharat Raghav and daughter-in-law Ranjana and diso-wned and debarred them from his entire moveable-immoveable properties due to their incorrigible ways. Anyone dealing with them will be doing so at own risk. My client has no responsibility.

Vaibhav Shukla Advocate
Ch.No.D-725, KKD Courts Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concern that my client Rajan Malhotra S/o Vasdev Malhotra and Asha W/o Rajan Malhotra both R/o A- 2/5, Kothi Block A-2, Top Floor, Paschim Vihar, Delhi-63, have severed all the relations with their son namely Rajesh Kumar, his wife Manisha and their children from all movable and immovable properties of my clients including Gas Agency Sec- 7, Rohini, situated anywhere in India. Anybody who deals with them, present, past and future in any manner whatsoever shall be doing at their own risk, coast and consequences and my clients shall not be responsible for their acts of omission and commission. **RAVI DRALL Advocate Chamber: X-36-A, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054**

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल किरन पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी 55/15 फ्रंट साइड, अशोक नगर, दिल्ली–110018 ने अपने पुत्र राहुल और उसकी पत्नी दीक्षा व उनके बच्चे सोम्या को उनके गलत आचरण एवं दुर्व्यवहार के कारण अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं और उन्हें अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल कर दिये हैं। यदि ये भविष्य में कोई गलत कृत्य एवं किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो वे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरे मुवक्किल व उनके परिवार वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ता./–
आशीष वर्मा
अधिवक्ता

PUBLIC NOTICE

I, Arun Kumar Shukla, son of Basant Shukla, residing at D 906, Splendor Complex Co-op HSL, Andheri E, Mumbai, Jogeshwari Vikhroli Link Road, Opposite Majas Depot, Mumbai, Maharashtra-400060, do hereby declare that the actual date of birth of my daughter Ms. Akshata Shukla is October 19, 2005 (19/10/2005), which is in accordance with her Birth Certificate and Secondary Board Examination marksheets.

Sd/-
Arun Kumar Shukla
D-906, Splendor Complex,
Mumbai-400060

PUBLIC NOTICE

"Be it known to all that notice is hereby given on behalf of My Client i.e. SBI to the public at large that due to fire Accident at SBI, Personal Banking Branch, New Delhi on **09.09.2017** around 9:00 PM, title deeds and documents of mortgager i.e., **Sh. Prem Shanker pertaining to House No. 438, Pocket A, Sector 3, Greater Noida, UP** which was mortgaged with SBI for creation of an equitable mortgage got destroyed in fire that broke out in said premise. That a complaint was lodged on **20.09.2017** at **P. S. Parliament Street having DD No. 51 B. Further, ALL PERSONS/ COMPANY/ FIRM/FINANCIAL INSTITUTION/ HUF/ SOCIETY** having any claim in respect of the sale, lien, or otherwise whosoever are requested to put their claim in underwriting with undersigned with documentary proof therein, within 15 days hereof failing which the claim(s) if any, of such persons(s) will be considered to have been waived and/or abandoned and internal process of SBI shall be completed."

Krishna Kr Sharma
Advocate
E- mail:- advkrishna1411@gmail.com,
Mob: - + 91-9315165656
C-87, LGF, Lajpat Nagar-1, Delhi-110024

PUBLIC NOTICE

"Be it known to all that notice is hereby given on behalf of My Client i.e. SBI to the public at large that due to fire Accident at SBI, Personal Banking Branch, New Delhi on 09.09.2017 around 9:00 PM, title deeds and documents of mortgager i.e., **Ms. Veena Arora and Mr. Vimal Rai Arora pertaining to Flat No. 6124/6, Block Second Floor, Sector D 6, Vasant Kunj, New Delhi** which was mortgaged with SBI for creation of an equitable mortgage got destroyed in fire that broke out in said premise. That a complaint was lodged on **20.09.2017** at **P. S. Parliament Street having DD No. 51 B. Further, ALL PERSONS / COMPANY/ FIRM / FINANCIAL INSTITUTION/ HUF/ SOCIETY** having any claim in respect of the sale, lien, or otherwise whosoever are requested to put their claim in underwriting with undersigned with documentary proof therein, within 15 days hereof failing which the claim(s) if any, of such persons(s) will be considered to have been waived and/or abandoned and internal process of SBI shall be completed."

Krishna Kr Sharma
Advocate
E- mail:- advkrishna1411@gmail.com,
Mob: - + 91-9315165656
C-87, LGF, Lajpat Nagar-1, Delhi-110024

PUBLIC NOTICE

"Be it known to all that notice is hereby given on behalf of My Client i.e. SBI to the public at large that due to fire Accident at SBI, Personal Banking Branch, New Delhi on **09.09.2017** around 9:00 PM, title deeds and documents of mortgager i.e., **Sh. Narender Kumar Bhola pertaining to Flat No. A-32, SEEMA CGHS LTD, Plot No. 7, Sector 11, Dwarka, New Delhi-110075** which was mortgaged with SBI for creation of an equitable mortgage got destroyed in fire that broke out in said premise. That a complaint was lodged on **20.09.2017** at **P. S. Parliament Street having DD No. 51 B. Further, ALL PERSONS / COMPANY / FIRM / FINANCIAL INSTITUTION / HUF / S

खबर कोना

विरोध प्रदर्शन कर रहे चिकित्सक काम पर लौटे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

कोलकाता में एक चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के विरोध में दिल्ली में 11 दिन से जारी हड़ताल को उच्चतम न्यायालय की अपील पर समाप्त करने के बाद सैकड़ों रेजिडेंट चिकित्सकों के शुक्रवार को काम पर लौट आए। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिली। चिकित्सकों के संगठन ने दोपहर में सचिवालय में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि उन्होंने चिकित्सकों के साथ उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की और जल्द ही इनके संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा।

नई दिल्ली विधानसभा के लिए सात करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को जेल से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए सात करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में विकास कार्य को जारी रखने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य कराने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी और अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक इस राशि से नई दिल्ली विधानसभा में पुस्तकालय, सीसीटीवी कैमरे, इंडोर-आउट डोर जिम के उपकरण, पथ प्रकाश, मोबाइल वैन, ड्रेनेज, आरसीसी रोड, सड़कों की मरम्मत समेत करीब 50 तरह के विकास कार्य किए जाएंगे।

दिल्ली में 35 मौत के लिए सौरभ व सत्येंद्र जैन जिम्मेदार : दिल्ली भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली जिस जलजमाव की समस्या को झेल रही है और जिसकी वजह से दिल्ली में 35 मौतें हुई हैं। उसका मूल कारण दिल्ली सरकार के जलबोर्ड से जुड़े सौरभ भारद्वाज व सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार है। वही वर्तमान जलबोर्ड मंत्री आतिशी रोजाना केवल अधिकारियों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में लगी रहीं। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमारी मांग है कि वो अविलंब इस्तीफा दें।

सरकार की नाकामी से लोगों की हो रही है असमय मौत : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की लापरवाही और नाकामियों के कारण 15 साल के एक किशोर की चाणक्यपुरी में बारिश के बाद हुए जलभराव के पानी में डूबने मौत से हो गई। यही नहीं गुरुवार शाम को प्रेम नगर में एक 40 साल के व्यक्ति की मृत्यु करंट लगने से हो गई, जिसके घर में बारिश का पानी घुस गया था। उन्होंने कहा कि लगातार लोग सरकार की नाकामियों और लापरवाही के कारण असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं और दिल्ली सरकार इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है। मनीष सिसौदिया अपनी नाकाम पदयात्राएं निकालकर अपनी पार्टी की बर्बाद हुई राजनीतिक छवि को बचाने की कोशिश में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सड़क पर भरे बारिश के पानी में उतरा करंट, महिला की मौत

रंजीत नगर इलाके में सरकारी शौचालय के पास था जलजमाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

रंजीत नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सरकारी शौचालय के पास सड़क पर भरे पानी में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सीमा (40) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया है।

प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का कहना है कि सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ था। पानी में करंट था। इसी दौरान महिला को झटका लगा और उसकी मौत हो गई। हादसे के वक्त वह अपने घर लौट रही थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

मध्य जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि शुक्रवार को रंजीत नगर थाना पुलिस को गली नंबर- 8 में सरकारी शौचालय के पास एक महिला की करंट लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पुलिस को भारी बारिश के कारण पानी भरा पुलिस मिला। इसके बाद मामले की सूचना टीपीडीडीएल अधिकारियों को दी गई। इसके बाद इलाके की बिजली काट दी गई। पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में महिला की पहचान सीमा के रूप में हुई।

एक दिन पहले प्रेम नगर में भी हुई थी मौत

रंजीत नगर की घटना से एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत प्रेम नगर थाना इलाके में भी करंट लगने से 50 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसको लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार संजय अपने परिवार के साथ अगर नगर इलाके में रहते थे। घटना के वक्त उनके घर और बाहर पानी जमा हो गया था। इसी दौरान जब संजय अपने घर में दाखिल होने के लिए घर की चौखट पर पहुंचे, तो अचानक करंट दौड़ पड़ा और वे करंट की चपेट में आ गए। तेज करंट की वजह से मौके पर ही उनकी जान चली गई। किराड़ी इलाके में लगातार हो रहे इन हादसों ने शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जेएनयू छात्रों का पैदल कूच पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तक मार्च का आह्वान किया था। लेकिन शुक्रवार को जैसे ही मार्च के लिए छात्रों ने कूच किया तो उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों से परिसर के बाहर जाने से रोका गया। हालांकि छात्र जेएनयू परिसर के बाहर आधा किलोमीटर तक मार्च निकालने में सफल रहे पर उससे आगे पुलिस ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। वहीं जेएनयूएसयू का आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

पुलिस द्वारा कई स्तरों पर अवरोधक लगाने के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। इस दौरान छात्रों व पुलिस के बीच झड़प भी हो गई थी। क्योंकि छात्रों ने अवरोधक हटाने की कोशिश की थी। पुलिस के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि छात्रों को परिसर के बाहर मार्च करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। यदि वो जेएनयू परिसर से बाहर आएंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। मालूम हो कि जेएनयू में छात्रों द्वारा 11 अगस्त से चल रही भूख हड़ताल का शुक्रवार को 13वां दिन भी था। बता दें कि जेएनयू छात्र छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि, परिसर में जाति जनगणना, परिसर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध हटाने और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ शुरू की गई प्रोक्टोरियल जांच को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जेएनयूएसयू की बापसा से संबद्ध महासचिव प्रियांशी आर्य ने यह कहते हुए खुद को विरोध प्रदर्शन से अलग कर लिया है कि छात्र संघ को पहले कुलपति कार्यालय के 100 मीटर के दायरे के निषिद्ध क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। जबकि एबीवीपी ने मार्च व हड़ताल से खुद को दूर रखा।

खेल परिसर के पास मिलेगी रेस्तरां व मनोरंजन सेवाएं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

पूर्वी दिल्ली खेल परिसर के नजदीक उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने परिसर के गेट पर बिना उपयोग वाली इमारत को क्लब हाउस के रूप में विकसित और पुनर्निर्मित करने का निर्देश दिया। इस पहल से आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोग, ओपन एअर डाइनिंग, रेस्तरां और मनोरंजन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यहां आम जनता के लिए लगभग दो एकड़ की एक खुली अप्रयुक्त जगह पर, टेंटेज और भोजन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

उपराज्यपाल ने इस बाबत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं और दो माह के अंदर इस कार्य को पूर्ण करने का समय दिया है। इस पहल से पूर्वी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को, सामुदायिक समारोहों के आयोजन के लिए एक निर्दिष्ट खुली जगह मिल सकेगी।

यमुना खेल परिसर में लापरवाही, एलजी ने सचिव को हटाया

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार पूर्वी दिल्ली के यमुना खेल परिसर में रखरखाव में लापरवाही को लेकर परिसर के सचिव को हटाने की आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल परिसर की जांच के लिए पहुंचे थे, बाद में उपराज्यपाल ने परिसर में निशानेबाजी की और अन्य सुविधाओं की भी जांच की। यमुना खेल परिसर में जल्द ही एक क्लब हाउस और सामुदायिक कार्यों के लिए एक निर्दिष्ट खुला क्षेत्र होगा, इसका लाभ पूर्वी दिल्ली के लोगों को मिलेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2 महीने के अंदर पूर्वी दिल्ली के डीडीए खेल परिसर के कायाकल्प करने का निर्देश दिया है। उन्होंने हाल ही में इस प्रतिष्ठित स्थल का दौरा किया था लेकिन जांच में इसके रख-रखाव की खराब स्थिति सामने आई।

बारिश से 16 जगह जलभराव, लगा जाम

आज पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को भारी बारिश से कई जगहों पर जलजमाव हो गया। सड़क पर पानी भरा होने से कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली में धौला कुआं, मोती बाग, जीटी रोड समेत कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। वहीं एमसीडी को शुक्रवार में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक करीब 16 स्थानों पर जलजमाव व पेड़ गिरने की 5 शिकायतें प्राप्त हुईं।

बारिश से पूर्वी पटेल नगर, प्रशांत विहार, आजादपुर मंडी, किराड़ी, दिलशाद गार्डन, अजमेरी गेट, चावड़ी बाजार, नबी करीम, बापा नगर सहित कई इलाकों में लोगों को जलजमाव की समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 3 डिग्री घटकर 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

बारिश के बाद धौला कुआं अंडरपास में पानी भर जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

आइएमडी के अनुसार, रिज इलाके में सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 11 बजे तक 37.6 मिमी, आयानगर में 0.4 मिमी, दिल्ली विश्वविद्यालय में 36.5 मिमी, पीतमपुरा में 70.0 मिमी व मयूर विहार में 0.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 80 फीसदी रहा। बता दें कि तेज बारिश की वजह से आइएमडी द्वारा 'पीली चेतावनी' भी जारी कर दी गई थी। शनिवार को अधिकतम तापमान जहां 34 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं पूरे दिन बादल छाए रहने व बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। जबकि 25 से 28 अगस्त के बीच अधिकतम तापमान 34.1 व न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

साहित्य अकादेमी की महत्तर सदस्यता विनोद कुमार शुक्ल को अर्पित

नई दिल्ली, 23 अगस्त (संवाददाता)।

साहित्य अकादेमी ने शुक्रवार को अपने सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्यता से हिंदी के प्रख्यात कवि एवं कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को अलंकृत किया। स्वास्थ्य कारणों के चलते यह संक्षिप्त अलंकरण कार्यक्रम उनके रायपुर स्थित आवास पर किया गया। अलंकरण साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और सचिव के श्रीनिवासराव ने प्रदान किया। विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि इस सम्मान को मेरे घर आकर देने के लिए वे साहित्य अकादेमी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिलेगा। अभी तक यह सदस्यता जिन महत्त्वपूर्ण लेखकों को मिली है उनके बीच अपने को पाकर मैं बहुत खुश हूं। इस अवसर पर उन्होंने अपनी दो कविताओं का पाठ भी किया।

साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि यह स्वयं को गौरवान्वित महसूस होने का दुर्लभ अवसर है क्योंकि शुक्ल जी को सम्मानित करके अकादेमी भी अपने आप को सम्मानित कर रही है। सचिव के श्रीनिवासराव ने उनके सम्मान में प्रशस्ति पाठ करते हुए कहा कि विनोद कुमार शुक्ल कविता और गल्प का अद्भुत संयोग रचने वाले सर्जक हैं।

महापौर ने निगम सचिव को स्थायी समिति के गठन के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

महापौर शैली ओबेराय ने शुक्रवार को नगर निगम के सचिव शिव प्रसाद केवी को स्थायी समिति के गठन के लिए लंबे समय से लंबित चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। यह प्रक्रिया करीब डेढ़ साल से अधिक समय से लंबित है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 'एल्डरमैन' (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए ओबेराय ने निगम सचिव को आदेश जारी कर वार्ड समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ-साथ एमसीडी के 12 जोन से स्थायी समिति के लिए एक-एक सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। एमसीडी में बहुमत वाली आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच इस मुद्दे पर टकराव हुआ था, जिसके बाद मामला अदालत में चला गया था। डीएमसी अधिनियम के अनुसार, एमसीडी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 18 सदस्यीय स्थायी समिति में से छह सदस्य सदन से चुने जाते हैं, जबकि शेष 12 सदस्य नगर निगम के 12 जोन में गठित वार्ड समितियों से चुने जाते हैं।

गलियारा 3 : हर रविवार को सुबह छह बजे से चलेगी मेट्रो

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने फेज तीन गलियारे की सेवाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस गलियारे की लाइनों पर मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। जानकारी में बताया गया कि अभी तक इस फेज की सभी लाइनों पर रविवार को सुबह 8 बजे से मेट्रो की सेवा मिलती थी, जिसे अब 25 अगस्त से बदल दिया गया है। रविवार से सुबह 6 बजे मेट्रो ट्रेनें मिलेंगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन की ओर से बताया गया कि फेज तीन के दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा), नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी, मुंडका से ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बदरपुर बार्डर से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) गलियारे पर रविवार से सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे मेट्रो मिलेंगी। मेट्रो प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा कि रविवार को इन गलियारों पर सेवा शुरू होने के समय में संशोधन से न केवल इन गलियारों के दैनिक यात्रियों को तो लाभ होगा ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों-आवेदकों को भी लाभ होगा, जो आम तौर पर रविवार को होती हैं।

भाजपा के झूठ का आखिरकार पर्दाफाश हुआ : आप

नई दिल्ली, 23 अगस्त (संवाददाता)।

आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मयूर विहार फेस-तीन स्थित नाले में डूबने से हुई मां-बेटे की मौत मामले में गंदी राजनीति कर रही भाजपा के झूठ का आखिरकार पर्दाफाश हो ही गया। यह नाला भाजपा के उपराज्यपाल के अधीन आने वाले डीडीए का है। यह दावा दिल्ली पुलिस द्वारा हाई कोर्ट में पेश रपट में किया गया है। गुरुवार को हुई मामले में सुनवाई में हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि डीडीए के नाले में डूबने से मां-बेटे की मौत हुई। कोर्ट ने डीडीए को पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और दिलीप पांडे ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हमने उस समय जो बात कही थी कि नाला डीडीए का है और उसे डीडीए बनवा रहा था। इसे झुठलाने के लिए डीडीए की तरफ से कई बयान जारी किए गए, लेकिन गुरुवार को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रपट देखी, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एन एफ एल NFL नवरत्न कंपनी
ए-11, सेक्टर-24, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301

दिनांक: 24.08.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड **हरियाणा के एनएफएल पानीपत में 1500 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में एलएसटीके बोलीदाताओं की पूर्व-योग्यता के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने का इच्छुक है।** निविदा का प्रकार ई-टेंडर (टेंडर आईडी-2024_NFL_205790_1) है। पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया **https://etenders.gov.in/eprocure/app** या हमारी वेबसाइट: **www.nationalfertilizers.com** देखें। ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि **16.09.2024 को दोपहर 03:00 बजे तक** है। शुद्धिपत्र/संशोधन (यदि कोई हुए तो) केवल हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

महाप्रबंधक (परियोजनाएं)-प्रभारी

medanta

ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड
सीआईएन: L85110DL2004PLC128319
पंजीकृत कार्यालय: मेदांता – मेडिसिनिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली –110 024
कॉर्पोरेट कार्यालय: मेदांता – द मेडिसिटी, सेक्टर – 38, गुरुग्राम, हरियाणा – 122 001
टेलीफोन: +91 124 483 4060; ई-मेल: compliance@medanta.org; वेबसाइट: https://www.medanta.org

सदस्यों को 20वीं वार्षिक आम बैठक के सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड (**'कम्पनी'**) के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक (**'एजीएम'**) **बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2024 को 12 बजे अपराह्न** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**'वीसी'**)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (**'ओएवीएम'**) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से संगणित किया जाएगा।

अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (**'सूचीबद्धता विनियम'**) के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 एवं इस संबंध में इसके पश्चात् जारी परिपत्रों, नवीनतम परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023, क्रमशः, (सामूहिक रूप से **'एमसीए परिपत्र'** के रूप में संदर्भित) तथा सेबी परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 एवं इस संबंध में इसके पश्चात् जारी परिपत्रों, नवीनतम परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 07 अक्टूबर, 2023, (**'सेबी परिपत्र'**) के अनुपालन में, 20वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 (**'वित्त वर्ष'**) हेतु वार्षिक रिपोर्ट मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (**'आरटीए'**) अथवा उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (**'डीपी'**) के साथ **शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024** तक पंजीकृत हों। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण **शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024** को पूर्ण हो गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट https://www.medanta.org/investor-relation/ पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों https://www.bseindia.com/index.html एवं https://www.nseindia.com/ क्रमशः, पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध होगी।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित लागू नियमों, यथा संशोधित, एवं 'सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 44 के अनुपालन में कम्पनी सदस्यों को सहर्ष सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने हेतु एनएसडीएल की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग एवं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

जिन सदस्यों के नाम डिपॉजिटरी/आरटीए द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर में **बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2024 ('कट-ऑफ तिथि')** तक दर्ज हो, वे रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे। सदस्य(ओं) के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। रिमोट ई-वोटिंग **रविवार, 15 सितम्बर, 2024 को 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)** से आरम्भ होगी तथा **बुधवार, 18 सितम्बर, 2024 को 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)** पर समाप्त होगी। इसके पश्चात् ई-वोटिंग हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया हो, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् शेयर अधिग्रहित किए हैं और कट-ऑफ तिथि अर्थात् **बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2024** को शेयर प्रतिरक्षित करते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने हेतु evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, तथा एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। हालाँकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह सदस्य अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है और अपना वोट डाल सकता है।

जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं और जिन्होंने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत करा लें।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने अथवा रिमोट ई-वोटिंग से सम्बद्ध किसी भी प्रश्न या समस्या हेतु सदस्य compliance@medanta.org पर कम्पनी को लिख सकते हैं। सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल भी संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022 4886 7000 तथा 022 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे – वरिष्ठ प्रबंधक, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते **ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड**
हस्ताक्षर/-
राहुल रंजन
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 23 अगस्त, 2024

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	35.0	33.0	32.2	32.6
न्यूनतम	26.7	26.8	26.4	25.7

खबर कोना

शख्स को ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 अगस्त।

थाना दादरी क्षेत्र के पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक रोक कर टायर जांच रहे शख्स को पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट ढाई सप्ताह बाद थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में लगी है। पुलिस ने बताया कि जनपद अलीगढ़ निवासी कृष्ण वीर ट्रक पर सहायक (परिचालक) के रूप में नौकरी करते थे। वह गत 5 अगस्त को ट्रक चालक राकेश के साथ पंजाब से कानपुर के लिए जा रहे थे। जब वह पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दनकौर टोल से करीब 800 मीटर पीछे थे, तब कृष्णवीर ट्रक को रोककर टायर की जांच करने लगा। इसी बीच पीछे से आ रहे टाटा गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। दिल्ली के ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान 11 अगस्त को उनकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में लगी है।

कार शोरूम पर भारतीय किसान परिषद का धरना

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 अगस्त।

थाना दादरी क्षेत्र के जीटी रोड स्थित एक कार शोरूम पर भारतीय किसान परिषद कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आरोप है कि शोरूम से कार खरीदने के बाद कुछ किलोमीटर चलने पर ही अचानक खराब हो गई। जिसके चलते शोरूम से कार को बदलने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को भारतीय किसान परिषद के कार्यकर्ता जीटी रोड स्थित मोटर शोरूम पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। परिषद के पदाधिकारी कार वापसी करने की मांग कर रहे हैं। जबकि शोरूम प्रबंधक रविंद्र सिंह का कहना है कि खरीदी हुई कार वारंटी में है। उसे ठीक कर दिया जाएगा। पंजीकरण होने के बाद कार वापसी नहीं होती है। जो भी खराबी होगी, समय रहते हुए ठीक कराई जाएगी।

हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल आरोपी को वसंत कुंज उत्तरी थाना की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंद्रपाल के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कई मामले दर्ज है। इसके पास से चोरी की आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी वाले खराब नंबर प्लेट भी बरामद किए गए हैं। वह मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिला का रहने वाला है। जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि महिपालपुर इलाके से एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। इस मामले में छानबीन करते हुए एसीपी सत्यजीत सरीन की देखरेख में एसएचओ राजीव मलिक की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी के बारे में पता लगाने में कामयाब हुई। आगे की जांच में पता चला कि वह छह साल पहले जैतपुर इलाके में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल राम अवतार की गोली मारकर हत्या कर चुका है।

फिल्म सिटी के सामने सड़क चौड़ीकरण का काम आज से होगा शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 अगस्त।

चिल्ला सीमा से महामाया पुल की तरफ जाते समय फिल्म सिटी के सामने सड़क चौड़ीकरण का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा। अलग-अलग जगह करीब 350 मीटर हिस्से में सड़क चौड़ी होगी। काम पूरा होने में तीन से चार महीने का समय लग जाएगा। माना जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वालों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का जिम्मा सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एजंसी को दिया गया है। चिल्ला बार्डर से महामाया फ्लाईओवर की तरफ जाने वाली सड़क को सेक्टर-15 ए और 16 ए के बीच चौड़ा करने का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा। यहां पर मौजूदा सड़क औसत 12.2 मीटर की बचती है। इसे सेक्टर-16 ए की तरफ फुटपाथ स्थानांतरित करते हुए 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्टर-16ए की तरफ से आकर जो सड़क जुड़ती है उस मोड़ को भी नए सिरे से बनवाया जाएगा।

कोचिंग सेंटर मामला

'बेसमेंट' के चार सहमालिकों को नहीं मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस 'बेसमेंट' के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं। इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि इस घटना के लिए 'केवल वे जिम्मेदार' नहीं हैं। अदालत ने कहा कि एक नागरिक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी 'बेसमेंट' के अवैध उपयोग के मामले को लंबित रखने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों की भूमिका उनकी मिलीभगत के बारे में बहुत कुछ कहती है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और 'बेसमेंट' के चार सह मालिकों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह - के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआइ को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।

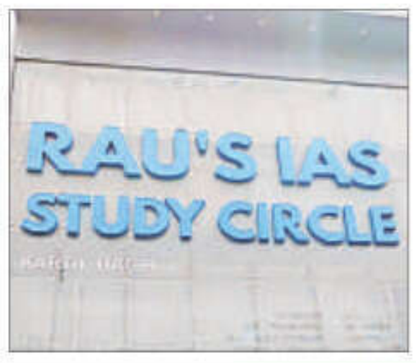

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि इस घटना के लिए 'केवल वे जिम्मेदार' नहीं हैं। अदालत ने कहा कि एक नागरिक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी 'बेसमेंट' के अवैध उपयोग के मामले को लंबित रखने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों की भूमिका उनकी मिलीभगत के बारे में बहुत कुछ कहती है।

आतिशी का दावा : 90 हजार बुजुर्गों के खाते में पहुंची पेंशन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर पिछले पांच महीने से पेंशन में अपना योगदान नहीं देना का आरोप भी लगाया। आतिशी ने कहा कि शहर के एक लाख लाभार्थियों में से 90 हजार को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया। अन्य को भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्लीवालों के काम नहीं रुकने देगी, जिस तरह केंद्र सरकार से लड़कर बुजुर्गों को ये पेंशन दिलवाई है, उसी तरह लड़कर उनके रुके हुए काम पूरे किए जाएंगे।

मंत्री ने दावा किया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में से दिल्ली सरकार 2,200 रुपए और केंद्र सरकार 300 रुपए का भुगतान करती है। पिछले पांच महीने से पेंशन लंबित थी क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार अपना योगदान नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि योजना की शर्तें कुछ इस तरह की हैं कि केंद्र का पेंशन में कम योगदान होने के बावजूद एक लाख लाभार्थियों की पेंशन केंद्र से लंबित भुगतान के कारण अटकी रही।

भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, 23 अगस्त (संवाददाता)। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध व विधवा पेंशन नहीं दिए जाने पर शुक्रवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में लाजपत नगर स्थित विभाग के कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पेंशन जारी करने का बयान दिया, जिसे भाजपा ने अपनी जीत बताया है।

गांवों में तय समय में पूरा करें विकास कार्य : गोपाल राय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त

दिल्ली के गांवों में चल रहे सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। इस बाबत दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किए हैं। इस बार के बजट में दिल्ली के गांवों में विकास संबंधित कार्यो के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस बजट से होने वाली परियोजनाओं के कामकाज की समीक्षा शुक्रवार को विकास मंत्री ने की। उन्होंने ग्राम विकास बोर्ड द्वारा सभी स्वीकृत योजनाओं की विस्तृत रपट 10 सितंबर को होने वाली बैठक में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। इस बैठक में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बाढ़ एंव नियंत्रण विभाग और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ग्राम विकास से संबंधित कार्य को तय सीमा के अंदर पूरा करें। अब सभी स्वीकृत स्कीमों के शीघ्र कार्यान्यवन के लिए 10 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में विधायकों और ग्राम विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दिल्ली सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।

आटो-टैक्सी हड़ताल का दूसरा दिन

न कैब मिली; न आटो रिक्शा, लोग परेशान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली में आटो-टैक्सी हड़ताल शुक्रवार के दूसरे दिन भी जारी, जिसके कारण लोगों को एप आधारित 'एग्रीगेटर' सेवाओं के माध्यम से कैब और आटो रिक्शा बुक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल जो लोग ओला उबर बुक कर रहे थे, उनकी बुकिंग नहीं हो रही थी। इसकी वजह से उन्हें काफी समस्याएं हुई। दिल्ली आटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने एग्रीगेटर्स से उचित भुगतान की मांग को लेकर दो दिवसीय हड़ताल का आ''ान किया था। यूनियन ने आरोप लगाया है कि मोटरसाइकिल टैक्सियों की शुरुआत के साथ ही कैब और आटोरिक्शा चालकों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने माना कि हड़ताल के दूसरे दिन कई जगह से आटो-टैक्सी में तोड़फोड़, टायरों की हवा निकलने जैसी घटनाएं हुई। यमुना पार की तरफ से आने वाले कुछ आटो को क्षति पहुंचाई गई। उनके शीशे तोड़े गए। वसंत कुंज में हड़ताली आटो टैक्सी चालकों ने रैपिडो मोबाइल एप के जरिए गैर कानूनी तरीके से चलने वाली मोटरसाइकिलों को रोका।

उन्होंने कहा कि उनके यूनियन से जुड़े सैकड़ों लोग जो ओला उबर के जरिए अपनी गाड़ियां चलाते हैं, वे भी हड़ताल में शामिल हुए। उन्होंने सरकार से 11 सूत्रीय मांग रखी है। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि कुछ आटो चालक सामान्य किराए से अधिक किराया वसूल रहे हैं, जबकि कुछ निश्चित गंतव्यों पर जाने से इनकार कर रहे हैं। यात्री विनय कुमार ने कहा कि मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जंगपुरा स्थित अपने घर तक पहुंचने के लिए एक एप पर आटो बुक करने की कोशिश की, लेकिन बुकिंग नहीं हो सकी।

आटो-टैक्सी चालक की मांग

टैक्सी चालकों की मांग है कि सरकार ओला-उबर तरीके की सरकारी पोर्टल बनाए और हमारे लोगों को शोषण से बचाए। ओला उबर रैपिडो मोबाइल एप जैसी अन्य कंपनियां के गैर-कानूनी कारोबार के नेटवर्क पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस उगाही, बिना नंबर ई रिक्शा एवं पंजीकृत ई रिक्शा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध, दिल्ली की सभी प्रकार की टैक्सियों से निगम टोल टैक्स हटाए जाना, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चालक आयोग बनाए जाने की मांग है।

मनमोहक

नई दिल्ली के कमानी सभागार में शुक्रवार को नृत्य नाटक 'कृष्ण' के 48वें संस्करण में प्रस्तुति देते कलाकार।

एप से एफआइआर निकालकर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 अगस्त।

सेक्टर-63 पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपी काप एप से एफआइआर निकालकर करीब 200 पीड़ितों से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर बताकर मोबाइल से पीड़ितों को फोन करता था। पुलिस ने उसका मोबाइल बरामद कर लिया है। जबकि उसे सिम उपलब्ध कराने वाले की तलाश की जा रही है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना सेक्टर-63 क्षेत्र निवासी प्रदीप कुमार के पास कुछ दिन पहले अनजान नंबर से एक फोन आया।

करने वाले ने खुद को जिला कलेक्टर बताते हुए प्रदीप को एफआइआर संबंधी जानकारी दी। उसने कहा कि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे कम से कम छह महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। इसके लिए यदि प्रदीप तुरंत तीन हजार रुपए आनलाइन स्थानांतरित कर दें, तो पुलिस की गाड़ी आरोपी को दबोचने अभी निकल पड़ेगी।

'महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई'

नई दिल्ली, 23 अगस्त (संवाददाता)।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है।

यह महज एक गलतफहमी थी, जिसे दूर कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने दिल्ली पुलिस को सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली एक महिला पहलवान की सुरक्षा वापस लेने के कारणों के बारे में शुक्रवार तक एक विस्तृत रपट दाखिल करने को कहा था। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाना एक गलतफहमी थी। उन्होंने कहा कि इसे सुधार लिया गया है। इससे पहले, गुरुवार को अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित कर दिल्ली की पुलिस को निर्देश दिया था।

'बूथ जीता, चुनाव जीता' ही मूल मंत्र : योगी

गाजियाबाद, 23 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अतिआत्मविश्वास से बचें' आमजन के बीच रहकर संवाद और समन्वय स्थापित करें। कहा कि 'बूथ जीता चुनाव जीता' ही जीत का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए शासन की योजनाएं उपलब्ध कराई हैं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया,'बूथ पर काम करें। बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए।' उन्होंने कहा कि 'आरक्षण व संविधान के मुद्दे पर विपक्ष ने खूब अफवाह फैलाई। उपचुनाव में विपक्षी दल फिर वोट मांगने आएंगे, उनके नेताओं से पूछिए कि आखिर एक-एक लाख कहां हैं। अपने वोट के जरिए उनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, 'समाजवादी पार्टी-कांग्रेस ने आमजन को गुमराह करने की कोशिश की है। उनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए।' उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आमजन को बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान की मूल प्रति को सिर पर रखकर संसद तक गए थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए विकास किया है।

निगरानी | स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा

दिल्ली सरकार 'एमपाक्स' को लेकर सतर्क

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 23 अगस्त ।

दिल्ली में मंकीपाक्स के मामले आने की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार राजधानी में 'मंकीपाक्स' (एमपीओएक्स) की स्थिति को लेकर कड़ी सतर्कता बरतने के साथ घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। केंद्र और (अन्य) राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी हमारी पैनी नजर है।

इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल को एमपाक्स के संदिग्ध और सत्यापित मामलों के प्रबंधन के लिए पृथक कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया था। हालांकि उसने यह भी स्पष्ट किया था कि इस संक्रमण के किसी भी मरीज का पता नहीं चला है।

इस संक्रमण के सिलसिले में एलएनजेपी अस्पताल को नोडल अस्पताल के रूप में नामित किया गया है, जबकि आपात स्थिति के लिए दो अन्य को भी तैयार रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसके व्यापक प्रसार को देखते हुए मंकीपाक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित किया है।

उपराज्यपाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 14 हजार नए बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा, कई जगह नए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति उपराज्यपाल के अंदर आने वाले सेवा विभाग का काम है और यदि भाजपा के एलजी साहब यहां भर्तियों का काम नहीं कर पा रहे तो यह काम हमें सौंप दें। सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर सरेआम झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों का बजट हर साल एलजी और केंद्र सरकार के यहां से पास होकर विधानसभा में आता है।

गौतमबुद्ध नगर : डेंगू के लिए 13 स्थान संवेदनशील श्रेणी में

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 अगस्त।

गौतमबुद्ध नगर के 13 स्थान डेंगू के लिए संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। इसमें ग्रेनो वेस्ट का पूरा इलाका संवेदनशील घोषित किया गया है। वहीं, नोएडा के भी पांच स्थान इस श्रेणी में हैं। इन स्थानों पर तीन या इससे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले थे। मलेरिया विभाग ने ग्रेनो वेस्ट का पूरा इलाका, नोएडा के बरौला, सेक्टर-22, हरौला, सदरपुर, मोरना डेंगू के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। इनके अलावा कासना, सूरजपुर, सबौता, मायचा, दुजाना, बंबावड़ और जेवर का एक और गांव संवेदनशील सूची में है।

वहीं, नोएडा के निठारी, सेक्टर-8, 9, सेक्टर-62, और 51 को डेंगू के संवेदनशील इलाकों से अलग कर दिया गया है। पिछले साल यह इलाके संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में थे। जनपद में अब तक डेंगू के 11 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं, मलेरिया के 34 मरीज मिले हैं। सभी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। जिला मलेरिया अधिकारी श्रुति कीर्ति वर्मा ने बताया कि डेंगू के संवेदनशील क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जाती है। इन स्थानों पर एक भी मरीज मिलने की स्थिति में तत्काल दवाओं का छिड़काव, मरीज की स्थिति, इलाज समेत अन्य पहलुओं की जानकारी भी शासन को देनी होती है, ताकि डेंगू के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके।

जनपद में अब तक डेंगू के 11 और मलेरिया के 34 मरीज मिले। सभी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

ओ.ए. सं. **55/2022** दिनांक **02-05-2024**

पंजाब नैशनल बैंक आवेदक

बनाम

श्री महिपाल सिंह एवं अन्य प्रत्यार्थी

सेवा में,

प्रतिवादी

3. मैसर्स एम आर प्रोव्यू रियलटेक प्रा. लि.,
190, सैनी एन्क्लेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली–92

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये **23,45,268/-** (रु. तेईस लाख पैंतालीस हजार दो सौ अडसठ मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 02-09-2024 को पूर्वा. 10.30 बजे** माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भौतिक के माध्यम से लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए:

(i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए **"मीटिंग आईडी"** और **"पासवर्ड"** DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात drt.gov.in की दैनिक वाद की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) किसी भी जानकारी हेतु एडवोकेट्स/लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन **23748478** पर संपर्क कर सकते है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **02 मई, 2024** को दिया गया।

प्राधिकरण के आदेशानुसार,
अनुभाग अधिकारी, डीआरटी–।।, दिल्ली

कार्यालय निरिक्षक देवस्थान विभाग, अलवर

क्रमांकः 194 दिनांकः 20/08/24

उज्रदारी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मन्दिर श्री बिहारी जी महाराज बडेरिया पाडी मुन्शी बाजार अलवर के पूर्व पुजारी श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 21.01.2024 को हो जाने के कारण उक्त मन्दिर का दाखिल खारिज कराने हेतु श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री उमाशंकर शर्मा निवासी बडेरिया पाडी मुन्शी बाजार का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में पेश किया है। उक्त मन्दिर के दाखिला खारिज श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री उमाशंकर शर्मा के नाम करने हेतु किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / उज्रदारी हो तो नोटिस के प्रकाशन की 30 दिवस की अवधी में इस कार्यालय में अपनी आपत्ती / उज्रदारी पेश करे अन्यथा बाद मियाद गुजरने पर उजदारी. आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया जावेगा। यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से आज दिनांक 20.08.2024 को जारी किया गया है।

निरीक्षक देवस्थान विभाग, अलवर

TATA POWER-DDL

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन् लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली–110009
फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाईट : www.tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित Aug 24, 2024

टाटा पावर–डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/INS/ENQ/200001708/24-25 Standard Fire & Special Perils and Burglary Insurance	NIL	24.08.2024	13.09.2024;1400 Hrs/ 13.09.2024;1600 Hrs
TPDDL/INS/ENQ/200001709/24-25 Cyber Security Insurance	NIL	24.08.2024	13.09.2024;1400 Hrs/ 13.09.2024;1600 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website **www.tatapower-ddl.com** → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

रेलटेल
(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन सं: U64202DL2000GOI107905)

GeM बोली संख्या : GEM/2024/B/5320502,
दिनांक : **23.08.2024**

रेलटेल /पूर्वी क्षेत्र "रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र के सहारनपुर अनुभाग में 2 साल की अवधि के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क के अनुरक्षण और इससे जुड़े अन्य उपकरण के रखरखाव के लिए अनुरक्षण दल की तैनाती और जिसे समान शर्तों पर एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है" के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-बोलियां आमंत्रित करता है।

विस्तृत GeM बोली सूचना/ GeM बोली दस्तावेज **https://www.railtel.in, https://eprocure.gov.in** और **https://gem.gov.in** पर उपलब्ध है। भविष्य के सभी परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र आदि को रेलटेल वेबसाइट, सीपीपी पोर्टल और GeM पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल GeM पोर्टल पर अपनी बोली जमा करनी होगी।

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमार– 9650606340, **2. रोहन सावंत**– 98331430133, **3. प्रशान्त मोंडे**– 022 – 6224 1676,

ई-नीलामी बिक्री सूचना-नवीन बिक्री

यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से) ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ जेएमएफएआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का पता : अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (06-08-2024)
ऋण कोड संख्याः 23400002915, आगरा (शाखा), मोहित गुप्ता (उधारकर्ता), बबली कुमारी (सह-उधारकर्ता 1) देवेंद्र गुप्ता (सह-उधारकर्ता 2) संजय सिंह (गारंटर 4)	दिनांकः 29-10-2019, रु. 2333657/-, (रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार छह सौ सत्तावन मात्र)	**अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः**- प्लॉट नंबर 18, के नंबर 96 स्टार सिटी फेज 1 मौजा जाखोदा ग्वालियर रोड, मौजा जाखोदा ग्वालियर रोड, आगरा उत्तर प्रदेश आईएन 282001 सीमाएं:- उत्तरः प्लॉट नंबर 19 दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 पूर्वः 20'-0' फीट चौड़ा कच्चा रोड पश्चिम प्लॉट नंबर 37	रु. 2152000/, (रुपये इक्कीस लाख बावन हजार मात्र)	रु. 215200/-, (रुपये दो लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र)	रु. 4722619/, (रुपये सैंतालीस लाख बाईस हजार छह सौ उन्नीस मात्र)

ई-नीलामी की तिथिः 27-09-2024, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 26-09-2024, शाम 4.00 बजे तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in पर दिए गए लिंक को देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस

उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 24-08-2024, स्थानः दिल्ली **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी), (अरण्या-ट्रस्ट)**

HARERA

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स टीएआरसी लिमिटेड द्वारा विकसित किये जाने वाले सेक्टर 63ए, गंरूग्राम में सिथत लाईसेन्स संख्या 137 ऑफ 2023 के अन्तर्गत "टीएआरसी इशावा" नामक परियोजना के सम्बन्ध में आपत्तियों के लिए आमंत्रण

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स टीएआरसी लिमिटेड ने लाईसेन्स संख्या 137 ऑफ 2023 डीटीसीपी, हरियाणा द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रदत्त क्षेत्रफल 6.95 एकड़ में ग्रुप हाऊसिंग कालोनी के पंजीकरण अनुदान के लिए आवेदन किया है।

पुनः आगे सूचित किया जाता है कि निदेशक, नगर एण्ड काउन्ट्री नियोजन विभाग ने लाईसेन्स संख्या 30 ऑफ 2013 दिनांक 20.05.2013 एवं 31 ऑफ 2013 दिनांक 20.05.2013 के द्वारा माईग्रेसन की अनुमति दी गई थी, जो कि नार्थ साऊथ प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को अंनत राज इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से क्षेत्रफल 2.95 एकड़ एवं 4 एकड़ के उपर क्रमशः सैक्टर-63ए, गुरूग्राम में वाणिज्यिक कालोनी के विकास के लिए प्रदान किया गया था।

नार्थ साऊथ प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने अंनत राज इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से, मौजूदा आवंटियों के दो–तिहाई (2/3) की सहमति की आवश्कता के बिना उक्त लाईसेन्स का माईग्रेसन प्राप्त कर लिया था क्योकि पहले लाईसेन्स संख्या 30 ऑफ 2013 दिनांक 20.05.2013 एवं 31 ऑफ 2013 दिनांक 20.05.2013 के सम्बन्ध में कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाया गया था। मैसर्स टीएआरसी लिमिटेड ने पहले ही इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत कर दिया है कि लाईसेन्स संख्या 30 ऑफ 2013 एवं 31 ऑफ 2013 में कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नही बनाया गया है।

प्रसांगिक योजनाएँ, मंजूरी, सहमति एवं आवेदन के दस्तावेज हरियाणा रीयल इस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुड़गॉव के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी सम्बन्धित व्यक्ति 30.08.2024 तक किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय यानि प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे आपत्तियाँ, यदि कोई हों, को दाखिल करने के लिए देख सकता है।

प्राधिकरण के अनुमोदन एवं मुहर के द्वारा दिया गया।

हस्ता०/–
सचिव,
हरियाणा रीयल इस्टेट नियामक प्राधिकरण,
तिथिः 23.08.2024 **गुरूग्राम**

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमार– 9650606340, **2. रोहन सावंत**– 98331430133, **3. प्रशान्त मोंडे**– 022 – 6224 1676,

ई-नीलामी बिक्री सूचना-अनुगामी बिक्री

यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से) ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ जेएमएफएआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/ कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का पता : अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (21-08-2024)
ऋण कोड संख्याः 19000000974, राज नगर (शाखा), लवकेश कुमार पांडे (कर्जदार), भगया श्री पांडे (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 11-10-2018, रु. 11,59,577/- (रुपये ग्यारह लाख उनसठ हजार पांच सौ सतहत्तर मात्र)	**अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः**- फ्लैट नंबर 641, 6वीं मंजिल एनए गंगोत्री बिल्डिंग गंगोत्री बिल्डिंग कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत-201010 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः पूर्वोत्तर दक्षिणः दक्षिण-पश्चिम खुला पूर्वः दक्षिण-पूर्व प्रवेश पश्चिमः उत्तर-पश्चिम खुला	रु. 733840/-, (रुपये सात लाख तैंतीस हजार आठ सौ चालीस मात्र)	रु. 73384/-, (रुपये तिहत्तर हजार तीन सौ चौरासी मात्र)	रु. 2524689/-, (रुपये पच्चीस लाख चौबीस हजार छह सौ नवासी मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19800042203, दिल्ली- पीतमपुरा (शाखा), अनुपम शर्मा (कर्जदार), शिखा शर्मा (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 27-12-2022, रु. 7499264/-, (रु. चौहत्तर लाख निन्यानवे हजार दो सौ चौसठ मात्र)	**अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः**- प्लॉट नंबर 11/11 ब्लॉक-ए, गोल्ड सूक, गोल्फ लिंक्स सेक्टर-17 सोहना रोड मेवात गुड़गांव हरियाणा 122101 सीमाएं:- उत्तरः रोड दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 पूर्वः 20'-0' फीट चौड़ा कच्चा रोड पश्चिम प्लॉट नंबर 37	रु. 8478000/-, (रुपये चौरासी लाख अठहत्तर हजार मात्र)	रु. 847800/-, (रुपये आठ लाख सैंतालीस हजार आठ सौ मात्र)	रु. 9763745/-, (रुपये सत्तानबे लाख तिरसठ हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 25600000497, कड़कड़डूमा नोएडा (शाखा), मीनू कुमारी (कर्जदार), राकेश कुमार (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 19-12-2019, रु. 2683385/-, (रुपये छब्बीस लाख तिरासी हजार तीन सौ पिचासी मात्र)	**अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः**- फ्लैट नंबर-ए-1, दूसरी मंजिल, सामने की तरफ प्लॉट नंबर-136, विक्रम एन्क्लेव गांव पासोंडा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन 201001 सीमाएं:- उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 पूर्वः 20'-0' फीट चौड़ा कच्चा रोड पश्चिमः प्लॉट नंबर 37	रु. 1215000/-, (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार मात्र)	रु. 121500/-, (रुपये एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ मात्र)	रु. 4895209/-, (रुपये अड़तालीस लाख पिचानबे हजार दो सौ नौ मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19000000593, राज नगर (शाखा), रवि राज (कर्जदार), मनोरमा सिंह (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 28-08-2018, रु. 2459586/-, (रुपये चौबीस लाख उनसठ हजार पांच सौ छियासी मात्र)	**अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः**- फ्लैट नंबर-ए2, ग्राउंड फ्लोर पीछे की तरफ, प्लॉट नंबर-349, पीछे की तरफ, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201011 सीमाएं:- उत्तरः फ्लैट नंबर- ए1 दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 पूर्वः 20'-0' फीट चौड़ा कच्चा रोड पश्चिम प्लॉट नंबर 37	रु. 2085000/-, (रुपये बीस लाख पिचासी हजार मात्र)	रु. 208500/-, (रुपये दो लाख आठ हजार पांच सौ मात्र)	रु. 5565555/-, (रुपये पचपन लाख पैंसठ हजार पांच सौ पचपन मात्र)
ऋण कोड संख्याः 23400002402, आगरा (शाखा), अमित कुमार (कर्जदार), वंदना (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 19-12-2019, रु. 2186676/-, (रुपये इक्कीस लाख छियासी हजार छह सौ छिहत्तर मात्र)	**अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः**- फ्लैट नंबर 202 प्रथम तल एलआर रेजीडेंसी संपत्ति एमपीएल नंबर और 4/175 पार्ट और 4/176 नगला पृथ्वी नाथ लोहामंडी आगरा उत्तर प्रदेश भारत 282002 सीमाएं:- उत्तरः फ्लैट नंबर 201 दक्षिणः प्लॉट नंबर 17 पूर्वः 20'-0' फीट चौड़ा कच्चा रोड पश्चिमः प्लॉट नंबर 37	रु. 1051000/-, (रुपये दस लाख इक्यावन हजार मात्र)	रु. 105100/-, (रुपये एक लाख पांच हजार एक सौ मात्र)	रु. 3993178/-, (रुपये उनतालीस लाख तिरानबे हजार एक सौ अठहत्तर मात्र)
ऋण कोड संख्याः 11900002712, नोएडा (शाखा), आभा सिंह (कर्जदार), पंकज कुमार सिंह (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 18-12-2021, रु. 1475056/-, (रूपये चौदह लाख पचहत्तर हजार छप्पन मात्र)	**अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः**- दुकान नंबर-208, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर-2, ब्लॉक-0 और पी, एलएससी, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अग्रवाल टॉवर, दिलशाद गार्डन दिल्ली 110095 सीमाएं:- उत्तरः अन्य दक्षिणः प्लॉट नं.17पूर्वः 20'-0' फीट चौड़ी कच्ची सड़क पश्चिमः प्लॉट नं.37	रु. 1021000/-, (रुपये दस लाख इक्कीस हजार मात्र)	रु. 102100/-, (रुपये एक लाख दो हजार एक सौ मात्र)	रु. 2211187/-, (रुपये बाईस लाख ग्यारह हजार एक सौ सतासी मात्र)

ई-नीलामी की तिथिः 17-09-2024, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 16-09-2024, शाम 4.00 बजे तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale** या **https://www.bankauction.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री नोटिस

उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 24-08-2024 **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)**
स्थानः दिल्ली **(अरण्या-ट्रस्ट)**

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, कम सं. 79/1, घोरपड़ी, मंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'कथित अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) के तहत उपरोक्त कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय के गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 17 नवंबर 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित अनुसार राशि अदा करने के लिये नीचे कर्जदारों को आमंत्रित करते हुए निम्न तिथि को मांग सूचना जारी की थी। कर्जदारों द्वारा राशि की अदायगी में असफल होने पर, कर्जदारों तथा जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियम, 2002 के कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष तौर पर और जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन राशि तथा उस पर ब्याज के लिए गृहम हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतित परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए समय उपलब्ध है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि	विधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि (रु.)
1.	राम स्वरूप, सीमा, कमलेश	गांव जलालनगर बहार चुंगी परगना और तहसील सदर जिला शाहजहांपुर का समस्त भाग, माप 72.94.वर्ग मीटर डब्बू का गैरेज पिन कोड- 242001 सीमाएं:- पूर्वः- 18 फीट इंटरलॉक टाइल रोड, पश्चिमः- बकर खान का खेत, उत्तरः- मनोज तिवारी का घर, दक्षिणः- आराजी सेलर।	22/08/2024	06/06/2024	ऋण संख्या hF0100h21100272 रु. 772137/- (सात लाख बहत्तर हजार एक सौ सैंतीस रुपये मात्र) 06/06/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 17.5 प्रति वर्ष ब्याज भी।
2.	दीपक जायसवाल, रेखा, रवि जायसवाल, रमाशंकर जायसवाल	मकान नंबर 79 मौजा - मदरिया उर्फ गोला वार नंबर- 8 नगर पंचायत गोला टप्पा- बहराज परगना - धुरियापार तहसील- गोला जिला - गोरखपुर का समस्त भाग, माप 240.वर्ग फीट सरदार पटेल फामेर्सी कॉलेज पिन कोड- 273408 सीमाएं:- पूर्वः- राम प्रसाद का घर, पश्चिमः- 12 फीट रोड, उत्तरः- जगदीश मौर्य का घर, दक्षिणः- अंबिका नाई का घर।	21/08/2024	06/06/2024	ऋण संख्या hF0091h21100235 रु. 1000994/- (दस लाख नौ सौ चौरानबे रुपये मात्र) 06/06/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 17 प्रति वर्ष ब्याज भी।
3.	मंजू देवी, प्रमोद कुमार	खसरा नंबर 83/3, मौजा परशुरामपुर, परगना मवई, तहसील मुगलसराय जिला चंदौली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया 944.88. वर्ग फीट का समस्त भाग, पिन कोड- 232101 इसकी सीमाः- पूर्वः- फरजाना की जमीन, पश्चिमः- अन्य प्लॉट, उत्तरः- ओम प्रकाश का मकान, दक्षिणः- मिट्टी की सड़क 15 फीट।	22/08/2024	06/06/2024	ऋण संख्या hF0055h20100385 रु. 810308/- (आठ लाख दस हजार तीन सौ आठ रुपये मात्र) 06/06/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 15.5 प्रति वर्ष ब्याज भी।
4.	आजाद कुमार उपाध्याय, सरस्वती उपाध्याय	आराजी नंबर 564 मौजा कपरफोरवा परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया 653. वर्ग फीट का समस्त भाग, लोहिया मार्केट पिन कोड- 221405 इसकी सीमाः- पूर्वः- गली 10 फीट, पश्चिमः- श्यामबिहारी का प्लॉट, उत्तरः- खाली प्लॉट, दक्षिणः- देवी का प्लॉट।	21/08/2024	06/06/2024	ऋण संख्या hF0055h21100113 रुपये 528695/- (पांच लाख अट्ठाईस हजार छह सौ पंचानबे रुपये मात्र) 06/06/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 15 प्रति वर्ष ब्याज भी।
5.	संजय कुमार सेठ, सुनीता सेठ	आराजी नंबर 78 मौजा बरसाड़ा परगना कटेहर तहसील व जिला वाराणसी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया 1360 वर्ग फीट विशाल ऑटोमोबाइल पिन कोड- 221001 की सारी जमीन, सीमाएं:- पूर्वः- गली 5 फीट, पश्चिमः- आराजी नंबर 76 विजय कुमार, उत्तरः- भरम सेठ की जमीन, दक्षिणः- दिलीप सेठ की संपत्ति।	21/08/2024	06/06/2024	ऋण संख्या hF0055h21100470 रुपये 1556462/- (पंद्रह लाख छप्पन हजार चार सौ बासठ रुपये मात्र) 06/06/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 17 प्रति वर्ष ब्याज भी।
6.	सुशीला मां और कानूनी वारिस अरुण कुमार बाजपेयी [अब मृत]	खाता नंबर 427 गाटा नंबर 707 ग्राम अकबरपुर परगना वी तहसील अकबरपुर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया 82.13 वर्ग मीटर पिन कोड- 209101 की सारी जमीन, सीमाएं:- पूर्वः- 5 फीट रोड, पश्चिमः- आराजी नंबर 707, उत्तरः- पपू का घर, दक्षिणः- 5 फीट चौड़ी सड़क।	21/08/2024	06/ 06/2024	ऋण संख्या hF/0045/h/19/100176 रुपये 739833/- (रुपये सात लाख उनतालीस हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) 06/06/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 15.5 प्रति वर्ष ब्याज।
7.	आलोक शुक्ला भाई और कानूनी वारिस पवन शुक्ला [अब मृत], प्रमोद कुमार शुक्ला पिता और कानूनी वारिस पवन शुक्ला [अब मृत], गीता देवी शुक्ला मां और कानूनी वारिस पवन शुक्ला [अब मृत]	आराजी संख्या 1703 बड़ा सिरोही कानपुर नगर के भाग में स्थित निजी भूखंड संख्या 2 पर निर्मित मकान का समस्त भाग, 162.31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, मानचित्र के अनुसार सीमाएं:-पूर्वः- भूखंड संख्या 8, पश्चिमः- 30 फीट रोड, उत्तरः- भूखंड संख्या 1, दक्षिणः- 18 फीट रोड।	21/08/2024	06/06/2024	ऋण संख्या hL00596100000005013391 रुपये 3220871/- (रुपये बत्तीस लाख बीस हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) 06/06/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 13.5 प्रति वर्ष ब्याज।

स्थान : उत्तर प्रदेश, तिथि : 24.08.2024 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)**

RBL BANK apno ka bank

आरबीएल बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर - 416001
क्षेत्रीय कार्यालय : प्रथम मंजिल, बिल्डिंग नं. 1, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेस-3, नई दिल्ली -110020

ई-नीलामी विक्रय सूचना
(सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत)

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम")

कल्पमेधा

लोकतंत्र स्वयं को अनुशासन में रखने की कला है, जिससे दूसरों को उसे अनुशासित न करना पड़े।

– जार्ज क्ले मेनेशन

अमन की राह

प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से स्वाभाविक ही सबको काफी उम्मीदें थीं। खुद प्रधानमंत्री भी वहां रवाना होने से पहले काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा था कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को लेकर उत्सुक हैं। जेलेंस्की ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और वहां युद्ध की स्थितियों से उन्हें अवगत कराया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से युद्ध रोकने के उपाय तलाशने पर ही केंद्रित रही। यूक्रेन ने इच्छा जताई कि भारत शांति समझौते में सदा साथ रहे। हालांकि इस दौरान दोनों देशों ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। अधिकारियों ने बताया कि इन समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर इसलिए भी दुनिया की निगाहें बनी हुई थीं कि शुरू से रेखांकित किया जा रहा है कि भारत ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकवा सकता है। हालांकि भारत शुरू से ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील करता रहा है। यूक्रेन रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता।

यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। तब जेलेंस्की ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए उनसे भारतीय प्रधानमंत्री के गले मिलने की आलोचना की थी। मगर अब वे भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब यूक्रेन ने रूसी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। इसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री की अपीलों का यूक्रेन या फिर रूस पर कितना असर पड़ेगा। पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री पुतिन से फोन पर बातचीत करके या फिर आमने-सामने यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर चुके हैं। पिछले दिनों रूस जाकर भी उन्होंने पुतिन से यही अपील की थी। मगर अभी तक ऐसा कोई मौका नजर नहीं आया, जब रूस ने भारत की अपील पर संजीदगी दिखाई हो। शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान आमने-सामने बातचीत के बाद लगा था कि पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लिया है, मगर वहां से लौटते ही उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए थे।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं, उसकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का वाणिज्य और व्यापार बाधित हुआ है। वह चाहता तो है कि युद्ध विराम पर समझौता हो, मगर वह रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। रूस की शर्त है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता त्याग दे। दोनों में से कोई, किसी भी रूप में झुकने को तैयार नजर नहीं आता। ऐसे में बातचीत की मेज पर बैठने की सूरत बने भी तो कैसे, यही सबसे कठिन सवाल है। भारत के लिए भी बातचीत का रास्ता निकालना आसान नहीं है। मगर प्रधानमंत्री की दोनों देशों की बारी-बारी से यात्रा और युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील से विश्व बंधुता का रास्ता तो बना ही है। उम्मीद की जाती है कि रूस और यूक्रेन थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए समझौते के लिए बीच के किसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएं।

अवरोध की सीमा

करीब छह महीने से शंभू सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सरकारी तंत्र को इसकी कितनी फिक्र है। जो काम सरकार को खुद अपनी ओर से करना चाहिए था, किसानों से संवाद करके शंभू सीमा को खोलने से लेकर अन्य मसलों पर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसका रास्ता अदालत को बनाना पड़ रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसानों की शिकायतों का 'हमेशा के लिए' सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए जल्द ही एक बहुसदस्यीय समिति का गठन करेगा। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए अवरोधकों को एक हफ्ते के भीतर हटाने के लिए कहा गया था। वहां प्रदर्शनकारी किसान इस वर्ष की फरवरी से अपनी मांगों के साथ डेरा डाले हुए हैं।

यह विचित्र है कि कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य कुछ मांगों का मसला इतना जटिल मान लिया गया है कि किसानों को इसके लिए छह महीने से सड़क पर धरना देना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार के साथ एक बैठक के बाद किसान राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत हो गए थे। इस सिलसिले में शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से कहा कि वे किसानों के साथ संवाद का रास्ता अपनाएं और उन्हें राजमार्ग से अपने ट्रैक्टर और ट्रालियां हटाने के लिए राजी करें। मगर अब भी इससे संबंधित मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो निश्चित रूप से यह सरकार की नाकामी ही कही जाएगी। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इतने लंबे समय से शंभू सीमा पर एक व्यस्त सड़क के अवरुद्ध होने से आम लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सरकार के सामने यह प्राथमिक सवाल होना चाहिए था कि वह किसानों की मांगों पर विचार करते हुए, बिना देरी किए वहां आवाजाही को सामान्य बनाने पर सहमति बनाती।

चुनौतियों के बरक्स समाधान

विश्व शांति के लिए विभिन्न देशों के मध्य मजबूत संबंधों की जरूरत है। मौजूदा विश्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संधियां विफल हो रहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है।

रामानुज पाठक

अगले पांच वर्ष दुनिया के लिए संकट का काल है। अभी पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, दक्षिण एशिया में अशांति बढ़ रही है। दक्षिण चीन में भी चीन के आक्रामक रवैये से तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। ऐसे समय में विश्वव्यापी अशांति और आर्थिक चुनौतियों के बीच बहुत से देश संघर्षरत हैं। कठिन समय में कई देशों के बीच संबंध कटुतापूर्ण हैं। विश्व शांति के लिए विभिन्न देशों के मध्य मजबूत संबंधों की जरूरत है। मौजूदा विश्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संधियां विफल हो रहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है।

अगले पांच वर्षों में दुनिया के कुछ क्षेत्रों को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे अधिक तीव्र और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। भविष्य में महामारियों का खतरा बढ़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, निजता और सुरक्षा के मुद्दे और गंभीर हो सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे बीमारियों और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। जानवरों से मानव में विषाणु का संचरण हो सकता है, जैसे कि सार्स और एबोला आदि। विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरी के कारण महामारी का प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है। जैविक हथियारों का उपयोग करके महामारी का कारण बनाया जा सकता है। अगले पांच वर्षों में विश्व में आर्थिक विषमता बढ़ने की संभावना है। इसके कई कारण हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ रही है, जिसमें कुछ देशों और समूहों को अधिक लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य को कम। प्रौद्योगिकी का विस्तार आर्थिक विषमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि अन्य को नहीं। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण कुछ लोगों को आर्थिक अवसरों से वंचित किया जा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विषमता को बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे निवेश और आर्थिक विकास प्रभावित होगा।

अगले पांच वर्षों में विश्व में राजनीतिक तनाव के कई कारण हो सकते हैं। अमेरिका, चीन, और रूस जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। मध्य पूर्व, यूक्रेन, और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जारी संघर्ष बढ़ सकते हैं। आप्रवासन और शरणार्थी संकट के कारण राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। विश्व में प्रौद्योगिकी में निजता के लिए कई चुनौतियां होंगी। मसलन, डेटा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अधिक से अधिक डेटा आनलाइन हो रहा है। इस पर निगरानी एक बड़ी चुनौती होगी। कृत्रिम मेधा के विकास के साथ निजता के मुद्दे और जटिल हो जाएंगे। 'इंटरनेट आफ थिंग्स' के विकास के साथ, अधिक से अधिक युक्तियां (डिवाइसेज) आनलाइन होंगे, जिससे निजता के मुद्दे और बढ़ेंगे।

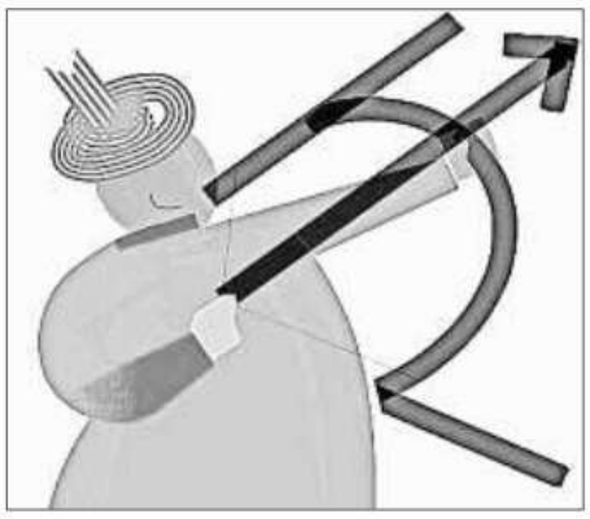

सोशल मीडिया के विकास के साथ, निजता के मुद्दे और जटिल हो जाएंगे। वैश्विक चुनौतियां कम करने के लिए, हमें जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझना और इसके लिए कार्रवाई करनी होगी।

इसके अलावा अन्य उपाय भी करने होंगे। जैसे, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना। वनस्पति विविधता का संरक्षण और वृक्षारोपण करना। जल संसाधनों का संरक्षण और उनका संचय करना। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई करना। इन खतरों को कम करने के लिए, महामारी से लड़ने की तैयारी करनी और प्रतिक्रिया में सुधार करना होगा। वैश्विक सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना होगा। विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना होगा।

> **अगले पांच वर्षों में विश्व के लिए भारत का योगदान कई क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनने जा रहा है। भारत की संस्कृति विश्व भर में फैली हुई है, और यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके पास वैश्विक मुद्दों के समाधान में नेतृत्व करने की क्षमता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और आर्थिक विकास।**

आर्थिक विषमता को कम करने के लिए शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना होगा, ताकि लोग आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकें। आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, ताकि लोगों को आर्थिक असुरक्षा से बचाया जा सके। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि आर्थिक विषमता और राजनीतिक तनाव को कम किया जा सके। संघर्ष समाधान के लिए प्रयास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी में निजता की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी होगी। डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, ताकि डेटा की सुरक्षा हो सके। प्रौद्योगिकी के विकास में निजता के अधिकार को शामिल करना, ताकि निजता के हनन को कम किया जा सके। लोगों को निजता के बारे में शिक्षित करना होगा, ताकि वे अपनी निजता की रक्षा कर सकें।

अगले पांच वर्षों में विश्व के लिए भारत का योगदान कई क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनने जा रहा है। भारत की संस्कृति विश्व भर में फैली हुई है, और यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके पास वैश्विक मुद्दों के समाधान में नेतृत्व करने की क्षमता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और आर्थिक विकास। भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन सकता है।

भारत की संस्कृति में पर्यावरणीय चेतना है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत और विश्व के लिए एक प्रमुख पर्यावरण संरक्षण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक नेतृत्व करते हुए भारत कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मसलन, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे यह वैश्विक शांति और सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे यह विश्व को आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है, जिससे यह विश्व को इस चुनौती से निपटने में मदद कर सकता है।

भारत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे यह विश्व को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। वैश्विक शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे यह विश्व को शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकता है। भारत वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे यह विश्व को सांस्कृतिक विविधता में मदद कर सकता है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नवाचार, और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होगी, जो भारतीय चिंतन 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना में निहित है।

असुरक्षित स्त्रियां

नरेंद्र भारती

कोलकाता में हुआ बलात्कार और हत्याकांड भारत जैसे सभ्य होने का दावा करने वाले देश के लिए एक और शर्म का विषय है। देश में बेटियां हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मगर सरकारों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। अब तो जैसे कोई भी विश्वास के योग्य नहीं रहा। अपने ही हैवान बन रहे हैं। बहू-बेटियां घर में भी असुरक्षित हैं। ऐसी घटनाओं से सरकारों के सुरक्षा संबंधी दावों की पोल खुल गई है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। कोलकाता की घटना पर लोगों का रोष अभी शांत भी न हुआ था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लोगों की नाराजगी फट पड़ी।

अपराध की तारीख बदल जाती है, मगर तस्वीर नहीं बदलती। बेशक प्रतिवर्ष आठ मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, मगर ऐसे आयोजन मात्र औपचारिकता भर रह गए हैं। हर वर्ष एक संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाएगी, अत्याचारों का खात्मा किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, मगर धरातल पर सच्चाई की बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं। यों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं, चांद तक अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। महिला सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून भी हैं, मगर व्यवहार में उनका कोई खौफ नजर नहीं आता। अगर वे कानून सही तरीके से लागू होते, तो ऐसे मामलों में इजाफा न होता। हर वर्ष के आंकड़े में महिलाओं के साथ दरिंदगी लगातार बढ़ी दर्ज होती है।

16 दिसंबर, 2012 को हुए निर्भया कांड को लेकर हर भारतीय उद्वेलित हुआ था। तब कानूनों को और कठोर बनाया गया था, और उम्मीद जगी थी कि महिलाओं के साथ हैवानियत की घटनाएं बंद हो जाएंगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। तबसे अब तक लगातार बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ती गई हैं। दरिंदों की अराजकता बढ़ती ही जा रही है। 12 सितंबर, 2018 को हरियाणा के रेवाड़ी में उन्नीस वर्ष की एक मेधावी छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया गया था। 27 जून, 2018 को मध्यप्रदेश के मंदसौर में एक सात साल की नाबालिग स्कूली बच्ची से सामूहिक बलात्कार किया गया था। वह बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। उसके साथ हुई हैवानियत दिल दहलाने वाली थी। दरिंदों को जब तक ऐसी कड़ी सजा नहीं मिलेगी, जो दूसरों के लिए सबक साबित हो, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगना कठिन रहेगा।

यह बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में लड़कियां कितनी महफूज हैं, इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। देश में हर रोज अबोध बच्चियों से लेकर अधेड़ उम्र की महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। 2024 के पहले ही दिन से महिलाओं पर अत्याचारों की शुरुआत हो गई थी। अब देश में प्रतिदिन ऐसे मामले हो रहे हैं और निरंतर इनमें वृद्धि हो रही है। छेड़छाड़ और तेजाब फेंकने जैसी घटनाएं भी रुकने का नाम नहीं लेतीं। वर्ष 2019 में एक खौफनाक और दरिंदगी की हदें पार करने वाली घटना पंजाब के मोगा में हुई थी, जब बदमाशों ने चलती बस में लड़की से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर बस से फेंक दिया, जिससे उस लड़की की मौत हो गई थी। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का बदायूं एक बार फिर शर्मसार हुआ था, जहां दो नाबालिग चचेरी बहनों से सामूहिक बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था। पांच आरोपियों ने शौच के लिए गई नाबालिगों को अगवा करके उनसे बंदूक की नोक पर बलात्कार किया था।

विडंबना है कि देश में महिलाओं पर जुल्मों की सूची लंबी होती जा रही है। मगर जब राष्ट्रीय राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, तो गांवों और कस्बों का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। समझना मुश्किल है कि आज आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है। आदमी यह कैसे भूल रहा है कि जिसने उसे जन्म दिया वह भी एक महिला थी। अबोध बच्चियों तक से बलात्कार हो रहे हैं। कुछ बीमार मानसिकता के लोगों ने भारत की छवि को दागदार किया है।

दुनिया मेरे आगे

> **समझना मुश्किल है कि आज आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है। आदमी यह कैसे भूल रहा है कि जिसने उसे जन्म दिया वह भी एक महिला थी। अबोध बच्चियों तक से बलात्कार हो रहे हैं। कुछ बीमार मानसिकता के लोगों ने भारत की छवि को दागदार किया है।**

जनमानस को अब संकल्प लेना तथा एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा, जो देश के लिए कलंक हैं। अगर अब भी कानूनी रूप से सख्ती नहीं बरती गई, तो ऐसे दरिंदे फिर से घिनौनी वारदात को अंजाम देते रहेंगे।

केंद्र सरकार को चाहिए कि देश के सार्वजनिक स्थलों पर हर समय सुरक्षा व्यवस्था कायम की जाए। सादी वर्दी में महिला पुलिस तैनात करनी चाहिए। सरकार को बिना समय गंवाए इन दरिंदों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को सामाजिक ताने-बाने की कोई फिक्र नहीं होती। समाज में ऐसे लोग बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। ऐसे दुष्कर्म दर्शाते हैं कि समाज में विकृत मानसिकता के लोगों का बोलबाला होता जा रहा है। समाज को ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान करनी होगी। कानून के रखवालों को भी समाज में घटित इन हादसों पर गहराई से चिंतन करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर विराम लग सके। पुलिस को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा, ताकि समाज में ऐसे हादसे रुक सकें। सरकार को प्राथमिक स्कूलों से लेकर कालेज स्तर तक की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने होंगे, ताकि वे दरिंदों के चंगुल से खुद को बचा सकें। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर गांव से लेकर शहर तक जागरूकता शिविर लगाने चाहिए।

बुजुर्गों की जगह

हमारे देश में बुजुर्गों को अत्यधिक सम्मान और महत्त्व दिया जाता रहा है और घर के सारे कार्य, तीज-त्योहार, शादी, सभी कुछ उनके मार्गदर्शन में होते थे। मगर अब वक्त बदलने के साथ-साथ बुजुर्गों के लिए न तो पहले जैसा सम्मान दिखता है और न महत्त्व। जो माता-पिता अपने जीवन भर का परिश्रम लगाकर अपनी संतानों का उज्ज्वल भविष्य बनाते थे, उनका भविष्य उज्ज्वल करने विदेशों में भेजते थे, अब बुढ़ापे में वही मां-पिता उन्हें बोझ लगने लगते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में जीवन बिताना पड़ता है। हालांकि कुछ सुधार बुजुर्गों को भी अपने भीतर लाकर पीढ़ियों के अंतराल के अनुसार अपना व्यवहार बनाना होगा। हर छोटी-बड़ी बात में दखलअंदाजी और टोका-टोकी आज की युवा पीढ़ी पसंद नहीं करती। हमारे देश में गांवों की अपेक्षा शहरों में बुजुर्ग उपेक्षा का अधिक शिकार होते हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अपने बुढ़ापे की व्यवस्था समय रहते कर लेना चाहिए। संतानों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बेटा सिर्फ उनके कहे अनुसार ही चलेगा। बेटों को मां-पिता और पत्नी के बीच अच्छे से सामंजस्य बैठाना चाहिए।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

भूकम्प का जोखिम

प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान सामने आने लगा है। बाढ़, भू और हिमस्खलन, आग के साथ ही भूकम्प बड़े विनाश की वजह बनने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान विश्व के अलग-अलग हिस्सों में भूकम्प के तीव्र झटके महसूस हुए हैं। भारत के सीमावर्ती देश भी भूकम्प से अक्सर तबाह होते हैं। इन झटकों की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। रिक्टर पैमाने पर बढ़ती तीव्रता इस बात का संकेत हैं कि प्रकृति के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा है। जरूरत से बढ़े जलाशयों का निर्माण, अनावश्यक वैज्ञानिक प्रयोग और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ऐसी वजह है जिससे धरती कम्पायमान होती है, जिससे विनाश सामने आता है। ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि प्रकृति के संतुलन के लिए विश्व मतैक्य हो और ऐसी परियोजनाएं और नुमाइशों पर पाबंदी लगाई जाएं, जो किसी भी रूप में मानव जीवन के लिए खतरा बने।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर, मप्र

ढहते पुल

बरसात के मौसम में कुछ राज्यों में छोटे-बड़े पुलों के ढहने की खबरें सामने आती हैं। ऐसी घटनाओं से सरकार और संबंधित महकमे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जितने पुल गिरे, उनकी समय रहते सुध ले ली गई होती, तो शायद हादसे न होते। हमारे देश की सरकारों और प्रशासन की आदत बन चुकी है किसी दुर्घटना या हादसे के बाद नींद से जागना और फिर कुछ मुआवजे और झूठे आश्वासनों का मरहम लगाकर अगली दुर्घटना या हादसे के इंतजार में लंबी तान के सो जाना। भ्रष्टाचार के पुल को लेकर सरकारें कुछ ठोस कदम नहीं उठाती हैं। जांच के लिए समितियों का गठन किया जाता है और फिर क्या होता है, पता नहीं चलता। विडंबना है कि अपने देश के लोग ही अपने ही देश के लोगों की जान के दुश्मन चंद सिक्कों की खातिर बन रहे हैं। अगर देश में निष्पक्ष और उचित जांच की जाए तो ऐसे बहुत से पुलों का आंकड़ा सामने आएगा जो बहुत पुराने और जर्जर हो चुके होंगे।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

प्रशिक्षण की बुनियाद

हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बात होती है, लेकिन पुरुषों के व्यवहार को नियंत्रित करने पर कोई बात नहीं करता है। लड़के रात में सड़कों पर उत्पात मचाते रहते है, लेकिन कोई मां-बाप उसे नियंत्रित नहीं करना चाहता। लड़कों को असीमित आजादी भी महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक कारण बनता है। उम्र के नाजुक दौर में लड़कों को विशेष निगरानी और सलाह की जरूरत होती है, लेकिन मां-पिता और शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं। बदलाव लड़कियों में भी आता है, लेकिन भारतीय माता-पिता लड़कियों पर निगरानी रखकर उसे नियंत्रित करते हैं और लड़कों को खुली छूट देकर उसे बर्बाद होने देते हैं। एक अभिवावक, शिक्षक और समाज की ये जिम्मेदारी है कि कोई नासमझ बच्चा गलत हरकत करे तो उसे नियंत्रित किया जाए। अन्यथा वे अपने साथ-साथ दूसरों का भी जीवन नष्ट करेंगे।

– आशीष कुमार गुप्ता, जमुई, बिहार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

राजकाज
जनसत्ता | 24 अगस्त, 2024

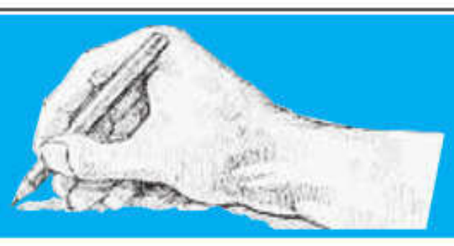

राजग सरकार के विलंबित प्रवेश प्रक्रिया का विज्ञापन आते ही विपक्ष ने इसे लेकर तीखा विरोध किया। विज्ञापन वापसी के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की विलंबित प्रवेश प्रक्रिया जैसी साजिशों को नाकाम करेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50 फीसद आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे।

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष ने जनता को जिस शब्द से सबसे ज्यादा डराया, वह था गठबंधन। गठबंधन यानी कमजोर सरकार, जिसके फैसलों की कोई 'गारंटी' न हो। भाजपा सरकार को 'गारंटी' शब्द इतना भाया कि पारंपरिक घोषणापत्र को भी गारंटी बना दिया। ऐसा लगा कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आना उसके लिए आगे भी आने की 'गारंटी' है। अफसोस जनता ने गारंटीधारी सरकार को ऐसी हालत में सदन में भेजा जिसकी स्थिति की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है।

बेबाक बोल

हालांकि, गठबंधन सरकारों को हिकारत से देखने वाली सरकार जब ढेर सारे बंधनों के साथ आई तब भी खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। लेकिन, अभी तीसरे महीने में प्रवेश तक ही सरकार अपने तीन अहम फैसलों को वापस ले चुकी है। विलंबित प्रवेश प्रक्रिया पर कांग्रेस-काल की दलीलें देकर फिर कांग्रेस व घटक दलों की दलीलों से घबरा कर जिस तरह कदम खींच लिए उसने एक सत्य तो सामने ला दिया कि लोकतंत्र में सिर्फ जनता की गारंटी चलती है। गारंटी से कमजोर कड़ी तक के सफर पर बेबाक बोल।

इति गारंटी

मुकेश भारद्वाज

केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि मौजूदा केंद्र सरकार के लिए किसी मुद्दे का आदि भी कांग्रेस होगी तो अंत भी कांग्रेस होगी। अश्विनी वैष्णव की वार्ता के समांतर सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह चलायमान थे। केंद्र सरकार के समर्थक सिंह को भारतीय नौकरशाही में विलंबित प्रवेश बता रहे थे। कुछ देर के लिए ही सही पता चल गया कि मनमोहन सिंह कितने बड़े आर्थिक विशेषज्ञ थे और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान था। विलंबित प्रवेश प्रक्रिया जैसी चीज के बिना देश को वैसा योग्य अर्थशास्त्री मिलना मुश्किल था।

मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके मूल्यांकन को लेकर उनके प्रति उदार रहेगा। लेकिन, वह 'इतिहास' इतनी जल्दी आएगा और भाजपा खेमे द्वारा लाया जाएगा यह तो सिंह ने भी नहीं सोचा होगा। अफसोस कि केंद्र सरकार के खेमे ने जिस रणनीति के तहत उन्हें विलंबित प्रवेश प्रक्रिया का अग्रदूत बनाया वह अश्विनी वैष्णव के मीडिया बयान के चौबीस घंटे के अंदर फुस्स हो गई। वैसे, राजनीति में अश्विनी वैष्णव का भी प्रवेश विलंबित प्रवेश प्रक्रिया से ही हुआ था।

हालांकि प्रसारण मसविदा विधेयक के बाद वैष्णव को समझ आ गई होगी कि उनके बयान की कोई 'गारंटी' नहीं है। ऐसा पहले भी होता था कि सरकार अपने फैसले वापस लेती थी। लेकिन, एक प्रेस बयान में विलंबित प्रवेश प्रक्रिया के फायदे गिनाने के बाद फिर उन्हीं फायदों के खिलाफ खुशी-खुशी बोलना अब सरकार के मंत्रियों को और प्रवक्ताओं को बखूबी आ गया है।

विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने विलंबित प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिया विज्ञापन वापस ले लिया। अब सरकार के प्रवक्ता इस वापसी को ही सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता बता रहे हैं। शायद विज्ञापन तैयार करवाते समय गलती से कांग्रेस-काल वाली प्रतिबद्धता के पृष्ठ खुले रह गए होंगे क्योंकि राजग सरकार के मंत्रियों-प्रवक्ताओं के लिए कांग्रेस की नीतियों पर अघोषित अनुसंधान करना अनिवार्य है। लेकिन, सरकार कांग्रेस की नीति पर कांग्रेस की ही मुखालफत से परेशान हो उठे, एकदम से पलट जाए तो उसकी स्थिति को क्या कहा जाएगा?

हिंदी फिल्मों के अदालती दृश्य में घिसा-पिटा जुमला है, 'आपकी दलील में दम है, लेकिन कानून सबूत मांगता है'। कुछ ऐसा ही राजनीति के साथ भी होता है। कोई राजनीतिक दल या राजनेता खुद के लिए कितना भी दावा कर ले कि वह मजबूत है, विपक्ष कितना भी आरोप लगा ले कि वह कमजोर है, लेकिन बिना सबूत तो बात बनती ही नहीं है।

पिछली जून में लोकसभा के नतीजों के बाद कहा गया कि भाजपा सरकार कमजोर होकर लौटी है। पहला सबूत तो उसका 'राजग सरकार' हो जाना था। सरकार के समर्थक इसे मानने को तैयार नहीं थे। मगर, सरकार के तीसरे महीने में ही कमजोरी के निशान दिखाने की जो रफ्तार है उसे देख कर नहीं लगता कि कभी यह सरकार और उसके प्रवक्ता 'गारंटी कार्ड' लेकर घूमा करते थे। तब मजबूत थे इसलिए हर चीज की गारंटी देते थे।

अब तो केंद्र की राजग सरकार रोज अपने कमजोर होने के नए-नए सबूत पेश कर रही है। वक्फ विधेयक पर विपक्ष के सवाल उठाते ही संयुक्त संसदीय समिति का पुनर्जन्म हो गया। सनद रहे, इससे पहले हर दूसरे विवादित विधेयक पर विपक्ष की यह मांग होती थी। लेकिन, तब केंद्र सरकार के अहंकार से लगता था कि संयुक्त संसदीय समिति इतिहास का हिस्सा है।

अगर विपक्ष पूरी ताकत के साथ होता है तो सरकार के फैसलों को प्रभावित करता है। पिछले दस सालों से विपक्ष के पास ऐसी ताकत नहीं थी। अब स्थिति यह है कि गठबंधन सरकार के घटक दल ही विपक्ष होने का माद्दा रखते हैं। बीते लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के नेता चुनावी भाषणों में जनता को गठबंधन सरकार के नाम से ऐसे डराते थे जैसे किसी फिल्म में मां कहती थी, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन, ऐसी डरावनी बातों से डरने के बजाय जनता ने सरकार को ही कह दिया सुधर जाइए नहीं तो गठबंधन आ जाएगा। और गठबंधन आ भी गया।

वक्फ बोर्ड विधेयक पर गठबंधन के ज्यादातर घटक दलों को आपत्ति नहीं थी। कुछ दल मुसलिम पक्ष से बातचीत चाह रहे थे। लेकिन, विपक्ष के वार से परेशान सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया। मलाईदार तबके को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। शायद इस पर मतदान होता तो सरकार के पक्ष की जीत होती। इस मसले पर सरकार के घटक दल ही विपक्ष बन गए। कल तक खुद को 'हनुमान' कहने वाले सबसे पहले अपने कंधे से मजबूती की भक्ति का बोझ हटा कर कमजोर कड़ी की मुखालफत में आगे रहे।

प्रसारण विधेयक पर भी कदम पीछे हटाने से राजग सरकार की कमजोरी का सबूत प्रसारित हुआ। लेकिन, विलंबित प्रवेश प्रक्रिया पर जिस तरह से सरकार पलटी, वह तो ऐसा लगा जैसे उसने खुद ही उस कागज पर मुहर लगाई जिस पर लिखा था- यह सरकार कमजोर है। दशकों से चल रही प्रक्रिया पर भी कदम वापस कर सरकार ने इसे सुधार के लिए भेज दिया तो सवाल उठता है कि अब कितना सुधरिएगा?

नई-नवेली राजग सरकार की हालत की भविष्यवाणी करते हुए ही एक शीतल पेय की कंपनी का विज्ञापन था-डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सवाल है कि सरकार कमजोर क्यों दिख रही है और उसे डर किससे लग रहा है?

दो पारी तक राजग सरकार को हर मसले पर एकतरफा 'गारंटी' देने की आदत थी। विपक्ष के विरोध को तवज्जो नहीं देने की यह आदत अब भारी पड़ रही है, क्योंकि हर मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो जा रहा है। विपक्ष जनता को बताने जाए कि फलां फैसला कितना गलत है, उससे पहले सरकार खुद ही अपनी 'गलती' समझ कर उससे कदम पीछे खींच लेती है। मानो तय कर रखा है कि अभी भी विपक्ष के वजूद को नहीं मानेंगे, खुद ही विपक्ष से भी बड़े वाले विपक्ष बन जाएंगे।

तीसरी पारी में केंद्र सरकार इसलिए कमजोर हुई है क्योंकि जनता मजबूत हुई है। यह साबित हो चुका है कि इस देश में एक ही गारंटी चलती है-जनता की। जनता जब तक चाहेगी तब तक सरकार के रहने की गारंटी है। किसको कमजोर करना है, किसे मजबूत करना है, किसे दो साल की गारंटी तो किसे पांच साल की गारंटी के साथ सत्ता में भेजना है यह सब जनता ही तय करती है।

जनता ने राहुल गांधी को पांच साल की विस्तारित गारंटी के साथ सदन में भेजा है। अगर उन्होंने भी अच्छा काम नहीं किया तो जनता के पास उनके लिए चालीस का आंकड़ा पहले से है।

किसी सत्ता का लगातार दो बार तक आना बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन, सत्ता के इस दोहराव में जनता की भूमिका को नगण्य मान लिया गया। लगा, एक खास दल, विचारधारा के आगे जनता नतमस्तक है। राजनीति में किसी चीज का फातिहा जितनी जल्दी पढ़ लिया जाता है, सच यह है कि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता है। यहां तो जनचेतना के अंत की ही घोषणा कर दी गई थी और राजनीतिक दल ही जनता को गारंटी देने लगे थे। राजनीतिक शब्दावली से घोषणा और वादों की नम्रता 'गारंटी' के अहंकार में बदल गई। आप चाहें तो राजनीतिक सत्य को भुला कर घोषणापत्र को गारंटी बोलें, लेकिन आपकी गारंटी तो जनता ही तय करेगी। जनता तय करेगी कि शब्दमाला में 'ग' से गारंटी के सामने आपका चित्र होगा या 'क' से कमजोर के सामने।

याद रहे कि 'गारंटी' का प्रमाणपत्र निर्माता की तरफ से दिया जाता है। नेता उस जनता को गारंटी देने का भ्रम पाल बैठे जो उनकी निर्माता है। आपने हर बात के लिए इतनी बार 'गारंटी' शब्द का इस्तेमाल किया कि खीझी हुई जनता ने आपकी सत्ता पर लिख दिया-नाजुक उत्पाद है, जरा ध्यान से इस्तेमाल करें।

राजपाट

संघ की पूछ शुरू

अभी तक तो खबरें सोशल मीडिया पर ही ज्यादा चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है। अब पार्टी में फैसले संघ की हरी झंडी मिलने पर ही होंगे। पार्टी अध्यक्ष का फैसला भी इसी वजह से लटका है। अब तो संघ के हस्तक्षेप का प्रमाण भी सामने आ गया है। संघ की पृष्ठभूमि वाले राम माधव को भाजपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव का प्रभारी बनाया है। राम माधव कुछ साल पहले तक पार्टी के महासचिव थे। जम्मू कश्मीर में धारा-370 खत्म होने से पहले तक वही पार्टी के प्रभारी थे। इतना ही नहीं पीडीपी और भाजपा की साझा सरकार बनी तो उसके रणनीतिकार भी राम माधव ही थे। बाद में भाजपा को 2019 के चुनाव में बंपर बहुमत मिल गया और संघ के समर्थन की जरूरत खत्म हो गई तो राम माधव की भी छुट्टी कर दी गई। पर, अब भाजपा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। राम माधव के जम्मू कश्मीर के कई मुसलमान नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा पीडीपी के साथ तो जा नहीं सकती। ऐसे में राम माधव इन दोनों दलों से इतर दूसरे नेताओं का उपयोग करेंगे भाजपा के हित में। फिलहाल तो यही समझाया है संघ ने भाजपा के शिखर नेतृत्व को।

तलाश नए साथ की

घटक दलों के आंखें दिखाने से भाजपा परेशान तो जरूर है। लिहाजा पार्टी अब एक और भरोसेमंद सहयोगी की तलाश में जुट गई है। करुणानिधि के जन्म शताब्दी समारोह का चेन्नई में केंद्र सरकार ने आयोजन बिना मकसद तो किया नहीं। ऊपर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करूणानिधि की याद में जमकर कसीदे पढ़े। इसी से इन कयासों को बल मिला कि भाजपा अब द्रमुक पर डोरे डाल रही है। द्रमुक की दिल्ली में कोई महत्त्वाकांक्षा न होना उसे एक टिकाऊ और भरोसेमंद सहयोगी की श्रेणी में रखता है। लेकिन, द्रमुक का कांग्रेस और वाम दलों से गठबंधन है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने सूबे की सारी 39 सीटें जीती थी। इनमें 21 द्रमुक की हैं। भाजपा से हाथ मिलाने की अटकलों को हालांकि एमके स्टालिन ने खारिज किया है। पर राजनीति में नेता जो कहते हैं, हमेशा वैसा करते तो नहीं।

पोस्टर कुछ कहता है

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर दल नए चेहरे पर दांव लगाना चाहता है। विधानसभा चुनाव के लिए अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन, जमीनी स्तर पर तैयारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ही नए चेहरे की चर्चा में जुटे हैं। इसकी धमक दिल्ली में 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे मुख्य त्योहारों के साथ ही नजर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में नए नेता पोस्टर लगा रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता भी सक्रिय हैं। जबकि कांग्रेस को पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की कमी को पूरा करने के लिए इस बार नए चेहरों के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा, जिसकी खोज जारी है। त्योहारी पोस्टर ही आने वाले समय का संकेत दे रहे हैं।

सीट पर सवाल

जाट नेता रणदीप सुरजेवाला और दलित नेता सैलजा को छोड़ दें तो हरियाणा में कांग्रेस पर मोटे तौर पर अब भूपिंदर सिंह हुड्डा का वर्चस्व दिखता है। किरण चौधरी पहले ही भाजपा में जा चुकी हैं। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से सैलजा ने नुकसान होने की बात कही तो पार्टी के सूबेदार और हुड्डा के खास उदयभान ने फरमाया कि किरण चैधरी के तार लंबे समय से भाजपा से जुडे थे। उनको और उनकी बेटी को कांग्रेस ने क्या नही दिया। पर उन्होंने बदले में कांग्रेस को धोखा दिया। इससे पहले दलित नेता अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने पर भी हुड्डा खेमे ने खुशी जताई थी। पर जजपा के दुष्यंत चौटाला ने तो हुड्डा पर ही भाजपा से अंदरखाने साठगांठ रखने का आरोप लगा दिया है। दुष्यंत ने हुड्डा को चुनौती भी दी है कि वे राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार क्यों नही उतारते। भाजपा में गई किरण चौधरी को यह सीट थाली में सजाकर क्यों दे रहे हैं। एक तरफ वे भाजपा सरकार के बहुमत खो देने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भी नही उतार रहे। यह विरोधाभास ही उनकी हकीकत उजागर करता है। यह उपचुनाव हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने की वजह से हो रहा है। जाहिर है कि हुड्डा ने बेटे की जगह किसी और को राज्यसभा में भिजवाया होता तो यह सीट पार्टी के हाथ से कतई नही निकलती। अब देखते हैं इस सीट पर कौन काबिज होता है?

अधर में हसरत

चंपई सोरेन की जरूरत क्यों पड़ रही है भाजपा को झारखंड में? झारखंड में दो महीने बाद हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का भाजपा को सूबे में लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तक झामुमो उम्मीदवार से पिछला लोकसभा चुनाव हार गए। भाजपा ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को झामुमो से तोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ाया था। हेमंत सोरेन की पत्नी तो विधानसभा उपचुनाव जीत गईं पर सीता सोरेन हार गईं। जाहिर है कि भाजपा एक कद्दावर आदिवासी नेता के लिए हताश है। चंपई सोरेन झामुमो के पुराने नेता ठहरे। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से उनका आहत होना स्वाभाविक है। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री होकर भी वे पार्टी नेतृत्व की खुली आलोचना कर रहे हैं। वे तीन दिन दिल्ली में भाजपा नेताओं से गुप्त बैठकें करके वापस झारखंड लौट गए। भाजपा का एक खेमा उन्हें पार्टी में लेने से कोई लाभ नहीं मिलने और उन्हें अलग पार्टी बनवाकर चुनाव में उतारने का पक्षधर है। पार्टी की इसी दुविधा ने चंपई को घर का छोड़ा न घाट का। उन्हें मुख्यमंत्री पद तो भाजपा भी देने को तैयार नहीं।

संकलन : मृणाल वल्लरी

आपके पत्र

अ से अति

सियासत की बुनियाद पर खड़ा राष्ट्रवाद 'अ' के इर्द-गिर्द ठहर जाए तो बेबाक सवालों का उठना लाजिम है। हालिया सियासी माहौल में इन सवालों का जवाब हां में मिलना भी उम्मीद के माफिक है जो 'अ से अति' को सही साबित करता है। हाल के दिनों में मुल्क की सुरक्षा का मसला सियासत की सबसे कमजोर कड़ी बन कर उभरा है। मगर जब हिफाजत-ए-मुल्क के नाम पर किसी कंपनी या किसी एजंसी को ही मुल्क मान लिया जाए तो सवाल पूछे जाएंगे। हिंडनबर्ग, सेबी और शेयर बाजार जैसे जुमलों से आधी से ज्यादा आबादी बेखबर है। बेशक शेयर बाजार की सीढ़ियों से सेबी और हिंडनबर्ग के झरोखों से आधी-अधूरी तस्वीर देखने वाले भी पूरा मंजर देखने की दावेदारी लिए फिरते हैं। मगर जैसे ही शेयर बाजार से जुड़ी कंपनी या एजंसी पर उठे सवालों पर कौमपरस्ती की चांदनी टांगी जाती है 'अ और अति' की दूरियां सिमट आती हैं। दो जून याद हो तो कुलांचे भरते शेयर बाजार की उछाल टीवी चैनलों पर आते चुनाव सर्वेक्षणों से कम न थी। एक दिन बाद ही औंधे मुंह गिरे बाजार की बदहवासी ने अवाम को सियासत और बाजार के रिश्तों को यकीन में बदल दिया। यह रिश्ता ज्यादा गहरा हो जाता है जब सवालों को खतरा-ए-मुल्क करार देते सतरंगे पतंगों की डोर हुकूमत थाम लेती है। गौरतलब है कि हुकूमत की सरपरस्ती में सांसें लेती कंपनी, एजंसी या खास शख्सियत पर कोई आंच आए तो कौमपरस्ती की आड़ लेना सियासी बेबसी बन जाती है। बहरहाल जार्ज सोरोस का जिन्न खड़ा कर सरकारी महकमों की नाकामियों पर परदे डालना खतरनाक नतीजों का इशारा तो नहीं?

-एमके मिश्रा, रातू रांची, झारखंड।

अंतरराष्ट्रीय तकाजा

हिंडनबर्ग का उद्देश्य व्यावसायिक हो सकता है। मगर दुनिया भर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाएं भी हैं जो संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन पर नजर रखती हैं और दोषी देशों, संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अर्थव्यवस्था का हर अंग पारदर्शिता, ईमानदारी और कानून सम्मत तौर-तरीकों से काम करे, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लेन-देन में मुश्किलें आएंगी। इसलिए अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता पर उठ रहे हर सवाल का जवाब देने से पहले मुकम्मल जांच जरूरी है। हो सकता है निष्पक्ष जांच के बाद आरोप झूठे निकलें और हिंडनबर्ग जो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है खुद उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए। ध्यान रहे किसी एक का कृत्य राष्ट्र पर भारी न पड़े क्योंकि राष्ट्रव्यवस्था अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आर्थिक रूप से अस्थिर राष्ट्र राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी अस्थिर ही रहते हैं। सच्चा राष्ट्रवाद अर्थव्यवस्था को संदिग्ध और काले धन से मुक्त रखने में है न कि इससे जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने में।

-बृजेश माथुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

शत्रुता सेतु

देश जब पूरे वैश्विक बाजार का एक प्रमुख हिस्सा है तो सिर्फ हिंडनबर्ग जैसी विवादित एजंसी द्वारा किए गए बाजारी रहस्योद्घाटन को हम आखिर क्यों अंतिम सत्य मान लें? जब सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कुछ संदिग्ध गड़बड़ियां सह गतिविधियों की स्वीकारोक्ति की तो किस परिस्थिति में याचकगण द्वारा मामले को अंतिम लक्ष्य बिंदु प्राप्त करने निमित्त कोर्ट को क्यों नहीं दुबारा संज्ञान हेतु निवेदन किया गया। पूरे वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव एवं हेराफेरी की जांच करने का ठेका हिंडनबर्ग ने जिस स्रोत से प्राप्त किया है क्या उसकी मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्राप्त है? मोदी सरकार के एक भी लोकहित कार्य की तारीफ तो दूर संतुष्टि की सांस लेने से इनकार करते हुए जब विपक्ष शत्रुता सेतु पर सवार है तो किस मुंह से वह उन मुद्दों की स्वतंत्र जांच की आस की उम्मीद करता है जब बहुत हद तक विश्व स्तर का एक गुट मोदी सरकार को उखाड़ने की उत्कट उत्कंठा से सराबोर है। शेयर बाजार में यदि सेबी ने किसी कंपनी को स्थापित नियमों के विरुद्ध अपनी साख पर बट्टा लगाया है तो विदेशी संस्था के बजाय इसकी न्यायिक जांच के स्वर विपक्षी क्यों नहीं उठाते, यह भी तो राष्ट्रीय भावना से ही ओतप्रोत है। नियामक संस्थाओं की साख पर सुलगते सवाल के गहरे निहितार्थ हैं, जिसे सरकार को भी गंभीरता से लेते हुए दूध और पानी में फर्क दिखाने का साहस दिखाना चाहिए। कारण यह भी पता लगना चाहिए कि विदेश में जब भी भारत के विरुद्ध कोई बात प्रचारित होती है तो देश का एक आंतरिक वर्ग उसकी हां में हां मिलाता है, क्या यही उनकी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है?

-अशोक कुमार, पटना, बिहार।

निष्पक्ष जांच हो

अमेरिका की सट्टेबाज कंपनी हिंडनबर्ग ने जो हमारे देश के जाने माने अदाणी ग्रुप पर हेराफेरी के आरोप लगाए हैं, उसने बैंकों और अन्य संस्थाओं को कठघरे में बेशक खड़ा कर दिया है। लेकिन, हिंडनबर्ग ने जो आरोप अदाणी समूह पर लगाए हैं, उसकी भारत सरकार और रिजर्व बैंक को उचित और निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अदाणी समूह देश का बहुत बड़ा समूह है। इस समूह की वजह से लाखों-करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चलती है। इस समूह को कोई नुकसान होता है तो इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है।

-राजेश कुमार चौहान, जलंधर।

'अ' का आगमन

राजपाट में 'अ' का आगमन पढ़ा। चुनाव आयोग ने 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा चुनाव की घोषणा कर दी है। इस सूबे में लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कांग्रेस ने अजय माकन को यहां का प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलग-अलग समूहों में बंटी हुई है। किरण चौधरी तो साथ छोड़ कर जा भी चुकी हैं। हरियाणा में भाजपा व्यवस्था विरोधी माहौल से जूझ रही है और उसे लोकसभा चुनाव में झटका भी लग चुका है। लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल खराब है सिर्फ इस वजह से जीत नहीं मिल सकती। कांग्रेस को अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करनी है तो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए एकता बनानी होगी।

-मीना धानिया सिरसपुर।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

शाह ने नैकां से गठबंधन पर कांग्रेस को घेरा

केंद्रीय गृह मंत्री ने राहुल गांधी से पूछे दस सवाल , कहा-अनुच्छेद 370 पर रुख स्पष्ट करें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और नैशनल कांफ्रेंस (नैकां) के बीच गठबंधन होने पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पर हमला किया। साथ ही कांग्रेस से स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह अनुच्छेद 370 बहाल करने के 'अब्दुल्ला परिवार' के चुनावी वादे का समर्थन करती है। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शाह ने 'एक्स' पर एक लंबे पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में बार-बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नैकां के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। शाह ने नैकां के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, 'क्या

कांग्रेस नैकां के जम्मू-कश्मीर में फिर से 'अलग झंडे' के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नैकां के निर्णय का समर्थन करती है?' नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने यह सवाल भी किया कि क्या कांग्रेस, कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? नैकां के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को एलान किया कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सभी 90 सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा अब्दुल्ला के आवास पर नैकां के नेतृत्व के साथ बैठक किए जाने के बाद यह घोषणा की गई है।

शाह ने पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने के नैकां के निर्णय पर भी कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को लाने का समर्थन करती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी सामने आया है, क्योंकि नैकां ने दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने का वादा किया है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि 'शंकराचार्य पर्वत' 'तख़्त-ए-सुलिमान' और 'हरि पर्वत' 'कोह-ए-मारन' के नाम से जाने जाएं? शाह ने यह सवाल भी किया कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर 'पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों' के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? उन्होंने कहा, 'क्या कांग्रेस पार्टी नैकां के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है।' शाह ने कश्मीर को स्वायत्तता देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की 'विभाजनकारी सोच और नीतियों' पर भी कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि नैकां ने सोमवार को जारी अपने घोषणापत्र में 12 'गारंटी' की घोषणा की, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरण के तहत चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्तूर को होगा। नतीजे चार अक्तूबर को घोषित किए जाएंगे।

विपक्ष ने एकता-सद्भाव से भाजपा का अहंकार तोड़ा : राहुल गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की विचारधरा ने एकता - सद्भाव से भाजपा का अहंकार तोड़ा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। राहुल गांधी का इशारा आने वाले चुनावी राज्यों की तरफ था। यह वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने भाजपा की विचारधारा को तोड़ा दिया है। आप कार्यकर्ता और पार्टी के बब्बर शेर हैं। आप कांग्रेस पार्टी का झंडा हो।

उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री पहले छाती फुलाकर आते थे और अब उनका तरीका बदला है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि भाजपा को किसने हराया। इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा को हराया। राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा कि नहीं भाजपा को विपक्षी गठबंधन की एकता, विचारधारा और मोहब्बत ने हराया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया और गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया लेकिन साफ बता दिया कि आप अपने आप को जो सोचते हो, वह आप नहीं हो।

इसके अतिरिक्त पूर्व कांग्रेस सरकार में मजदूरों के लिए शुरू की गई मनरेगा की जानकारी भी शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे ने जारी की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मनरेगा योजना की शुरूआत की गईथी और इसके तहत मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी गई थी। इस योजना का लाभ आज देश के गरीब तबके को मिल रहा है। इस समय योजना के तहत 13.3 करोड़ लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। बावजूद इसके मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार ने बीते दस साल का सबसे कम बजट जारी किया है और इस बार केवल 1.78 फीसद बजट ही मनरेगा के लिए जारी किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि जबकि इस समय में महंगाई की सबसे अधिक मार शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर पड़ रही है।

जम्मू-कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली बैठक

सात से आठ सीट पर प्रत्याशी को लेकर सहमति बनी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुआई में केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) पहली बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सात से आठ विधानसभा सीटों के नाम पर सहमति बनी है। राज्य में तीन चरण में मतदान होना है और यहां कांग्रेस पाटी इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत समिति के अन्य सदस्य भी शामिल रहे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस पार्टी में पहले नौ सीट

जम्मू-कश्मीर के चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस पार्टी में पहले नौ सीट पर रणनीति को केंद्रीत किया जा रहा। बैठक में राहुल गांधी समेत अन्य नेता भी हुए शामिल।

पर रणनीति को केंद्रीत किया जा रहा है। इन सीट में से सात आठ सीट पर लगभग सहमति है। जल्द ही कांग्रेस आलाकमान इन सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। राज्य में चुनाव आयोग ने सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए चरणबद्ध तरीके से चुनाव की घोषणा है और यहां पर कांग्रेस और नैशनल कांफ्रेस इन चुनाव में एक साथ मैदान में होंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, प्रदेश प्रभारी भरत सिंह सोंलकी और राज्य में सीईसी से संबंधित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

आयोग की घोषणा के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 18, सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्तबूर को तीन चरण में मतदान होना है। चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के बाद पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, इस चरण में 24 सीट शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में एक लंबे समय के बाद मतदान कराया जा रहा है और धारा 370 हटने के बाद यह पहला मतदान होगा। आयोग ने पहले ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य स्थिति का जमीनी आधार पर जायजा ले चुका है और इसके लिए पर्यवेक्षकों की भी तैनाती कर चुका है।

चर्चा नई दिल्ली में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक में बात करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी।

राकांपा (एसपी) से मुख्यमंत्री पद का कोई इच्छुक नहीं : शरद पवार

पुणे, 23 अगस्त (भाषा)।

शिवसेना (यूबीटी) द्वारा विपक्षी महाविकास आघाडी (एमवीए) पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने का दबाव बनाए जाने के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरदचंद्र पवार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके बजाय उनकी पार्टी राज्य में सरकार बदलने की ओर ध्यान दे रही है।

पवार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर 27 अगस्त को बैठक होगी। उन्होंने बताया कि पहले यह बैठक 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए कथित यौन शोषण के कारण इसे टाल दिया गया था। शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए द्वारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश करने पर जोर दिए जाने, जबकि कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पवार ने कहा, 'जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है तो हमारे किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी से किसी को भी (मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने में) दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ सरकार बदलना चाहते हैं। हम एक ही मंच पर (अन्य एमवीए सहयोगियों के साथ) रहकर राज्य के लोगों को बेहतर प्रशासन देना चाहते हैं।' पवार ने चुनाव से पहले कहा कि सभी का ध्यान लोगों को सत्तारूढ़ महायुति के अलावा दूसरा विकल्प प्रदान करने पर होना चाहिए।

हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में बंद के आह्वान पर रोक लगाई

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में राजनीतिक दलों या अन्य लोगों की ओर से प्रदेश बंद का आह्वान करने पर रोक लगा दी है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) ने शनिवार को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

अधिवक्ता सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के माध्यम से दो याचिकाएं दायर कर महाराष्ट्र में बंद के आह्वान को चुनौती दी गई है। इन पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, 'हम राजनीतिक दलों या किसी भी अन्य व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं। राज्य सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी।' राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत में दलील दी कि बंद का आह्वान अवैध है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि जनता या सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभाएगी, लेकिन सभी की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। पीठ ने सराफ से पूछा कि सरकार ने क्या कोई एहतियाती कदम उठाए हैं और क्या कोई गिरफ्तारी की गई है? इस पर सराफ ने कहा कि कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

केवल अस्थायी होने के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग तरह के कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि इन कारकों पर उचित विचार किए बिना केवल उनकी अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना सरकार के साथ उनके रोजगार संबंधों का अति सरलीकरण प्रतीत होता है। पीठ ने कहा कि इस दृष्टिकोण से कर्मचारियों का ऐसा वर्ग बनने का जोखिम है, जो नियमित कर्मचारियों से अलग तरीके से दशकों तक सरकार की सेवा करने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों और सुरक्षा से वंचित हैं।

न्यायालय ने कहा कि एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि कर्मचारी, जिसे मुख्य रूप से नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया, नियमित कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारियों को लंबे समय तक निभाता है, नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्राप्त करता है तो ऐसा कर्मचारी अब एक अस्थायी कर्मचारी नहीं रहता है और उसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं ने एसएफएफ मुख्यालय स्थापना संख्या 22 के लेखा अनुभाग में नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का पालन किया।

नौकरी के कार्यों में यह समानता अपीलकर्ताओं की स्थिति और नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच की रेखा को और धुंधला कर देती है, यह सुझाव देते हुए कि अंतर वास्तविक से अधिक औपचारिक हो सकता है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि अपीलकर्ताओं को चैथे और पांचवें वेतन आयोग से महत्वपूर्ण तत्वों का विस्तार सरकारी कार्यों में नियोजित होने की उनकी दलील को और पुख्ता करता है।

पेज 1 का बाकी

यूक्रेन और रूस साथ बैठकर युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशें

है और हम मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की की मौजूदगी में अपनी रूस यात्रा और उस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई वार्ता का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी रणभूमि में नहीं होता है। समाधान केवल बातचीत, संवाद और कूटनीति के माध्यम से होता है और हमें समय बर्बाद किए बिना उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की सात घंटे की यात्रा के बाद कीव से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ 'सार्थक वार्ता' की और रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देने का आश्वासन दिया। कई बैठकों में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि यूक्रेन की उनकी यात्रा ऐतिहासिक रही। वह भारत-यूक्रेन मित्रता को और गहरा करने के उद्देश्य से यहां आए हैं। भारत का दृढ़ विश्वास है कि शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। मोदी ने यूक्रेन की सरकार और वहां के लोगों को आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया। यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह भारतीय प्रधानमंत्री की देश की पहली यात्रा है और यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब यूक्रेन ने हाल में रूसी क्षेत्र में आक्रामक सैन्य अभियान चला रखा है। युद्ध की शुरुआत में भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी में मदद के लिए मोदी ने जेलेंस्की का आभार जताया। रूस ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। तब से लेकर अभी तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक दोनों तरफ के बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं जबकि लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। मोदी और जेलेंस्की की वार्ता का ब्योरा देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को यूक्रेन में शांति बहाली के लिए 'हर संभव तरीके' से योगदान करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बातचीत कुछ हद तक सैन्य स्थिति, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसी चिंताओं और 'शांति के लिए सभी संभव तरीकों' पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन वैश्विक शांति सम्मेलन में भारत की भागीदारी जारी रखना चाहता है। मोदी ने कीव में 'ओएसिस आफ पीस' पार्क स्थित सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

नेपाल में भारत की बस नदी में गिरी, 27 की मौत

रिश्तेदार थे। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार 43 यात्रियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'पोखरा से काठमांडो जा रही एक भारतीय पर्यटक बस में लगभग 43 भारतीय सवार थे। यह बस शुक्रवार को मर्स्यांगदी नदी में गिर गई।' इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में भारतीय यात्रियों को ले जा रही एक बस के नदी में गिर जाने के बाद घटना का संज्ञान लेते हुए राहत पहुंचाने के लिए एक उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को नेपाल भेजा है और एक अपर जिलाधिकारी (एडीएम) को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। पहाड़ी इलाकों की वजह से नेपाल की नदियों में आमतौर पर बहाव तेज होता है। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण जलस्रोत उफान पर हैं। मानसून के मौसम में जून से सितंबर तक नेपाल में भारी बारिश होती है, जिससे अक्सर इस पर्वतीय हिमालयी देश में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। पिछले महीने 65 यात्रियों को ले जा रही दो बस नेपाल में भूस्खलन के कारण उफनती त्रिशूली नदी में बह गईं थीं। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की 12 सदस्यीय टीम की तैनाती सहित व्यापक खोज अभियान के बावजूद अभी तक दोनों बसों और भूस्खलन में बह गए कई यात्रियों का पता नहीं चल पाया है।

सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया

लिए वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए जांच की। सेबी ने जांच में पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के केएमपी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह की मदद से कंपनी से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई।

इसमें इस पैसे को कंपनी से जुड़ी इकाइयों को कर्ज के रूप में दिखाया गया था। आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने हालांकि इस तरह की ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कारपोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। नियामक ने कहा कि इसके अलावा, शेष इकाइयों ने या तो अवैध रूप से हासिल कर्ज के प्राप्तकर्ता की भूमिका या आरएचएफएल से धन को अवैध रूप से कहीं और पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम देने में भूमिका निभाई है। सेबी ने कहा कि उसके निष्कर्षों के अनुसार, धोखाधड़ी की एक साजिश नोटिसी संख्या 2 (अनिल अंबानी) ने रची और आरएचएफएल के केएमपी ने इसे अंजाम दिया। इस साजिश के जरिए सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी (आरएचएफएल) से धन की हेराफेरी की गई और उन अयोग्य उधारकर्ताओं को 'ऋण' के रूप में दिया गया जो नोटिसी संख्या 2 (अनिल अंबानी) से संबद्ध इकाइयों के प्रवर्तक पाए गए। अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए 'एडीए समूह के चेयरमैन' के तौर पर अपने पद और आरएचएफएल की नियंत्रक (होल्डिंग) कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया।

सेबी ने गुरुवार को अपने 222 पृष्ठ के आदेश में कंपनी के प्रबंधन तथा प्रवर्तक के लापरवाह रवैये का जिक्र किया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जिनके पास न तो परिसंपत्तियां थीं, न ही नकदी प्रवाह, 'नेटवर्थ' या राजस्व था। आदेश के अनुसार, इससे पता चलता है कि ह्यकर्जह्न के पीछे कोई खतरनाक मकसद छिपा था। सेबी ने कहा कि स्थिति तब और भी संदिग्ध हो गई जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि इनमें से कई कर्जदार आरएचएफएल के प्रवर्तकों से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं।

महिला व चार बच्चों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, दो गिरफ्तार

न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिंह ने बताया कि आरोपियों ने महिला और उसके बच्चों की असली पहचान छिपाने के लिए उनके लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाए। अधिकारी ने बताया कि वे आगे की पूछताछ के लिए आरोपियों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर यह पता लगाने के लिए कि आधार कार्ड कैसे तैयार किए गए।

सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पति ने 16 अगस्त को एफआइआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके दो पड़ोसियों ने उसकी पत्नी और चार बच्चों का अपहरण कर लिया है। सभी बच्चों की आयु 12 साल से कम है। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वे महिला के संपर्क में थे और हाल ही में उन्होंने उसे अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहा था। अपनी योजना के तहत, आरोपियों ने महिला को कुशीनगर से लगभग 53 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाने को कहा। महिला गोरखपुर पहुंची और आरोपी मुंबई से वहां पहुंचे। इसके बाद दोनों आरोपी महिला और उसके बच्चों को मुंबई ले गए।

दिल्ली : चाणक्यपुरी में बारिश के पानी में डूबकर किशोर की मौत

बचाने की कोशिश की, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजन उसे पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।सौरभ अपने परिवार के साथ उसी इलाके में विवेकानंद कैंप में रहता था। उसके परिवार में पिता कालू, मां कौशल्या और तीन भाई हैं। पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। सौरभ ने पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी।

बीएनएसएस की धारा 479 विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 देशभर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भले ही अपराध एक जुलाई, 2024 से पहले दर्ज किया गया हो।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि बीएनएसएस की धारा 479, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए का स्थान लिया है, सभी विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से प्रभावी हुए थे। शीर्ष अदालत ने इस अभिवेदन पर गौर किया और देशभर के जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रावधान की उपधारा में उल्लिखित अवधि का एक तिहाई पूरा होने पर संबंधित अदालतों के माध्यम से विचाराधीन कैदियों के आवेदनों पर कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि ये कदम यथाशीघ्र, संभवतः तीन महीने के भीतर उठाए जाने चाहिए।

मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने इससे पहले पीठ से कहा था कि विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से संबंधित धारा 479 को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और इससे जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। शीर्ष अदालत अक्तूबर 2021 से जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे पर सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, जब उसने इस समस्या का स्वतः संज्ञान लिया था।

सिद्धरमैया के साथ कांग्रेस, आरोपों को सरकार गिराने का प्रयास करार दिया

नई दिल्ली, 23 अगस्त (ब्यूरो)।

कांग्रेस नेतृत्व ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े मामले में शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का समर्थन किया और कहा कि ये आरोप राज्य में उसकी सरकार को अस्थिर करने तथा सरकार की विभिन्न 'गारंटी' को रोकने का प्रयास है, लेकिन पार्टी नहीं झुकेगी और न्यायपालिका में तथा जनता की अदालत में लड़ाई जारी रखेगी। शुक्रवार को सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भूमि घोटाले मामले में राज्यपाल की जांच मंजूरी के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की ।

www.readwhere.com

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,

Arcil
Premier ARC

अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत
अर्सिल कार्यालयः रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400 028
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 1008, 11वीं मंजिल, वेस्टेंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली पीओ : 110058
वेबसाइटः https://auction.arcil.co.in; सीआईएन-U65999MH2002PLC134884

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट ('अर्सिल') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (पंजीकृत असाइनमेंट समझौते के माध्यम से वित्तीय आस्ति के एसाइनमेंट के अनुसार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में आगे ब्याज, शुल्क और लागत आदि के साथ बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा ''आश्रय रहित आधार'' पर बेचा जायेगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं के नाम	लैन नं. एवं विक्रेता बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफैसी नोटिस दिनांक 13.09.2022 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार तथा तिथि	निरीक्षण की तिथि	सम्पत्ति का प्रकार तथा क्षेत्रफल	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि तथा समय
1	1. मैग्नम स्टील्स लिमिटेड 2. ईश्वर चन्द जिंदल 3. रजत जिंदल 4. मैग्नम स्टील एंड पॉवर लिमिटेड 5. बी.आर. एसोसिएट्स प्रा.लि. 6. आई.सी. जिंदल एंड संस (एचयूएफ)	401FSL14252493 तथा बजाज फाइनेंस लिमिटेड ('बीएफएल')	अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट	रु. 2,73,92,579.89/- (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख बानबे हजार पांच सौ उन्यासी तथा नवासी पैसे मात्र) तिथि 22-11-2021 + उस पर भावी ब्याज + विधिक व्यय	भौतिक तिथि 28-06-2024 तक	02.09.2024	वाणिज्यिक एवं सुपर एरिया 2850 वर्ग फीट	रु. 57,50,000/- (रुपये सत्तावन लाख पचास हजार मात्र)	रु. 5,75,00,000/- (रुपये पांच करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र)	तिथि 26-09-2024 को 12.00 बजे अप.

नीलाम की जा रही प्रतिभूत संपत्ति का विवरणः मैग्नम इंटरनेशनल लिमिटेड के इसके निदेशक आई.सी. जिंदल के माध्यम से स्वामित्व वाली संपत्तिः
बंधक सम्पत्ति यूनिट नं. 312 तथा 313 का समस्त भाग, तीसरी मंजिल, छत तक तथा छत के अधिकार रहित, सम्पूर्ण सम्पत्ति निगम सं. सी-1, 2 तथा 3 का भाग, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर अब नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 में स्थित। मैग्नम इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर इसके निदेशक आई.सी. जिंदल के माध्यम से, उत्तर : मेन रोड, दक्षिण : प्लॉट नं. सी-9, पूर्व : सम्पत्ति सं. ए-2, 3 एवं 4 (एच.बी. ट्विन टॉवर के नाम से) पश्चिम : सम्पत्ति सं. सी-4, 5 एवं 6 (अग्रवाल मिलैनियम जोन के नाम से)
सीमाएं: उत्तर में: लल्लू का घर, दक्षिण में: खुला स्थान आसम, पूर्व में: खुला स्थान आसम, पश्चिम में: मुनीर का घर।

अर्सिल को ज्ञात लम्बित मुकदमे	निल	अर्सिल को ज्ञात ऋणभार/बकाया	निल
बोली जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलामी से 2 घंटे पहले उसी दिन	बोली वृद्धि राशि :	बोली दस्तावेज में लिखित के अनुसार
के नाम में तैयार होने वाला डिमांड ड्राफ्ट	ट्रस्ट नाम कॉलम में उल्लिखित के अनुसार	दिल्ली में देय	
आरटीजीएस विवरण	बैंक का नाम : एचडीएफसी बैंक/ट्रस्ट का नाम : अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट, खाता संख्याः 57500000730812/आरटीजीएस/एनईएफटी आईएफएससी : HDFC0000542, शाखा : कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई 400013		
सम्पर्क व्यक्ति का नाम तथा नम्बर/ई-मेल आईडी	शैलेश गायकवाड़ - 9867929121 (shailesh.aaikwad@arcil.co.in) महेश बंगेरा - 9004173256 (mahesh.banaera@arcil.co.in) विक्रम सिंह तंवर - 8860122299 (vikram.tanwar@arcilc.co.in)		

नियम एवं शर्तें :
1. नीलामी बिक्री वेबसाइट https://auction.arcil.co.in के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा तथा बोली दस्तावेज के नियम एवं शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी ('एओ')/ एआरसीआईएल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में, एओ बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए भुगतान किए जाने वाले सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, खरीद मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले वैधानिक बकाया आदि सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, प्रतिभूत परिसंपत्ति के स्वामित्व और दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच/उचित परिश्रम करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन एआरसीआईएल की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। अर्सिल का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
7. कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया देय राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के तहत उपर्युक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
8. यदि किसी भी कारण से ऊपर निर्धारित नीलामी विफल हो जाती है, तो अर्सिल को नियमों और अधिनियम के नियम 8 (5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से प्रतिभूत संपत्ति को बेचने का अधिकार है।

स्थानः दिल्ली/तिथि : 24.08.2024

हस्ता./- **प्राधिकृत अधिकारी**
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट -IV-क (नियम 8 (6) और 9(1) का परंतुक देखें,
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) तथा 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र सं	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य
1.	1. श्री सुनील कुमार धामा (कर्जदार) 2. श्रीमती सुदेश, 3. मैसर्स जीविका धामा एंटरप्राइज (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. LNMECHA000021458 (पुराना)/ 50600000895166 (नया) रूपये 16,67,516/- (रूपये सोलह लाख सड़सठ हजार पांच सौ सोलह मात्र) 20-08-2024 + आगे लागू ब्याज।	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि परिमाप 224 वर्ग गज (187.288 वर्ग मीटर) पर निर्मित मकान, खसरा नंबर 619 मिन, ग्राम बेहटाहाजीपुर, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, चौहद्दी निम्नानुसार - पूरब : गली, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : शिव मंदिर	1. ई-नीलामी की तिथि : 27-09-2024 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 26-09-2024 3. निरीक्षण की तिथि : 25-09-2024	सुरक्षित मूल्य : रू. 41,80,000/- (रूपए इकतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) धरोहर राशि जमा : रू. 4,18,000/- (रूपए चार लाख अठारह हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रू. 10,000/- (रूपए दस हजार मात्र)
2.	1. श्री चंदर वीर (कर्जदार) 2. श्रीमती सोनम (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. LNHLNOI000087066 (पुराना)/ 50300000847229 (नया) रूपये 11,74,187/- (रूपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार एक सौ सतासी मात्र) 20-08-2024 + आगे लागू ब्याज।	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 8 का पूर्वी भाग, क्षेत्रफल परिमाप 50.11 वर्ग गज यानी 41.91 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 76 मिन का अंश, नगरपालिका हापुड़ के बाहर, ग्राम पटना, न्यू कालोनी, गढ़ रोड, परगना तहसील एवं जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101, चौहद्दी निम्नानुसार - पूरब : प्लॉट नंबर 9, पश्चिम : प्लॉट नंबर 8 का शेष भाग, उत्तर : 10 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	1. ई-नीलामी की तिथि : 27-09-2024 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 26-09-2024 3. निरीक्षण की तिथि : 25-09-2024	सुरक्षित मूल्य : रू. 8,00,000/- (रूपए आठ लाख मात्र) धरोहर राशि जमा : रू. 80,000/- (रूपए अस्सी हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रू. 10,000/- (रूपए दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट www.capriglobal.in/auction में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-
1. सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति/आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आस्ति के स्वामित्व के स्वामित्व एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/देयताओं की स्वतंत्र जांच/सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई-नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे।
5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. संभावित बोलीदाता ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079 68136880/68136837), श्री राम कुमार मोबाइल नंबर 800-002-3297/79-61200559,** ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) **"कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड"** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से **26-09-2024** को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, **प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060** को अधिकतम **26-09-2024** के अप. 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर - ..... (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई हैं तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई-नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई यूजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी।
13. ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई-मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, **आंचलिक कार्यालय, कार्यालय/प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060** तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उसको ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/ आरटीजीएस/चैक द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिक्री राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जब्त कर ली जाएगी।
18. म्युनिसिपल/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण हेतु लागू कानूनी प्रभार तथा अन्य अनुषंगी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही प्रास्थगित/निरस्त कर सकते हैं। ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्रास्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
23. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे।
24. सम्पत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई) इस बिक्री का अंश नहीं है।
25. कृपया नोट करें कि डीआरटी-2, दिल्ली के समक्ष एक प्रतिभूतिकरण आवेदन एसए नंबर 33/2024 के माध्यम से लम्बित है। **क्र सं. 1 हेतु**
26. अतिरिक्त विवरण तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड : सुश्री स्वाति सिंह मोबाइल नंबर 8960750463 से सम्पर्क करें और आगे पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला - 77380 39346 से सम्पर्क करें।
27. यह प्रकाशन उक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत, उपरिवर्णित तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के संबंध में 30 (तीस) दिन का कानूनी नोटिस भी है।

विशेष अनुदेश/चेतावनी : बोलीदाताओं को अन्तिम मिनटों अथवा क्षणों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विफलता/कमी (विद्युत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैकअप पॉवर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक रुकावट से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 24-अगस्त-2024

हस्ता/- **(प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

HDB FINANCIAL SERVICES

कब्जा-सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोडः 380009
शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, खसरा नंबर 47, ऑक्स फोर्ड स्कूल के पीछे, विकासपुरी दिल्ली 110018

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तहत **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत ऋणीध्ओं जैसा कि नीचे दिया गया है, को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान की तारीख से लेकर वास्तविक तक सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणी/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे है। एतद्द्वारा ऋणीध्सह-उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त नियमों के के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के प्रयोग में अधोहस्ताक्षरी ने साथ में वर्णित तिथि पर यहां वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जो कब्जा कर लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूप से संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन संबंधित तिथि से भावी ब्याज की राशि, लागत और शुल्क के साथ यहाँ विनिर्दिष्ट राशि **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के प्रभार अधीन होगा। ऋणीध्सह-उधारकर्ता/गारंटरों का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, **मांग नोटिस की तिथिः** रुपये में दावा की गई राशि, प्रतिभूतियों का विवरण, कब्जे की तिथि नीचे दिए गए हैं

1) ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) मांग नोटिस की तिथिः 5) रुपये में दावा की गई राशि, 6) प्रतिभूतियों का विवरण, 7) कब्जे की तिथि

1) उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं का नामः नीलू सिंह, निवासी मकान नंबर सी-282 सेक्टर, 100 गौतमबुद्ध नगर नोएडा 201301 ,प्रदीप कुमार मकान नंबर सी-282 सेक्टर, 100 गौतमबुद्ध नगर नोएडा 20130; ऋण **खाता संख्याः** 1005597 **ऋण राशिः** रु. 10,000,000.00/- (केवल एक करोड़ रुपये), डिमांड **नोटिस दिनांकः** 04.06.2024, **दावा की गई राशिः** 28.05.2024 तक रु. 37,088,911.38/- (रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख अट्ठासी हजार नौ सौ ग्यारह और पैसे अड़तीस मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। **प्रतिभूति का विवरणः** संपत्ति संख्या 47, ब्लॉक जे भूतल, सेक्टर 18, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर नोएडा 201301 में स्थित संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा एवम अंश। **संपत्ति क्षेत्रः** 1548 वर्ग फीट - **सीमाएंः उत्तरः** अन्य संपत्ति, **दक्षिणः** रोड, **पूर्वः** प्लॉट नंबर 48, **पश्चिमः** प्लॉट नंबर 46, **कब्जे की तिथिः** 22.08.2024

2.उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं का नामः आरुष गारमेंट्स एक्स/3830, गीता गली, गली नंबर-05, धरमपुरा, गांधी नगर, दिल्ली दिल्ली-110031 दिल्ली और साथ ही संपत्ति संख्या-ई-100, खसरा नंबर-750, गांव घोंडा, गुजरान खादर जगजीत नगर, शादारा, दिल्ली, दिल्ली-110053, अकाल सिंह मकान नंबर-ई-100, पहली मंजिल, ख नंबर-7503रा पुस्ता जगजीत नगर, उस्मानपुर शास्त्री पार्क, दिल्ली दिल्ली-110053 दिल्ली, आरुष गारमेंट एक्सआई/3885, एस/एफ, पुराना नंबर 719/52-ए/8-ए/1 -ए/1 प्लॉट नंबर 14, गली नंबर-20, धरमपुरा गांधी नगर दिल्ली-110031 दिल्ली, रानी आर ई-100, जी/एफ ख.नं.-750, पुस्ता-3, जगजीत नगर दिल्ली एनआर मेन 60 फुटा रोड दिल्ली दिल्ली-110053, **ऋण खाता संख्याः** 6680984 **ऋण राशिः** रु. 2600976/- (छब्बीस लाख नौ सौ सत्तर छह रुपये मात्र) **मांग नोटिस दिनांकः** 07.06.2024, **दावा की गई राशिः** 07.06.2024 तक रु. 914803.95/-(नौ लाख चौदह हजार आठ सौ तीन रूपए और पंचानबे पैसे मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। **प्रतिभूति का ब्यौराः** गांव-घोंडा, गुजरान खादर, जगजीत नगर, शाहदरा, दिल्ली-110053 में 60 वर्ग गज में से 30 वर्ग गज मापने वाले 25.083 वर्ग मीटर मापने वाले भूतल कवर्ड एरिया, निर्मित भूखंड की आखिरी मंजिल तक निर्माण के सभी अधिकार के साथ संपत्ति संख्या ई-100, खसरा संख्या 750 में से, वाली सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश अन्य की संपत्ति अन्य की संपत्ति मुख्य सड़क अन्य की संपत्ति, **सीमाएं पूर्व-** अन्य की संपत्ति, **पश्चिम-** अन्य की संपत्ति, **उत्तर-** मुख्य सड़क, **दक्षिण-** अन्य की संपत्ति, **कब्जे की तिथिः** 20.08.2024

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री अरुण यादव फोनः 9350538386 / श्री विकास आनंद (9711010384) से संपर्क करें।

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 24.08.2024 **हस्ता /-अधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिट

खबर कोना

नई दिल्ली में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी ,दोपहिया वाहन लेकर जाता एक व्यक्ति।

'जेड प्लस' सुरक्षा प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकती है : पवार

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें दी गई 'जेड प्लस' सुरक्षा उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने पवार को बुधवार को 'जेड प्लस' सुरक्षा प्रदान की। यह अतिविशिष्ट व्यक्ति (वीआइपी) को दी जाने वाली सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा है। राजनेता (83) ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के बारे में पूछने पर गुरुवार को नवी मुंबई में पत्रकारों से कहा कि उन्हें इस कदम के पीछे के मकसद की जानकारी नहीं है। पवार ने कहा, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सरकार ने तीन लोगों को 'जेड प्लस' सुरक्षा देने का फैसला किया है और मैं उनमें से एक हूं... अन्य दो लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं।

सरकार ने ई-कामर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगे

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने देश में ई-कामर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच) स्थापित करने के लिए उद्योग जगत से प्रस्ताव मांगे गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा, प्रस्ताव के आधार पर निर्बाध तथा शीघ्र निर्यात मंजूरी की सुविधा के लिए ईसीईएच के लिए साफ्टवेयर आवश्यकताओं सहित अन्य विवरण तय किए जाएंगे। इस संबंध में इन केंद्रों के संचालन के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। डीजीएफटी ने कहा, इस संबंध में, ईसीएचओ की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव जांच, समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए निदेशालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार ने बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत ई-कामर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। देश में शुरुआत में 10-15 केंद्र स्थापित करने की योजना है।

'एमएसएमई, नवउद्यम का बड़ी परियोजनाओं की तरह स्वागत करेंगे'

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि राज्य सरकार बड़ी परियोजनाओं के समान ही लघु एवं मझोले उद्यमों तथा स्टार्टअप इकाइयों का 'लाल कालीन' बिछाकर स्वागत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद राज्य को वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) केंद्र में बदलना है। सामंत ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग संघ (एआइएआइ) द्वारा 8-10 अगस्त, 2024 तक डब्लूटीसी मुंबई में आयोजित 'फिनटेक: डिजिटल क्रांति में तेजी' विषय पर नौवें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। आयोजकों द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस अवसर पर मंत्री ने कहा, फिनटेक ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में क्रांति ला दी है और इसमें एमएसएमई और नवउद्यम क्षेत्रों को समर्थन देने की क्षमता है। हमारी सरकार मुंबई को वैश्विक फिनटेक केंद्र में बदलने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करेगी।

फेडरल रिजर्व बैंक के संकेतों से पहले बाजार में रहा उतार-चढ़ाव

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व बैंक) के चेयरमैन के अहम संबोधन से पहले मिले-जुले वैश्विक रुझानों के बीच शुक्रवार को आइसीआइसीआइ बैंक और भारती एअरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में लिवाली से स्थानीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक 33.02 अंक यानी 0.04 फीसद बढ़कर 81,086.21 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त पर रहा।

शुरुआती कारोबार में सूचकांक 169.93 अंक गिरकर 80,883.26 अंक के निचले स्तर पर आ गया था। बाद में यह 178.3 अंक उछलकर 81,231.49 अंक के उच्चस्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अंत में इसने बढ़त गंवा दी। नेशनल स्टाक एक्सचेज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी 11.65 अंक या 0.05 फीसद बढ़कर 24,823.15 अंक पर बंद हुआ।

यह निफ्टी का बढ़त का लगातार सातवां सत्र रहा। सूचकांक की कंपनियों में टाटा मोटर्स, सन फार्मास्युटिकल, भारती एअरटेल, बजाज फिनसर्व, आइसीआइसीआइ बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जेएसडब्लू स्टील लाभ में रहीं। दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलाजीज, एशियन पेंट्स, टाइटन, इंफोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट रही।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के भाषण से पहले भारतीय सूचकांक सपाट स्तर के आसपास झूलते रहे और मिश्रित वैश्विक बाजार धारणा ने इस परिदृश्य को और अधिक तेजी दी। नायर ने कहा कि निवेशक सावधानी बरत रहे हैं और नीतिगत ब्याज दर को लेकर अधिक जानकारी के लिए पावेल के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख रहा जबकि यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) ने गुरुवार को 1,371.79 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) ने 2,971.80 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

डालर के मुकाबले रुपया चार पैसे चढ़कर 83.89 पर

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

रुपया शुक्रवार को सीमित दायरे में कारोबार करते हुए डालर के मुकाबले चार पैसे की बढ़त के साथ 83.89 (अस्थायी) पर बंद हुआ। जैक्सन होल संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण से पहले कारोबारियों के सतर्क रुख अपनाने से कारोबारी धारणा प्रभावित हुई।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कमजोर अमेरिकी डालर, विदेशी पूंजी के प्रवाह और घरेलू बाजारों में सकारात्मक रुख ने रुपए को सहारा दिया। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने तेज बढ़त को रोक दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के मुकाबले 83.93 पर खुला और दिन में कारोबार के दौरान 83.85 के उच्च स्तर तक गया। रुपया कारोबार के अंत में डालर के मुकाबले 83.89 (अस्थायी) पर बंद हुआ

जो पिछले बंद स्तर से चार पैसे की बढ़त है। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया तीन पैसे टूटकर 83.93 प्रति डालर पर बंद हुआ था।

शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि रुपए के थोड़े नकारात्मक रुझान के साथ कारोबार करने की आशंका है। कारोबारी जैक्सन होल संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के भाषण से पहले सतर्क बने हुए हैं।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 674.66 अरब डालर

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अगस्त को समाप्त में 4.54 अरब डालर बढ़कर 674.66 अरब डालर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 4.8 अरब डालर घटकर 670.11 अरब डालर रहा था।

आरबीआइ की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.60 अरब डालर बढ़कर 591.56 अरब डालर हो गईं। डालर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 86.5 करोड़ डालर बढ़कर 60.10 अरब डालर हो गया।

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) छह करोड़ डालर बढ़कर 18.34 अरब डालर हो गए। आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 1.2 करोड़ डालर बढ़कर 4.65 अरब डालर हो गया।

समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 86.5 करोड़ डालर बढ़कर 60.10 अरब डालर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) छह करोड़ डालर बढ़कर 18.34 अरब डालर हो गए।

डीजीसीए ने एअर इंडिया पर लगाया 90 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

विमानन नियामक डीजीसीए ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए एअर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एअर इंडिया के परिचालन निदेशक तथा प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमशः छह लाख रुपए और तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संबंधित पायलट को आगाह किया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसमें कहा गया, एअर इंडिया लिमिटेड ने एक 'नान-ट्रेनर लाइन कैप्टन' द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक 'नान-लाइन-

रिलीज' प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था। नियामक ने इसे एक गंभीर 'शेड्यूलिंग' घटना पाया है जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।

एअरलाइन द्वारा 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रपट के जरिए घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एअरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों आदि की जांच शामिल थी।

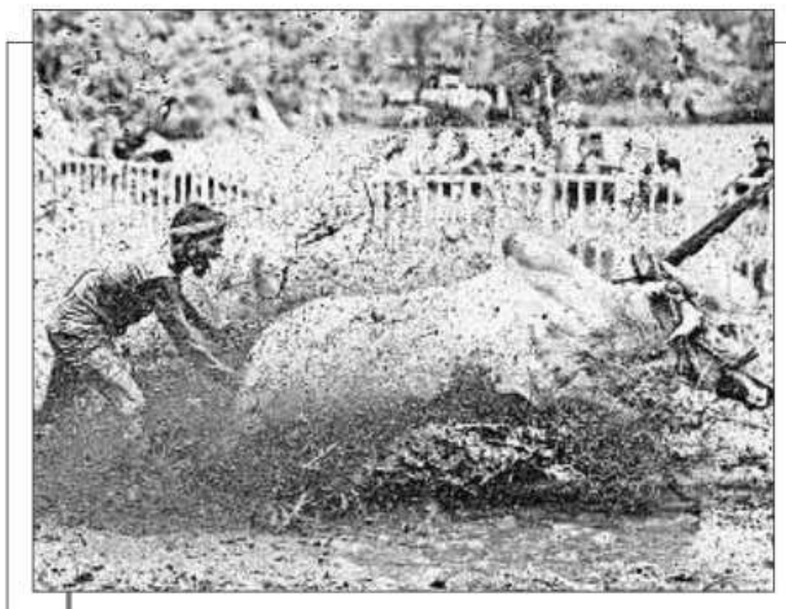

उत्सव

रत्नागिरी में पारंपरिक बैल दौड़ कार्यक्रम 'नांगरानी' उत्सव के दौरान अपने बैलों के साथ दौड़ता हुआ एक किसान।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआइ को

कोलकाता, 23 अगस्त (भाषा)।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह निर्णय अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद लिया गया है, जिन्होंने कालेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआइ को तीन सप्ताह में जांच से संबंधित प्रगति रपट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और तभी अदालत रपट की समीक्षा करेगी। अदालत ने 'केस डायरी' और अन्य संबंधित दस्तावेज शनिवार पूर्वाह्न 10 बजे तक सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया। मामले की जल्द सुनवाई का दावा करते हुए घोष के वकील ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का रुख किया। न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की सदस्यता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को

एसआइटी का गठन किया था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज ने राज्य से पूछा था कि अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आने के एक साल बाद एसआइटी का गठन क्यों किया गया। अली ने दावा किया कि उन्होंने 2023 में संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से शिकायत की थी। प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर जनाक्रोश के बाद घोष को प्राचार्य पद से हटा दिया गया था। आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीक्षांत समारोहों के लिए परिधान नियम तैयार करने को कहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त ।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी संस्थानों से कहा है कि वे दीक्षांत समारोहों के लिए उस राज्य की परंपराओं के आधार पर एक उपयुक्त भारतीय परिधान नियम तैयार करें जहां वे स्थित हैं। मंत्रालय ने कहा कि काले रंग की पोशाक और टोपी पहनने की वर्तमान प्रथा एक औपनिवेशिक विरासत है, जिसे बदले जाने की जरूरत है।

मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा दीक्षांत समारोह के दौरान काले रंग की पोशाक और टोपी का उपयोग किया जा रहा है। उसने कहा कि इस पोशाक की उत्पत्ति यूरोप में मध्य युग में हुई थी और अंग्रेजों ने इसे अपने सभी उपनिवेशों में पेश किया था।

पत्र में कहा गया है कि उपर्युक्त परंपरा एक औपनिवेशिक विरासत है जिसे बदलने की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया है कि तदनुसार मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में संलग्न एम्स ,आईएनआई समेत मंत्रालय के विभिन्न संस्थान अपने संस्थानों के दीक्षांत समारोह के लिए एक उपयुक्त भारतीय परिधान नियम तैयार करेंगे जो उस राज्य की स्थानीय परंपराओं पर आधारित होगा जिसमें संस्थान स्थित है।मंत्रालय ने उनसे इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा दीक्षांत समारोह के दौरान काले रंग की पोशाक और टोपी का उपयोग किया जा रहा है। उसने कहा कि इस पोशाक की उत्पत्ति यूरोप में मध्य युग में हुई थी और अंग्रेजों ने इसे अपने सभी उपनिवेशों में पेश किया था। पत्र में कहा गया है कि उपर्युक्त परंपरा एक औपनिवेशिक विरासत है जिसे बदलने की आवश्यकता है।

मुख्य आरोपी संजय राय का होगा 'सच से सामना', कोर्ट ने दी अनुमति

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

कोलकाता की एक विशेष अदालत ने कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित बलात्कार एवं हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय राय के 'सच का सामना' यानी पालीग्राफी टेस्ट की शुक्रवार को अनुमति दे दी।

सीसीटीवी फुटेज और चिकित्सक के शव के पास एक 'ब्लूटूथ डिवाइस' मिलने के बाद राय की गिरफ्तारी हुई थी। राय को कालेज के सेमिनार हाल में प्रवेश करते हुए देखा गया था और वहीं पर चिकित्सक का शव मिला था। राय (33) वर्ष 2019 में एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में कोलकाता पुलिस में शामिल हुआ था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि राय ने कम से कम चार शादियां की थीं। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों की एक टीम परीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि सीबीआइ भी राय की डीएनए और मनोविश्लेषण रपट का इंतजार कर रही है, जो उसकी जांच को आगे की दिशा देगी। सीबीआइ ने गुरुवार को न्यायालय को बताया था कि स्थानीय पुलिस ने स्नातकोत्तर चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले को छुपाने का प्रयास किया था। सीबीआइ ने कहा कि उसके जांच का जिम्मा संभालने से पहले अपराध स्थल से छेड़छाड़ की गई थी।

सीसीटीवी फुटेज और चिकित्सक के शव के पास 'ब्लूटूथ डिवाइस' मिलने के बाद राय की गिरफ्तारी हुई थी।

रपट देश के प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण के स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है

उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों का स्तर सामान्य से कम : सीडब्लूसी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

देश के प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण के स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों में सामान्य से कम स्तर बना हुआ है। इससे आने वाले दिनों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) की ओर से देशभर के 155 जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति पर शुक्रवार को जारी नवीनतम रपट में यह जानकारी दी गई है।

रपट के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण क्षमता 130.800 अरब घन मीटर (बीसीएम) है, जो कुल संग्रहण क्षमता का 72 फीसद है। कुछ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों में जल भंडारण स्तर सामान्य से कम है। हालांकि, यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 114.657 बीसीएम से अधिक है।

रपट में जलाशयों के जल-भंडारण स्तरों में क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अन्य की तुलना में बेहतर भंडारण स्तर है। उत्तरी क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के जलाशयों में भंडारण स्तर सामान्य से कम है, जहां जलाशयों में उनकी क्षमता का केवल 53 फीसद ही पानी बचा है। यह पिछले वर्ष दर्ज 84 फीसद की तुलना में बड़ी गिरावट है। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों वाले दक्षिणी क्षेत्र में अधिक सकारात्मक रुझान दिखाई देता है, जहां जलाशयों की क्षमता 80 फीसद है। पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, उनमें भी जल-भंडारण स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में जलाशयों का वर्तमान स्तर 60 फीसद पर हैं, जो पिछले वर्ष दर्ज 43 फीद की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।

इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हैं, वहां भी जल भंडारण स्तर में वृद्धि देखी गई है। यहां जलाशयों की क्षमता अब 74 फीसद है, जो पिछले वर्ष 69 फीसद थी। मध्य क्षेत्र के इलाके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जलाशयों में वर्तमान में उनकी कुल क्षमता का 76 फीसद जल भरा हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज 73 फीसद से मामूली सुधार दर्शाता है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) की ओर से देशभर के 155 जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति पर शुक्रवार को जारी नवीनतम रपट में यह जानकारी दी गई है।

रपट के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण क्षमता 130.800 अरब घन मीटर (बीसीएम) है, जो कुल संग्रहण क्षमता का 72 फीसद है।

कुछ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों में जल भंडारण स्तर सामान्य से कम है। हालांकि, यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 114.657 बीसीएम से अधिक है।

कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सिपाही भर्ती परीक्षा

लखनऊ, 23 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आरक्षी (सिपाही) भर्ती परीक्षा शुक्रवार को राज्यभर के 1,174 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य की राजधानी में कुछ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। परीक्षाएं सुचारू ढंग से हुईं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार, परीक्षा राज्य के 67 जिलों में 1,174 केंद्रों पर आयोजित की गईं। परीक्षा पांच दिन यानी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जानी है। इसके अनुसार प्रत्येक दिन अभ्यर्थी दो पालियों में परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी जबकि दूसरी पाली अपराह्न तीन बजे शुरू होगी। अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक दिन 9.5 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है।

प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 305, एलीट हाउस, 36, सामुदायिक केंद्र, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, जमरूदपुर, नई दिल्ली 110048

टेलीफोनः 011–45537559 | वेबसाइटः www.premierpoly.com

CIN: L25209DL1992PLC049590 | ई–मेलः compliance.officer@premierpoly.com

बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड के सदस्यों की बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 16 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि 02 अगस्त, 2024 के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों का संचालन किया जा सके। एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए एजीएम की सूचना और कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और इन्हें www.premierpoly.com वेबसाइट से या वेब लिंक **https://premierpoly.com/product/32nd%20%20Annual%20Report%202023-2024.pdf** पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई **www.bseindia.com**, एनएसई **www.nseindia.com** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना भेजने का काम 23 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और रविवार, 15 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो 09 सितंबर, 2024 की कट–ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, वे 02 अगस्त, 2024 की एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय पर रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट–ऑफ तारीख यानी 09 सितंबर, 2024 के बाद नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना के पेज नंबर 16 से 20 पर दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है। एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

16 सितंबर, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं। हालांकि, केवल वे सदस्य, जो वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders** तथा **e-voting user manual for Shareholders** देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013 को **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं।

बुक क्लोजरः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 से सोमवार, 16 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से और लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया गया हो, के भुगतान के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए बंद रहेंगी।

गैर–केवाईसी अनुपालन वाले फोलियो के मामले में लाभांशः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि सेबी परिपत्र दिनांक सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2024/37, 07 मई, 2024 ने अब अनिवार्य कर दिया है कि भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले प्रतिभूति धारक और जिनके फोलियो में केवाईसी विवरण जैसे पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर अद्यतन नहीं हैं, वे 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के किसी भी भुगतान के लिए पात्र होंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार,
प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
हीना सोनी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23–08–2024

RateGain

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड

(सीआईएन : L72900DL2012PLC244966)

पंजीकृत कार्यालय : एम–140, ग्रेटर कैलाश पार्ट–II, नई दिल्ली–110048

निगमित कार्यालय : क्लब 125, भूखंड सं. 3, 4, 5, टॉवर ए, चतुर्थ तल, सेक्टर–125, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 91 120 5057 000; ईमेल : companysecretary@rategain.com

वेबसाइट : www.rategain.com

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड ('दि कंपनी') के सदस्यों की बारहवीं (12वीं) वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन सोमवार 16 सितंबर 2024 को मध्या. 11.00 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। यह आयोजन, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर 2023 ('एमसीए परिपत्रों') और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांकित 07 अक्टूबर 2023 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र सामूहिक रूप में "परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित समय–समय पर संशोधितानुसार कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए किया जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) / रजिस्ट्रार तथा अंश अंतरण अभिकर्ता (आरटीए), जैसा भी प्रकरण हो, के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त प्रलेख, कंपनी की वेबसाइट **www.rategain.com** के इंवेस्टर्स सेक्शन, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध हैं।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सामान्य बैठकों पर साचिविक मानक–2 (एसएस–2) के साथ पठित, समय–समय पर संशोधितानुसार सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 44, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों को एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों / प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सदस्यगण, बैठक के स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य दूरस्थ स्थल से रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपने वोट ('रिमोट ई–वोटिंग') डाल सकते हैं अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट ('ई–वोटिंग') डाल सकते हैं। सदस्यों का मताधिकार, सोमवार 09 सितंबर 2024 ("कट–ऑफ तिथि") के अनुसार कंपनी की प्रदत्त समता अंश पूंजी के अंतर्गत उनके द्वारा धारित समता अंशों के अनुपात में होंगे।

रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं :

1) रिमोट ई–वोटिंग अवधि का आरंभ बृहस्पतिवार 12 सितंबर 2024 को प्रातः 09.00 बजे (भा.मा.स.) पर होगा तथा समापन रविवार 15 सितंबर 2024 को सायं 05.00 बजे (भा.मा.स.) पर होगा।
2) कोई भी व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी के अंश उपार्जित करता है तथा कंपनी का एक सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार 09 सितंबर 2024 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह **evoting@nsdl.co.in** पर अथवा **einward.ris@kfintech.com** पर अथवा **companysecretary@rategain.com** पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि एक व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध 'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। एक सदस्य, एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए लॉगिन आधारित ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) का उपयोग भी कर सकता है।
3) कोई भी व्यक्ति जो भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण किए हुए है और ऐसे अ–वैयक्तिक अंशधारक जो ई–मेल के माध्यम से सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के अंश उपार्जित करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और कट–ऑफ तिथि के अनुसार अंशों का धारण किए हुए हैं, वे **evoting@nsdl.co.in** पर एनएसडीएल को अथवा निर्गतनकर्ता / आरटीए को एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, एक सदस्य जो ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, वह वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड" अथवा "फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं।
4) यदि व्यक्तिगत अंशधारक, डिमेट प्रारूप में प्रतिभूतियों का धारण किए हुए हैं और जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी के अंशों का उपार्जन करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और कट–ऑफ तिथि के अनुसार अंश धारण किए हुए हैं, वे एजीएम की सूचना में वर्णित चरणों का पालन कर सकते हैं।
5) सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि :–
   क) रिमोट ई–वोटिंग की 15 सितंबर 2024 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल इस अवधि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट डाल दिया गया है तो सदस्य को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   ख) वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होनेवाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
   ग) एक सदस्य, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भागीदार कर सकता है, परंतु उसे एजीएम में पुनः वोट डालने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
   घ) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार 09 सितंबर 2024 के अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अभिलेखित है, तो वह रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है।
   ड.) रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग तथा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की प्रक्रिया, एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।
   च) कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं करानेवाले सदस्यों के ई–मेल पतों के पंजीकरण की प्रविधि, एजीएमी की सूचना में उपलब्ध है।
6) निदेशक मंडल ने एक समुचित एवं पारदर्शी प्रविधि के अंतर्गत रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच–पड़ताल करने के लिए श्री श्रेयांश प्रताप जैन, व्यवसायरत् कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ8621 एवं सी.पी. नं. 9515) की जांचकर्ता के रूप में नियुक्ति की है।

रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग तथा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने से संबंधित किसी भी प्रश्न / पूछताछ की स्थिति में, आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे को **evoting@nsdl.co.in** पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड
हस्ता./–
थॉमस पी. जोशुआ
कंपनी सचिव

दिनांक : 24 अगस्त 2024
स्थान : नई दिल्ली

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400051

माँग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना(ऐ) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे माँग सूचना(नों) की प्राप्ति कर भुगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उददेश्य से सूचना को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान–स्थान पर चिपकाया जा रहा है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है। माँग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहां इसमें नीचे दिये गये हैं :

उधारकर्ता (ओं) के नाम	माँग सूचना तिथि तथा राशि
1. श्री गिरधरगोपाल डेयरी फार्म्स 2. कमलेश 3. महेंद्र सिंह	20 अगस्त, 2024 रु. 69,93,711.00/– (रुपये उनहत्तर लाख तिरानबे हजार सात सौ ग्यारह मात्र) 5 अगस्त 2024 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा संख्या 46//11/12 पर वहाँ उसके ऊपर निर्मित अधि संरचना के साथ संपूर्ण भवन के सहित, ग्राम ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित है। भूमि की माप 1 कनाल 15 मरला है। सीमायें :– पूर्व : योगेश की संपत्ति, पश्चिम : कृष्णा की संपत्ति, उत्तर : सड़क, दक्षिण : उपरोक्त संपत्ति का शेष भाग उसके बाद विजय की संपत्ति।

उधारकर्ता (ओं) के नाम	माँग सूचना तिथि तथा राशि
1. शुभ हार्डवेयर स्टोर 2. नवीन त्यागी 3. शिव कुमार 4. अशोक परमानंद त्यागी 5. इंदु त्यागी	1) 13(2) माँग सूचना – 12 अगस्त 2024 शुद्धिपत्र सूचना – 17 अगस्त 2024 रु. 50,91,110/– (रुपये पचास लाख इक्यानबे हजार एक सौ दस मात्र) 05 अगस्त 2024 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति स्वामी का नाम : 1. शिव कुमार, 2. अशोक कुमार, दोनों पुत्र श्री परमानंद पुत्र श्री टीका राम, निवासी– ग्राम तेहा तहसील गन्नौर तथा जनपद सोनीपत,

संपत्ति विवरण : 1) मकान जिसकी माप 13.5 वर्ग गज है जो आयताकार है और किला नंबर 35//12/1 वाका रकबा मौजा बड़ौत तहसील गन्नौर और जनपद सोनीपत में स्थित है। सीमाएँ :– पूर्व : 10 फीट की अजीत सिंह की दुकान, पश्चिम : विक्रेता का 10 फीट का प्लॉट, उत्तर : 12 फीट की गली, दक्षिण : सावित्री देवी का 12 फीट का प्लॉट और

2. मकान जिसकी माप 66.7 वर्ग गज है जो आयताकार है और किला नंबर 35//12/1 वाका रकबा मौजा बड़ौत तहसील गन्नौर और जनपद सोनीपत में स्थित है। सीमाएं :– पूर्व : 10 फीट की अजीत सिंह की संपत्ति, पश्चिम : विक्रेता का 10 फीट का प्लॉट, उत्तर : अशोक कुमार का 60 फीट का प्लॉट, दक्षिण : 60 फीट की गली।

उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और वहां उन सूचनाओं में तथा यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकित माँग राशि का, भुगतान की वसूली होने की तिथि तक गणनाकृत लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्कों, लागत और व्ययों के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। उधारकर्ता(गण) यह ध्यान में रखें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह एक प्रतिभूत ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा जो है वह उधारकर्ता(ओं) द्वारा बंधक रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के रूप में अचल संपत्ति/संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है।

इस प्रकरण में उधारकर्ता(गण) जो हैं वे चूंकि अनुबंधित समय के अंदर पूर्णरूपेण ढंग से अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उपलब्ध समस्त अधिकारों का प्रयोग करने की अधिकारी होगी, जिसमें विक्रय के माध्यम से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार का उपयोग करना तथा भुगतान वसूल करना सम्मिलित होगा, परंतु यह इतने तक ही सीमित भी नहीं होगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह विक्रय अथवा हस्तांतरण करने के लिए अधिकार का प्रवर्तन करने से पूर्व प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) की कुर्की तथा/अथवा सील करने के लिए भी सशक्त है। प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रय के उपरांत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के पास यह अधिकार भी है कि वह उस स्थिति में, शेष देयराशियों को वसूल करने के लिए पृथक विधिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकती है, यदि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को भुगतानयोग्य देयराशियों का भुगतान पूर्ण करने के लिए बंधक संपत्तियों का मुद्रामूल्य अपर्याप्त होता है। यह उपाय एक अतिरिक्त उपाय है और किसी अन्य विधि–व्यवस्था के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को उपलब्ध समस्त अन्य उपायों से अलग है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा उस इसके अतिरिक्त उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का निस्तारण करने अथवा उनका लेन–देन करने अथवा किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को बिक्री, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न होने पर यह उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। माँग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(गण), यदि वे इच्छुक हैं, तो प्रतियां किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

स्थान : हरियाणा
दिनांक : 24–08–2024

वसूली अधिकरण कार्यालय–II
ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

द्वितीय तल, पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248171

आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 38 52 (2) के तहत बिक्री की घोषणा ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के साथ पढ़े।

टी.आर.सी.नं. 53/2018 **शुद्धिपत्र** दिनांकः 21.08.2024

दिनांक 13.08.2024 को समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक बनाम श्रीमती सीमा त्यागी एवं अन्य का शुद्धिपत्र टी.आर.सी.नं. 53/2018

सेवा में,

सीडी नं. 1: श्रीमती सीमा त्यागी (ऋणी) पत्नी स्व. श्री विनय त्यागी, निवासी 32, प्लेसेन्ट वैली राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

सीडी नं. 2: श्री विनय त्यागी, पुत्र श्री रवि दत्त त्यागी (चूंकि मृतक का प्रतिनित्व कानूनी उत्तराधिकारियों सीडी सं. 2/1 से सीडी सं. 2/3) के माध्यम से किया जाता है।

सीडी नं.2/1: श्री रजत त्यागी पुत्र स्व. श्री विनय त्यागी, निवासी 32, प्लेसेन्ट वैली, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

सीडी नं.2/2: श्री अनुभव त्यागी पुत्र स्व. श्री विनय त्यागी, निवासी 32, प्लेसेन्ट वैली, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

सीडी नं.2/3: श्री साहिल त्यागी पुत्र स्व. श्री विनय त्यागी, निवासी 32, प्लेसेन्ट वैली, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

प्रमाणपत्र देनदार

पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण लखनऊ द्वारा ओ.ए. संख्या 199/2012 में जारी वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में आप/आप सभी उनके द्वारा देय 66,85,258.00 (रु. छियासठ लाख पिचासी हजार दो सौ अठ्ठावन मात्र) की बकाया राशि और दिनांक 27.03.2012 से @12.00% प्रतिवर्ष की दर से भावी ब्याज तथा देय लागत (दिनांक 31.07.2024 तक कुल वसूली योग्य बकाया राशि 2,22,29,872.00) का भुगतान करने में विफल रहे है।

और जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की सन्तुष्टि में नीचे अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया गया है।

और जबकि इसके अन्तर्गत रू. 66,85,258.00 (रु. छियासठ लाख पिचासी हजार दो सौ अठ्ठावन मात्र) बकाया राशि और दिनांक 27.03.2012 से @12.00% प्रतिवर्ष की दर से भावी ब्याज तथा लागत देय।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति दिनांक 30.09.2024 को ई–नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोली मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट https:drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से होगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–श्री संजीव गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक सार्थ, जाखन, दून विहार राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड (मोबाइल नंबर–7017936788)

बिक्री नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ऊपर नामित प्रतिवादियों की सम्पत्ति की होगी तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावें जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के खिलाफ अनुसूची में निर्दिष्ट है।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा में किसी भी त्रुटि ,गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगें

1. ई–नीलामी का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है:–

नीलामी की दिनांकः– 30.09.2024 (दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक)
बोली की अंतिम तिथिः– दिनांक 26.09.2024

लॉट नं.	आरक्षित राशि	ईएमडी राशि	बोली राशि
1.	रूपये- 2.50 करोड़	रूपये- 25.00 लाख	रूपये- 10.00 लाख

2. बोली की राशि में वृद्धि 10,00,000/– रूपये होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, लॉट को तुरन्त फिर से नीलामी में रखा जाएगा।सम्पत्ति को ऊपर सारणीबद्ध प्रारूप में उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जायेगा।

3. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होता है कि ऐसा करना अनुचित है, तो उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करना नीचे हस्ताक्षरकर्ता के विवेक पर होगा।

4. **ईएमडी रू0 25,00,000/– दिनांक 26.09.2024** तक ऑनलाइन आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नीचे खाता संख्या 7360878086 में जमा किए जाने चाहिए, खाता धारक का नाम वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण देहरादून जिसका आईएफसी कोड संख्या IDIB000D557 है या वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास जमा किया जाना चाहिए और सम्पत्ति का विवरण पैन कार्ड, पते का प्रमाण और पहचान प्रमाण की प्रति के साथ देना होगा। ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर और कंपनी के मामले में या कंपनी के प्रतिनिधित्व/वकील की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज और जमा राशि की रसीद/कांउटर फाइल नीचे हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जमा की जानी चाहिए। ईएमडी और आवश्यक दस्तावेज जिसे ईएमडी की अन्तिम तिथि के बाद जमा किया गया है, ई–नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

5. सफल बोलीदाता को अगली तिथि अर्थात् दिनांक 01.10.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक ईएमडी के समायोजन के बाद बिक्री आय का 25% उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त खाते में जमा करना होगा। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार है, तो अगले कार्यदिवस पर जमा कराना होगा।

6. क्रेता को बिक्री आय का शेष 75% सम्पत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, उस दिन को छोड़कर, यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस को ऊपर पैरा 4 में बताए अनुसार निर्धारित तरीके से जमा करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को वसूली अ

खबर कोना

मास्को : रूस के बाहर नोवो-ओगारियोवो राज्य निवास पर 'वीडियो कांफ्रेंस' के माध्यम से सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।

बांग्लादेश में बाढ़ से 15 लोगों की मौत, लाखों प्रभावित

ढाका, 23 अगस्त (भाषा)।

मानसून की भारी बारिश से बांग्लादेश के डेल्टाई इलाकों और भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। इस कारण बांग्लादेश में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जो राजनीतिक परिवर्तन के बाद नवगठित अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, खासकर पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में। इस कारण कई शहरों और कस्बों के अलावा सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। इससे बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है और संचार लाइन बाधित हो गई हैं। सरकारी समाचार एजेंसी 'बांग्लादेश संबाद संस्था' (बीएसएस) की खबर के मुताबिक, आपदा प्रबंधन मंत्रालय में सचिव कमर-उल-हसन ने कहा, बांग्लादेश में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 11 जिलों के 48 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हसन ने संवाददाताओं को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना, नौसेना, तट रक्षक, बाडर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी), अग्निशमन कर्मी, पुलिस और छात्रों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

श्रीलंका : राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार का निधन

कोलंबो, 23 अगस्त (भाषा)।

श्रीलंका में अगले महीने की 21 तारीख को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किस्मत आजमा रहे 39 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार का निधन हो गया है। उनके परिवार ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर-पश्चिमी पुत्तलम जिले के 79 वर्षीय निर्दलीय उम्मीदवार इदरीस मोहम्मद इलियास को गुरुवार की रात दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने 1990 के दशक में द्वीपीय देश के उत्तरी जिले जाफना की नौ फीसद मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी का संसद में प्रतिनिधित्व किया था।

फ्रांस के राष्ट्रपति प्रमुख दलों के नेताओं के साथ करेंगे बातचीत

पेरिस, 23 अगस्त (एपी)।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों नई सरकार के गठन के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। पिछले महीने संपन्न हुए संसदीय चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि फ्रांस के मुख्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ शुक्रवार और सोमवार को एलिसी राष्ट्रपति भवन में बैठकें होंगी ताकि 'व्यापक और सबसे स्थिर बहुमत' की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति इन विचार-विमर्शों और उनके निष्कर्षों के बाद की जाएगी। वामपंथी गठबंधन 'न्यू पापुलर फ्रंट' ने पिछले महीने चुनावों में लगभग एक-तिहाई सीट जीती थी जो किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक है। मैक्रों का मध्यमार्गी गठबंधन दूसरे स्थान पर रहा और धुर दक्षिणपंथी 'नेशनल रैली' तीसरे स्थान पर रही। आधुनिक फ्रांस के इतिहास में किसी भी प्रभावशाली राजनीतिक दल या गठबंधन का दबदबा न होना, संसद का त्रिशंकु होना और राजनीतिक पंगुता की स्थिति पैदा होने को एक अप्रत्याशित घटना के रूप में देखा जा रहा है। 'न्यू पापुलर फ्रंट' ने जोर देकर कहा है कि सबसे बड़े समूह के रूप में उसके उभरने के बाद प्रधानमंत्री पद पर उसका दावा सबसे मजबूत है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति व डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा

मैं एक ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जो देश के लोगों को एकजुट कर सके

शिकागो, 23 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और देश की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को वादा किया कि वह ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी जो देश के लोगों को एकजुट कर सके। हैरिस ने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तैयार करने का मौका है। हैरिस (59) अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रमुख दल की उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला हैं।

भारतीय-अफ्रीकी मूल की हैरिस ने शिकागो में गुरुवार रात 'डेमोक्रेटिक नेशनल कंवेशन' के दौरान उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद दिए गए भाषण में कहा, इस चुनाव के साथ ही हमारे देश के पास अतीत की कड़वाहट, निराशावाद और विभाजनकारी लड़ाइयों से आगे बढ़ने का एक अनमोल अवसर है। यह किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तय करने का मौका है।

उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आज रात विभिन्न राजनीतिक विचारों वाले लोग इसे देख रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप यह जान लें कि मैं सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनने का वादा करती हूं... हैरिस ने कहा, मैं एक ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जो हमें एकजुट करे सके, जिससे हम अपनी बड़ी से बड़ी आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। एक ऐसी राष्ट्रपति जो नेतृत्व भी करे और सभी लोगों की बात भी सुने। जो यथार्थवादी हो, व्यावहारिक हो और जिसमें सामान्य ज्ञान हो और हमेशा अमेरिकी लोगों के लिए लड़ सके। न्यायालय से लेकर व्हाइट हाउस तक यही मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है।

हैरिस ने कहा, इस चुनाव के साथ ही हमारे देश के पास अतीत की कड़वाहट, निराशावाद और विभाजनकारी लड़ाइयों से आगे बढ़ने का एक अनमोल अवसर है। यह किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तय करने का मौका है।

अमेरिका में 'हिंदू फार कमला हैरिस' समूह बनाया

वाशिंगटन, 23 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए देश के कुछ हिंदुओं ने मिलकर 'हिंदू फार कमला हैरिस' समूह बनाया है। उनका मानना है कि वह भारत, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छी नेता होंगी। 'हिंदू फार कमला हैरिस' समूह के संस्थापक सदस्यों ने कहा कि 'कमला देवी हैरिस को अमेरिका की 47वीं राष्ट्रपति' नियुक्त होने में मदद के वास्ते के यह समूह बनाया गया है।

हैरिस महज एक कठपुतली हैं : विवेक रामास्वामी

शिकागो, 23 अगस्त (भाषा)।

रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उनकी पार्टी में एक मामूली हैसियत है और वह 'एक कठपुतली हैं।' रामास्वामी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैरिस अपने भाषणों में नीति के बारे में बात करने से बचती हैं क्योंकि इसका असर उनकी लोकप्रियता पर पड़ेगा। रामास्वामी (39) उस दिन शिकागो पहुंचे जिस दिन 'डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन' में हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी की अपनी उम्मीदवारी औपचारिक तौर पर स्वीकार करने वाली थीं।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया

ढाका, 23 अगस्त (भाषा)।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ-साथ पूर्व मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है।

अंतरिम सरकार ने यह कदम विद्यार्थियों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने और भारत चले जाने के लगभग दो सप्ताह बाद उठाया है। सरकारी समाचार एजंसी 'बीएसएस' की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकारों, पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों और हाल में भंग की गई संसद के सभी सदस्यों को मिले राजनयिक पासपोर्ट तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अगस्त में 76 वर्षीय हसीना के देश छोड़कर चले जाने के बाद 12वीं संसद को भंग कर दिया था। वर्तमान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट भी उनके कार्यकाल या नियुक्ति समाप्त होने पर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे।

अंतरिम सरकार ने यह कदम विद्यार्थियों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने व भारत चले जाने के लगभग दो सप्ताह बाद उठाया है।

यूक्रेन को उपहार के तौर पर चार 'भीष्म क्यूब' देगा भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भारत ने यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से चार 'भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री (बीएचआइएसएचएम) क्यूब' सचल अस्पताल उपहार में देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विकासशील देशों को मानवीय सहायता के रूप में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के कार्यक्रम 'आरोग्य मैत्री' के अंतर्गत सरकार ने 'भीष्म' पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि यह आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों को आसानी से उपयोग करने योग्य और तेजी से तैनाती-योग्य साधन प्रदान करता है। यूक्रेन को ऐसे चार क्यूब उपहार स्वरूप देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले लिया गया।

यूक्रेन लंबे समय से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। सचल अस्पताल को सभी आवश्यक दवाओं और उपकरणों को घनाकार बक्सों (प्रत्येक 15 इंच) में एक सुव्यवस्थित तरीके से पैक करके बनाया गया है, तथा युद्ध या प्राकृतिक आपदा में होने वाली चोटों और चिकित्सा समस्याओं के प्रकार के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन 'क्यूब्स' को एक ऐसे ढांचे पर रखा जाता है जो समायोज्य (अड्जस्टबल), मजबूत होता है और वायु, समुद्र, भूमि और ड्रोन द्वारा लाया व ले जाया जा सकता है।

निरीक्षण नासिक में भारतीय सेना स्कूल आफ आर्टिलरी में हथियारों का अवलोकन करता अमेरिकी सेना का प्रतिनिधिमंडल।

नाभा जेल से फरार होने का मामला

हांगकांग से प्रत्यर्पित रोमी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

चंडीगढ़, 23 अगस्त (एजंसी)।

पंजाब में 2016 में नाभा जेल तोड़ने के मुख्य साजिशकर्ता रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को गुरुवार को हांगकांग से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद शुक्रवार सुबह पंजाब लाया गया। रमनजीत सिंह को पटियाला जिले के नाभा लाया गया और एक अस्पताल में उसकी चिकित्सकीय जांच की गई। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, रोमी नाभा जेल तोड़ने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता था जिसमें दो आतंकवादियों समेत छह खूंखार अपराधी भाग गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में 2016 में नाभा जेल तोड़ने के मुख्य साजिशकर्ता रमनजीत सिंह को गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) और पंजाब पुलिस द्वारा समन्वित एक अभियान में हांगकांग के अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

सीबीआइ के प्रवक्ता ने बयान में कहा, 'सीबीआइ के वैश्विक परिचालन केंद्र ने 22 अगस्त को हांगकांग से भारत में रमनजीत सिंह के प्रत्यर्पण के लिए पंजाब पुलिस और इंटरपोल एनसीबी-हांगकांग के साथ समन्वय किया है।' उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने पंजाब पुलिस के अनुरोध पर 22 मार्च, 2017 को इंटरपोल महासचिवालय से सिंह के खिलाफ 'रेड कार्नर नोटिस' जारी कराया था।

ज्ञातव्य है कि बठिंडा के बंगी रुलदू गांव के निवासी सिंह के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही वर्ष 2018 में शुरू की गई थी।

जेल से फरार होकर हांगकांग भागा था

चंडीगढ़ : सोलह अपराधियों ने 27 नवंबर, 2016 को नाभा जेल पर हमला कर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसमें छह वांछित अपराधी भागने में सफल हो गए थेज जिनमें हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गौंडर, नीता देओल, गुरप्रीत सेखों, अमन धोतियां और आतंकवादी हरमिंदर मिंटू और कश्मीर सिंह गलवड्डी शामिल थे। जनवरी, 2018 में राजस्थान में पुलिस मुठभेड़ में गौंडर मारा गया, जबकि अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जून, 2016 में हथियार बरामदगी और फर्जी क्रेडिट कार्ड मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगस्त, 2016 में उसे जमानत मिल गई और हांगकांग भाग गया।

मोदी-योगी की तारीफ करने पर पति ने दिया तलाक

अयोध्या के सौंदर्यीकरण की चर्चा पर किया प्रताड़ित

बहराइच, 23 अगस्त (जनसत्ता)।

मुसलिम समुदाय की एक नवविवाहिता द्वारा अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ करने पर उसके पति द्वारा कथित तौर पर तीन तलाक देने और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जरवल रोड के एसएचओ बृजराज प्रसाद ने बताया पीड़िता ने अपनी शिकायत में पांच अगस्त की अयोध्या की घटना बताई है, जिसमें आपसी विवाद के बाद गरम दाल से जलाने व अन्य आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उसी दिन (पांच अगस्त को) अयोध्या कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई थी, लेकिन बाद में तीन तलाक व जान से मारने की धमकी की बात सामने आई।

जरवल रोड के एसएचओ बृजराज प्रसाद ने बताया पीड़िता ने अपनी शिकायत में पांच अगस्त की अयोध्या की घटना बताई है, जिसमें आपसी विवाद के बाद गरम दाल से जलाने व अन्य आरोप लगाए गए हैं।

उन्होंने पीड़िता के हवाले से बताया कि वह अयोध्या पुलिस के पास गई थी, लेकिन वहां मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता का मायका बहराइच के जरवल रोड में है।

गुरुवार को उसकी तहरीर पर पति अरशद, सास रइशा, ससुर इसलाम, ननद कुलसुम, देवर फरान व शफाक, देवरानी सिमरन समेत आठ लोगों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में बहराइच के जरवल रोड थाने में आठ अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी आया जिसमें महिला को यह कहते सुना जा सकता है कि 13 दिसंबर को अयोध्या के कोतवाली नगर के दिल्ली दरवाजा के रहने वाले इसलाम के बेटे अरशद से मेरा निकाह हुआ था। दोनों पक्ष की रजामंदी व हैसियत से ज्यादा खर्च कर पिता ने मेरा निकाह कराया।

वीडियो में महिला कह रही है कि निकाह के बाद जब मैं शहर में निकली तो मुझे अयोध्या धाम की सड़कें, लता चौक की खूबसूरती, वहां का विकास और आबोहवा बहुत अच्छी लगी। पति के सामने मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की।

असम में नाबालिग से बलात्कार, सड़कों पर उतरे हजारों लोग

गुवाहाटी, 23 अगस्त (भाषा)।

असम के नागांव जिले में तीन व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग से कथित तौर पर बलात्कार किए जाने की घटना के विरोध में राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब आठ बजे धींग इलाके में ट्यूशन से पढ़ाई के बाद साइकिल से घर लौट रही नाबालिग पर तीन लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि तीन लोग मोटरसाइकिल पर आए और नाबालिग को घेर लिया। उन्होंने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे घायल और बेहोशी की हालत में एक तालाब के पास सड़क के किनारे छोड़ दिया। कक्षा 10 की छात्रा को बाद में स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। उसे पहले धींग के एक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और बाद में इलाज तथा मेडिकल जांच के लिए नागांव के एक अस्पताल में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह, धींग पहुंचे और जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ अपराध स्थल का दौरा किया।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब आठ बजे धींग इलाके में ट्यूशन से पढ़ाई के बाद साइकिल से घर लौट रही नाबालिग पर तीन लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया।

आपबीती ढाका में 16 साल से रह रहे भारतीय परिवार ने कहा

चिंताएं तो हैं, पर बांग्लादेश हमारे दिल के करीब है

ढाका, 23 अगस्त (भाषा)।

बांग्लादेश में 16 साल से अपने परिवार के साथ रह रहीं एक भारतीय प्रवासी मीरा मेनन का कहना है कि केरल में उनकी मां सुरक्षा चिंताओं के कारण लगातार उनसे देश छोड़ने का आग्रह कर रही हैं, लेकिन उनकी छोटी बेटी को 'ढाका घर जैसा लगता है' और इससे अलग होना आसान नहीं है।

जुलाई में बड़े पैमाने पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में भारतीयों ने हिंसाग्रस्त देश को छोड़ दिया है। यह प्रदर्शन शेख हसीना सरकार के खिलाफ एक अभूतपूर्व प्रतिरोध में बदल गया, जिसके कारण उन्हें पांच अगस्त को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। केरल के त्रिशूर जिले की मूल निवासी 45 वर्षीय मेनन अपने पति, (जो यहां एक कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करते हैं) और 14 वर्षीय बेटी अवंतिका के साथ ढाका में रहती हैं। मेनन ने कहा, हम छुट्टी मनाने के लिए केरल में थे और चार अगस्त को वापस ढाका लौटे थे। यह कर्फ्यू वाला दिन था, लेकिन हमें नहीं पता था कि स्थिति एक दिन में इतनी नाटकीय रूप से बदल जाएगी। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वह विरोध प्रदर्शन के दौरान अछूता रहा था। लेकिन रात में सुरक्षाकर्मी गश्त करते हैं और सीटी आदि की आवाज आती है। मेरी नींद भी प्रभावित हुई है। ढाका में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और मेनन (एक गृहिणी) ढाका मलयाली एसोसिएशन (डीएमए) की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, हर साल हम यहां अपने त्योहार मनाते हैं। हमने आगामी 27 सितंबर को ओणम मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी प्रतिकूल स्थिति के कारण हमने 'बोट क्लब' में अपना आरक्षण पहले ही रद्द करा दिया है। मेनन ने कहा कि कई सदस्य केरल या भारत के अन्य हिस्सों के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग छोटे-छोटे अवकाश ले रहे हैं और कुछ लोग असमंजस में हैं और सोच रहे हैं कि वापस आना है या नहीं।

उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ने अपने परिवारों को फिर से भारत में ही रखने का फैसला किया है। त्रिशूर की मूल निवासी मेनन अपनी शादी के बाद 2008 के अंत में पहली बार बांग्लादेश आई थीं। मेनन ने कहा, जो लोग यहां ढाका में हैं या जो भारत में हैं, वे पूरी तरह से असमंजस या दुविधा में हैं कि उन्हें यहां रहना चाहिए या वापस जाना चाहिए या किसी और जगह स्थानांतरित हो जाना चाहिए। अनिश्चितता की भावना है। केरल में मेरी मां हालचाल लेने के लिए हर दिन मुझे फोन करती हैं और हमें भारत वापस आने के लिए कहती हैं।

केरल के त्रिशूर जिले की मूल निवासी 45 वर्षीय मेनन अपने पति, (जो यहां एक कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करते हैं) और 14 वर्षीय बेटी अवंतिका के साथ ढाका में रहती हैं। मेनन ने कहा, हम छुट्टी मनाने के लिए केरल में थे और चार अगस्त को वापस ढाका लौटे थे।

ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों, प्रवासी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला

लंदन, 23 अगस्त (भाषा)।

कोलकाता बलात्कार-हत्या मामला

ब्रिटेन में भारतीय छात्रों, धर्मार्थ संस्थाओं और प्रवासी संगठनों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में कार्यरत एक महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की।

महिला संगठनों ने लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर और ब्रिटेन के कई अन्य शहरों में गुरुवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट शांति मार्च आयोजित किया तो वहीं 'स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया - यूनाइटेड किंगडम' (एसएफआइ-यूके) ने बुधवार को लिवरपूल शहर में एक मार्च निकालकर इस घटना पर विरोध जताया।

www.readwhere.com

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड

NIIT | MANAGED TRAINING SERVICES

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम – 122001, (हरियाणा)
CIN: L72200HR2001PLC099478; फोनः 0124- 4293000;
वेबसाइटः www.niitmts.com; ईमेलः investors@niitmts.com

22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) पर एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो पद्धति (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 तथा सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में होगी जो कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति देता है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम, की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.niitmts.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करके रिमोटली वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम की सूचना में वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया/निर्देश, डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग शामिल होंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.niitmts.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्यगण जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वह एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे।

कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे। रिमोट ई–वोटिंग अवधि गुरूवार, 19 सितम्बर, 2024 (प्रातः 9:00 बजे) प्रारंभ होगी और 23 सितम्बर, 2024 (सायं 5:00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। यदि रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग दोनों माध्यमों से वोट दिया जाता है तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और एजीएम में की गई ई–वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

श्री मिलन मलिक, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 9888 और सीओपी संख्या 16614) और उनकी अनुपस्थिति में श्री सुभाष चंदर सेतिया, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3019 और सीओपी संख्या 23681), कॉर्पनेक्सस सर्विसेज एलएलपी के नामित भागीदार को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई–मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिमेट खाता नम्बर, ई–मेल आईडी, मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niitmts.com पर भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 तक खुला रहेगा। कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करने वाले सदस्यगण पंजीकरण एवं एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे।

जो भी सदस्यगण कोई भी पूछताछ या जानकारी चाहते है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम से न्यूनतम 7 दिन पहले कंपनी को investors@niitmts.com पर ईमेल लिखकर भेजें।

ई–मेल पता/बैंक विवरण पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रियाः

डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता/बैंक विवरण पंजीकृत/अपडेट कराएं।

लाभांश/स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/विदहोल्डिंग टैक्स पर जानकारीः

निदेशक मंडल ने 22 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रु. 2.75/– प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बृहस्पतिवार, 5 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या शेयरों के लाभार्थी स्वामियों के रूप में डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शामिल होंगे। अंतिम लाभांश एजीएम में सदस्यों की मंजूरी के अधीन उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान (स्रोत पर कर की कटौती के बाद) किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन शेयरधारकों ने डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरी के साथ अपने संपूर्ण बैंक विवरण अपडेट करें।

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') में अधिदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') काटने की आवश्यकता होगी। हमें लागू उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए शेयरधारकों से आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए, अधिनियम की धारा 194 के तहत स्रोत पर कर कटौती निम्नानुसार की जाएगीः

वैध स्थायी लेखा संख्या (पैन) वाले शेयरधारक	10 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
ऐसे शेयरधारक जिनके पास पैन/वैध पैन नहीं है	20 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

हालांकि, रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला कुल लाभांश रु. 5,000/– से अधिक नहीं है और ऐसे मामलों में भी जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच (फॉर्म 15एच 60 वर्ष या अधिक आयु के रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लागू है) प्रदान करते हैं। रेजीडेंट शेयरधारक कम/शून्य कर कटौती का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15जी/15एच या ऊपर उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले शेयरधारकों के लिए पैन अनिवार्य है।

नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए धारा 195 के प्रावधानों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार लागू दरों पर कर विदहेल्ड करना आवश्यक है। देय लाभांश राशि पर विदहोल्डिंग टैक्स 20 प्रतिशत दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार होगा। हालांकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों के पास भारत और शेयरधारक(कों) का टैक्स रेजीडेंस, यदि वे उनके लिए अधिक लाभदायक हैं, देश के बीच बहुपक्षीय साधन ('एमएलआई') के साथ पढ़े जाने वाले दोहरे कर बचाव समझौते ('डीटीएए') के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। इस उद्देश्य के लिए एमएलआई के साथ पठित डीटीए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रदान करना होगाः

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति;
- जिस देश का शेयरधारक निवासी है उस देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वित्त वर्ष 2024–25 के लिए टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति;
- भारतीय आयकर पोर्टल पर विधिवत भरे गए फॉर्म 10एफ की प्रति। इस फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से पंजीकरण करके भारतीय आयकर पोर्टल पर दाखिल करना होगा; https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/register
- नॉन–रेजीडेंट से स्व–घोषणा, मुख्य रूप से निम्नलिखित को शामिल करती हैः
- नॉन–रेजीडेंट संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है;
- लाभांश आय प्राप्त करने वाला नॉन–रेजीडेंट ऐसी आय का लाभकारी स्वामी है;
- लाभांश आय भारत में किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान ('पीई') या निश्चित आधार से संबंधित/प्रभावी रूप से जुड़ी नहीं है;
- नॉन–रेजीडेंट प्रासंगिक कर संधि और एमएलआई के तहत प्रावधानों में निर्धारित किसी भी अन्य शर्त का अनुपालन करता है;
- नॉन–रेजीडेंट के पास भारत में प्रभावी प्रबंधन का स्थान नहीं है,

विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मामले में आईटी अधिनियम की धारा 196डी के तहत उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के अधीन 20 प्रतिशत (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) या एमएलआई के साथ पठित प्रासंगिक डीटीएए में प्रदान की गई दर, जो भी अधिक लाभकारी हो, के तहत कर काटा जाएगा।

यह सूचना परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड
हस्ता./–
दीपक बंसल
कंपनी सचिव

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 23 अगस्त, 2024

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti

(पूर्व मेंफुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)
कॉर्पोरेट ऑफिसः503 और 504, 5वीं मंजिल, जी–ब्लॉक, इंसपायाबीकेसी, बीकेसीमेनरोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400 051
रजि. ऑफिसः मेघटावर्स, तीसरी मंजिल, पुरानानंबर 307, नयानंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई– 600 095.

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ख्राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली), (इसके बाद इसे एसएमएफजी के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 3 के तहत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2002 में उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपको उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उप के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ कब्जा ले लिया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और किसी के साथ लेनदेन न करें। संपत्ति के साथ लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए 'एसएमएचएफसी' के शुल्क के अधीन होगा।

क्रं सं.	उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि
1	लैन :– 61153911040838 1. रमन जॉली 2. सरोज रानी	मकान नं. 1366 (पुराना मकान नं. 1523) नगरपालिका स्थायी संपत्ति आईडी नं. **97C118U17** माप 84 वर्ग गज, स्थित भगतपुरा पथरी मोहला (शहर का पुराना मोहला) जगाधरी तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर	11.05.2024 रु. 16,22,973/– (09.05.2024 तक रुपये सोलह लाख बाईस हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र)	22.08.2024.

स्थान : यमुना नगर, दिल्ली
दिनांकः 22.08.2024

हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनीलिमिटेड
(पूर्व मेंफुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

बरेली शाखा 116–ए, सिविल लाइंस, बरेली–243001

क्षेत्रीय कार्यालयः बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ –250005

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **22.08.2024** को ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

क्र0 सं0	ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	श्री आले नबी पुत्र श्री अब्दुल करीम, निवासी– 23, सेमल खेड़ा, अमर उजाला प्रेस के पास, बरेली (ऋणकर्ता), श्री अब्दुल करीम पुत्र श्री इत्तवारी, निवासी–23, सेमल खेड़ा, अमर उजाला प्रेस के पास, बरेली (गारंटर एवं बंधककर्ता) और श्री अली बहादुर पुत्र श्री इस्माइल, निवासी– 36, सेमल खेड़ा, निकट अमर उजाला प्रेस, बरेली (गारंटर)	आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित मोहल्ला सेमल खेड़ा, पुराना शहर, तहसील और जिला बरेली, क्षेत्रफल 80.34 वर्ग मीटर, श्री अब्दुल करीम के नाम, सीमायेंः–पूर्वः 4 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः सनव्वर का मकान, उत्तरः अशफाक अहमद का मकान, दक्षिणः 4 फीट चौड़ा रास्ता।	06.11.2023 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 10,12,544.98 दिनांक 06.11.2023 तक + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	22.08.2024	रू 9,03,216.57 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक– 23.08.2024 प्राधिकृत अधिकारी

एसबीएफसी फाइनांस लिमिटेड

SBFC

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 103, प्रथम् तल, सीएंडबी स्क्वॉयर, संगम कॉम्प्लैक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई–400059
शाखा का पताः शॉप नं. 13, तीसरा तल, यमुना तराग कॉम्प्लैक्स, मुर्तिजापुर रोड, विदर्भ हॉस्पीटल के निकट, विद्या नगर, अकोला–444004

नीलामी सह बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एसबीएफसी फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कब्ज कर लिया है तथा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा करते समय **''स्क्रैप सामग्री''** भी रिकवर की गई। अब, इस सूचना सह प्रकाशन द्वारा हम ऋणधारक/सह–ऋणधारक/मार्टगैजर/गारंटर तथा आम जनता को सूचित कर रहे हैं कि इस प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर इन सामग्रियों का दावा करें अन्यथा हम इन चल सामग्रियों का निपटारा करने के लिये प्रस्ताव/बोली आमंत्रित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा **''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार''** पर प्रतिभूत क्रेडीटर के कब्जे में नीचे वर्णित सम्पत्ति में ऋण राशि के लिये इन सामग्रियों की बिक्री से वसूल की गई राशि को समायोजित करेंगे। विवरण नीचे दिये गये हैंः

ऋणधारक/सह–ऋणधारक का पता	अचल सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि
1. मै. थापा पॉल्ट्री फार्म, 2. श्री नर बहादुर थापा 3. श्रीमती सीता थापा सभी निवासीः सेवली, प्रेमनगर, बडोवाला, आर्केडिया ग्रान्ट, परगणा सेन्ट्रलदून, देहरादून–248007, साथ हीः खतौनी खाता नं. 6209 (1399 से 1404 फसली), खसरा नं. 1800/2 का भाग। आर्केडिया ग्रान्ट, परगणा सेन्ट्रलदून, देहरादून–248007	स्क्रैप सामग्री

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

स्थानः देहरादून
तिथिः 23 अगस्त, 2024

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी),
एसबीएफसी फाइनांस लिमिटेड

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालयः टीसी नंबर 14/2074–7, मुथूट सेंटर, पुन्नन रोड, तिरुवनंतपुरम– 695034
सीआईएन नं. –U65922KL2010PLC025624,
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12ध्ए 01, 13वीं मंजिल, परिनी क्रेसेंजो, प्लॉट नंबर –सी 38 –सी 39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स–जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई–400051, दूरभाष नं.: 022–62728517, ई–मेल : authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)], कब्जा–सूचना(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के तहत मैसर्स मुथूट हाउ. सिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और उन्होंने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित ऋणीध्गारंटरों को एक मांग नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन पूरे होने के बाद, ऋणीध्गारंटीकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने के बाद, ऋणीध्ऋणियों, गारंटर ध्गारंटरों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	लैन/उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	माँग सूचना की तिथि	कुल बकाया धनराशि (रु.), भविष्य में लागू ब्याज	कब्जा– तिथि
1	लैन नं. 13100079906 1.करणी सिंह छद्दू सिंह शेखावत, 2. कंचन कंवर	20–मई–2024	13–मई–2024 तक रु.8,21,478.71/–	22–अगस्त–2024

प्रतिभूति संपत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण.: स्कीम शिव कॉलोनी, मोती नगर, क्वींस रोड, अजमेर रोड पर, जयपुर खातीपुरा, के.नं. 222, माधव नगर, गृहनिर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान – 302021 क्षेत्रफल 88.22 वर्ग गज वाली संपत्ति प्लॉट नंबर 56–ए, का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश । सीमाः पूर्वः प्लॉट नंबर 56–बी पश्चिमः प्लॉट नंबर– 55 उत्तरः प्लॉट नंबर – 56 दक्षिणः 30 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क

2.	लैन नं. 13270099863 1. रतन गोविंद राम लाल, 2. गोविंद राम	20–मई–2024	13–मई–2024 तक रु.1,43,403.36/–	22–अगस्त–2024

प्रतिभूति संपत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण.: संकल्प संख्या 1(58) गांव कोलाना तहसील लाडपुरा, जिला – कोटा, राजस्थान – 324001 में क्षेत्रफल 720 वर्ग फीट वाली संपत्ति मकान पट्टा सं. 70 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जो पर है। इसकी सीमाः पूर्वः–स्वयं की भूमि और सड़क ,पश्चिमः– स्वयं का बाड़ा, उत्तरः स्वयं का बाड़ा, दक्षिणः लालाराय का मकान,

3.	लैन नं. **MHFLPURJP1000005001573** 1. पवन गौड़, 2. रंजना गौड़	19–मई–2024	13–मई–2024 तक रु.10,77,211.00/–	22–अगस्त–2024

प्रतिभूति संपत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण.: आवासीय भूखंड संख्या 44–ए, स्कीम मधुवन कॉलोनी, गांव जामडोली, आगरा रोड, जयपुर राजस्थान, – 302031 वाली संपत्ति वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, पूर्व–पश्चिम 33 फीट और उत्तर–दक्षिण 16 फीट 6 इंच कुल क्षेत्रफल 60.50 वर्ग गज निर्माण 595 वर्ग फीट आरसीसी निर्मित है, संपत्ति श्रीमती रंजना गौर के नाम पर है। सीमाः पूर्वः– भूखंड संख्या –44–बी पश्चिमः– 30 फीट सरकारी सड़क उत्तरः भूखंड संख्या 44 दक्षिणः भूखंड संख्या 44

विशेष रूप से उधारकर्ताध्ओंध् गारंटरों और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन उपरोक्त निर्दिष्ट मांग–राशि और उस अन्य ब्याज मेसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 24–अगस्त–2024 हस्ता /– अधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम – मोबाइल नंबर 8287233717

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं www.cholamandalam.com/news/auction-notices के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. **HE01DET00000025240, HE01DET00000026627** 1. प्रतीक अरोड़ा (आवेदक) 2. प्रतीक अरोड़ा (आवेदक) 3. डिम्पल जी (सह–आवेदक) 4. रोहित कुमार अरोड़ा (सह–आवेदक) सभी निवासी : मकान नंबर 804, प्रथम तल, ऋषि नगर, शकूरबस्ती रानी बाग, सरस्वती विहार, दिल्ली–110034 प्रथम तल, सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड–344–ए, प्लॉट नंबर 3, ग्राम सलीमपुर, ऋषि नगर, रानी बाग, दिल्ली–110034	07–05–2024 रू. 21,29,382/– कब्जा का प्रकार: सांकेतिक	प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं, सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड–344–ए, प्लॉट नंबर 3, परिमाप 93 वर्

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन दौरे पर

भारत और अमेरिका के बीच हुए दो महत्त्वपूर्ण समझौते

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वाशिंगटन की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने दो प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंह दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हैं। गुरुवार को हस्ताक्षरित ये समझौते सुरक्षा व्यवस्था आपूर्ति (एसओएसए) और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन से संबंधित हैं।

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन में दो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था आपूर्ति (एसओएसए) और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सिंह गुरुवार को अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि एसओएसए समझौते के जरिए अमेरिका

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन में लोगों को संबोधित करते हुए।

और भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने पर सहमत हैं। इसके तहत दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिकी संसाधन प्राप्त कर सकेंगे। एसओएसए पर अमेरिका की ओर से रक्षा विभाग के प्रधान उप सहायक सचिव विक रामदास और रक्षा मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) समीर कुमार सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। रामदास ने कहा कि ये समझौते अमेरिका-भारत के बीच प्रमुख रक्षा संबंधों में एक अहम कड़ी को दर्शाते हैं और यह अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआइ) को मजबूत करने में एक महत्त्वपूर्ण कारक होगा।

रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से चार लोगों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 23 अगस्त।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार देर रात हुए भूस्खलन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। ये सभी श्रमिक थे और नेपाल के रहने वाले थे। एक अन्य घटना में हरिद्वार जिले के कांगदी क्षेत्र में एक व्यक्ति गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बह गया। इसके अलावा बदरीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह-जगह हुए भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं।

रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले फाटा गांव में गुरुवार देर रात करीब 1.20 बजे हेलीपैड के पास भूस्खलन हुआ। उस दौरान वहां अपने डेरे में रह रहे नेपाल के चार श्रमिकों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से चारों श्रमिकों के शव बाहर निकाले। रजवार ने बताया कि मृतकों की पहचान तुल बहादुर, पूर्णा नेपाली, कृष्ण परिधार और दीपक बूरा के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घटना में हरिद्वार जिले के कांगदी क्षेत्र में भारी बारिश से उफनाई गंगा में राहुल नाम का एक स्थानीय व्यक्ति नहाने गया था, मगर वह पानी की तेज धारा के साथ बह गया। एसडीआरएफ और

हरिद्वार में एक व्यक्ति गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बहा।
पहाड़ से मलबा आने से बदरीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री राजमार्ग बाधित।

जल पुलिस की मदद से राहुल की तलाश की जा रही है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार रात को मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जगह-जगह हुए भूस्खलन के कारण केदारनाथ, बदरीनाथ और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए अवरूद्ध हो गए हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शेरसी और ब्यूंगाड के पास भूस्खलन हुआ है, जबकि बदरीनाथ राजमार्ग नंदप्रयाग, हनुमानचट्टी और कंचनगंगा में भूस्खलन से बाधित हुआ है। भारी बारिश के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बनस नामक स्थान पर क्षतिग्रस्त हो गया है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, हरिद्वार जिले में रुड़की के पास हरि अक्षय नगर फेज-1 के 70 घरों में पथरी नदी का पानी भर गया। नदी का पानी निकटवर्ती खेतों में भी भर गया, जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा टिहरी जिले के गेंवली गांव में भारी बारिश से आधा दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

खबर कोना

राज्यसभा में व्यवधान से आहत हूं : उपराष्ट्रपति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह राज्यसभा में चर्चा और विचार-विमर्श के अभाव से दुखी तथा सदन में व्यवधान व हंगामे से आहत हैं। गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित आठवें धर्म-धम्म अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि संकीर्ण पक्षपातपूर्ण आधार पर जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक आदेशों की बलि दी जा रही है। धनखड़ ने कहा कि देश का उपराष्ट्रपति होने के नाते मैं राज्यसभा का सभापति हूं। मैंने धर्म के पालन की आवश्यकता महसूस की है। (सदन में) चर्चा और विचार-विमर्श न होने से मुझे दुख होता है। मैं व्यवधानों, हंगामे से आहत हूं। धर्म से विमुख होने से उत्पन्न स्थिति की भयावहता मुझे पीड़ा देती है। संकीर्ण पक्षपातपूर्ण आधार पर जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक आदेशों की बलि दी जा रही है, कर्तव्य की ऐसी विफलता इसकी चरम सीमा में अधर्म का प्रतिबिंब है।

गुजरात विस : कांग्रेस विधायक मेवाणी सदन से निष्कासित

गांधीनगर, 23 अगस्त (भाषा)।

गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को एक चर्चा के दौरान हंगामा करने और आसन के समक्ष पहुंचने को लेकर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को अध्यक्ष शंकर चौधरी के निर्देश पर सदन से निष्कासित कर दिया गया। विधानसभाध्यक्ष द्वारा मेवाणी को निष्कासित करने का आदेश दिए जाने के बाद मार्शल ने उन्हें बिना किसी बल प्रयोग के सदन से बाहर कर दिया गया। गुजरात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की जब्ती पर एक चर्चा के दौरान मेवाणी खड़े हुए और सत्ता पक्ष पर चिल्लाने लगे और भाजपा सरकार को बलात्कार जैसे अन्य 'ज्वलंत' मुद्दों पर चर्चा की चुनौती दी।

गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मेवाणी सदन के बीचों-बीच पहुंच गए। उन्होंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को चुनौती दी कि वे राजकोट गेम जोन में आग, मोरबी पुल ढहने की घटना और वडोदरा में नाव पलटने जैसी त्रासदियों पर बहस की चुनौती दी जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो।

भारतीय सेना का छोटा ड्रोन गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरा

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

भारतीय सेना का एक छोटा ड्रोन तकनीकी खराबी आने के चलते अनजाने में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने ड्रोन बरामद कर लिया है। भारतीय सेना ने ड्रोन लौटाने के लिए पाकिस्तानी सेना को 'हाटलाइन' पर एक संदेश दिया है। अधिकारी ने कहा, 'सुबह 9:25 बजे, एक छोटा ड्रोन भारतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण अभियान पर था और उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण उस पर नियंत्रण नहीं रहा जिससे ड्रोन पाकिस्तान के निकियाल सेक्टर की ओर चला गया।'

उन्होंने कहा, 'मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिकों ने उक्त ड्रोन बरामद कर लिया है।

बदलापुर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएं : उद्धव

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बदलापुर के एक स्थानीय स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की शुक्रवार को मांग की और आगाह किया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो विपक्ष सड़कों पर उतरेगा।

ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में बदलापुर विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, 'बदलापुर में अब भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने चाहिए, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा।'

ठाकरे ने बदलापुर विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, 'बदलापुर में अब भी गिरफ्तारियां हो रही हैं।

बदलापुर में एक स्कूल के शौचालय में दो बच्चियों का एक पुरुष कर्मी द्वारा कथित यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना के बाद हजारों प्रदर्शनकारी मंगलवार को सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने बदलापुर रेलवे स्टेशन की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन और बदलापुर के अन्य हिस्सों में पथराव की घटनाओं में शहर पुलिस के कम से कम 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

उत्तराखंड में विधायकों के भत्ते बढ़े

गैरसैंण, 23 अगस्त (भाषा)।

उत्तराखंड विधानसभा ने शुक्रवार को विधायकों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी करने और उन्हें नकदीरहित इलाज की सुविधा देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।

कांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित हुए 'उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध (संशोधन) विधेयक-2024' को मंजूरी मिलने के बाद एक अप्रैल 2022 से लागू माना जाएगा। विधेयक के पारित होने के बाद, प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर विधायकों की लंबे समय से अपेक्षा थी। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए एक समिति गठित की गई थी और उसी समिति की कुछ संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए यह विधेयक लाया गया है।

विधायकों को वाहन चालक की तनख्वाह के लिए मिल रहे 12,000 रुपए प्रतिमाह भत्ते को बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा।
रेलवे कूपन की स्वीकृत धनराशि में से तीस हजार रुपए नकद दिए जाएंगे।
टेलीफोन के लिए विधायकों को मिलने वाली दो हजार रुपए प्रतिमाह की सीमा को भी बढ़ाया गया है।

अग्रवाल ने कहा कि विधेयक के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब विधायकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति 'गोल्डन कार्ड' दिया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें नकदीरहित उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े चिकित्सालय तथा दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), फोर्टिस एवं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीटयूर एंड रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों में नकदीरहित इलाज की सुविधा मिलेगी या वहां हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विधेयक के तहत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा 'रेफर' किए जाने पर विधायकों को विदेश में भी चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी। अग्रवाल ने कहा कि इसी प्रकार विधायकों को वाहन चालक की तनख्वाह के लिए मिल रहे 12,000 रुपए प्रतिमाह भत्ते को बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायकों को रेलवे कूपन की स्वीकृत धनराशि में से तीस हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। अग्रवाल ने कहा कि टेलीफोन के लिए विधायकों को मिलने वाली दो हजार रुपए प्रतिमाह की सीमा को भी बढ़ाया गया है।

अनगिनत सवालों के साथ भाजपा के नेताओं को ढूंढ़ रहे हैं लोग : अखिलेश

लखनऊ, 23 अगस्त (भाषा)।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर करीब दो दर्जन सवालों की एक लंबी सूची सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि प्रदेश के हर हिस्से में लोग इन सवालों के साथ सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों का इंतजार कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में भाजपा पर तंज कसते हुए आवारा पशुओं, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे से लेकर करीब दो दर्जन सवालों को सूचीबद्ध किया।

उन्होंने कहा कि ऐसे अनगिनत सवाल हर पगडंडी-पंचायत, नुक्कड़-मोड़, बाज़ार-हाट, चौक-चौबारे पर भाजपा के संगी-साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। यादव ने कहा कि अब जनता भाजपा के संगी-साथियों से ये कहने को बेसब्र है कि जो जनता के साथ नहीं, उससे करनी बात नहीं। लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की हार का जिक्र करते हुए यादव ने दावा किया कि चुनावी हार के बाद भाजपाई गुटों ने आपस में विश्वास खो दिया है।

सपा प्रमुख ने कहा कि आपस में दोषारोपण करके न तो ये (भाजपाई) एक-दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे और न ही कोई आगामी चुनाव। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 सीट में सपा ने 37 पर और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने छह सीट पर जीत दर्ज की थी जबकि भाजपा को 33 और उसकी सहयोगी रालोद को दो और अपना दल-एस को एक सीट पर जीत मिली! एक सीट आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने जीती। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नौ मौजूदा विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जबकि एक विधायक को अदालत ने सजा सुनाई है। इस वजह से खाली हुई 10 विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराए जाएंगे जिसकी तैयारी राजनीतिक दल कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट में यादव ने 10 विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब जब भाजपा के संगी-साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे तो इसका मतलब साफ है कि वो लोकसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक पराजय को देखते हुए, ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है या फिर अब भाजपा के मुखौटाधारी केवल सत्ता लोलुप संगी-साथियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है। यादव ने कहा कि दरअसल चुनावी हार के बाद भाजपाई गुटों ने आपस में विश्वास खो दिया है। इसका एक और पहलू यह भी है कि भाजपा का 'संगी-साथी' पक्ष ये दिखाना चाहता है कि हार का कारण वो नहीं है।

इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के वैज्ञानिक आंकड़े शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक किए

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता की पहली वर्षगांठ पर शुक्रवार को मिशन से संबंधित वैज्ञानिक 'डेटा' को विश्लेषण के वास्ते दुनियाभर के अनुसंधानकर्ताओं के लिए सार्वजनिक कर दिया।

एजंसी ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे पांच पेलोड से हासिल 55 गीगाबाइट (जीबी) से अधिक डेटा सार्वजनिक किया है। पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन के चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पर उतरने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया था। इसरो के प्रमुख एस.एस. सोमनाथ ने यहां राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में कहा, 'यह डेटा उन वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रहेगा जिन्होंने उन उपकरणों को बनाए थे, बल्कि इसे विश्लेषण के लिए देश और दुनिया के सभी शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।'

चंद्रयान-3 डेटा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर (आईएसएसडीसी) की नीति-आधारित डेटा पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, प्रसार एवं अधिसूचना प्रणाली (प्रदान) पोर्टल पर

एजंसी ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे पांच पेलोड से हासिल 55 गीगाबाइट (जीबी) से अधिक डेटा सार्वजनिक किया है।
इसरो के प्रमुख एसएस सोमनाथ ने यहां राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में कहा, 'यह डेटा उन वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रहेगा जिन्होंने उन उपकरणों को बनाए थे, बल्कि इसे विश्लेषण के लिए देश और दुनिया के सभी शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

उपलब्ध हैं। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह का स्थलीय रासायनिक विश्लेषण किया, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति एवं विकास की बेहतर समझ हासिल हुई है।

यह जानकारी भविष्य में चंद्रमा पर अन्वेषण और संभावित संसाधन के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के डेटा का अध्ययन करने के बाद अनुमान लगाया है कि चंद्रमा मैग्मा के विशाल महासागर से विकसित हुआ जो बाद में ठंडा हो गया था।

आंध्र में दवा कारखाना में आग की घटना की गहन जांच जरूरी : एनएचआरसी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक दवा फैक्टरी में लगी आग की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इसकी गहन जांच का निर्देश दिया है। साथ ही दो सप्ताह के भीतर इसकी विस्तृत रपट पेश करने को भी कहा है। बीते बुधवार को हुई इस घटना में 17 श्रमिकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

बताया जाता है कि आग की इस घटना में जानी नुकसान और ज्यादा हो सकता था, लेकिन जब यह हादसा हुआ तब भोजनावकाश होने के कारण वहां कम श्रमिक मौजूद थे। मलबे में तलाशी अभियान अभी जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

एनएचआरसी ने इस कारखाने में सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर गहरी चिंता जताई है। आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उन्हें इस मामले की गहन जांच का निर्देश दिया है। जांच में यह पड़ताल किए जाने की संभावना है कि इस कारखाने ने सभी सुरक्षा नियमों एवं कानूनी शर्तों का पालन किया था या नहीं। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि कारखाने के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई। एनएचआरसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर जांच की विस्तृत रपट प्रस्तुत की जाए।

मध्य प्रदेश : बस पलटने से पांच लोगों की मौत

पांढुरना (मध्यप्रदेश), 23 अगस्त (भाषा)।

भोपाल से हैदराबाद जा रही एक निजी बस महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के नवगठित पांढुरना जिले में पलट गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और करीब 40 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

pnb पंजाब नैशनल बैंक
सर्किल शास्त्र सेंटर (पश्चिमी दिल्ली)
द्वितीय तल विक्रांत टॉवर,
राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110008
शुद्धिपत्र
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 03.08.2024 को अंग्रेजी समाचार पत्र- 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 33) और हिंदी समाचार पत्र- 'जनसत्ता' (पेज नं. 19) में लॉट 2 पर [श्रीमती कुलदीप कौर एवं श्रीमती गुरविन्दर नारायण के ऋण खाते में] की सम्पत्ति अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इस सम्पत्ति को बैंक ने 28.08.2024 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।
दिनांक: 23.08.2024, स्थान: नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, ईमेल: cs8334@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ताओं खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	बंधक/अचल संपत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1	पीएनबी: नजफगढ़ श्री श्याम प्रताप सिंह उधारकर्ता: श्री श्याम प्रताप सिंह पुत्र श्री भानु प्रताप एवं श्री दलीप कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री राम नारायण त्रिपाठी पता: पहली मंजिल, प्लॉट नं. 134, खसरा नं. 18/6,15,19/10,11, न्यू टी ब्लॉक, मटियाला, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	06.07.2021 / रु. 15.55 लाख + भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चे / 29.11.2021 / भौतिक	आवासीय फ्लैट (एलआईजी) क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट (सुपर कवर्ड एरिया) F-03, B1/141, प्रथम तल बिना छत के अधिकार (पीछे की ओर), डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-II, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मालिक का नाम: श्री श्याम प्रताप सिंह	₹ 15.00 लाख / ₹ 1.50 लाख / ₹ 0.50 लाख	19.09.2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
2	पीएनबी: पंजाबी बाग मैसर्स टी एम सी लॉजिस्टिक्स, उधारकर्ता: श्री दिवेश तिवारी, श्रीमती रागिनी तिवारी एवं श्री. मुकेश तिवारी, पता: ई-14, ई ब्लॉक, शीतला कॉलोनी गुरुग्राम, हरियाणा	08.04.2021 / रु. 226.05 लाख + भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चे / 15.12.2021 / भौतिक	व्यवसायिक सम्पत्ति जोकि यूनिट नं. 402, चतुर्थ तल, सनसिटी ट्रेड टॉवर, सैक्टर-21, गाँव कुंडाहेड़ा, गुड़गाँव (गुरूग्राम) हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 1496 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री मुकेश तिवारी और श्री दिवेश तिवारी के नाम पर है।	₹ 133.00 लाख / ₹ 13.30 लाख / ₹ 1.00 लाख	19.09.2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें: विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होगा। 1. संपत्तियों का विक्रय, "जैसी है जहां है आधार" "जैसी है जो है आधार" और "यहां जो कुछ भी है आधार पर किया जा रहा है। 2. यहां इसमें उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण यथपि प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संवर्णित किये गये है, तथापि प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में होनेवाली / हुई किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। 3. विक्रय, उपरोक्त विनिर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर वेबसाइट https://www.ebkray.in पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से किया जायेगा। 4. बैंक के पास किसी भी समय नीलामी को स्थगित निर्वास्त करने के अधिकार सुरक्षित है। 5. सुरक्षित मूल्य की प्रथम बोली राशि, विज्ञापन में उल्लिखितानुसार बोली वृद्धि राशि को सम्मिलित करने के बाद ही, स्वीकार की जायेगी। विक्रय के भावी विवरणों तथा संपूर्ण नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://www.punb.co.in/ and website https://www.ebkray.in का संदर्भ ग्रहण करें। 7. संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि 11.09.2024 को पूर्वा. 11.30 से अपरा. 1.30 बजे के मध्य अनुसूचित की गयी है। (9) प्राधिकृत अधिकारी का नाम: श्री अरूण वर्मा, मो. 9953322530

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 23.08.2024, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

उत्तर रेलवे

शुद्धिपत्र

संदर्भः– i) निविदा सूचना संख्या 36/2024–2025 दिनांक 26.07.2024 क्रमांक 16.
ii) निविदा संख्या 07241585 30.10.2024 को देय है।

उपरोक्त निविदा के संदर्भ में, निविदा संख्या 07241585 खोलने की नियत तिथि 30.10.2024 से 07.10.2024 तक प्रीपोन्ड कर दी गई है। अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। शुद्धिपत्र वेबसाइट www.ireps.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। 2633/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उपक्रम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
जॉय टावर, दूसरा तल सी ब्लॉक, फेज 2
इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर–62, नोएडा–201301

वाहन की बिक्री

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नोएडा अंचल नीचे उल्लिखित वाहन को 'जहां है जैसा है' के आधार पर बेच रहा है :–

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तारीख	मॉडल	आधार मूल्य
1.	मारुति सुजुकी	UP16CQ4989	08.09.2020	DZIRE ZXI+AGS	532000/-

उपरोक्त वाहन निम्नलिखित पते पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी–20, 1/1ए, सी ब्लॉक, जॉय टावर, द्वितीय तल, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301
27.08.2024 से 02.09.2024 तक किसी भी बैंक कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच।
प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.09.2024 अपराह्न 3.00 बजे

अन्य शर्तें:
1. इच्छुक बोलीदाता को अपना प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में, जिस पर "वाहन की खरीद के लिए प्रस्ताव" लिखा हो, **क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी–20, 1/1ए, सी ब्लॉक, जॉय टावर, द्वितीय तल, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301** को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करना है।
2. प्रस्ताव विशिष्ट होना चाहिए और उसमें वाहन संख्या का उल्लेख होना चाहिए।
3. वाहन के लिए प्रस्ताव के साथ सामान्य जनता के लिए 10,000 रुपये और कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये का ईएमडी, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, के पक्ष में नोएडा में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होना चाहिए।
4. दस्तावेजीकरण प्रक्रिया की औपचारिकताओं और वाहन के हस्तांतरण के खर्चे की जिम्मेदारी केवल क्रेता की होगी और यह 45 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
5. यदि क्रेता प्रस्ताव की स्वीकृति से 7 दिनों के भीतर वाहन के लिए उद्धृत राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और प्रस्ताव एच2 बोलीदाता (एच2, एच1 की दर से मेल खाने वाला) को दे दिया जाएगा और इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगा।
6. वाहन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यानी वाहन के हस्तांतरण के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वाहन के खरीदार को ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
7. आर.टी.ओ. से किसी भी राशि की वापसी के लिए बैंक एकमात्र स्वामी होगा।
8. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. बोलियां व्यक्तिगत नाम से होनी चाहिए, फर्म के नाम से नहीं।
10. वाहनों का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
11. बिना कोई कारण बताए किसी भी वाहन की बिक्री/बिक्री रद्द करने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
12. वाहन क्रेता को तभी सौंपा जाएगा जब आर.टी.ओ. द्वारा उसे बोलीदाता के नाम पर पंजीकृत कर लिया जाएगा तथा इस आशय के दस्तावेज प्राप्त कर लिए जाएंगे।

स्थानः नोएडा — सहायक महाप्रबंधक
दिनांकः 22/08/2024 — उप क्षेत्रीय प्रबंधक

दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित विज्ञापन (अंग्रेजी भाषा में) रद्द कर दिया गया है और आज का विज्ञापन प्रकाशन नीलामी के लिए लागू होगा।

UPSIDA
कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, विद्युत खण्ड–द्वितीय
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
टीडीएस सिटी, गाजियाबाद। E-Mail- ed2@upsida.co.in

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण के विभिन्न जनपदों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत विकास कार्यों हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अल्पकालीन ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	निविदा का प्रकार	कार्य की लागत (लाख में)
1.	Netwrok strengthening in remaining area of I.A. Surajpur site-C, Housing extension site-4 & 5	अल्पकालीन	36.74

निविदा दिनांक 24.08.2024 को 11:00 बजे से दिनांक 31.08.2024 को 18:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, जिसे दिनांक 02.09.2024 को 11:00 बजे या इसके पश्चात् खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा अपलोड शपथ पत्रों की मूल प्रतियाँ निविदा खोलने के बाद 03 कार्य दिवस में पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में जमा की जा सकती है।
नोटः 1. निविदादाता अपनी निविदाओ में समस्त कर सहित दरें अंकित करें, अलग से मात्र जी0एस0टी0 देय होगा। 2. विद्युत कार्यो हेतु निविदादाताओं को निविदा अपलोड करते समय "विद्युत सुरक्षा विभाग" उ0प्र0 शासन, लखनऊ में 'क' श्रेणी, अनुमोदित लाइसेन्स एवं Eligibility Criteria के अनुसार समस्त प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को Consider नही किया जायेगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी website: www.onlineupsida.com पर स्थापित लिंक यूपीएलसी की website: https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। वरिष्ठ प्रबन्धक, उ0प्र0औ0वि0प्रा0, गाजियाबाद

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालयः रुआई बिल टॉवर, द्वितीय तल, चामड़ी गेट के पास दिल्ली रोड़, हापुड़ - 245101, मोबाईलः 9412774171

शुद्धिपत्र

संपत्ति क्रं. नं. 3: अर्जुन मोटर्स (अनूपशहर, डीपी 4266), प्रकाशित दिनांक 09.08.2024
संपत्ति क्रं. नं. 2: हुमा मोबाईल पॉइंट (खुर्जा, डीपी 18650), प्रकाशित दिनांक 10.08.2024
संपत्तिः राकेश वती (हापुड़ मुख्य, डीपी 2171), प्रकाशित दिनांक 20.08.2024
की संपत्ति की बिक्री के लिए जनसत्ता, दिल्ली एनसीआर संस्करण में प्रकाशित हमारे प्रकाशन का हवाला देते हुए, SARFAESI अधिनियम के तहत यह सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणों की वजह से प्रस्तावित बोलीदाताओं के हित में ई–नीलामी प्लेटफॉर्म को M/s PSB Alliance (EBKRAY) पोर्टल से Auction Tiger, M/s E-Procurement Technologies Limited (https://www.auctiontiger.net) पर स्थानांतरित कर दिया गया है। संपत्ति विवरण देखने, पंजीकरण और बोलीदाता के रूप में लॉगिन करने और नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है और उपरोक्त कारणों से बिक्री के नियमों और शर्तों में बदलाव के लिए, कृपया https://www.auctiontiger.net पर जाएँ। बिक्री के अन्य अन्य सभी विवरण समान रहेंगे।

दिनांक 24.08.2024 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक।

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सामान्य सेवायें प्रशासन अनुभाग, मंडल कार्यालय - नोएडा
ईमेलः conoidagad@pnb.co.in

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण एवं समस्त ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय नोएडा के अंतर्गत निम्नलिखित शाखा का स्थानान्तरण दिनांक **27.08.2024** से निम्न पते पर किया जाना सुनिश्चित हुआ है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

शाखा जिसका स्थानांतरण होना है	स्थान जहाँ शाखा का स्थानांतरण होना है
छपरौला	50 मीटर मेन दादरी रोड की ओर, ग्राम छपरौला, गौतम बुद्ध नगर

अतः समस्त ग्राहकों से अनुरोध है कि दिनांक **27.08.2024** से आप अपने खाते का संचालन एवं अन्य बैकिंग सुविधाओं के लिए उपरोक्त लिखित शाखा के पते पर (जहाँ स्थातांतरण होना है) या पंजाब नैशनल बैंक की अन्य किसी भी शाखा से बैकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते है। पंजाब नेशनल बैंक सदैव अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मंडल प्रमुख

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

अधिग्रहण सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1)]
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का अधि. सं. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न विवरणों के साथ एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर निम्नानुसार अंकित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथि को अधिग्रहण कर लिया है।
ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ, उधारकर्ता के पास उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निम्नांकित राशि हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा।

शाखा – हापुड़ मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली गढ़ मार्ग, हापुड़, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101

शाखा नाम/पता	ऋणकर्ता/गारंटर का नाम एवं पता	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि	बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण	राशि रु.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ मुख्य शाखा	श्री अजय सिंह पुत्र श्री कालू राम सिंह (ऋणकर्ता) एवं श्रीमती कमलेश पत्नी श्री कालू राम (सह–ऋणकर्ता) एवं श्री कालू राम पुत्र श्री खचेड़ू सिंह (गारंटर)	20.02.2024 रु. 11,72,034.22/–	22.08.2024	अचल संपत्ति का विवरण :– आवासीय भवन एमपीएल संख्या डब्ल्यू–1/543, प्लॉट संख्या 66, खसरा संख्या 2116 एमआई का भाग, मोहल्ला अशोक नगर (सुभाष नगर) रेलवे लाइन के पास, गढ़ रोड हापुड़ जिला हापुड़, क्षेत्रफल 104.02 वर्ग मीटर या 124.36 वर्ग गज श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री कालू राम के नाम पर। सीमाएँ : पूर्व : अन्य संपत्ति, पश्चिम : रास्ता 25' चौड़ा, उत्तर : धर्मवीर का मकान, दक्षिण : धर्मवीर का मकान	रु. 11,72,034.22/– दिनांक 01.02.2024 के अनुसार तथा राशि पर ब्याज
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ मुख्य शाखा	श्री भीम सिंह पुत्र श्री धन सिंह (ऋणकर्ता) एवं श्री महेश चंद पुत्र श्री धन सिंह (गारंटर)	20.02.2024 रु. 4,34,080.90/–	22.08.2024	अचल संपत्ति का विवरण :– आवासीय भवन प्लॉट संख्या 06 का भाग, खसरा संख्या 2301/1 एमआई. का भाग, मोहल्ला भीम नगर गढ़ रोड हापुड़ (माता मंदिर के पास) क्षेत्रफल 42.07 वर्ग मीटर या 50.31 वर्ग गज, श्री भीम सिंह पुत्र श्री धन सिंह के नाम पर। सीमायें : पूर्व : महेश चंद का घर, पश्चिम : रास्ता 15' चौड़ा, उत्तर : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : अन्य की संपत्ति।	रु. 4,34,080.90/– दिनांक 01.02.2024 के अनुसार तथा राशि पर ब्याज
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ मुख्य शाखा	श्रीमती नरेंद्र कौर पत्नी स्वर्गीय अमरीक सिंह (श्री अमरीक सिंह / सह–ऋणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी) और श्री सुशील कुमार पुत्र श्री भगवत प्रसाद (गारंटर)	20.02.2024 रु. 11,47,413.24/–	22.08.2024	अचल संपत्ति का विवरण :– आवासीय भवन, प्लॉट संख्या सी–26 (पूर्वी भाग) का भाग, खसरा संख्या 2074 का भाग, मोहल्ला सुभाष नगर, जरोठी रोड, परगना और तहसील एवं जिला हापुड़, क्षेत्रफल 58.548 वर्ग मीटर या 70.00 वर्ग गज, श्रीमती नरेंद्र कौर पत्नी स्वर्गीय अमरीक सिंह के नाम पर। सीमाएँ : पूर्व : सीमा का घर, पश्चिम : बिरजू का घर, उत्तर : अन्य संपत्ति, दक्षिण : रास्ता	रु. 11,47,413.24/– दिनांक 01.02.2024 के अनुसार तथा राशि पर ब्याज
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ मुख्य शाखा	श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा (ऋणकर्ता) और श्रीमती राजवती पत्नी श्री राजकुमार शर्मा (सह–ऋणकर्ता) और श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा (गारंटर)	20.02.2024 रु. 16,31,043.78/–	22.08.2024	अचल संपत्ति का विवरण :– आवासीय सह व्यावसायिक भवन / मकान प्लॉट संख्या 26, खसरा संख्या 2681 से 2686 एमआई. का हिस्सा, मोहल्ला चैना पुरी, गढ़ रोड, हापुड़ (श्री टावर के पास), क्षेत्रफल 100.36 वर्ग मीटर या 120.00 वर्ग गज, श्रीमती राजवती पत्नी श्री राज कुमार के नाम पर। सीमाएँः पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः सड़क 15' चौड़ी, उत्तरः शकील का घर, दक्षिणः गुड्डू का घर	रु. 16,31,043.78/– दिनांक 01.02.2024 के अनुसार तथा राशि पर ब्याज
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ मुख्य शाखा	श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री हरि शर्मा (ऋणकर्ता) और श्रीमती हेमवती पत्नी श्री हरि शर्मा (सह–ऋणकर्ता) और श्री हरि कुमार शर्मा पुत्र श्री टेक चंद शर्मा (गारंटर)	20.02.2024 रु. 18,05,117.13/–	22.08.2024	अचल संपत्ति का विवरण :– आवासीय घर एमपीएल संख्या डब्ल्यू–31/184, प्लॉट संख्या 08 का हिस्सा, मोहल्ला शिव लोक निकट शक्ति नगर, कोठी सादक अली, स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड़ (मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास), क्षेत्राधिमापन 57.50 वर्ग मीटर अथवा 68.75 वर्ग गज, श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री हरि शर्मा तथा श्रीमती हेमवती पत्नी श्री हरि शर्मा के नाम पर। सीमायें :– पूर्व : रास्ता, पश्चिम : रेलवे भूमि, उत्तर : अन्य का मकान, दक्षिण : अन्य का मकान	रु. 18,05,117.13/– दिनांक 01.02.2024 के अनुसार तथा राशि पर ब्याज

हापुड़ ईसीबी, 1014 सराय चांद खान फ्री रोड तहसील के पास चोपिया, हापुड़-245101

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ ईसीबी, 1014 सराय चांद खान फ्री रोड तहसील के पास, चोपिया, हापुड़ – 245101	मैसर्स स्क्रैप ट्रेडिंग बाजार, स्वामी– ऋषभ गुप्ता, मकान नं. डब्ल्यू 13/3317, राम गढ़ी, दिल्ली, हापुड़–245101, गारंटर सुश्री मधु गुप्ता, मकान नं. डब्ल्यू 13/3317, राम गढ़ी, दिल्ली, हापुड़–245101 एफडब्ल्यूडी (21–02–2023 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत)	21.02.2023 रु. 9,95,008.32/–	22.08.2024	भूमि / भूखंड सं. 11 एवं 12 का पश्चिमी भाग, खसरा भूखण्ड सं. 755 का विखंडन, ग्राम चामड़ी नगर निगम सं. एचपीयू / डब्ल्यू–13 / 3317 अधिमापन 64.47 वर्ग मीटर, मोहल्ला राम गढ़ी, हापुड़, जनपद– हापुड़, उत्तर प्रदेश, 245101 में स्थित, मैसर्स मधु रानी पत्नी दिनेश कुमार गुप्ता के नाम पर, सीमायें :– उत्तर– अन्य की संपत्ति, दक्षिण : रास्ता 20 फुट चौड़ा, पूर्व : फौजी से संबंधितत संपत्ति तथा पश्चिम : पाल सिंह का घर।	रु. 9,95,008.32/– दिनांक 22.08.2024 के अनुसार तथा राशि पर ब्याज

स्थान : हापुड, दिनाँक : 22-08-2024 — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम

मुनिरका शाखा
92, ई/1, मुनिरका, नई दिल्ली–110067

लॉकर तोड़ने हेतु सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधित व्यक्तियों और आम जनता को एक सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि इस नोटिस के तहत नामित व्यक्ति ने केनरा बैंक (पूर्व सिंडीकेट बैंक शाखाओं सहित) की नीचे उल्लिखित शाखा में सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा का लाभ उठाया है। संबंधित शाखा ने लॉकर किराए की बकाया राशि भेजने के अनुरोध के साथ हमारे बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नवीनतम उपलब्ध पते पर लॉकर किराए पर लेने वालों/एलओए को पावती देय (एडी) के साथ पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत पत्र/नोटिस पहले ही भेज दिए हैं। इन नोटिसों के बावजूद, लॉकर किराए पर लेने वालों/एलओए ने शाखा से संपर्क नहीं किया है और लॉकर किराए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।
नीचे नामित लॉकर किराए पर लेने वालों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुरोध है कि वे इसे अंतिम नोटिस के रूप में मानें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित शाखा से संपर्क करें और इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर लॉकर किराए की बकाया राशि जमा करें, ऐसा न करने पर बैंक बिना किसी नोटिस या सूचना के लॉकरों को तोड़ देगा। किराए पर लेने वालों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों की कीमत और एकमात्र जोखिम पर।

क्र. सं.	लॉकर नं.	लॉकर किराया बकाया	लॉकर किराएदार का नाम	लॉकर किराएदार का पता
1.	114	56,374.27	वासका बेगम	1. ए-9/डी, डीडीए फ्लैट्स मुनिरका, नई दिल्ली-110067 2. पी.बॉक्स-2824, जेद्दा, केएसए
2.	280	17,085.00	वासका बेगम	1. ए-9/डी, डीडीए फ्लैट्स मुनिरका, नई दिल्ली-110067 2. पी.बॉक्स-2824, जेद्दा, केएसए
3.	184	17,110.00	रुपेश दीक्षित और संध्या दीक्षित	सी-13एफ मुनिरका नई दिल्ली 110067
4.	691	14,843.12	पुष्पा पांगटे	मकान नं. 631 सेक्टर 21 पॉकेट ई गुड़गांव 122001

लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001
CIN: L13100DL1976PLC188942.
फोन नं- 91 11 43621200, फैक्स नं. 91 11 41501333,
ईमेलः info@landmarkproperty.in, वेब साइटः www.landmarkproperty.in

48वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एतद्वारा सूचना दी गई है कि **लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11.30 बजे भा.मा स., कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और उसके तहत जारी परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यावसायिक मदों जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश शामिल होंगे, को निष्पादित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस **("वीसी")**/अन्य ऑडियो विजुअल साधन **("ओएवीएम")** सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डीपी के साथ पंजीकृत हैं।

ई–मेल पते के पंजीकरण की विधि
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस की एक प्रति प्राप्त करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (सी बी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करें। ई–मेल के माध्यम से रिमोट वोटिंग/ई–वोटिंग के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लॉगिन विवरण और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वालों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उद्देश्य के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट **("डीपी")** से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

वोट डालने का तरीका
एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यावसायिक मदों पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने का तरीका जिसमें भौतिक शेयरधारकों या ऐसे शेयरधारक शामिल हैं जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वह एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा।
48वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी **www.landmarkproperty.in** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर पर उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त जानकारी उक्त वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

कृते लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
हस्ता /-
अंकित भाटिया
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.08.2024

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

मंगोलपुर कलां शाखा 399, भीम भवन, मार्बल मार्केट, मंगोलपुरी कलां, उत्तर–पश्चिम दिल्ली–110083, फोनः 011–27922597

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत सूचना
दिनांक 16.08.2024 को पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा भेजा गया
सेवा में,
1. उधारकर्ताः श्रीमती रुक्मणी देवी पत्नी श्री राम सिंह जरवाल, पताः जी–23/71, सेक्टर–7, रोहिणी नई दिल्ली–110085
2. गारंटरः श्री राम सिंह जरवाल पुत्र श्री नाथू राम, पताः जी–23/71, सेक्टर–7, रोहिणी नई दिल्ली–110085
श्री भाग चंद पुत्र श्री कालू राम, पताः डी–201, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन नई दिल्ली–110027
3. बंधककर्ताः श्रीमती रुक्मणी देवी पत्नी श्री राम सिंह जरवाल, पताः खसरा नं. 839, गली नं. 05, ब्लॉक–बी, उपकार कॉलोनी, बुराड़ी गांव के विस्तारित लाल डोरा, दिल्ली–110084
संदर्भ : इंडियन बैंक मंगोलपुर कलां शाखा में ऋण खाता नं. 20459731495 के साथ
आपने रुपये **16,34,098.00** (सोलह लाख चौंतीस हजार अट्ठान्वे मात्र) और नोटिस की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ
बैंक ने 16.08.2024 को अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर आपसे रुपये रुपये **16,34,098.00** दिनांक 16.08.2024 तक की बकाया राशि चुकाने का आह्वान किया। यह नोटिस आपको पंजीकृत डाक/कूरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, जिसे बिना किसी तामिल के वापस कर दिया गया है।
आपको रुपये **16,34,098.00** और ब्याज एवं चुकौती की तिथि तक इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर बैंक, यहां नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षा हित के प्रवर्तन के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। यह नोटिस सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार/उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।
"हम सरफासी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित है"

अनुसूची:
जिन संपत्तियों में सुरक्षा हित सृजित किया गया है, उनका विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:
बंधक संपत्तियाँ
साम्यिक बंधक खसरा नं. 839, जोकि बुराड़ी गांव के विस्तारित लाल डोरा, दिल्ली–110084. चौहद्दी: पूरब में – उक्त संपत्ति का शेष भाग, पश्चिम में – सड़क 14 फीट, उत्तर में – मुख्य सड़क 16 फीट, दक्षिण में – उक्त संपत्ति का शेष भाग

दिनांकः 24-08-2024 — प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबंधक इंडियन बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उपक्रम
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय : भूतल, प्लेट बी, ब्लॉक 04, एनबीसीसी ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
विधि विभाग, दूरभाष : 26164817/26197769, फैक्स : (011) 26171554,
ई–मेल : staff_del@mahabank.co.in;
मुख्य कार्यालय : लोक मंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे–411005

कब्जा सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कथित सूचना(ओं) की तिथि/कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/रों एवं जमानती/यों से प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचनाएंजारी की थी।
कर्जदार/रों एवं जमानती/यों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों), जमानती/यों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज, लागत, प्रभारों एवं व्ययों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार का विषय होगा।
प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	(क) शाखा का नाम (ख) एनपीए खाते का नाम (ग) कर्जदार/रों तथा जमानती/यों के नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(क) धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) सांकेतिक कब्जे की तिथि	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	1. **श्री अमित कुमार पुत्र श्री विजय पाल सिंह (कर्जदार)** मकान संख्या बी–105/106 ए, फ्लैट संख्या 103, प्रथम तल, नन्हे पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 2. **श्री अमित कुमार पुत्र श्री विजय पाल सिंह** ई–8, प्रथम तल, किरण गार्डन के पीछे, महिंद्रा अस्पताल के पास, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 3. **श्री विजय पाल सिंह भाटी पुत्र श्री बुद्धि सिंह (सह–कर्जदार)** मकान संख्या बी–105/106 ए, फ्लैट संख्या 103, प्रथम तल, नन्हे पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 4. **श्री विजय पाल सिंह भाटी पुत्र श्री बुद्धिसिंह** ई–8, प्रथम तल, बैकसाइड किरण गार्डन, महिंद्रा अस्पताल के पास, उत्तम नगर, दिल्ली –110059	खसरा संख्या 18/12 में से 300 वर्ग गज माप वाले कुल क्षेत्रफल में से संख्या बी – 150 ए और ब

खबर कोना

युवराज संधू और खलिन जोशी संयुक्त रूप से पांचवें स्थान

जकार्ता, 23 अगस्त (भाषा)।

भारतीय गोल्फर युवराज संधू (68-72-65) और खलिन जोशी (68-71-66) 11-अंडर के कुल स्कोर के साथ एशियाई डेवलपमेंटल टूर (एडीटी) के सिपुत्रा गोल्फप्रेन्योर टूर्नामेंट में तीसरे दौर के बाद संयुक्त पांचवें स्थान पर हैं। राहिल गंगजी (73) और सुनहित बिश्नोई (70) चार अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त 33वें जबकि अमन राज (73) एक अंडर के स्कोर से संयुक्त 47वें स्थान पर हैं। भारत के अन्य खिलाड़ियों में अक्षय शर्मा, एसएसपी चौरसिया, सप्तक तलवार और पुखराज गिल कट से चूक गए। थाईलैंड के वांचाई लुआंगनिटिकुल छह अंडर 66 का कार्ड खेलने के बाद कुछ 17 अंडर के स्कोर के साथ तालिका में शीर्ष पर है।

एम्मा नवारो ने पहला सेट गंवाने के बाद हासिल की जीत

मान्टेरी (मैक्सिको), 23 अगस्त (एपी)।

अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त एम्मा नवारो ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके पोलैंड की नौवीं वरीयता प्राप्त मैग्डेलेना फ्रेच को 6-7 (3), 6-0, 6-2 से हराकर मान्टेरी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नवारो इस डब्लूटीए 500 हार्ड-कोर्ट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा से भिड़ेंगी। नोस्कोवा ने यूक्रेन की पांचवीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना को 6-4, 6-4 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में रूस की तीसरी वरीयता प्राप्त एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा का सामना न्यूजीलैंड की लुलु सुन से होगा। अलेक्जेंड्रोवा ने चीन की सातवीं वरीयता प्राप्त यू युआन को 7-5, 7-6 (3) से और सुन ने रूस की एरिका एंड्रीवा को 6-4, 6-3 से हराया।

रावलपिंडी : पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टैस्ट मैच में शाट खेलते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकर रहमान।

मुंबई हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे तेंदुलकर

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रविवार को यहां होने वाली मुंबई हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे जिसमें 6,000 से ज्यादा महिलाओं सहित करीब 20,000 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। तेंदुलकर यहां बांद्रा कुर्ला परिसर में सुबह पांच बजे मैराथन की मुख्य रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसकी 10के रेस में सबसे ज्यादा 8,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं जबकि 21के (21 किमी) हाफ मैराथन में 4,000 धावक उतरेंगे जिसमें महाराष्ट्र के अलावा अन्य एलीट एथलीट शिरकत करेंगे। वहीं 5के रेस में 5,000 धावक और 3के रेस में 3,000 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे।

रेस में भारतीय नौसेना के भी 1,500 धावक हिस्सा लेंगे जबकि आयोजकों ने बताया कि इस साल महिला प्रतिभागियों की संख्या में 31 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई है। तेंदुलकर ने एक विज्ञप्ति में कहा, हमारा लक्ष्य दौड़ने को फिटनेस के एक साधन के रूप में बढ़ावा देना है और इस दृष्टिकोण को जीवन में लाना है। इस साल मुंबई हाफ मैराथन के लिए पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखना उत्साहजनक है।

ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर जार्ज रसेल, (बाएं) और स्पेन के एस्टन मार्टिन ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो, जैंडवूर्ट रेसट्रैक, नीदरलैंड्स, में फार्मूला वन डच ग्रां प्री आटो रेस के अभ्यास सत्र के दौरान।

होड़

डी गुकेश और प्रज्ञानानंद ने सिंकफील्ड कप में ड्रा खेला

सेंट लुइस (अमेरिका), 23 अगस्त (भाषा)।

विश्व चैम्पियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश यहां सिंकफील्ड कप के चौथे दौर में फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा के खिलाफ अच्छी स्थिति पर पहुंचने के बावजूद जीत दर्ज नहीं कर सके और उन्हें अंक बांटकर संतोष करना पड़ा।

चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ नवंबर में विश्व चैंपियनशिप मैच खेलने के लिए तैयार गुकेश ने फिरौजा को कड़ी चुनौती दी। ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने भी होलैंड के अनीश गिरि के खिलाफ बाजी ड्रा कराई।

अमेरिका के वेस्ले सो ने एकमात्र निर्णायक बाजी जीती। उन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को हराकर पूरे अंक जुटाए। इस तरह वेस्ले सो के फिरौजा की तरह 2.5 अंक हो गए हैं और दोनों चार दौर के बाद संयुक्त बढ़त बनाए हैं। उनके बाद अमेरिका के फैबियानो कारूआना, फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, नेपोमनियाच्ची, प्रज्ञानानंद और गुकेश शामिल हैं। उज्बेकिस्तान के नोडिरबेक अब्दुसत्तारोव और गिरी 1.5 लेकर संयुक्त नौवें स्थान पर हैं।

शतरंज

डी गुकेश अच्छी स्थिति में होने के बावजूद जीत दर्ज नहीं कर पाए।

मोहन बागान ने 'सडन डेथ' में पंजाब एफसी को हराया

जमशेदपुर, 23 अगस्त (भाषा)।

गत चैंपियन मोहन बागान ने शुक्रवार को यहां रोमांचक क्वार्टर फाइनल में निर्धारित समय के बाद 3-3 से बराबरी पर रहने के बाद टाईब्रेकर में पंजाब एफसी को 6-5 से हराकर डूरंड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में बागान के सामने बेंगलुरु एफसी की चुनौती होगी।

डूरंड कप

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए दिन के एक अन्य क्वार्टर फाइनल के आखिरी पलों में पेरेरिया डियाज के गोल के दम पर बेंगलुरु एफसी ने केरल ब्लास्टर्स को 1-0 से शिकस्त दी। लुका माजसेन ने 17वें मिनट में स्पाट-किक की मदद से पंजाब एफसी को बढ़त दिलाई तो वहीं सुहैल भट (44वें) और मनवीर सिंह (48वें) ने दूसरे हाफ की शुरुआत में मोहन बागान को बढ़त दिला दी। उतार चढ़ाव वाले इस मुकाबले में फिलिप मिर्जलजैक (63वें) और नार्बर्टो एजेकिएल विडाल (71वें) के गोल से मैच के 71वें मिनट में पंजाब की टीम एक बार फिर 3-2 से आगे हो गई।

आस्ट्रेलिया के अनुभवी जेसन कमिंग्स ने 79वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद मैच अतिरिक्त समय में खिंचा जहां दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही।

किपगेन के गोल से भारत सैफ अंडर-20 के सेमीफाइनल में

काठमांडू, 23 अगस्त (भाषा)।

मांगलेनथांग किपगेन के अंत में किये गये गोल की बदौलत भारत ने शुक्रवार को यहां मालदीव पर 1-0 की रोमांचक जीत से सैफ अंडर-20 फुटबाल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ग्रुप बी का अपना अंतिम मैच खेल रही भारतीय टीम को 95 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी जिसके बाद किपगेन ने शानदार गोल कर टीम को तालिका में शीर्ष पर पहुंचाया।

फुटबाल

भारत अब सोमवार को सेमीफाइनल में ग्रुप ए के उप विजेता और गत चैम्पियन बांग्लादेश से भिड़ेगा। पहले मैच की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा जिसमें कोरो सिंह थिंगुजम और केल्विन सिंह ताओरेम ने अच्छा आक्रमण दिखाया।

भारत के लिए केल्विन ने गोल करने की कोशिश में शानदार शाट लगाया लेकिन सेंट्रल मिडफील्डर एबिनदास येसुदासन ने इसे रोक दिया। बेंगलुरु एफसी के विंगर पोस्ट के करीब एक नीचा शाट लगाया लेकिन इसे भी नाकाम कर दिया गया। गुरनाज सिंह ग्रेवाल ने कॉर्नर हासिल किया जिस पर मोनिरुल मोल्ला ने भूटान के खिलाफ मैच की तरह विजयी गोल को दोहराने की कोशिश की। लेकिन उनका शानदार हेडर वाइड चला गया। कोरो का 18वें मिनट में किया गया प्रयास भी विफल कर दिया गया। चार मिनट बाद कोरो का शाट सीधे गोलकीपर के पास चला गया।

लुसाने डायमंड लीग

सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहे नीरज

लुसाने, 23 अगस्त (भाषा)।

भाला फेंक के स्टार भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा फिटनेस संबंधी चिंताओं के बावजूद यहां डायमंड लीग एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपने आखिरी प्रयास में 89.49 मीटर का सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले 26 वर्षीय नीरज चौथे दौर तक चौथे स्थान पर चल रहा थे। उन्होंने पांचवें प्रयास में 85.58 मीटर भाला फेंका। नीरज ने हालांकि अपना सर्वश्रेष्ठ आखिरी प्रयास के लिए बचा रखा था।

गुरुवार को खेली गई इस पर प्रतियोगिता में नीरज ने अंतिम प्रयास में 89.49 मीटर भाला फेंका जो पेरिस ओलंपिक के 89.45 मीटर से थोड़ा बेहतर है। नीरज पर छठे प्रयास से पहले बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन पांचवें प्रयास में बेहतर प्रदर्शन से वह मुकाबले में बने रहे। पहले पांच प्रयास में शीर्ष तीन पर रहने वाले खिलाड़ियों को ही अंतिम प्रयास में भाग लेने की अनुमति मिलती है। दो बार के विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स दूसरे दौर में 90.61 मीटर के प्रयास के साथ पहले स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.08 मीटर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

नीरज ने बाद में कहा, शुरू में अच्छा महसूस नहीं हो रहा था लेकिन मैं अपने थ्रो से खुश हूं, खासकर अपने आखिरी प्रयास में दूसरा (करिअर का) सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन मैं वापसी करने में सफल रहा। मुझे खुशी है कि मैंने आखिर तक हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, भले ही मेरा शुरुआती थ्रो 80-83 मीटर के आसपास था लेकिन आखिरी दो प्रयासों में दमदार प्रदर्शन करने में सफल रहा। इस तरह की शीर्ष प्रतियोगिता में मानसिक रूप से मजबूत रहना और अपना जज्बा बनाए रखना महत्त्वपूर्ण होता है।

पिछले साल से फार्म में वापसी करने के लिए प्रयासरत पीटर्स यहां शुरू से लेकर आखिर तक पहले स्थान पर बने रहे। उन्होंने 90 मीटर की दूरी पार करके अपना पहला स्थान सुनिश्चित कर दिया था। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 93.07 मीटर है जो उन्होंने 2022 में हासिल किया था।

चोपड़ा यहां दूसरे स्थान पर रहने के बाद डायमंड लीग की तालिका में 15 अंक लेकर वेबर के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। पीटर्स 21 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गए।

भाला फेंक

नीरज चोपड़ा

गुरुवार को खेली गई इस पर प्रतियोगिता में नीरज ने अंतिम प्रयास में 89.49 मीटर भाला फेंका जो पेरिस ओलंपिक के 89.45 मीटर से थोड़ा बेहतर है। नीरज पर छठे प्रयास से पहले बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन पांचवें प्रयास में बेहतर प्रदर्शन से वह मुकाबले में बने रहे।

नीरज ने बाद में कहा, शुरू में अच्छा महसूस नहीं हो रहा था लेकिन मैं अपने थ्रो से खुश हूं, खासकर अपने आखिरी प्रयास में दूसरा (करिअर का) सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन मैं वापसी करने में सफल रहा। मुझे खुशी है कि मैंने आखिर तक हार नहीं मानी। *उन्होंने* कहा, भले ही मेरा शुरुआती थ्रो 80-83 मीटर के आसपास था लेकिन आखिरी दो प्रयासों में दमदार प्रदर्शन करने में सफल रहा।

भारत ए की मीनू मणि की शानदार गेंदबाजी के बावजूद

आस्ट्रेलिया ए की कुल बढ़त 192 रन की

गोल्ड कोस्ट (आस्ट्रेलिया), 23 अगस्त (भाषा)।

भारत ए महिला टीम के गेंदबाजों ने शानदार जज्बा दिखाया लेकिन आस्ट्रेलिया ए ने दूसरी पारी में सात विकेट पर 164 रन बनाकर शुक्रवार को यहां अनधिकृत एकमात्र महिला टैस्ट के दूसरे दिन अपनी कुल बढ़त 192 रन की कर ली। भारत ए की कप्तान मीनू मणि ने मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए। आस्ट्रेलिया ए के लिए केट पीटरसन ने 12 ओवर में 16 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जिससे मेजबान टीम ने भारत ए को 184 रन पर समेट दिया। आस्ट्रेलिया ए की पहली पारी 212 रन पर सिमट गई थी।

भारत ए ने सुबह दो विकेट पर 100 रन से आगे खेलना शुरू किया और टीम बढ़त हासिल करने की ओर बढ़ रही थी लेकिन केट पीटरसन की गेंदबाजी के सामने उसका मध्यक्रम चरमरा गया।

इसके बाद मणि ने गेंदबाजी से प्रभावित किया और आस्ट्रेलिया ए की बल्लेबाज फिर से भारतीय स्पिनरों के आगे संघर्ष करती दिखीं। इस भारतीय आफ स्पिनर ने पहले सलामी बल्लेबाज जार्जिया वोल और उनकी साथी चार्ली नोट को लगातार ओवरों में शून्य पर आउट किया। पहली पारी में पांच विकेट झटकने वाली मणि ने निकोल फाल्टम (16) को आउट करने के बाद अपनी आफ ब्रेक से टेस फिंटू को भी पवेलियन की राह दिखाई। हालांकि सलामी बल्लेबाज एम्मा डि ब्रोघे एक छोर पर डटी रहीं और उन्होंने 117 गेंद में 58 रन की पारी खेली जिसके बाद वह लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा का शिकार हो गईं।

महिला क्रिकेट टैस्ट

मणि ने गेंदबाजी से प्रभावित किया और आस्ट्रेलिया ए की बल्लेबाज फिर से भारतीय स्पिनरों के आगे संघर्ष करती दिखीं। इस भारतीय आफ स्पिनर ने पहले सलामी बल्लेबाज जार्जिया वोल और उनकी साथी चार्ली नोट को लगातार ओवरों में शून्य पर आउट किया।

'वार्न के निधन से लगा कि जैसे परिवार का कोई सदस्य खो दिया'

मेलबर्न, 23 अगस्त (भाषा)।

भारत के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने खुलासा किया है कि दो साल पहले आस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वार्न के निधन से उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया क्योंकि उनका हमेशा मानना था कि उनके बीच एक मजबूत रिश्ता था। आस्ट्रेलिया की संक्षिप्त पारिवारिक यात्रा पर आए कुलदीप ने अपने आदर्श क्रिकेटर के घरेलू मैदान प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) का दौरा किया, जहां उन्होंने स्टेडियम के बाहर वार्न की प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाई।

कुलदीप ने कहा, शेन वार्न मेरे आदर्श थे और मेरा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता था। जब भी मैं वार्न के बारे में सोचता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने परिवार से किसी को खो दिया है। उन्होंने हालांकि आस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर के साथ अपने संबंधों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। वार्न का 2022 में थाईलैंड में छुट्टियां बिताने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।

बयान

टैस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए | प्रयास | क्रिकेट आस्ट्रेलिया का है प्रस्ताव

अलग से कोष तैयार करने पर विचार कर रहा है आइसीसी

सिडनी, 23 अगस्त (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) टैस्ट क्रिकेट के लिए कम से कम 150 लाख अमेरिकी डालर का अलग से कोष तैयार करने पर विचार कर रहा है जिससे खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्हें केवल आकर्षक टी20 फ्रेंचाइजी लीग पर ध्यान केंद्रित करने से रोका जा सकेगा।

सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने इस तरह का प्रस्ताव रखा है जिसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) के सचिव जय शाह और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) का समर्थन हासिल है। शाह अभी आइसीसी अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। इस कोष से टैस्ट क्रिकेटरों की न्यूनतम मैच फीस में बढ़ोतरी होगी और यह विदेशी दौरों पर टीमों को भेजने की लागत को कवर करेगा। इससे वेस्ट इंडीज जैसे क्रिकेट बोर्ड को मदद मिलेगी जिसके खिलाड़ी के टैस्ट क्रिकेट के बजाय वैश्विक टी20 प्रतियोगिताओं में खेलने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, इस कोष के बनने के बाद सभी खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित होगा जो लगभग 10000 डालर होगा। इसके अलावा यह उन देश के विदेशी दौरों की लागत का भी भुगतान करेगा जो टैस्ट क्रिकेट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह का कोष गठित करने की अवधारणा क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड ने जनवरी में रखी थी और उन्हें खुशी है कि इस पर प्रगति हो रही है।

उन्होंने कहा, हमें हर बाधा को दूर करने और टैस्ट क्रिकेट को सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उस इतिहास और उस विरासत को बनाए रखने की जरूरत है, जो सीमित ओवरों की क्रिकेट के नए स्वरूपों के साथ आगे बढ़ रही है।

इस कोष से तीन सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को किसी तरह का लाभ होने की संभावना नहीं है क्योंकि वे पहले से ही अपने खिलाड़ियों को पर्याप्त वेतन प्रदान करते हैं।

इस अलग कोष से टैस्ट क्रिकेटरों की न्यूनतम मैच फीस में बढ़ोतरी होगी और यह विदेशी दौरों पर टीमों को भेजने की लागत को कवर करेगा।

इस कोष से सभी खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित होगा जो लगभग 10000 डालर होगा। इसके अलावा यह उन देश के विदेशी दौरों की लागत का भी भुगतान करेगा जो टैस्ट क्रिकेट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ओन्स जाबेउर कंधे की चोट के कारण अमेरिकी ओपन से हटीं

न्यूयार्क, 23 अगस्त (एपी)।

अमेरिकी ओपन में 2022 की उपविजेता ओन्स जाबेउर कंधे की चोट के कारण इस साल के टूर्नामेंट से हट गईं। सोमवार से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में जाबेउर को 17वीं वरीयता मिलनी थी। अमेरिकी टेनिस एसोसिएशन ने कहा कि जाबेउर के हट जाने के बाद वरीयता प्राप्त करने के लिए पात्र अगली सर्वोच्च खिलाड़ी एलिस मर्टेंस को 33वीं वरीयता दी जाएगी।

जाबेउर हाल में चोटों से जूझती रही है। उन्होंने मान्ट्रियल में अपने एकमात्र मैच में नाओमी ओसाका से हारने के बाद वाशिंगटन में हार्ड-कोर्ट टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। जाबेउर ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनका कंधा अभी ठीक नहीं हुआ है और इस कारण वे अमेरिकी ओपन में नहीं खेल पाएंगी।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 41, अंक 280
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, एनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्ति: 1. प्रशांत पांडे–7054013999, 2. रोहन सावंत– 9833143013, 3. प्रशांत मोंडे – 022– 6224 1676, वेबसाइट . www.jmfinancialarc.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना– नवीन बिक्री

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 29 मार्च, 2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट ("असाइनमेंट एग्रीमेंट") के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ–साथ उस पर सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ ऋण (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) का एक पूल असाइन किया है,त्रजो जेएमएफआरसी (जेएम) (जिसे यहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में जेएमएफआरसी – अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। यह सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट / सेवा समझौते के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है। उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल संपत्ति जो भौतिक कब्जे में है, उसे 'जहां है जैसा है' के आधार पर, 'जो कुछ भी है जैसा है' के आधार पर, खरीद के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/ उधारकर्ता (ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं)	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता–अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (21–08–2024)
ऋण कोड संख्या 06000007764, लखनऊ (शाखा), ननली कांत (उधारकर्ता), मीनू सिंह(सह–उधारकर्ता 1)	दिनांक: 08–10–2021, रु. 3,77,689/– (रु. तैंतीस लाख सत्ताहत्तर हजार छह सौ नवासी मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जिसका विस्तार है:–गांव– देवरिया, परगना तहसील और जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश – 226020 में प्लॉट नंबर 39 और प्लॉट नंबर 42 का हिस्सा, खसरा नंबर 359 का हिस्सा, सीमाएँ:– उत्तर: 25 फीट सड़क दक्षिण: प्लॉट नंबर 17 पूर्व: 20'–0' फीट चौड़ी कच्ची सड़क पश्चिम: प्लॉट नंबर 37	रु. 39,40,000/– (रु. उनतालीस लाख चौलीस हजार मात्र)	रु. 3,94,000/– (रु. तीन लाख चौरानबे हजार मात्र)	रु. 49,91,145/– (रु. उनचास लाख इक्यानब्बे हजार एक सौ पैंतालीस मात्र)
ऋण कोड संख्या: 06000006451, लखनऊ (शाखा), श्री बायो–केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता), प्रकाश फूलचंद छाबड़ा (सह–उधारकर्ता 1) युक्ति छाबड़ा (सह–उधारकर्ता 2) अंजलि प्रकाश छाबड़ा (गारंटर 1)	दिनांक: 26–09–2019, रु1,52,69,044/– (रु. एक करोड़ बावन लाख उनहत्तर हजार चौवालीस मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जिसका विस्तार है: वाणिज्यिक इकाई संख्या जीएफ 004, सीयरस्टॉवर में ओमेक्स हाइट पर प्लॉट संख्या टीसीजी2/2 और टीसीजी5/5, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश–226010	रु. 99,50,000/– (रु. निन्यानबे लाख पचास हजार मात्र)	रु. 9,95,000/– (रु. नौ लाख पंचानबे हजार मात्र)	रु. 3,09,62,560/– (रु. तीन करोड़ नौ लाख बासठ हजार पांच सौ साठ मात्र)

ई–नीलामी की तिथि: 27–09–2024 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 26–09–2024 को शाम 4.00 बजे से पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale OR https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री नोटिस,

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले तक अर्जित ब्याज के साथ धारा 13(2) में उल्लिखित राशि का पूरा भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति को नीलाम/बेच दिया जाएगा और शेष बकाया, यदि कोई हो, को ब्याज और लागत के साथ उधारकर्ता/गारंटर से वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 24.08.2024 स्थान: उत्तर प्रदेश — **हस्ता /– (प्राधिकृत अधिकारी) (अरण्य – ट्रस्ट)**

इंडियन बैंक Indian Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)
इलाहाबाद ALLAHABAD

दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन नं0- 0522-2288988

सूचना

ऋण खाते में पहले शुरू की गई सरफेसी कार्यवाही को वापस लेना
खाता मेसर्स नवदृष्टि एण्ड कम्पनी (50269028881)

बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 02/05/2018 को डिमाण्ड नोटिस एवं सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक 08/11/2019 को कब्जे के नोटिस के साथ विषय ऋण खाते के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू की है।

इस सम्बंध में हम आपको सूचित करते हैं कि कुछ तकनीकी कारणों से हम अपनी पिछली सरफेसी कार्यवाही जैसे कि डिमाण्ड नोटिस दिनांक 02/05/2018 एवं कब्जा नोटिस दिनांक 08/11/2019 को वापस ले रहे हैं। बैंक भविष्य में आपके खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू करेगा।

ऋण खाते में पहले शुरू की गई सरफेसी कार्यवाही को वापस लेना
खाता श्री शशांक देव सिंह एवं श्रीमती साधना सिंह (50281869942)

बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 08/05/2019 को डिमाण्ड नोटिस एवं सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक 08/11/2019 को कब्जे के नोटिस के साथ विषय ऋण खाते के खिलाफ सरफेसी कार्रवाई शुरू की है।
इस सम्बंध में हम आपको सूचित करते हैं कि कुछ तकनीकी कारणों से हम अपनी पिछली सरफेसी कार्रवाई जैसे कि डिमाण्ड नोटिस दिनांक 08/05/2019 और कब्जा नोटिस दिनांक 08/11/2019 को वापस ले रहे हैं। बैंक भविष्य में आपके खिलाफ सरफेसी कार्रवाई शुरू करेगा

दिनांक: 06.07.2024 स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

varthana

पंजी. कार्यालय: सं. 5 बीसी-110, वरासिद्धि, तृतीय तल, बाह्य रिंग रोड, सर्विस रोड, तृतीय खंड, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर-560043, **वेबसाइट:** www.varthana.com, **ई-मेल:** care@varthana.com, दूरभाष सं: 080-68455777, **शाखा कार्यालय:** 1162 और 1163, टॉवर बी-1, 11वीं मंजिल, स्पेज | टेक पार्क, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुरुग्राम 122018

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) और (3) के अंतर्गत सूचना। हम आपको यह नोटिस प्रदान करते हैं. जिसकी सामग्री आप कृपया नोट कर सकते हैं कि आप सह-आवेदकों / बंधककर्ताओं के साथ उधारकर्ता ने मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) (पूर्व में थिल्मेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से संपर्क किया और ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। यह डिमांड नोटिस 06-08-2024 को जारी किया गया है, जिसकी सामग्री वैकल्पिक रूप से प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधिनियम आर / डब्ल्यू नियम 3(1) की धारा 13(2) के अनुसार इसके साथ प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ता/सह-आवेदकों / बंधककर्ता सं. 1 तथा 4 को नोटिस की तामील के लिए चूंकि दिए गए पते पर नोटिस नहीं दिया जा सकता था। आपके अनुरोध और उदाहरण पर, हमने आपको निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाएं प्रदान कीं (इसके बाद सामूहिक रूप से 'क्रेडिट सुविधा के रूप में संदर्भित)। जिसका विवरण नीचे दिए गए हैं।

ऋण खाता संख्या: U21GUR-GUR-016923 , U21GUR-GUR-017982 , S19GURGUR-009572। **स्वीकृत ऋण राशि** 1,28,300/- रुपये, 2,31,771/- रुपये और **12,68,792/- रुपये। 06-08-2024** को कुल देयता : रु.. 20,03,934/- (संविदात्मक ब्याज दर के साथ),उधारकर्ता, सह-आवेदकों और बंधक का नाम और पता **1. मेसर्स एमएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल,** अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, शिव मंदिर के पास, गांव बादराम, पीओ अलवलपुर, गढ़पुरी, पलवल, हरियाणा - 121104। **2. मेसर्स एमएस मॉडर्न शिक्षा समिति,** अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, शिव मंदिर के पास, गांव बादराम, पीओ अलवलपुर, गडपुरी, पलवल, हरियाणा - 121104.. **3. श्री प्रवीण कुमार पुत्र भरत लाल** हाउस नंबर 39/2, चिरवारी (167), पलवल, हरियाणा-121102। 4. श्रीमती वीणा पत्नी परवीन कुमार, हाउस नंबर 317, चिरवारी (167), पलवल, हरियाणा -121102

यह कि आपने समय-समय पर उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और राशि का उपयोग किया और इसके अलावा, वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय आपने उक्त समझौते (दस्तावेजों) / दस्तावेजों के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए एक वचन दिया है)। आपने बंधकी के पक्ष में सुरक्षा हित सृजित करते हुए टाइटल डीड / पंजीकृत बंधक के जमा के माध्यम से एक बंधक भी बनाया है जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है।
कि आपने उपरोक्त क्रेडिट सुविधा का आनंद लेना जारी रखा, हालांकि, आप अनियमित हो गए और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे, हमारे बार-बार अनुरोध और कंपनी के अधिकारियों द्वारा याद दिलाने के बावजूद आप उक्त देय राशि / बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहे और उपेक्षा की है। उपर्युक्त क्रेडिट सुविधा का संचालन और व्यवहार अनियमित हो गया है और चूक के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार आपके ऋण को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके द्वारा मूल ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में तदनुसार ऋण खाते को 11-03-2024 को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और एतद्द्वारा उक्त ऋण/ऋण सुविधा को वापस लेते हैं और आपसे आह्वान करते हैं कि उक्त समझौते के तहत आपके द्वारा देय ब्याज और सभी राशियों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें। आपके द्वारा की गई चूक के कारण, आप संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से हमें 06-08-2024 के अनुसार रु.20,03,934/- के साथ सहमत संविदात्मक ब्याज दर के साथ, भुगतान की तिथि तक, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और अन्य शुल्क की कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इन परिस्थितियों में हम एतदद्वारा आपसे उपर्युक्त संपूर्ण देय राशि रु.20,03,934/- ((रुपये तेईस लाख नौ सौ चौंतीस केवल)) 06-08-2024 के साथ संविदात्मक दर पर 07 August, 2024 से भविष्य के ब्याज के साथ एवं कानूनी लागत / शुल्क को इस नोटिस की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर भुगतान करने का आह्वान करते है। यदि आप कंपनी को उपरोक्त राशि को आगे के ब्याज और आकस्मिक खर्चों के साथ अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के अनुसार ऊपर बताई गई लागत को चुकाने में विफल रहते हैं, तो कंपनी धारा 13 की उप-धारा (4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी।
आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13 की उप-धारा (13) के संदर्भ में आप कंपनी की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा नीचे वर्णित कथित सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करेंगे। यह नोटिस कंपनी के इस तरह के अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि यह कानून के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के तहत अपने वैध देय राशि की वसूली के लिए आवश्यक है। यदि इसके जवाब में आपके पास कोई अभ्यावेदन है, तो कृपया इसे प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वरासिद्धि, 5बीसी-110, तीसरी मंजिल, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, बैंगलोर 560043 को चिह्नित करें

अचल संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) का विवरण - मौजा, हादपुरी, पलवल में स्थित मस्टफिल नंबर 22, किला नंबर 7/2 (5-7), 8 (8-0), 9 (8- 0), 10 (8-0) वाली संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल - 121004 और निम्नानुसार घिरा हुआ है: पूर्व द्वारा - अन्य भूखंड, पश्चिम द्वारा- धर्म सिंह का भूखंड, उत्तर द्वारा - सड़क, दक्षिण द्वारा- अन्य संपत्ति।

दिनांक : 24-08-2024, स्थान : गुरुग्राम — अधिकृत अधिकारी,वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

GMR Ambala- Chandigarh Expressways Pvt. Ltd.

GMR
25/1 SKIP House, Museum Road, Bangalore-560025 CIN: U45203KA2005PTC036773
Promoters of the Concessionaire; GMR Energy Ltd. & GMR Airports Infrastructure Ltd.

PUBLIC NOTICE ON REVISED USER FEE (TOLL) RATES AT DAPPAR TOLL PLAZA (KM 23+100) APPLICABLE FROM 01 SEPTEMBER 2024

1. The public are hereby informed that pursuant to approval of revised user fee rates vide letter No NHAI/PIU/CHD/11084/Conc/2635 dated 21 August 2024 of NHAI, the user fee rates for the use of section from Km 5+735 to 39+960 of NH 152(old NH-22) and Km 0+000 to Km 0+871 of NH-205 (old NH-21) Ambala-Chandigarh section in the States of Haryana and Punjab respectively are going to be revised as under w.e.f. 01 September 2024 at Dappar Toll Plaza (Chainage 23+100) Near Village Dappar , District SAS Nagar State of Punjab.

Category of Vehicle	Fee for single Journey*	Fee for return Journey within a day*	Fee for Monthly Pass*	Fee for Local Personal Traffic*	Fee for Local Commercial Traffic*
Car/Jeep/Van	50	75	1490	10	25
Light Commercial vehicle (LCV) Mini Bus	85	130	2610	NA	45
Truck/ Bus	175	260	5220	NA	85
Multi Axle Vehicle (> 2 axle)	280	420	8390	NA	140
Earth Moving equipment and Heavy Construction machinery	375	560	11185	NA	185

2. The above rates are applicable for a complete length of 35+096 Km at Dappar Toll Plaza
3. The following concessions are available at toll plaza (Through Fastag).
   I. Return journey within 24 hrs from time of payment for all categories of vehicle (discount 50%)
   II. 30 or more single journeys in a calendar month for all categories of vehicle.
   III. Local personnel traffic; Twenty five percent of the applicable fee for the specific category of vehicles.
   IV. Local commercial traffic; Fifty percent of the applicable fee for the specific category of vehicle.
   V. Double fee shall be charged from vehicles without Fastag/ Blacklisted Fastag/ Invalid Fastag or insufficient balance in Fastag as per the guidelines of National Highway Authority of India.
   VI. Charges from overloaded vehicles will be charged as per NHAI Circular: NHAI/13013/CO/2016-17 dated 19 January 2017.
4. The list of exempted vehicle as given in the Fee notification dated 21 November 2008.
5. As per the Concession Agreement dated 16 November 2005 the Concession period ends on 17 July 2027 (subject to the provisions of the Concession Agreement). The user fee(toll) rates shall be reduced to 40% after the end of Concession period.
6. For viewing the fee notification dated 21 November 2008 published in the Gazette. Letter of NHAI NHAI/PIU/CHD/11084/Conc/2635 dated 21 August 2024 containing approval of revised rates and provisions in the Concession Agreement, the website: www.nhtis.org may be visited.
7. Names and address are as under, for any enquiry and /or giving complaints/suggestions:-

Name of Representative	Concessionaire	IE	PIU of NHAI
Name	Mr. Iqbal Singh	Mr. Neeraj Gupta	Mr. Pradeep Atri
Address	M/s. GMR Ambala-Chandigarh Expressways Pvt Ltd, KM 23+100, Dappar Toll Plaza, Near Ammunition Depot, Tehsil Dera Bassi, District SAS Nagar (Punjab) - 140506	Team Leader M/s. MSV International Inc. In Association with Mahamarg infra consultant's Pvt Ltd House No 99, 1st Floor Silver City, Zirakpur.	Project Director NHAI, PIU - Chandigarh, Bay No 35-38, 3rd Floor, Sector-4 Panchkula
Contact No	9878822160	9815219790	9416070706

* All the above rates are applicable through Fastag only.

GMR GROUP-ACE/6/PREM ASSOCIATES

कार्यालय ग्रा.पं. महमदपुर, वि.खं. निगोही, शाहजहांपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को इस अल्पकालीन निविदा हेतु सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत महमदपुर, की ओर वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंचम वित्तीय आयोग/ केन्द्रीय वित्तीय आयोग/ मनरेगा /एस.बी.एम. (ग्रा.) तथा अन्य मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि सापेक्ष ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से सीलबन्द निविदाएं दिनांक 28.08.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय पर12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। जो दिनांक 29.08.2024 को ग्राम पंचायत अध्यक्ष ग्राम प्रधान महोदय के समक्ष 12.00 बजे खोली जायेंगी। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	कार्य योजना का नाम	प्राकलित सामग्री धनराशि
1	अंत्येष्टि स्थल, पंचायत घर/सामुदायिक शौचालय निर्माण/ आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मत, एवं अन्य भवन निर्माण/ मरम्मत	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मौरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, बिजली फिटिंग सामग्री, आदि।
2	विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विभिन्न कार्य/दिव्यांग शौचालय, बाउंड्रीबाल का निर्माण/ अनुरक्षण	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मौरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, टाइल्स, सेनेट्री सामग्री, बिजली फिटिंग सामग्री, आदि।
3	इण्टरलाकिंग निर्माण, सी.सी. रोड, खड़ंजा एवं नाली निर्माण/ मरम्मत।	ईंट, खड़ंजा, प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मोरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सरिया आदि।
4	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर/ मरम्मत।	प्लास्टिक पाइप, जाली, हैण्डपम्प मशीन, हत्था, गिलास, टापा आदि।
5	ह्यूम पाइप /सैनिटाइजेशन कार्य/ प्रशासनिक कार्य/ अन्य कार्य।	आवश्यकतानुसार।
6	विभिन्न भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य।	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मोरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, प्लास्टिक पाइप आदि।
7	सफाई ठेली क्रय मरम्मत।	आवश्यकतानुसार।
8	ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य।	आवश्यकतानुसार।
9	ई रिक्शा स्वचालित क्रय।	2.30 लाख
10	कचरा पात्र स्टील बॉडी/प्लास्टिक बॉडी।	3000-7000/ प्रति नग
11	प्लास्टिक बैंक जालीदार लोहे के।	7500/ प्रति नग
12	आर.आर.सी. सेंटर का निर्माण	8.00 लाख
13	सामुदायिक इंसीनरेटर (भस्मक) निर्माण।	18000/ प्रति नग
14	स्वच्छता किट	20000/ प्रति नग
15	नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट, खाद के गढ्डे, सोक पिट, लीच पिट, फिल्टर चैम्बर आदि का निर्माण।	प्रथम ईंट, सीमेन्ट, मोरंग, रोड़ी, बजरी, बजरफुट, सरिया, प्लास्टिक पाइप आदि।
16	सोलर लाइट स्थापना /अनुरक्षण।	आवश्यकतानुसार।

नियम एवं शर्तें
1. निविदादाता निविदा के साथ पैन नम्बर, जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।
2. समस्त सामग्री ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/पीडब्ल्यूडी के मानक के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।
3. निविदादाताओं को सामग्री की आपूर्ति कार्यस्थल पर करनी होगी। जिसका कोई भाड़ा या टैक्स देय नहीं होगा।
4. किसी भी समय ग्राम पंचायत द्वारा बिना पूर्व सूचना के निविदा निरस्त की जा सकती है।

अलका देवी, ग्राम प्रधान — **संजीव कुमार सिन्हा, सचिव**

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL
पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
कॉर्पोरेट कार्यालय: जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कासर वडावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–(एमएच) 400601

मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापन सेवा।
जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को की पुस्तकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसके बाद, (एबीएचएफएल) ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकार उनसे आह्वान किया जाता है और उनसे मांग की जाती है कि वे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाएं, जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालाँकि, डिमांड नोटिस भी है सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है:

क्रं. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और गारंटर/सह–गारंटर के नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार/तिथि के अनुसार देय राशि
1	1. अब्दुल अजीज मकान नंबर एफ–11/222 और 11/223, एफ–ब्लॉक, राजाजीपुरम, धारियामारी पुल के पास, वार्ड–कुंवर ज्योति प्रसाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017. 2. जयबुन निशा मकान नंबर एफ–11/222 और 11/223, एफ–ब्लॉक, राजाजीपुरम, धारिया मारी पुल के पास, वार्डकुंवर ज्योति प्रसाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017 पर स्थित –ब्लॉक, राजाजीपुरम, धारिया मारी पुल के पास, वार्ड–कुंवर ज्योति प्रसाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017. 4. अब्दुल अजीज बस ठेकेदार मकान नंबर एफ11/222 और 11/223, एफ–ब्लॉक, राजाजीपुरम, धारिया मारी पुल के पास, वार्ड–कुंवर ज्योतिप्रसाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226017 पर स्थित है। 5. अब्दुल अजीज एफ–11/222, एफ–ब्लॉक, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017. 6. जैबुन निशा एफ–11/222, राजाजीपुरम, धारिया मेहरी पुल के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017. 7. मो शुऐब एफ–11/222, राजाजीपुरम, धारिया मेहरी पुल के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017. 8 अब्दुल अजीज बस ठेकेदार एफ–11/222, एफ–ब्लॉक, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017. ऋण खाता संख्या एलएनएलयूसीपीएनओ–03210087566 और एलएनएलयूसीपीएनओ–03210087567	08.08.2024	21.08.2024	रु. 29,77,589.00/– (रुपये उनतीस लाख सत्तहत्तर हजार पांच सौ उनासी मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलम्ब शुल्क सहित) और ब्याज के रूप में 12.08.2024 तक।

अचल संपत्तियों का विवरण) गिरवी रखी गई संपत्ति: मद–1:– मकान नंबर एफ–11/222 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप 30.69 वर्ग मीटर है, ब्लॉक–एफ, राजाजीपुरम, वार्ड–कुंवर ज्योति प्रसाद, जिला–लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226017 में स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: मकान नंबर 11/223 पश्चिम: मकान नंबर 11/221 उत्तर: रास्ता दक्षिण: मदीना मस्जिद मद–2:– मकान नंबर एफ–11/223 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप 30.69 वर्ग मीटर है। मीटर, ब्लॉक–एफ, राजाजीपुरम, वार्ड–कुंवर ज्योति प्रसाद, जिला–लखनऊ, उत्तरप्रदेश– 226017 में स्थित है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: मकान संख्या 11/224 पश्चिम: मकान संख्या 11/222 उत्तर: 20 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण: आबादी।

हम यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि (राशि) और उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम स्वतंत्र होंगे, सुरक्षा हित को लागू करें, जिसमे लागत और परिणाम के अनुसार पूरी तरह से अपने जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने तक सीमित है।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित।
कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ एबीएचएफएल का बकाया बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति एबीएचएफएल द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक: 24.08.2024 — **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: लखनऊ — **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

JM FINANCIAL

निगमित पहचान संख्या : U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय : 7वां तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्ति : 1. प्रशांत पांडे– 7054013999, 2. रोहन सावंत– 9833143013, 3. प्रशांत मोंडे– 022 – 6224 1676 वेबसाइट– www.jmfinancialarc.com

ई–नीलामी विक्रय सूचना – आगामी विक्रय

कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत जेएमएफआरसी (जेएम) (यहां इसमें असाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफआरसी – अरण्य – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्, के पक्ष में एक असाइनमेंट अनुबंध दिनांक 29 मार्च 2023 ("असाइनमेंट अनुबंध") के माध्यम से अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ उसके सृजित सभी अधिकारों, स्वामित्व एवं हित सहित ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट / सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालनों और प्रक्रियागत कार्यवाहियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता / संग्रहकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत एवं नियुक्त किया गया है।
उधारकर्ता / ओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफॉएसि अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति का अधिग्रहण करने के अनुपालन में, यहां नीचे विवरणितानुसार, अचल संपत्तियों, जो भौतिक अधिग्रहण के अधीन है, के "जैसी है जहां है आधार", "जैसी है जो है आधार" और "वहां जो कुछ भी है आधार" पर क्रयार्थ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव निमंत्रित किए जाते हैं, जिन संपत्तियों का विवरण यहां नीचे दिया गया है :

| ऋण कोड/शाखा/उधारकर्ता (ओं)/सह–उधारक

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, चरण- II, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600002

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत - अचल संपत्ति के लिए)

नीचे हस्ताक्षरकर्ता **इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि 60 दिनों की अवधि के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं। संबंधित उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ताओं, गारंटरों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत, सीजेएम–चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित दिनांक 25–01–2024 के मामले में प्रतिभूतिकरण 51/24 आदेश के अनुसार। विशेष रूप से संबंधित उधारकर्ताओं और आम जनता को इस प्रकार से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्तियों से लेन–देन न करें और इन संपत्तियों से कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित संबंधित राशि के लिए **इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

क्रं. सं.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(ओं) / का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना के अनुसार तिथि और राशि	कब्जा लेने की तिथि
1.	1. श्री लक्ष्मण लाल नायक 2. श्रीमती पुष्पा बाई **एल.नंरू SECITOR0318068** **शाखाः** चित्तौड़गढ़	गैर–कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल आवासीय संपत्ति हैं जो आराजी नंबर – 3059/1450, गांव भीमगढ़, ग्राम पंचायत भीमगढ़, पंचायत समिति और तहसील – राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312203 (क्षेत्रफल 2600 वर्ग फीट) पर स्थित हैं, जिसमें सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचनाएँ शामिल हैं। **पूर्व–** आम सड़क, **पश्चिम–** मिठूलाल/चंपलाल नायक, **उत्तर–** दलू पुत्र नंदा जी नायक, **दक्षिण–** चोगा/प्रताप नायक राशमी के उप पंजीकरण जिले और चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	07-09-2023 **और** **रू. 179307/-** (रुपये एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ सात मात्र)	22-08-2024

दिनांक - 24.08.2024, **स्थान** - **चित्तौड़गढ़** — **प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

वसूली अधिकारी–I का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

टीआरसी 285/2023 — दिनांकः 16.07.2024

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मेसर्स सृष्टि फैशन क्रिएटर

मेरे दिनांक 16.07.2024 के आदेश के अनुसार, नीचे उल्लिखित संपत्ति 26.09.2024 को सार्वजनिक ई–नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी उक्त वसूली प्रमाण पत्र में:–

नीलामी बिक्री https://www.bankeauction.com वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन ई–नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि और समयः 26.09.2024 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच (यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)

संपत्ति का विवरणः

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (रुपये में)
कार्यालय गोदाम, डी–56, प्रथम तल, ओल्ड डबल स्टोरी मार्केट, लाजपत नगर–4, नई दिल्ली में स्थित है।	रु. 66,88,000/– (छियासठ लाख अट्ठासी हजार मात्र)	रु. 6,68,800/– (छह लाख अड़सठ हजार आठ सौ मात्र)

नियम और शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टलः https://www.bankeauction.com के माध्यम से "ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान या तो "रिकवरी ऑफिसर–1, डीआरटी–II, दिल्ली–ए/सीटीआरसी नंबर 285/2023" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाते में किया जाएगा– बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एआरबी शाखा, 6/30–31, डब्ल्यूईए अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या ईएमडी के रूप में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण, पहचान की स्व–सत्यापित प्रति (वोटर आई–काड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट), जिसमें भविष्य में संचार के लिए पता होना चाहिए, और पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, 24.09.2024 को शाम 5.00 बजे से पहले वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी या ईएमडी के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का मूल प्रमाण, प्रेषक के विवरण, यानी पता, ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि युक्त लिफाफे पर "टीआरसी नंबर 285/2023" लिखा होना चाहिए।
4. संपत्ति "जहां है जैसी है और जैसी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के लिए विस्तृत नियम और शर्तों के लिए पोर्टल https://www.bankeauction.com देखें और/या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एआर श्री संजय कुमार गुप्ता से मो. नं. 9810169404 संपर्क करें।
6. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना और लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से ही प्राप्त करना आवश्यक है, जो उपरोक्त ई–नीलामी में बोली लगाने के लिए मेसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव–122003 (हरियाणा), संपर्क नंबर 0124–4302000/7291981124/25/26, 91–7080804466. support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्तिःश्री मिथलेश कुमार, संपर्क नंबर– 7080804466. से अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मेसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव 122003 (हरियाणा)। संपर्क नंबर 0124– 4302000/7291981124/25/26, +91–7080804466, ई–मेलः support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्तिः श्री मिथलेश कुमार, संपर्क नंबर–7080804466, प्राप्त कर सकते हैं।
8. संभावित खरीदार 05.09.2024 और 06.09.2024 को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।
9. केवल वे बोलीदाता ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे, जिनके पास वैध यूजर आईडी और पासवर्ड होगा तथा जिन्होंने डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी का भुगतान किया होगा।
10. इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने 24.09.2024 तक आरक्षित मूल्य से कम नहीं अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं, वे 26.09.2024 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई–नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
11. बोलीदाताओं को संपत्ति के संबंध में 1,00,000/– रुपये (केवल एक लाख रुपये) के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा। 12. असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी–1, डीआरटी–II, दिल्ली/सीएच, यानी बीओएम के कार्यालय से सीधे ईएमडी ले लेगा।
13. सफल/उच्चतम बोलीदाता को बोलीधबिक्री राशि के 25% के लिए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तैयार करना होगा और ई–नीलामी बंद होने के 24 घंटे के भीतर वसूली अधिकारी–1, डीआरटी–II दिल्ली, खाता टीआरसी संख्या 285/2023 के पक्ष में जमा करना होगा और ईएमडी समायोजित करने के बाद इसे वसूली अधिकारी–1, डीआरटी–II, दिल्ली के कार्यालय में भेजना/जमा करना होगा ताकि ई–नीलामी बंद होने से 24 घंटे के भीतर पहुंच जाए, ऐसा न करने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
14. सफल/उच्चतम बोलीदाता को, वसूली अधिकारी–1, डीआरटी–II, दिल्ली, खाता टीआरसी संख्या 285/2023 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, बिक्री आय का शेष 75प्रतिशत वसूली अधिकारी–1, डीआरटी–II, दिल्ली के समक्ष संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, जिसमें ऐसा दिन शामिल नहीं है, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर 1,000 रुपये तक 2: पाउंडेज शुल्क और 1000 रुपये से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी–II। दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा। (शेष 75प्रतिशत राशि डाक के माध्यम से जमा करने की स्थिति में, इसे उपरोक्त अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद जमा राशि, यदि हस्ताक्षरकर्ता उचित समझे, सरकार को लौटाई जा सकती है और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
15. सफल/उच्चतम बोलीदाता को इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194–आईए के प्रावधानों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में, सफल/उच्चतम बोल. ीदाता को शेष बिक्री आय का भुगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
16. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा जारी करने के बाद, संपत्तियों को फिर से बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद, यदि हस्ताक्षरकर्ता उचित समझे, तो जमा राशि सरकार को जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता खरीदार संपत्तियों या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह डैश, स्पीड पोस्ट, कूरियर के माध्यम से सीडी पर बिक्री की घोषणा प्रस्तुत करे तथा संपत्ति के प्रमुख भाग पर चिपकाकर तथा उसके आसपास ढोल बजाकर इसकी प्रति न्यायाधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगाए।
18. बिक्री की घोषणा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाए, जिसका क्षेत्र में पर्याप्त प्रसार हो।
19. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करे तथा प्रकाशन के मूल प्रूफ अगली सुनवाई की तिथि से पहले दाखिल करे।
20. नीचे हस्ताक्षरकर्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वह स्वीकार्य न हो या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित कर सकता है तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

संपत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व।	किसी भी भार का विवरण जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	संपत्ति के संबंध में किए गए दावे, यदि कोई हों, तथा उसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण
कार्यालय गोदाम में स्थित है, जो डी–56, प्रथम तल, ओल्ड डबल स्टोरी मार्केट, लाजपत नगर–4, नई दिल्ली में स्थित है	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

ई–नीलामी बिक्री नोटिस की सेवा के प्रमाण (स्पीड पोस्ट और कूरियर के रूप में ट्रैक परिणाम सहित) और दस्ती, समाचार पत्रों में प्रकाशन के मूल प्रमाण और ई–नीलामी के उद्देश्य से वेबसाइट सहित व्यापक प्रचार के साथ ई–नीलामी बिक्री नोटिस की सेवा का हलफनामा दाखिल करने के लिए मामला 23.08.2024 को सूचीबद्ध किया जाएगा।

(उत्तम नेगी)
वसूली अधिकारी–I
डीआरटी–II, दिल्ली

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.12.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार–बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीलामी 31.08.2024 to 02.09.2024 को 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएगी।

Auction Date: 31.08.2024 - BINDAPUR: 406600172, 406600211, 406600225, 406600241, 406600310, 406600345, 406600378, 406600403, 406600433, 406600452, 406600458, 406600471, 406600480, 406600496, F2187, F3152, F3350, F4656, F677. **CHANAKYA PLACE-DELHI:** 2851000009, 2851000025, 2851000030, 2851000032, 2851000036, 2851000042, 2851000045, 2851000052, 2851000065, 2851000067, 2851000069, 2851000081, 2851000087, 2851000091, 2851000093, 285100149, 285100168, 285100213, 285100229, 285100270, 285100285, 285100293, 285100295, 285100302, 285100321, 285100340, 285100348, 285100370, 285100385, 285100388, 285100404, 285100412, 285100422, 285100425, 285100431, 285100453, 285100457, 285100458, 285100468, 285100525, 285100528, 285100530, F18874, F19687. **CHANCHAL PARK-NEW DELHI:** 4184000012, 4184000109, 4184000156, 4184000226, 4184000229, 4184000238, 4184000253, 4184000280, 4184000284, 4184000297, 4184000301, 4184000338, 4184000340, 4184000358, 4184000360, 4184000368, 4184000038, 418400040, 418400041, F5603, F57. **DELHI-GANESH NAGAR:** 282600146, 282600175, 282600176, 282600177, 282600178, 282600186, 282600198, 282600203, 282600212, 282600235, 282600245, 282600252, 282600264, 282600273, 282600299, 282600300, 282600337, 282600343, 282600375, 282600388, 282600419, 282600420, 282600434, F6685, F6787, F9183. **DWARAKA-DELHI:** 2403000005, 2403000026, 2403000029, 2403000033, 2403000047, 2403000049, 2403000050, 2403000052, 2403000062, 2403000065, 2403000074, 240300077, 240300113, 240300167, 240300173, 240300230, 240300255, 240300368, 240300370, F10531, F13141, F15083, F15121, F15288, F19266. **DWARKA MORE-DELHI:** 2442000003, 2442000016, 2442000018, 2442000021, 2442000035, 2442000042, 2442000066, 2442000076, 2442000085, 2442000093, 2442000098, 2442000105, 2442000113, 2442000115, 2442000126, 2442000131, 2442000144, 2442000154, 2442000155, 2442000165, 2442000167, 2442000180, 2442000182, 2442000193, 2442000198, 2442000201, 2442000216, 2442000224, 2442000243, 2442000254, 2442000273, 2442000275, 2442000282, 2442000289, 2442000291, 2442000293, 244200323, 244200433, 244200437, 244200472, 244200477, 244200516, 244200520, 244200532, 244200533, 244200544, 244200550, 244200552, 244200555, 244200572, 244200608, 244200613, 244200679, 244200700, 244200735, 244200781, 244200791, 244200842, 244200847, 244200872, 244200885, 244200902, 244200941, 244200946, 244200956, 244200978, 244201028, 244201036, 244201040, 244201044, 244201053, 244201056, 244201064, 244201070, 244201091, 244201125, 244201153, 244201167, 244201168, 244201181, 244201186, F37936, F40108, F42930, F47595, F47707, F55495, F55858, F55921, F56090, F56221, F57583. **DWARKA-RANAJI ENCLAVE:** 4123000033, 4123000042, 4123000047, 4123000054, 4123000080, 4123000084, 4123000098, 4123000106, 4123000126, 4123000131, 4123000135, 4123000137, 412300273, 412300281, 412300293, 412300303, 412300309, 412300314, 412300316, 412300320, 412300322, 412300327, 412300330, 412300331, 412300334, 412300335, 412300344, 412300374, 412300378, 412300393, 412300401, 412300450, 412300456, 412300470, 412300471, 412300479, 412300497, 412300507, 412300522, 412300526, 412300577, 412300580, 412300598, F4043, F4116. **DWARKA-SEC-19:** 2815000020, 2815000028, 2815000041, 2815000042, 2815000050, 2815000056, 2815000058, 2815000062, 2815000066, 2815000067, 2815000081, 2815000085, 2815000087, 2815000089, 2815000092, 2815000093, 281500162, 281500190, 281500192, 281500194, 281500207, 281500210, 281500216, 281500226, 281500256, 281500282, 281500285, 281500293, 281500315, 281500334, 281500336, 281500370, 281500374, 281500398, 281500410, 281500413, F3846, F7299. **HARI NAGAR-JANAK PARK:** 3041000094, 3041000117, 3041000167, 3041000178, 304100071, 304100079, 304100092, 304100108, F10004, F10024, F12013, F12112, F5826. **HARINAGAR:** 0918000136, 0918000367, 0918000371, 0918000378, 0918000451, 0918000464, 0918000466, 0918000530, 0918000542, 0918000548, 0918000566, 0918000592, 0918000602, 0918000610, 0918000671, 0918000130, 0918000132, 0918000136, 0918000171, F11440, F15335, F16988, F17046, F17440. **INDERPURI:** 1348000147, 1348000160, 1348000161, 1348000162, 1348000173, 1348000179, 1348000186, 1348000190, 1348000197, 1348000210, 1348000223, 1348000234, 1348000241, 1348000253, 1348000255, 1348000265, 1348000266, 1348000281, 1348000291, 1348000294, 1348000300, 1348000310, 1348000325, 1348000350, 134800141, 134800152, 134800216, 134800224, 134800232, 134800252, 134800273, 134800282, 134800284, 134800288, 134800302, F27304, F29305. **KIRARI-DELHI:** 230200120, 230200129, 230200290, 230200294, 230200323, 230200333, 230200335, 230200359, 230200377, 230200384, 230200396, 230200433, 230200542, 230200567, 230200596, 230200599, 230200612, 230200620, 230200633, 230200647, 230200655, 230200662, 230200700, 230200705, 230200713, 230200781, 230200853, 230200878, 230200887, 230200922, 230200943, 230200946, 230200965, 230200969, 230200981, 230200987, 230201011, 230201030, F17666, F17935, F20064, F28115, F36389. **MAHAVIR NAGAR:** 073200123, 073200136, 073200204, 073200224, 073200235, 073200236, 073200237, 073200251, 073200269, 073200271, 073200276, 073200277, 073200281, 073200282, 073200285, 073200295, 073200299, 073200305, 073200308, 073200326, 073200334, 073200338, 073200339, 073200344, 073200350, 073200358, 073200361, 073200366, 073200371, 073200376, 073200382, F14113, F14358, F14696, F14728, F14774, F14778, F15032, F17645, F19225, F19340, F20169, F20347, F20375, F20469. **MUNDKA-NEW DELHI:** 418000083, 418000095, 418000097, 418000112, 418000115, 418000130, 418000146, 418000188, 418000193, 418000218, 418000222, 418000225, 418000227, 418000228, 418000255, 418000256, 418000267, 418000273, 418000276, 418000279, 418000284, 418000285, 418000298, 418000303, 418000304, 418000312. **PALAM COLONY:** 0921000004, 0921000008, 0921000023, 0921000039, 0921000040, 0921000055, 0921000058, 0921000065, 0921000100, 0921000101, 0921000109, 0921000113, 0921000118, 0921000121, 0921000155, 0921000160, 0921000171, 0921000173, 0921000175, 0921000184, 0921000205, 0921000208, 0921000215, 0921000260, 0921000267, 0921000268, 0921000274, 0921000290, 0921000302, 0921000303, 0921000308, 0921000317, 0921000322, 0921000325, 0921000335, 0921000338, 0921000341, 0921000362, 0921000364, 0921000373, 0921000381, 0921000384, 0921000778, 0921000087, 0921001349, 0921001261, 0921001365, 0921001395, 0921001441, 0921001443, 0921001468, 0921001507, 0921001521, 0921001543, 0921001573, 0921001578, 0921001581, 0921001594, 0921001610, 0921001625, 0921001627, 0921001631, 0921001655, 0921001656, 0921001668, 0921001669, 0921001671, 0921001673, 0921001715, 0921001720, 0921001727, 0921001732, 0921001733, 0921001742, 0921001752, 0921001753, 0921001830, 0921001860, 0921001862, 0921001867, 0921001900, 0921001919, 0921001924, 0921001944, 0921001951, 0921001978, 0921001008, 0921001013, 0921001028, 0921001040, 0921001044, 0921001050, 0921001072, 0921001148, 0921001154, 0921001159, 0921001187, 0921001196, 0921001204, 0921001234, 0921001244, F64056, F65423, F66154, F66413, F72718, F75520, F75583, F75674, F75712, F85670.

Auction Date: 02.09.2024 - NANGLOI: 152100013, 152100027, 1521000428, 1521000448, 1521000458, 1521000462, 1521000467, 1521000469, 1521000486, 1521000490, 1521000494, 1521000512, 1521000519, 1521000527, 1521000538, 1521000553, 1521000570, 1521000571, 1521000583, 1521000584, 152100059, 1521000563, 1521000664, 1521000666, 1521000673, 1521000679, 1521000690, 1521000691, 1521000696, 1521000718, 1521000722, F19321, F19368, F19704, F19726, F6196, F6292. **NEW DELHI-MAHAVIR ENCLAVE:** 2341000006, 2341000007, 2341000008, 2341000010, 2341000020, 2341000021, 2341000046, 2341000047, 2341000056, 2341000062, 2341000065, 2341000068, 2341000074, 2341000093, 2341000095, 2341000099, 2341000109, 2341000112, 2341000115, 2341000127, 2341000129, 2341000142, 2341000143, 234100059, 234100139, 234100166, 234100225, 234100234, 234100236, 234100272, 234100335, 234100336, 234100344, 234100352, 234100361, 234100421, 234100430, 234100431, 234100442, 234100471, 234100518, 234100526, 234100527, 234100564, F8346. **NEW DELHI-NAJAFGARH:** 1376000037, 1376000052, 1376000062, 1376000014, 1376000141, 1376000142, 1376000147, 1376000154, 1376000162, 1376000165, 1376000171, 1376000175, 1376000189, 1376000191, 1376000195, 1376000202, 1376000221, 1376000210, 1376000225, 1376000227, 1376000229, 1376000234, 1376000238, 1376000249, 1376000257, 1376000267, 1376000270, 1376000280, 1376000282, 1376000303, 1376000311, 1376000313, 1376000315, 1376000320, 1376000321, 1376000329, 1376000330, 1376000354, 1376000356, 1376000359, 1376000360, 1376000364, 1376000367, 1376000375, 1376000401, 1376000403, 1376000406, 1376000073, 1376000078, 1376000130, 1376000139, 1376000160, 1376000167, F21894, F26796. **NEW DELHI-VISHNU GARDEN:** 1360000044, 1360000093, 1360000137, 1360000192, 1360000211, 1360000244, 1360000278, 1360000284, 1360000310, 1360000319, 1360000373, 138000109, 1360000168, 1360000169, 1360001187, 1360000193, 1360000195, 1360000223, 1360000292, 1360000303, 1360000319, 1360000320, F21456, F25891. **NIHAL VIHAR-DELHI:** 4103000123, 4103000128, 4103000135, 4103000155, 4103000158, 4103000162, 4103000168, 4103000175, 4103000186, 4103000225, 4103000232, 4103000242, 4103000247, 4103000249, 4103000257, 4103000260, 4103000275, 4103000278, 4103000288, 4103000291, 4103000339, 410300053, 410300068, 410300083, 410300088, 410300100, 410300107, 410300126, 410300138, 410300144, 410300158, 410300162, 410300165, 410300169, 410300180, 410300182, 410300196, 410300198. **PANKHA ROAD:** 0943000007, 0943000027, 0943000028, 0943000036, 0943000041, 0943000044, 0943000048, 0943000050, 0943000051, 0943000054, 0943000059, 0943000068, 0943000075, 0943000077, 0943000081, 0943000083, 0943000090, 0943000101, 0943000116, 0943000131, 0943000134, 0943000145, 0943000169, 0943000187, 0943000189, 0943000199, 0943000201, 0943000204, 0943000207, 0943000210, 0943000224, 0943000207, 0943000280, 0943000282, 0943000288, 0943000292, 0943000293, 0943000305, 0943000344, 0943000355, 0943000383, 0943000392, 0943000447, 0943000490, 0943000499, 0943000504, 0943000512, 0943000516, 0943000518, 0943000522, 0943000526, 0943000540, 0943000547, 0943000566, 0943000584, 0943000604, 0943000608, 0943000611, 0943000623, 0943000645, 0943000698, 0943000733, F30203, F41367, F42100. **PASCHIM VIHAR(NEW DELHI):** 0815000533, 0815000535, 0815000536, 0815000537, 0815000540, 0815000541, 0815000553, 0815000556, 0815000559, 0815000562, 0815000563, 0815000564, 0815000577, 0815000581, 0815000586, 0815000589, 0815000592, 0815000621, 0815000623, 0815000638, 0815000641, 0815000649, 0815000678, 0815000686, 0815000692, 0815000693, 0815000694, 0815000695, 0815000698, 0815000704, 0815000716, 0815000728, 0815000739, 0815000744, 0815000753, 0815000764, 0815000765, 0815000770, 0815000104, 0815000105, 0815000123, 0815000131, 0815000146, 0815000162, 0815000163, 0815000202, 0815000228, 0815000230, 0815000231, 0815000253. **RAJAURI GARDEN:** 1121000116, 1121000139, 1121000145, 1121000147, 1121000149, 1121000178, 1121000181, 1121000223, 1121000283, 1121000307, 1121000442, 1121000552, F11629, F12027, F12031, F12179, F14198, F14203. **RAMESH NAGAR-NEW DELHI:** 1440000086, 1440000094, 1440000116, 1440000126, 1440000132, 1440000163, 1440000180, 1440000188, 1440000190, 1440000207, 1440000209, 1440000500, 1440000551, 1440000074, 1440000075, 1440000105, 1440000113, F10223, F4631, F4828, F5255, F5742, F8947, F8959, F8970. **SUBHASH NAGAR:** 1321000136, 1321000141, 1321000164, 1321000251, 1321000260, 1321000267, 1321000281, 1321000285, 1321000314, 1321000319, 1321000329, 1321000352, 132100093, 132100112, 132100168, 132100172, 132100186, 132100213, 132100214, 132100215, F15206, F15220, F15820, F16310, F5663, F5894, F8755. **SUNDER VIHAR:** 1172000056, 1172000180, 1172000240, 1172000255, 1172000354, 1172000441, 1172000474, 1172000477, 1172000489, 1172000492, 1172000511, 1172000528, 1172000531, 1172000550, 1172000554, 1172000567, 1172000581, 1172000597, 1172000602, 1172000605, 1172000606, 1172000609, 1172000657, 1172000658, 1172000661, 1172000665, 1172000675, 1172000677, 1172000678, 1172000688, 1172000698, 1172000703, 1172000706, 1172000707, 1172000726, 1172000730, 1172000735, 1172000747, 1172000753, 1172000758, 1172001011, 1172001110, F20568, F24453, F8197. **TILAK NAGAR NEW DELHI:** 1390000348, 1390000385, 1390000438, 1390000442, 1390000461, 1390000463, 1390000479, 1390000486, 1390000491, 1390000493, 1390000508, 1390000516, 1390000521, 1390000525, 1390000544, 1390000549, 1390000567, 1390000575, 1390000581, 1390000595, 1390000617, 1390000631, 1390000634, 1390000645, 1390000651, 1390000677, 1390000707, 1390000728, 1390000733, 1390000734, 139000081, F15525, F15612, F15688, F19019, F20917, F21056, F21588. **UTTAM NAGAR:** 0686000084, 0686000438, 0686000560, 0686000563, 0686000564, 0686000583, 0686000657, 0686000662, 0686000678, 0686000694, 0686000723, 0686000740, 0686000742, 0686000751, 0686000756, 0686000757, 0686000772, 0686000778, 0688000810, 0686000822, 0686000841, 0686000111, 0686000114, 0686000115, 0686000116, 0686000127, 0688000196, 0686000212, 0686000240, 0686000242, 0686000273, 0686000296, 0686000300, 0686000321, 0686000326, F18185, F18401, F18533, F18708, F19432, F19464, F19534, F19603, F20038, F20127, F20371, F29239, F32834, F32875, F36860, F36904, F36916, F37862, F38074. **VIKAS NAGAR:** 414000123, 414000142, 414000188, 414000252, 414000289, 414000290, 414000312, 414000318, 414000321, 414000322, 414000329, 414000340, 414000341, 414000344, 414000360, 414000382, 414000385, 414000390, 414000433, 414000434, 414000437, 414000452, 414000464, 414000474, 414000480, 414000493, 414000513, 414000517, 414000519, 414000534, 414000537, 414000554, 414000562, 414000570, 414000581, 414000590, 414000598, 414000675, 414000703, 414000708, 414000710, 414000730, 414000733, 414000755, 414000763, 414000783, 414000791, 414000793, 414000805, 414000822, 414000826, 414000830, 414000851, 414000855, 414000860, 414000871, 414000872, 414000879, 414000885, F11450, F11721, F4097, F5143. **VIKASPURI:** 4109000053, 4109000082, 4109000085, 4109000086, 4109000091, 4109000098, 4109000109, 4109000164, 4109000177, 4109000189, 4109000020, 4109000026, 4109000027, 4109000040, 4109000041.

नीलामी अपनी –अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाईतो नीलामी 12.09.2024 & 13.09.2024 को सुबह 10.00 बजे Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, 14/477, Main Red Light, Sunder Vihar, Near South India Bank, New Delhi , Delhi - 110087, पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फ़ोटो पहचान - पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफ़र करना होगा । — **मुत्तूट फ़िनकॉर्प लिमिटेड**

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीटीएस नं. 79/1, चौरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036,

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा-सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद"उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, क्योंकि नाम पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वह 17 नवंबर 2023 से प्रभावी होकर **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** में परिवर्तित हो चुका है (पूर्व में मैस्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात तथा मूलतः जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमीकृत) (अधिनियम के अनुसार, यहां इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभूत ऋणदाता" के रूप में संदर्भित) उपरोक्त कॉर्पोरेट / पंजीकृत कार्यालय–पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए नीचे दिनांकित एक मांग नोटिस जारी किया। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है क

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण,
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
2024 के सी.ए. (सी.ए.ए.) संख्या 6/सीएचडी/एचआरवाई
के मामले में:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और 234 तथा कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत याचिका
और
निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना
के मामले में:

पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो 18 मई, 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई थी और भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसका अस्तित्व जारी रखा गया है, जिसका सीआईएन : U67100HR1998PTC113312 है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 में है।

...आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी

के साथ

पाइन लैब्स लिमिटेड, सिंगापुर यूईएन नंबर 201319166R, के साथ शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी है, जो सिंगापुर के कंपनी अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई है और इसका पंजीकृत कार्यालय 38, बीच रोच, नं. 29–11, साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर, 189767 में है।

...गैर–आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी

और

उनके संबंधित शेयर धारक

फॉर्म नं. सी.ए.ए. 2

आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 12 अगस्त, 2024 के आदेश (**"आदेश"**) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (**"न्यायाधिकरण"**) की चंडीगढ़ पीठ द्वारा पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (**"हस्तांतरिती कंपनी"**) के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों के बीच विचार करने के उद्देश्य से तथा यदि उचित समझा जाए तो आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी और पाइन लैब्स लिमिटेड, अर्थात् गैर–आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 230–232 के साथ पठित धारा 234 और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016, और सिंगापुर के कंपनी अधिनियम 1967 की धारा 212 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सहित धारा 210 के अनुसरण में (**"योजना"**) संशोधन के साथ या संशोधन के बिना अनुमोदन देने के लिए अलग–अलग वर्चुअल बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश के पालन में और उसमें दिए गए निर्देशानुसार, आगे की सूचना (**"सूचना" या "सूचनाएं"**) दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2023 को हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की अलग–अलग वर्चुअल बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**"वीसी"**) (**"बैठकें"**) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, (बैठक के लिए मानद स्थान पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 है) इस प्रकार, आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और / या अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस समय बैठक में भाग लें, विचार करें, और यदि उपयुक्त हो, तो अधिनियम की धारा 232 (1) के साथ पठित धारा 230 (1) के तहत निर्धारित अपेक्षित बहुमत से योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पारित करें :

क्र. सं.	बैठकें	दिन और दिनांक	समय
1	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 11 बजे
2	अप्रतिभूत लेनदार	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 12 बजे

रिमोट ई–वोटिंग का विकल्प चुनने वाले इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदारों को केवल बैठकों में शामिल होने और भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन बैठकों के दौरान फिर से वोट करने का अधिकार नहीं होगा।

भाग लेने और वोट करने के अधिकार रखने वाले व्यक्ति, वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली उक्त बैठकों के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा के माध्यम से वोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति 31 दिसंबर, 2023 तक शेयरधारक/अप्रतिभूत लेनदार हैं, उन्हें केवल ई–वोटिंग या रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का अधिकार होगा। आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी ने आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को वीसी के माध्यम से बैठकों में शामिल होने, भाग लेने और ई–वोट करने में सक्षम बनाने के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (**"केफिन"**) को नियुक्त किया है।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि 24 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय पर शुरू होगी और 27 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को केफिन द्वारा वोटिंग के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदार वोटिंग के लिए केवल एक मोड चुन सकते हैं, अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग या बैठक के दौरान ई–वोटिंग।

योजना की प्रतियां, बैठकों के लिए नोटिस और अधिनियम की धारा 230 (3) के तहत व्याख्यात्मक वक्तव्य और इसमें संदर्भित सभी दस्तावेज केफिन की वेबसाइट (https://emeetings.kfintech.com), और आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी की वेबसाइट (www.pinelabs.com) पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यूनिट संख्या 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 और कंपनी के नेगम कार्यालय कैंडोर टेकस्पेस, चौथी और पांचवीं मंजिल, टॉवर–6, प्लॉट संख्या बी–2, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, भारत में शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच बैठकों की तारीख तक और बैठकों में भी निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड – एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखने के साथ एक ईमेल भेजा जा सकता है।

बैठकों के लिए नोटिस की प्रतियां संलग्न दस्तावेजों के साथ, 23 अगस्त, 2024 को आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को 31 दिसंबर, 2023 तक, उनके अंतिम ज्ञात ई–मेल पतों पर, जो आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के पास उपलब्ध हैं, अनुमत तरीकों (अर्थात् ईमेल) द्वारा भेजी गई हैं। बैठकों के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के संबंध में निर्देशों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा उक्त नोटिस का संदर्भ देखा जा सकता है।

यदि कोई ऐसा इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार है, जिसका ई–मेल पता आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, और वह नोटिस की सॉफ्ट कॉपी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्राप्त करना चाहता है तो उनसे अनुरोध है कि वे cosecy@pinelabs.com, पर ई–मेल भेजें, साथ ही उन इक्विटी शेयरधारक(कों) या अप्रतिभूत लेनदार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रदान करें, जिसमें बैठक की सूचना और बैठक की तिथि तक ई–वोटिंग निर्देश भेजने के लिए ई–मेल पता, मोबाइल नंबर और स्व–सत्यापित पैन प्रति (और भौतिक फोलियो के मामले में इक्विटी शेयरधारक होने पर शेयर प्रमाण पत्र की एक प्रति) प्रदान करें, और आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इन इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को नोटिस की सॉफ्ट कॉपी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्रदान की जाएगी।

यदि कोई इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दस्तावेजों को भौतिक रूप से देखना चाहता है तो संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां ऐसे इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत लेनदार को मांग प्राप्त होने के एक दिन के अंदर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें आवश्यकता हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए, cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड – एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखकर एक ईमेल भेजा जा सकता है।

ये बैठकें वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदार की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, बैठकों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जबकि एक निकाय कॉर्पोरेट जो आवेदक कंपनी/हस्तांतरित कंपनी का इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार है, उसे वीसी के माध्यम से आयोजित बैठकों के दौरान भाग लेने और/या मतदान करने के प्रयोजनों के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण द्वारा कथित बैठकों के लिए श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.पी. नागरथ को अध्यक्ष तथा श्री विश्वजीत सिंह, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

न्यायाधिकरण ने सुश्री अर्शदीप कौर जज, कंपनी सचिव को उक्त बैठकों का संवीक्षक नियुक्त किया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी सहायता या शिकायत के मामले में संबंधित शेयरधारक और/या अप्रतिभूत ऋणदाता केफिन के उप महाप्रबंधक श्री एस.वी. राजू से संपर्क कर सकते हैं, जिनका कार्यालय सेलेनियम, प्लॉट 31 और 32, गाछी बावली वित्तीय जिला, नानकमुडा, हैदराबाद–500 032 पर है, einward.ris@kfintech.com तथा evoting@kfintech.com पर केफिन के टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें।

यदि यह योजना बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो अन्य बातों के साथ–साथ न्यायाधिकरण द्वारा बाद में दिए गए अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांक: 24 अगस्त, 2024
स्थान: गुरुग्राम

हस्ताक्षर
इंद्रेश कुमार गुप्ता
निदेशक, पाइन लैब्स प्रा. लि.
डीआईएन : 07488823

फोन : 0124-6949200;
ई मेल : cosecy@pinelabs.com; वेबसाइट : www.pinelabs.com

NIIT **एनआईआईटी लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम – 122001, हरियाणा
CIN: L74899HR1981PLC107123
फोन: +91 (124) 4293000; **वेबसाइट:** www.niit.com; **ईमेल:** investors@niit.com

41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एनआईआईटी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे (आईएसटी) पर एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो पद्धति (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 तथा सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में होगी जो कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति देता है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम, की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.niit.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करके रिमोटली वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम की सूचना में वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया/निर्देश, डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंगशामिल होंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.niitmts.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्यगण जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वह एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन क्रेडेशियल्स प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे।

कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे। रिमोट ई–वोटिंग अवधि गुरूवार, 19 सितम्बर, 2024 (प्रातः 9:00 बजे) प्रारंभ होगी और 23 सितम्बर, 2024 (सायं 5:00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। यदि रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग दोनों माध्यमों से वोट दिया जाता है तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और एजीएम में की गई ई–वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

श्री नित्यानंद सिंह, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2668; सीपी 2388) या उनकी अनुपस्थिति में श्री मोहित बंसल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 11292; सीपी 16860), मैसर्स नित्यानंद सिंह एंड कंपनी को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई–मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिमेट खाता नम्बर, ई–मेल आईडी, मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niit.com पर भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 तक खुला रहेगा। कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करने वाले सदस्यगण पंजीकरण एवं एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे।

जो भी सदस्यगण कोई भी पूछताछ या जानकारी चाहते है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम से न्यूनतम 7 दिन पहले कंपनी को investors@niit.com पर ईमेल लिखकर भेजें।

केवाईसी/ई–मेल पता/बैंक विवरण पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया:

भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2023/70 दिनांक 17 मई, 2023, समय–समय पर यथाशोधित के माध्यम से आधार से जुड़े पैन, केवाईसी विवरण (अर्थात्, पिन कोड के साथ डाक पता, ई–मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण इत्यादि) और प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2024 से लाभांश का कोई भी भुगतान केवल भौतिक शेयरधारकों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा। वे भौतिक शेयरधारक जिनका केवाईसी आरटीए/कंपनी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है; उनके लाभांश का भुगतान फिजिकल फोलियो में केवाईसी अपडेट होने पर ही किया जाएगा।

जिन सदस्यों के पास डीमैट प्रारूप में शेयर हैं उन्हें लाभांश के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए अपने बैंक विवरण, ई–मेल पता, डाक पता, संपर्क नंबर और नामांकन विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने डीमैट खाते में अपडेट रखना चाहिए।

इसके अलावा, सेबी ने आदेश दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल डीमैट प्रारूप में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। डीमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टफोलियो प्रबंधन और लाभांश भुगतान में आसानी के लिए अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक रूप में डीमटेरियलाइज करें।

सदस्य आरटीए/या कंपनी की वेबसाइट पर अपेक्षित फॉर्म/दस्तावेज भेजने के लिए सेबी मास्टर सर्कुलर, प्रासंगिक निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म, केवाईसी फॉर्म और संपर्क विवरण देख सकते हैं।

लाभांश/स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/विदहोल्डिंग टैक्स पर जानकारी:

निदेशक मंडल ने 24 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रु. 0.75/– प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बृहस्पतिवार, 5 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या शेयरों के लाभार्थी स्वामियों के रूप में डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शामिल होंगे। अंतिम लाभांश एजीएम में सदस्यों की मंजूरी के अधीन उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान (स्रोत पर कर की कटौती के बाद) किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन शेयरधारकों ने डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राट/चेक भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए फोलियो नंबर के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, स्व–सत्यापित रद्द चेक और पैन की प्रति के साथ अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं) के साथ अपने संपूर्ण बैंक विवरण अपडेट करें और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट – अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (जहां शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं) के साथ अपडेट करें।

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') में अधिदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') काटने की आवश्यकता होगी। हमें लागू उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए शेयरधारकों से आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए, अधिनियम की धारा 194 के तहत स्रोत पर कर कटौती निम्नानुसार की जाएगी:

वैध स्थायी लेखा संख्या (पैन) वाले शेयरधारक	10 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
ऐसे शेयरधारक जिनके पास पैन/वैध पैन नहीं है	20 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

हालाँकि, रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला कुल लाभांश रु. 5,000/– से अधिक नहीं है और ऐसे मामलों में भी जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच (फॉर्म 15एच 60 वर्ष या अधिक आयु के रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लागू है) प्रदान करते हैं। रेजीडेंट शेयरधारक कम/शून्य कर कटौती का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15जी/15एच या ऊपर उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले शेयरधारकों के लिए पैन अनिवार्य है।

नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए धारा 195 के प्रावधानों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार लागू दरों पर कर विदहेल्ड करना आवश्यक है। देय लाभांश राशि पर विदहोल्डिंग टैक्स 20 प्रतिशत दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार होगा। हालाँकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों के पास भारत और शेयरधारक(कों) का टैक्स रेजीडेंस, यदि वे उनके लिए अधिक लाभदायक हैं, देश के बीच बहुपक्षीय साधन ('एमएलआई') के साथ पढ़े जाने वाले दोहरे कर बचाव समझौते ('डीटीएए') के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। इस उद्देश्य के लिए एमएलआई के साथ पठित डीटीए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रदान करना होगा:

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति;
- जिस देश का शेयरधारक निवासी है उस देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वित्त वर्ष 2024–25 के लिए टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति;
- भारतीय आयकर पोर्टल पर विधिवत भरे गए फॉर्म 10एफ की प्रति। इस फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से पंजीकरण करके भारतीय आयकर पोर्टल पर दाखिल करना होगा; https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/register
- नॉन–रेजीडेंट से स्व–घोषणा, मुख्य रूप से निम्नलिखित को शामिल करती है:
- नॉन–रेजीडेंट संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है;
- लाभांश आय प्राप्त करने वाला नॉन–रेजीडेंट ऐसी आय का लाभकारी स्वामी है;
- लाभांश आय भारत में किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान ('पीई') या निश्चित आधार से संबंधित/प्रभावी रूप से जुड़ी नहीं है;
- नॉन–रेजीडेंट प्रासंगिक कर संधि और एमएलआई के तहत प्रावधानों में निर्धारित किसी भी अन्य शर्त का अनुपालन करता है;
- नॉन–रेजीडेंट के पास भारत में प्रभावी प्रबंधन का स्थान नहीं है;

विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मामले में आईटी अधिनियम की धारा 196डी के तहत उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के अधीन 20 प्रतिशत (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) या एमएलआई के साथ पठित प्रासंगिक डीटीएए में प्रदान की गई दर, जो भी अधिक लाभकारी हो, के तहत कर काटा जाएगा।

यह सूचना परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लिमिटेड
हस्ता./–
अर्पिता बिसारिया मल्लोत्रा
कंपनी सचिव

स्थान: गुरूग्राम
दिनांक: 23 अगस्त, 2024

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
स्टेडियम रोड (2365) शाखा, पी–5/15, स्टेडियम रोड, डी.डी. पुरम, बरेली–243001

क्षेत्रीय कार्यालय: बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ –250005

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **22.08.2024** को ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

क्र0 सं0	ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	श्री अजय कपूर पुत्र रामनाथ कपूर निवासी– ए2/10वां फ्लैट 1001 अस्मिता ज्योति को–ऑप–हाउसिंग सोसाइटी, लिंक रोड, मुंबई, महाराष्ट्र–400095	आवासीय मकान स्थित खसरा संख्या: 637 मिन, 640 मिन, 641 मिन बिहार मान नगला, तहसील, बरेली, यू.पी.–243001, स्वामित्व श्री अजय कपूर, कुल क्षेत्रफल: 119.09 वर्ग गज या 99.57 वर्ग मीटर, **सीमायें:**–पूर्व: राजीव पंडित का मकान, पश्चिम: 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: अयाज अहमद का प्लॉट, दक्षिण: किरण बत्रा का मकान।	14.03.2023 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 18,56,637.00 दिनांक 28.02.2023 तक + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	22.08.2024	रू 22,23,428.58 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक– 23.08.2024 **प्राधिकृत अधिकारी**

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी दिल्ली रोड, हिसार – 125 005 (हरियाणा)
ई–मेल: vchugh@hisarmetal.com; **फोन:** (01662) 220067, 220367, 220738 **फैक्स:** (01662) 220265
सीआईएन: L74899HR1990PLC030937

34वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई–मतदान की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार (हरियाणा) में 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई ह

फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 11वां तल, नारायणा मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन नं. 011-43621200, CIN: U74899DL1994PLC057651
ई-मेल आईडी: nghai@dalmiaholdings.com

30वीं वार्षिक आम सभा जो विडियों कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियों विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 30 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को 3.00 बजे अप. आईएसटी में विडियों कान्फ्रैंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियों विजुअल माध्यमों ''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा एजीएम की सूचना जिसमें अन्य बातों के अलावे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश शामिल हैं, में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीय दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 तथा उसके अंतर्गत जारी सम्युलर्स के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जायेगी।

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा उन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं। उनसे आग्रह है कि एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट वोटिंग/ ई-मेल द्वारा ई-वोटिंग के लिये लागित विवरणों की प्रति प्राप्त करने के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतर्गत एजेन्ट (लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड) के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाईल नम्बर पंजीकृत करा लें तथा डिमेटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (''डीपी'') से सम्पर्क करें तथा डीपी द्वारा परामर्श के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें।

सदस्यों के पास रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यावसायिक मदों पर रिमोटली अपना मतदान करने का अवसर होगा। भौतिक शेयरधारकों अथवा ऐसे शेयरधारक में जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं सहित रिमोट ई-वोटिंग/ प्रणाली द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जायेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिपोर्ट तथा मतदान के लिये लॉगिन के विवरणों के साथ एजीएम की सूचना की प्रति नियत समय पर ऐसे सभी सदस्यों को भी जीएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डीपी के पास पंजीकृत हैं।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्यों से आग्रह हैं कि **delhi@linkintime.co.in** पर आरटीए अथवा **nghai@dalmiaholdings.com.** पर कम्पनी को लिखें वार्षिक रिपोर्ट के साथ उक्त 30 वीं एजीएम की सूचना नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट **https://www.evoting.nsdl.com.** पर उपलब्ध होगा।

कृते, फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड
हस्ता/- नरेश कुमार घई
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 23.08.2024

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27-बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400 051
शाखा कार्यालय : ईपीआईसीएएच मॉल, द्वितीय तल, 68, 68/1, नजफगढ़ मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

माँग सूचना

वित्तीय परिसंत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) जिसका शाखा कार्यालय ईपीआईसीएएच मॉल, द्वितीय तल, 68, 68/1, नजफगढ़ मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 में है, से ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं, वे ऋण सुविधा की व्यापक ईएमआई चुकाने और / या केएमबीएल को उनकी क्रेडिट सुविधाओं के ब्याज की पूर्ति करने में असफल रहे हैं और इसीलिये उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ताओं ने केएमबीएल को अचल संपत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध करायी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। तिथि के अनुसार ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा केएमबीएल को भुगतान की जानेवाली बकाया और देय राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

एतद्द्वारा उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं / गारंटर के साथ-साथ जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं / गारंटर के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्तागण इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर निम्न तालिका में अपने नाम के सामने दर्शाए गए बकाया को चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्तियों का अधिग्रहण करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी सम्मिलित है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि वे यहां नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति का लेन-देन न करें।

उधारकर्ताओं / गारंटर एवं बंधककर्ता के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) के विवरण
1. श्री सचिन शर्मा (उधारकर्ता और बंधककर्ता) पुत्र मेज. जे.के. शर्मा, मकान नंबर-627, सेक्टर-28, नोएडा, उत्तर प्रदेश-20130, 2. श्रीमती गुंजन शर्मा (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर-627, सेक्टर-28, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301, 3. हॉलिडे इंडिया (सह-उधारकर्ता) अपने साझीदार श्री सचिन शर्मा के माध्यम से, मकान नंबर-627, सेक्टर-28, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, अन्य पता : 21, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, 4. हाई डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सह-उधारकर्ता) अपने निदेशक श्री सचिन शर्मा के माध्यम से, 21, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, 5. श्री जुगल किशोर शर्मा (सह-उधारकर्ता) मकान नंबर-627, सेक्टर-28, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिसमें निम्न सम्मिलित है : "आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन बिल्ट-अप रेजिडेंशियल टाइप-IV, ड्वलिंग यूनिट बियरिंग (फ्लैट) नंबर 1566, (द्वितीय तल) जो सेक्टर-37, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका सुपर एरिया 1225 वर्ग फीट अर्थात् 113.81 वर्ग मीटर है, जो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन (ए.डब्ल्यू.एच.ओ) के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण द्वारा विधिवत आबंटित किया गया है तथा निम्नानुसार परिसी. मित है :- उत्तर पूर्व- खुला, उत्तर पश्चिम- खुला, दक्षिण पूर्व- खुला, दक्षिण पश्चिम- फ्लैट नं. 1563
	ऋण खाता संख्या, माँग सूचना तिथि एवं राशि
	ऋण खाता संख्या HF14215973, माँग सूचना तिथि : 12/08/2024, बकाया राशि : रु. 16,50,211.20/- (रुपये सोलह लाख पचास हजार दो सौ ग्यारह तथा बीस पैसे मात्र) 12 अगस्त 2024 के अनुसार।
एनपीए तिथि : 09 अप्रैल 20204	

दिनांक : 24-08-2024, स्थान : नोएडा — कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

सीआईएन -एल74110डीएल1984पीएलसी018467
पंजीकृत कार्यालय : - पंजीकृत कार्यालय : - 109 - ए (प्रथम तल), सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली -110001
फोन नंबर - 011 - 41514958, ईमेल - cs@sabrimala.co.in, वेबसाइट - www.sabrimala.co.in

40वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बही समापन की सूचना

1. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्रों के साथ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके।
2. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैठक की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (**www.sabrimala.co.in**) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी **www.bseindia.com** पर उपलब्ध हैं।
3. बैठक में किए जाने वाले साधारण और विशेष व्यवसायों को निर्धारित करने वाली बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निदेशक की रिपोर्ट उन सदस्यों को उनके संबंधित पंजीकृत पतों पर भेज दी गई है, जिन्होंने कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके संबंधित पंजीकृत पते पर भेज दी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कट-ऑफ तिथि 16.08.2024 तक कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।
4. जो सदस्य भौतिक रूप से शेयर रखते हैं और उनका ईमेल पता कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य(ओं) द्वारा हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति भेजकर जल्द से जल्द अपना ईमेल पता पंजीकृत करवाएं, जिसमें उनका नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के पास रखे गए शेयरों की संख्या, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति और निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हों। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। ईमेल पता पंजीकृत करने के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य कंपनी आरटीए को **admin@skylinerta.com** पर लिख सकते हैं।
5. सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा (ई-वोटिंग) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को सुबह 09:00 बजे (IST) से शुरू होगी और सोमवार 16 सितंबर 2024 को शाम 05:00 बजे (ष्ज्) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार 10 सितंबर 2024 को शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें आगामी वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से गुरुवार 12 सितंबर 2024 से शुक्रवार 13 सितंबर 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
सुरेश कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 01835169

दिनांक : 24.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herohfl.com
वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, सीआईएन: U65192DL2016PLC30148
संपर्क पता:- भवन संख्या 7, दूसरी मंजिल, सामुदायिक केंद्र, बसंतलोक, वसंत विहार, नई दिल्ली- 110057

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (**HHFL**) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्याः	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु. में	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
HHFLUCHOU20000011620	सैयद मासूम रजा रिजवी, कनीज बानो	16-अगस्त-2024 तक रुपये 25,18,801/-	20-अगस्त-2024 / 04-अगस्त-2024
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों /अचल संपत्तियो/गिरवी संपत्तियों का विवरणः ग्राम-मुफ्तीगंज, वार्ड- दौलतगंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्लैट नंबर 303, जिसका माप 840 वर्ग फीट यानी 78.066 वर्ग मीटर, तीसरी मंजिल पर प्लॉट नंबर 17 और 22 के हिस्से पर निर्मित है। चौहद्दी : पूर्वः फ्लैट नंबर 304, उत्तरः मार्ग, पश्चिमः खुला आकाश, दक्षिणः खुला आकाश,			
HHFLUCHOU20000011655	सैयद मासूम रजा रिजवी, कनीज़ बानो	16-अगस्त-2024 तक रु. 20,30,121/-	20-अगस्त-2024 / 04-अगस्त-2024
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों /अचल संपत्तियो/गिरवी संपत्तियों का विवरणः ग्राम-मुफ्तीगंज, वार्ड-दौलतगंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्लैट नंबर 304, माप -720 वर्ग फीट यानी 66.914 वर्ग मीटर, तीसरी मंजिल पर प्लॉट नंबर 17 और 22 के हिस्से पर निर्मित है। चौहद्दी : पूर्वः खुला आकाश, उत्तरः प्रवेश द्वार, पश्चिमः फ्लैट नं. 303, दक्षिणः खुला आकाश,			

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज,आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 24-अगस्त-2024
स्थान : लखनऊ, — हस्ता / -अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय के अधिकारी-I/II ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 2)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001

डिमांड नोटिस

(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 28 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी/76/2024 — दिनांकः 19.07.2024

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्री रोहित कुमार लला रोहित कुमार लाल

सेवा में,
(सीडी 1) मैसर्स रूद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 309, पदमा टावर-2, राजेन्द्र पैलेस नई दिल्ली, सेन्ट्रल, दिल्ली- 110091

यह सूचित करना है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 2) के अनुसार, **टीए/390/2023** में **रू0 51,26,664** (रू0 इक्यावन लाख छब्बीस हजार छ सौ चौसठ मात्र) के साथ-साथ पेंडेंट लाइट और दिनांक 10.10.2023 से भविष्य के ब्याज के साथ @10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से लगने वाला ब्याज एवं अन्य खर्चे चुकता होने तक बकाया है और लागत **रू0 54,000/-** (रूपये चौवन हजार मात्र) आपके (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से) विरूद्ध हो गए हैं।

2. आपको सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें लिए निर्देश देता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको यह आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले आपकी सम्पत्ति के विवरण को एक हलफनामे पर घोषित किया जाए।

4. आपको आगे कि कार्यवाही के लिए **दिनांक 26.09.2024** को सुबह 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।

5. उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरादायी होंगे।

ए) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।

बी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 19.07.2024 से जारी।

हस्ताक्षर
ऋण वसूली, अधिकरण, दिल्ली (डीआरटी-2)

इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(CIN:067110MH2006PLC305312)
पंजी. कार्यालयः वन इंटरनेशनल सेंटर, टावर-1, चौथी मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, एलफिंस्टन (डब्ल्यू), मुंबई-400013, दूरभाषः (022) 62589220 फैक्सः (022) 62589295
कार्पा. कार्यालयः प्लॉट नंबर 108, 5वीं मंजिल आईटी पार्क, उद्योग विहार, चरण I, गुरुग्राम - 122016 टेलीफोन/फैक्सः (0124) 4109501

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबुल्स एआरसी-IX, ट्रस्ट का ट्रस्टी का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज के (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **मैसर्स श्री कृष्णा मेडिकोज मालिक प्रो. चंदर सेन दतवानी,** चंदर सेन दतवानी तथा हर्षा दतवानी को आमंत्रित करते हुए ऋण खाता संख्या 650014105211 के अंतर्गत दिनांक 31.07.2023 को रु. 4,68,80,604/- (रुपये चार करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार छह सौ चार मात्र) के लिए 23.08.2023 डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज के (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा 22.08.2024 ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन दिनांक 31.07.2023 को रु. 4,68,80,604/- (रुपये चार करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार छह सौ चार मात्र) के लिए इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबुल्स एआरसी-IX, ट्रस्ट का ट्रस्टी के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

अचल संपत्ति की विवरण

आवासीय भूखंड संख्या 231 (उत्तरी भाग), पद्मावती कॉलोनी, प्रथम किंग्स रोड, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर- 302019, 150 वर्ग गज क्षेत्रफल, जिसके मालिक चंद्र सेन दतवानी और हर्षा दतवानी हैं।

यह संपत्ति बिक्री विलेख दिनांक 16.02.2015 द्वारा पंजीकृत है, जिसका दस्तावेज संख्या 2015052001781 है, जो पुस्तक संख्या I, खंड संख्या 946 में पृष्ठ संख्या 44 पर है, साथ ही मूल उप-विभाजन और नाम हस्तांतरण पत्र संख्या 3051 दिनांक 15.12.2017 है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चंद्र सेन दतवानी और हर्षा दतवानी के पक्ष में साइट प्लान के साथ जारी किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 24.08.2024 — इंडियाबुल्स एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
स्थानः जयपुर (राजस्थान) — इंडियाबुल्स एआरसी-IX, ट्रस्ट का ट्रस्टी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

सर्कल शस्त्र केंद्र मंडी, खलियार जवाहर नगर, मंडी एच.पी. फोन नं. 01905-222094

15 दिन का नोटिस — दिनांकः 22.08.2024

खाता संख्या 091100जेके00045207 और 091100ईजी00000106 मेसर्स लियो ट्रैवल हाइट्स प्रोप. इंदर मोहन दीवान द्वारा ली गई ऋण सुविधा सभी उधारकर्ताओं/गारंटरों/सह-दायित्वकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा प्रत्येक खाते के विरुद्ध नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लिए गए ऋण वहां उल्लिखित तिथियों पर एनपीए बन गए हैं। पंजीकृत ए.डी. पोस्ट के माध्यम से उन्हें भेजा गया 15 दिन का नोटिस बिना वितरित किए/स्वीकृति नहीं दिए वापस आ गया है।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार/गारंटर के नाम	सुविधा का नाम	प्रतिभूति	15 दिनों के नोटिस की तिथि / एनपीए की तिथि	31.07.2024 को शेष बकाया
1.	नेरचौक जिला मंडी हिप्र	उधारकर्ताः श्री इंदर मोहन दीवान प्रॉप. मेसर्स लियो ट्रैवल हाइट्स	परिवहन ऋण जीईसीएल ऋण	वोल्वो बस धारक पंजीकरण सं. HR55AE0015 व HR55AE0786 व DL1PC5445 का दृष्टिबंधक।	02.05.2024 / 01.05.2024	2,26,00,819.78/- रु. (केवल दो करोड़ छब्बीस लाख आठ सौ उन्नीस रुपए तथा अठहत्तर पैसे) जमा आगामी ब्याज तथा प्रभार।
	पहला पताः एफ79/6, वेस्टर्न एवेन्यू, डब्ल्यू-1 लेन खानपुर, सैनिक फार्म, पुष्पा भवन, दक्षिण दिल्ली 110062 दूसरा पताः एफ76/6, वेस्टर्न एवेन्यू, डब्ल्यू-1 लेन खानपुर, सैनिक फार्म, पुष्पा भवन, दक्षिण दिल्ली 110062 गारंटरः श्री रोहन दीवान पुत्र इंदर मोहन दीवान पहला पताः एफ79/6, वेस्टर्न एवेन्यू, डब्ल्यू-1 लेन खानपुर, सैनिक फार्म, पुष्पा भवन, दक्षिण दिल्ली 110062 दूसरा पताः एफ76/6, वेस्टर्न एवेन्यू, डब्ल्यू-1 लेन खानपुर, सैनिक फार्म, पुष्पा भवन, दक्षिण दिल्ली 110062					

अब इस प्रकाशन के माध्यम से, सुरक्षित ऋणदाता (बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, नीचे हस्ताक्षरकर्ता आपसे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, भविष्य के ब्याज और व्यय/प्रभार के साथ बकाया देयता राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। कृपया ध्यान दें कि 15 दिनों के समय के भीतर ऐसा करने में आपकी ओर से विफल होने की स्थिति में, बैंक वाहन/बस एचआर55एई0015 और एचआर55एई0786 और डीएल1पीसी5445 को जब्त करने और कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा आपके द्वारा निष्पादित ऋण समझौते/दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार बैंक के बकाए की वसूली के लिए इसकी बिक्री के लिए आगे बढ़ने का हकदार होगा। कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त ऋण खाते में बैंक को गिरवी रखे गए वाहन/अन्य परिसंपत्तियों को हस्तांतरित नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है, आप ऐसी स्थिति से बचेंगे और तुरंत राशि जमा करेंगे।

स्थानः मंडी (हि.प्र.) — प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 22.08.2024 — पीएनबी सर्कल शस्त्र केंद्र, मंडी

S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044, India; **Email:** investors@schandgroup.com; **Website:** www.schandgroup.com; **Phone:** +91 11 49731800; **Fax:** +91 11 49731801; **CIN:** L22219DL1970PLC005400

NOTICE OF THE 53rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (**"AGM"**) of the members of S Chand And Company Limited (**"Company"**) will be held on Friday, September 20, 2024 at 11:30 A.M. through video conferencing in compliance with the applicable provisions of The Companies Act, 2013 and The Ministry of Corporate Affairs General Circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 02/2022 dated May 05, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 (**"MCA Circulars"**).

In compliance of the aforesaid MCA Circulars and The Securities and Exchange Board of India circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023, electronic copies of the Annual Report for the financial year 2023-24 along with the notice of the AGM have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) as on August 16, 2024. These documents are also available on the Company's website www.schandgroup.com, on the website of the stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of Link Intime India Private Limited https://instavote.linkintime.co.in. The dispatch of the Annual Report and notice of the AGM through e-mail has been completed on August 23, 2024.

Members who have not registered their email IDs are requested to register the same with their respective depository participant(s).

Members (including those who have not registered their email

PRABHAT SECURITIES LIMITED

CIN: L22022UP1982PLC005759
R/O: '118/610 A, Kaushalpuri, Kanpur-208012, Ph: 512-2526347,
E Mail: prabhatsecurities@gmail.com,
Website: www.prabhatsecuritiesltd.co.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held physically on Friday, the 16th September, 2024 at 11.30 a.m. (IST), at the Registered Office of the Company at 118/610A, Kaushalpuri,Kanpur-208012 (U.P.) to transact the business set out in the notice dated 08.2023

Electronic copy of Notice of the 42nd AGM including Instructions for e-voting, Attendance Slip , Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2023-2024 have been sent to all the members whose email IDs are registered With the Company/Depository Participant(s) . Physical copies of such documents have been sent to all other members at their registered addresses by permitted mode.The aforesaid documents will also be available on the company's website https://www.prabhatsecuritiesltd.co.in, website of the stock exchanges, i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) and Calcutta stock Exchange (CSE) at www.msei.in and www.cse-india.com respectively.

Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Discloser Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 9th September, 2024 to 16th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Discloser Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

All the members are informed that:-

(a) The Notice has been dispatched/emailed to all the members and the process has been completed by Friday, 23rd August,2024.

(b) The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e voting or voting at the AGM is 9th September 2024.

(c) The remote E-voting shall commence on September 13th , 2024 at 09:00 a.m. IST and end on September 15th, 2024 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

(d) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote once again at the AGM.

(e) The facility of voting through electronic voting/ ballot paper, shall also be made available at the AGM for members who have not already cast their vote prior to the meeting by remote e-voting. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company between 11.00 AM. to 3.00 P.M. on all working days upto the date of AGM and also at the venue of the AGM.

(f) The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 9th September,2024. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e 9th September,2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM.

(g) A person, who has acquired shares and become member of the Company after the email sending date i.e 23rd August,2024 and holding shares on cut off date i.e. 9th September 2024, may obtain the procedure to login by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However if the person is already registered with CDSL for e voting than he can use his existing login ID/user ID and password for casting the vote through e voting.

(h) Members holding shares in Physical Mode, who have not registered/updated their email addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registrar at www.mdlpdc.com click on email registration and upload required documents therein.

(i) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their demat accounts.

(j) The Notice of AGM is available on the Company's website https://www.prabhatsecuritiesltd.co.in, and on CDSL website http://www.evoting.india.com/.

(k) The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 42nd Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on CDSL website http://www.evoting.india.com/. In case of any queries pertaining to e-voting, member can e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com and/or prabhatsecurities@gmail.com.

(l) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

(m) The Company has appointed Mr. Vaibhav Agnihotri, Practising Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM.

In case of any queries/grievances, Members can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800225533.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars issued from time to time.

For Prabhat Securities Limited
sd/- Ramakant Kushwaha
(Managing Director)

Place: Kanpur
Date: 23.08.2024

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, मण्डल कार्यालय इटावा, ई-मेल cs8223@pnb.co.in — CIRCLE SASTRA CENTRE, CIRCLE OFFICE ETAWAH EMAIL- cs8223@pnb.co.in

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, जोकि पंजाब नैशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी हैं, द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, की धारा 13 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ऋणियों को मांग नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसार मांग नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित धनराशि का भुगतान बैंक को करने की सूचना ऋणियों / जमानतकर्ता को दी गई थी।

ऋणियों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ऋणियों / उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दी गई सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है।

ऋणियों / जमानतकर्ताओं / बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशेष रूप से व जन साधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा विषयगत् सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और इस सम्बन्ध में किया गया कोई भी संव्यवहार पंजाब नैशनल बैंक के अधीनार्थित प्रभारों व देय ब्याज / खर्चों के अधीन होगा।

क्र सं.	शाखा का नाम खाता / उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम	प्रभारित / बंधक की गई परिसम्पत्ति (परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित) विवरणी	(अ)मांग नोटिस की तिथि (ब)सांकेतिक कब्जा की तिथि (स) बकाया शेष
1	**शाखाः बलब घर मैनपुरी (034800).** **उधारकर्ता / जमानतकर्ता / बंधककर्ता– (1)** मेसर्स श्री बांके बिहारी इंडस्ट्रीज (2) श्री पूरन सिंह (साझेदार / जमानतकर्ता) (3) श्री सतेंद्र सिंह (साझेदार / जमानतकर्ता) (4) श्रीमती रुक्मणी देवी (जमानतकर्ता) (5) श्रीमती श्यामा देवी (जमानतकर्ता) और (6) श्री धर्मेंद्र कुमार (जमानतकर्ता)	संपत्ति 1. भूमि, विक्रय अभिलेख संख्या 7647 दिनांक 17.10.2012 जिल्द क्रमांक 4621 पृष्ठ संख्या 153 / 166 पर पंजीकृत है, प्लॉट संख्या 830, मौजा हटफऊ, भोगांव, मैनपुरी क्षेत्रफल–0.364 हेक्टेयर सम्पत्ति मालिक– श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री पूरन सिंह। चौहददी– पूर्व– अल्फा श्री का खेत, पश्चिम– विनोद आदि का खेत, उत्तर–रविन्द्र आदि का खेत, दक्षिण– दुर्गपाल आदि का खेत। संपत्ति 2. भूमि, विक्रय विलेख संख्या 2887 दिनांक 15.05.2013 जिल्द संख्या 4790 पृष्ठ संख्या 119 / 154 पर पंजीकृत है, प्लाट संख्या 844 / 2 क्षेत्रफल 2.40 एकड़, प्लाट संख्या 835 क्षेत्रफल 0.471 / 2 एकड़ प्लाट संख्या 831 क्षेत्रफल 0.50 एकड़ मौजा हटफऊ, भोगांव, मैनपुरी। क्षेत्रफल– 3.37 एकड़। सम्पत्ति मालिक– श्री पूरन सिंह	(अ) 02.04.2024 (ब) 23.08.2024 (स)रू. 5,26,69,956.54 + ब्याज एवं अन्य खर्चे दि 01.04.2024 से प्रभावी

पुत्र स्व. स्वामीदीन यादव। चौहददी–: पूर्व– खुली भूमि (खसरा सं. 833 / 832 और 834), पश्चिम– खुली भूमि (खसरा सं. 841 और खसरा सं. 835 का शेष भाग), उत्तर– खुली भूमि (खसरा सं. 844, 844 घ और 844 जे का शेष भाग), दक्षिण– मैनपुरी कुसमरा रोड।

संपत्ति 3. भूमि, विक्रय विलेख संख्या 8776 दिनांक 18.12.2013 जिल्द संख्या 4992 पृष्ठ संख्या 311 / 388 पर पंजीकृत, प्लाट संख्या 833, मौजा हटफऊ, भोगांव, मैनपुरी कुल क्षेत्रफल– 1822 वर्ग मीटर सम्पत्ति मालिक– श्रीमती श्यामा देवी पत्नी पूरन सिंह। चौहददी: पूर्व– श्रीमती श्यामा देवी की संपत्ति संख्या 831, पश्चिम– श्रीमती श्यामा देवी की संपत्ति संख्या 835, उत्तर–श्री सुशील आदि की संपत्ति संख्या 832, दक्षिण–मैनपुरी कुसमरा रोड।

संपत्ति 4. आवासीय मकान स्थित आगरा बाई पास, निकट ट्रांसपोर्ट नगर, मैनपुरी (अ) विक्रय विलेख संख्या 6825 / 01.11.2006 रुक्मणी देवी के स्वामित्व में, क्षेत्रफल 27.88 वर्ग मीटर। (ब)विक्रय विलेख संख्या 6831 / 01.11.2006 श्यामा देवी के स्वामित्व में, क्षेत्रफल 9.29 वर्ग मीटर। (स)विक्रय विलेख संख्या 4463 / 18.08.07 श्यामा देवी के स्वामित्व में, क्षेत्रफल 111.60 वर्ग मीटर। कुल क्षेत्रफल– 148.77 वर्ग मीटर। सम्पत्ति मालिक– श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री पूरन सिंह और श्रीमती रुक्मणी देवी पत्नी श्री राजेंद्र सिंह। चौहददी: पूर्व– जिलेदार सिंह का प्लॉट, पश्चिम– श्रीमती श्यामा देवी का प्लॉट, उत्तर– 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण– आगरा बाई पास रोड

दिनांक 24.08.2024 स्थानः इटावा — प्राधिकृत अधिकारी

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

वरि0 मण्डल यांत्रिक इंजीनियर / उत्तर रेलवे, ट्रेनसेट डिपो, शकूरबस्ती, भारत के राष्ट्रपति की ओर से उनके लिए निम्नलिखित कार्य के लिए GeM पोर्टल (https://gem.gov.in) पर आमंत्रित की जाती है।

निविदा संख्या	GEM/2024/B/5309430
कार्य का विवरणः	तीन साल की अवधि के लिए ट्रेनसेट डिपो शकूरबस्ती में डेमू टीसी के कोचों में स्थापित बायो टॉयलेट्स के वार्षिक रखरखाव और संचालन अनुबंध (एएमओसी) का प्रावधान।
अनुमानित लागत	₹ 18,55,019.16 / – (GST–सहित)
बयाना राशि	₹ 37,110 / –
कार्य अवधि	03 वर्ष
निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि, समय	11.09.2024, 10:30 बजे
निविदा प्रपत्र डाउन लोड करने के इंटरनेट साइट	उपरोक्त निविदा GeM पोर्टल पर उपलब्ध है जो कि है https://gem.gov.in दिनांक 21.08.2024, 10:05 बजे से प्रभावी है।

सं०–258873DSLSSBR दिनांक–22.08.2024 — 2619/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 45, भूतल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
सीआईएन : L31900DL2009PLC195174, वेबसाइट : www.wonderelectricals.com, दूरभाष सं.: 011 . 66058952

वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होनेवाली 15वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा **वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड {जिसे पहले वंडर फाइब्रोमैट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था}** ("कंपनी") के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 15वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार 24 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे आईएसटी वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023, सेबी द्वारा जारी 07 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी–पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी द्वारा जारी अन्य परिपत्रों के साथ पठित हैं, वीडियो कांफ्रेंस / अन्य आडियो विजुअल संसाधनों ("वीसी / ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने के संबंध में, समय–समय पर निर्गत ("परिपत्रों") के अनुसार आयोजित की जायेगी, कंपनी की 15वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों / सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरीज / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं और यह सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.wonderelectricals.com** पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **(www.nseindia.com)** पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **(www.bse.india.com)** पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट **(www.evoting@nsdl.com)** पर भी उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी सभी पात्र शेयरधारकों यानी उन सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने करके संतुष्ट है, जिनके नाम कट–ऑफ तिथि यानी बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को एनएसडीएल और सीडीएसएल के अभिलेखों में प्रविष्ट हैं।

मतदान की अवधि शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को (प्रातःकाल 9:00 बजे) आरंभ होगी और सोमवार, 23 सितंबर, 2024 (सायंकाल 5:00 बजे तक) समाप्त होगी। जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरीज / आरटीए के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं और ई–वोटिंग अनुदेशों के लिए एजीएम नोटिस का संदर्भ लेंगे।

एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किए हैं, उन शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत / अपडेट करें ताकि 15वीं एजीएम सूचना / वार्षिक रिपोर्ट / लॉगिन क्रेडेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्राप्त की जा सकें। यह इसलिये अनिवार्य है क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट की कोई भी भौतिक प्रति किसी भी शेयरधारक को नहीं भेजी जाएगी।

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित होता है, तो 25 सितंबर, 2024 को या उसके बाद उन व्यक्तियों या उनके अधिदेशों को स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, जैसा कि लागू हो सकता है। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल), अधिकृत ई–वोटिंग एजेंसी के साथ समझौता किया है, ताकि शेयरधारकों, साथ ही उन शेयरधारकों जो वीसी–ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम ("ई–वोटिंग") के माध्यम से अपना वोट डालना चाहते हैं, को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयरधारकों को ऊपर दिए गए तरीके से अपने ईमेल पते को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी–ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और "रिमोट ई–वोटिंग" और "ई–वोटिंग" के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में विस्तार से प्रदान की जाएगी।

ई–वोटिंग की प्रक्रिया को समझने और ई–वोटिंग पर किसी भी प्रश्न / शिकायत की स्थिति में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या टोल फ्री नंबर : 1800–222–990 पर कॉल करें या **evoting@nsdl.co.in** पर एक अनुरोध भेजें।

यह सूचना कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और लाभ के लिए एमसीए और सेबी के लागू परिपत्र के अनुपालन में जारी की जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते मैसर्स वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ता./–
ध्रुव कुमार झा
(कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या : ए70626

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23–08–2024

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.12.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे वर्णित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहने जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार–बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 03.09.2024 को 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएगी।

HALDWANI DISTRICT - HALDWANI-DHUNGI ROAD: 421700038, 421700153, 421700162, 421700187, 421700231, 421700244, 421700248, 421700250, 421700253, 421700283, 421700285, 421700300, 421700305, 421700313, F2113, F2373, **NAINITAL DISTRICT - RUDRAPUR:** 422400067, 422400072, 422400089, 422400105, 422400120, 422400123, 422400129, 422400132, 422400156, 422400185, F1821, F2663, F2785, F2962, F4026, F4040, F4361, F694.

नीलामी अपनी–अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाई तो नीलामी 14.09.2024 at 10.00 am at **HALDWANI-DHUNGI ROAD:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Ratanalaya 6-1685, Kaladhundi Road, Haldwani, Uttarakhand - 263139, **RUDRAPUR:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, No. C-52, Avas Vikas, Nainital Road, Rudrapur, Uttarakhand - 263153. पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान–पत्र, पैन कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा।

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड

The Federal Bank Ltd.

Cluster Office, 2/8, Vivek Khand,
Gomti Nagar, Lucknow, U.P.
E-Mail; lkwa@federalbank.co.in

FEDERAL BANK
Your Perfect Banking Partner
Regd. Office. Aluva Kerala

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after **09/09/2024** as shown below:

S.No.	Branch Name	Loan A/c. No.	S.No.	Branch Name	Loan A/c. No.
1	Varanasi	15956400046062	111	Luck/Vikas Nagar	19816400004782
2	Varanasi	15956400028995	112	Luck/Vikas Nagar	19816100015005
3	Varanasi	15956400049207	113	Luck/Vikas Nagar	19816400003859
4	Varanasi	15956400046542	114	Luck/Vikas Nagar	19816400004592
5	Varanasi	15956400050494	115	Luck/Vikas Nagar	19816400004626
6	Varanasi	15956400050866	116	Luck/Vikas Nagar	19816400004667
7	Varanasi	23856400000301	117	Luck/Vikas Nagar	19816400004824
8	Varanasi	15956400049504	118	Luck/Vikas Nagar	19816400003800
9	Varanasi	15955600001646	119	Luck/Vikas Nagar	19816400004485
10	Varanasi	15956400043994	120	Bharwara	21976400016115
11	Varanasi	15956400044224	121	Barabanki	19776400013359
12	Varanasi	15956400044000	122	Barabanki	19776400019596
13	Varanasi	15956400037483	123	Barabanki	19776400012450
14	Varanasi	15956400038572	124	Barabanki	19776400012443
15	Varanasi	15956400043523	125	Barabanki	19776400019687
16	Varanasi	24936100000089	126	Barabanki	19776400019703
17	Varanasi	15956400047169	127	Barabanki	19776400019752
18	Varanasi	15956400050742	128	Barabanki	19776400019232
19	Varanasi	15956400050700	129	Barabanki	19776400012468
20	Varanasi	15956400049074	130	Barabanki	19776400017889
21	Varanasi	15956400051567	131	Barabanki	19776400017947
22	Varanasi	15956400051419	132	Barabanki	19776400017996
23	Varanasi	15956400024556	133	Barabanki	19776400017921
24	Varanasi	15956400047235	134	Barabanki	19776400020032
25	Varanasi	15956400043739	135	Barabanki	19776400018051
26	Varanasi	15956400053241	136	Barabanki	19776400019877
27	Varanasi	15956400041782	137	Barabanki	19776400020115
28	Varanasi	15956400046237	138	Barabanki	19776400020107
29	Varanasi	15956400046229	139	Barabanki	19776400014704
30	Varanasi	15956400030835	140	Barabanki	19776400020206
31	Varanasi	15956400016255	141	Barabanki	19776400016360
32	Varanasi	15956400049678	142	Barabanki	19776400019109
33	Varanasi	15956400048142	143	Barabanki	19776400015602
34	Varanasi	15956400049660	144	Barabanki	19776400020651
35	Varanasi	15956400045270	145	Barabanki	19776400017582
36	Varanasi	15956400043598	146	Kanpur	12306100032421
37	Varanasi	15956400049272	147	Kanpur	12306400001514
38	Varanasi	15956400044877	148	Lucknow	11496400011752
39	Varanasi	15956400053175	149	Lucknow	11496400012719
40	Varanasi	15956400045932	150	Lucknow	11496400013824
41	Varanasi	15956400047151	151	Lucknow	11496400014715
42	Varanasi	15956400053068	152	Lucknow	11496400008394
43	Varanasi	15956400041501	153	Lucknow	11496400010184
44	Varanasi	15956400045536	154	Lucknow	11496400016074
45	Varanasi	15956400044091	155	Lucknow	11496400012974
46	Varanasi	15956400041741	156	Lucknow	11496400013873
47	Varanasi	15956400045874	157	Lucknow	11496400013725
48	Varanasi	15956400048597	158	Lucknow	11496400014764
49	Varanasi	15956400048266	159	Lucknow	11496400012842
50	Varanasi	15956400043325	160	Lucknow	11496400013048
51	Varanasi	15956400016370	161	Lucknow	11496400014038
52	Varanasi	15956400038523	162	Lucknow	11496400014046
53	Varanasi	15955600001919	163	Lucknow	11496400015696
54	Varanasi	15956400049488	164	Lucknow	11496400008212
55	Varanasi	15956400047011	165	Lucknow	11496400014780
56	Varanasi	15956400047656	166	Lucknow	11496400011612
57	Varanasi	15956400046096	167	Lucknow	11496400009319
58	Varanasi	15956400049165	168	Lucknow	11496400012024
59	Varanasi	15956400041295	169	Lucknow	11496400014475
60	Varanasi	15956400048886	170	Lucknow	11496400013691
61	Varanasi	15956400037582	171	Lucknow	11496400014137
62	Varanasi	15956400026239	172	Lucknow	11496400014129
63	Varanasi	15956400038044	173	Lucknow	11496400009962
64	Varanasi	15956400050692	174	Lucknow	11496400009491
65	Varanasi	15956400047888	175	Lucknow	11496400011992
66	Varanasi	15956400050767	176	Lucknow	11496400006315
67	Varanasi	15956400050833	177	Lucknow	11496400010119
68	Varanasi	15956400050965	178	Lucknow	11496100166245
69	Varanasi	15956400051856	179	Lucknow	11496400011067
70	Varanasi	15956400050551	180	Lucknow	11496400009426
71	Varanasi	15956400043440	181	Prayagraj	13926100025478
72	Varanasi	15956400046013	182	Prayagraj	13926400002813
73	Varanasi	15956400051310	183	Prayagraj	13926400002805
74	Varanasi	15956400051138	184	Prayagraj	13926100025551
75	Varanasi	15956400046310	185	Prayagraj	13926400002052
76	Varanasi	15956400048589	186	Prayagraj	13926100025734
77	Varanasi	15956400051575	187	Prayagraj	13926400003001
78	Varanasi	15956400045809	188	Prayagraj	13926400002227
79	Varanasi	15956400047631	189	Prayagraj	13926400002656
80	Varanasi	15956400049017	190	Prayagraj	13926100025791
81	Varanasi	15956400047185	191	Prayagraj	13925600004223
82	Varanasi	15956400052763	192	Prayagraj	13926400002748
83	Varanasi	15956400036964	193	Prayagraj	13926400002789
84	Varanasi	15956400044992	194	Prayagraj	13926400002003
85	Varanasi	15956400039752	195	Prayagraj	13926400001856
86	Varanasi	15956400039802	196	Prayagraj	13926400002557
87	Varanasi	15956400053027	197	Prayagraj	13926400001971
88	Varanasi	15956400047409	198	Prayagraj	13926400001187
89	Varanasi	15956400048795	199	Luck/Gomti Nagar	16796400006024
90	Varanasi	15956400046955	200	Luck/Gomti Nagar	16796400006552
91	Varanasi	15956400051955	201	Luck/Gomti Nagar	16796400005331
92	Varanasi	15956400055196	202	Luck/Gomti Nagar	16796400005380
93	Varanasi	15956400052565	203	Luck/Gomti Nagar	16796400005547
94	Varanasi	15956400049900	204	Luck/Gomti Nagar	16796400006644
95	Varanasi	15956400051963	205	Luck/Gomti Nagar	16796400006677
96	Varanasi	15956400046468	206	Luck/Gomti Nagar	16796400006891
97	Varanasi	15956400044216	207	Luck/Gomti Nagar	16796400006743
98	Varanasi	15956400045189	208	Luck/Gomti Nagar	16796400006750
99	Varanasi	15956400045593	209	Luck/Gomti Nagar	16796400007196
100	Varanasi	15956400046286	210	Luck/Gomti Nagar	16796400004649
101	Varanasi	15956400046021	211	Luck/Gomti Nagar	16796400005109
102	Varanasi	15956400046187	212	Luck/Gomti Nagar	16796400007055
103	Varanasi	15956400049256	213	Luck/Gomti Nagar	16796400007303
104	Varanasi	15956400050999	214	Luck/Gomti Nagar	16796400006248
105	Lucknow/Vikas Nagar	19816400003560	215	Luck/Gomti Nagar	16796400006255
106	Lucknow/Vikas Nagar	19816400003677	216	Luck/Gomti Nagar	16796400006271
107	Lucknow/Vikas Nagar	19816400004055	217	Luck/Gomti Nagar	16796400006792
108	Lucknow/Vikas Nagar	19816100015005	218	Luck/Gomti Nagar	16796400005646
109	Lucknow/Vikas Nagar	19816400003875	219	Luck/Gomti Nagar	16796400006263
110	Lucknow/Vikas Nagar	19816400004758	220	Luck/Gomti Nagar	16796400006800

Place: LUCKNOW, U.P.
Date: 23/08/2024

Authorised Officer,
(The Federal Bank Ltd.)

Classifieds

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST
PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR :** AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR :** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST
JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA) :** K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAMPURA :** GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR :** MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR :** UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR :** POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, **TILAK NAGAR :** SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI :** AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL
CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE :** HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

**

IS 1574:2018 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
आवास भवन, विस्तृत परिषद, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद
अधिशासी अभियन्ता, वृहद नगर, लखनऊ
e-mail : globalem@upavp.com

पत्र सं०- 909/Ac-3/59 दिनांक- 23/8/24

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों के लिए सीमित ई-निविदा/ऑनलाइन कोटेशन कार्यों के ई-निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू० लाख में)	धरोहर राशि (रू० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य 18% GST सहित (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा आमंत्रण की तिथि	बिड खुलने की तिथि व समय
1	[illegible]	30.00	0.75	177.00	06 माह	24.08.2024	13.09.2024 11:00AM

नियम एवं शर्तें
1. निविदा में सम्मिलित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर राशि [illegible] के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, विस्तृत परिषद-इन्द्रपुरम, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद के खाता सं०-[illegible] [illegible] में निविदा शुल्क से एक दिन पूर्व विस्तृत परिषद इन्द्रपुरम के जमाकोष खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. यह प्रपत्र [illegible] www.upavp.com से निविदा फिस का [illegible] इन्क्वायरी आरएफक्यू की वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वे निविदाकार के रूप में समाहित पर रिजर्व की अवधि निविदाओं के माध्यम में कोई बदलाव अथवा सुधार निकाहोने पर उपलब्ध करायी जायेगी। निविदाएं निम्नांकित द्वारा ही ऑनलाइन निविदा जमा की जा सकती है।
3. निविदाकार फर्म का जमाकर विवरण एवं जी०एस०टी० से संबंधित प्रमाण अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों [illegible] निरस्तकरण जमाकर सेल टैक्स/जी०एस०टी० टी०डी०एस० एवं अन्य कोई कर जो शासन/केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जायेंगे, की निम्नानुसार कटौती की जायेगी। जी०एस०टी० अतिरिक्त देय होगा।

COURT NOTICE

(U/o 5 rule 20 CPC)
In The Court Of Sh. Chandan Hans Civil Judge (Junior Division), Gurdaspur
Chander Kant S/o Sohan Lal, Sadar Bazaar, Gurdaspur, Teh. and Distt. Gurdaspur
Vs.
Prem Lata
CNR NO: PBGD02-002366-2019
Next Date: 02-09-2024
Publication Issued To: Abhilasha Kohli (Lr. Of Defendant) : W/o Vivek Salathia, R/o Ward No. 15, Patel Nagar Near Janki ETT College Kathua J And K
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 02-09-2024 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Gurdaspur
Civil Judge (Junior Division) Gurdaspur

COURT NOTICE

(U/o 5 rule 20 CPC)
In The Court of Ms. Jasbir Kaur Principal Judge, Family Court, Pathankot
Ronki Ram
Vs.
Monica Devi
CNR NO: PBPO01-001179-2024
Next Date: 19-09-2024
petition u/s 9 of the hindu marriage act for restitution of conjugal rights
Publication Issued To: Monica Devi : Sita Ram W/o Ronki Ram R/o House No. 78 Ward No. 13 Village Kargal Kartholi Samba, J And K 181133
In above titled case, the defendant(s) /respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent (s) should appear in person or through counsel on 19-09-2024 at 10:00 a.m. for details logon to:https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Pathankot
Principal Judge, Family Court Pathankot

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/प्लांट, वास्ते मुख्य कारखाना प्रबन्धक, यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिये आनलाईन (ई-टेण्डरिंग) के माध्यम से खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम सं.-01, ई-निविदा सूचना सं. एवं निविदा कार्य का विवरण: टेण्डर नं. "08-जीकेपी-एमडब्लूएस-2024-25" "इन्सपेक्शन, मेंटेनेंस, रीफीलिंग/एनुअल मेंटेनेंस एण्ड हाइड्रॉलिक प्रेसर टेस्टिंग ऑफ डीसीपी टाईप फायर एक्सटींग्विसर (6 के.जी.) फॉर 2 ईयर्स ईन मेकेनिकल गोरखपुर", अनुमानित लागत (रू०में): ₹ 3,96,860.18, धरोहर राशि (रू०में): ₹ 7,900/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य: शून्य, निविदा समापन की तिथि एवं अवधि: 18-09-2024, 11:00 बजे, संविदा की अवधि: 12 माह।

• उपरोक्त ई-निविदाओं का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट *http://www.ireps.gov.in* पर देखें।

उप मुख्य यांत्रिक इंजी०/प्लांट, या०का०, मुजाधि/यांत्रिक-53 **गोरखपुर**

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० अल्पकालिन ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं / फर्मो से विद्युत पारेषण खण्ड, बडौत के अर्न्तगत निम्न कार्यों हेतु ई-निविदायें ई-पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दो भागो में निविदा खोलने की दिनांक को 12:00 बजे तक आंमत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि आर०टी० जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक हस्तांरित की जानी है) Executive Engineer, Electricity Transmission Division-Baraut के पक्ष में आई०सी०आई०सी०आई० बैंक की बडौत शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या-080905002668 (IFSC Code ICIC0000809) में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर०टी०जी०एस० / एन०ई०एफ०टी० द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की यथायोग्य यू०टी०आर० संख्या की प्रति खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी०एस०टी० संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियाँ, (PDF Format), 'क' श्रेणी के उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत बिजली के ठेकेदारों को सर्टिफिकेट की छायाप्रति तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग में दरें एवं वाणिज्यक नियम व शर्तें ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेगें। ई-निविदा को उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा। निविदा भाग प्रथम में सम्बन्धित प्रपत्रों को अपलोड न किये जाने की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय (प्राईस बिड) नहीं खोला जायेगा। ई-निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में ई-निविदा अगलें कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई-निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार / विभाजित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा शुल्क अप्रतिदेय होगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउनलोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें। विवरण निम्न प्रकार है ई-निविदा संख्या, कार्य का विवरण, ई-पोर्टल पर निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि एवं समय, ई-पोर्टल पर निविदा का प्रथम भाग खोलने की तिथि एवं समय, धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य (जी०एस०टी० सहित) के क्रम में पढ़ा जायें। - निविदा संख्या-03/2024-25/ETD Baraut-भारतमाला कोरिडोर परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून इकनोमिक कोरिडोर निर्माण हेतु 132 के0वी0 सिंगल सर्किट बडौत-सिंघावली लाईन के कोरिडोर में आने वाले टावर को विस्थापित करने का कार्य। खोलने का दिनांक 09.09.2024, धरोहर राशि रु० 500.00, निविदा शुल्क- रू. 500+18% जी०एस०टी० अतिरिक्त, 12:00 बजे (आमंत्रित), 14:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) अधिशासी अभियंता, विद्युत पारेषण खण्ड, बागपत, **पत्रांक: 1309/वि0पा0ख0बड़ौत/निविदा सूचना, दिनांक 22.08.24**

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.12.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 04.09.2024 को 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएगी। **DEHRADUN DISTRICT - DEHRADUN-GANDHI ROAD:** 408600008, 408600069, 408600161, 408600165, 408600184, 408600235, 408600238, 408600239, 408600250, 408600264, 408600289, 408600302, 408600310, 408600318, 408600321, 408600325, 408600335, 408600337, 408600338, 408600345, F1627, F3067, F737, F797. **HARIDWAR DISTRICT - JWALAPUR-HARIDWAR:** 298100154, 298100162, 298100169, 298100174, 298100182, 298100183, 298100186, 298100189, 298100194, 298100198, 298100207, 298100227, 298100229, 298100237, 298100240, 298100241, 298100244, 298100286, 298100290, 298100299, 298100307, 298100308, 298100316, 298100335, 298100341, 298100352, 298100357, 298100378, 298100381, 298100413, 298100418, 298100433, 298100468, 298100475, 298100483, 298100496, 298100497, 298100498, F14247, F15162, F16589, F3876, F3880, F4747, F4823, F4968, F6680, F8767, F8975, F9005, F9029. **ROORKEE DISTRICT - RAMNAGAR CHOWK-ROORKEE:** 282700140, 282700152, 282700178, 282700185, 282700208, 282700218, 282700222, 282700246, 282700277, 282700327, 282700349, 282700376, 282700390, F10958, F11998, F12843, F14801, F7663.

नीलामी अपनी-अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाई तो नीलामी 16.09.2024 at 10.00 am at **ROORKEE DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Hotel Haridev 1526, Dhradun Road, Roorkee (Uttrakhand). **HARIDWAR DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Malik Tower 22, Railway Road, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand - 249407. **DEHRADUN DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, 53, Gandhi Road, Dehradun - 248001. पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान-पत्र, पैन कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा। **मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड**

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:-सिल्वर यूटोपिया, तीसरी मंजिल, यूबिट नंबर 301-ए, पी एंड जी प्लाजा के सामने, कार्डिनल ग्रेसियस रोड, चकला, अंधेरी (ई), मुंबई - 400099, ईमेल: - contact@indostarcapital.com, सीआईएन नंबर: - L65100MH2009PLC268160

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस।

मैं, मैसर्स इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणी (यों) /सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (रों) को निम्नलिखित नोटिस देता हूं, जिन्होंने अपने कानूनी जिम्मेदारियों यानी मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में चूक के साथ-साथ ब्याज और अन्य शुल्क जो संपत्ति पर ऋण(णों) के लिए उन्हें मेसर्स इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए थे, के निर्वहन में पूरी तरह से विफल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप-ऋण (ऋणों) कंपनी की 03 अगस्त 2024 को गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.) बन गए हैं। तदनुसार,वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और उसके नियमों के तहत उन्हें भारत डाक के माध्यम से उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि यह उन्हें बिना प्रदान किए वापस कर दिया गया है और यह आशंका है कि यहां उल्लिखित पक्ष उसकी सेवा से बच रहे हैं, ऐसे उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (रों) नामित व्यक्तियों को इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए उनकी संपूर्ण बकाया राशि और जिसके लिए उनके द्वारा प्रतिभूतियों का निर्माण किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान करें :

क्रं सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम और पता	अनुसूची सम्पत्ति का विवरण	सूचना दिनांक और मांगी गई राशि
1.	1. धर्म रतन सिंह, बी-3/367, बी-3 राजकीय बालिका विद्यालय के पास, पश्चिम विहार, नई दिल्ली -110063 2. सुषमा सिंह, बी-3/367, बी-3 राजकीय बालिका विद्यालय के पास, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110063 3. एल18 प्लस, दुकान संख्या-9, भूतल, तारा भवन डब्ल्यू2-94, ज्वाला हेरी, पश्चिम विहार, दिल्ली- 110063	उपरोक्त सभी संपत्तियाँ:- संपत्तियाँ 1 मकान नंबर-बी 3/367 भूतल और तीसरी मंजिल ब्लॉक- 3 पश्चिम विहार विहार नई दिल्ली: 110063	13 अगस्त 2024 कुल रु. 68,82,091/- (रुपये अड़सठ लाख बयासी हजार इक्यावन मात्र) ऋण खाता संख्या - LSDEL02917&180001544

यह कदम गैर-सेवित नोटिस(सों) के स्थान पर वैकल्पिक सेवा के लिए उठाया जा रहा है। उपर्युक्त उधारकर्ता (ओं)/ सह-उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (रों) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ उपरोक्त मांगी गई राशि का भुगतान करें। इसमें असफल होने पर (इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी भी अन्य सही उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना)वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(4) के प्रावधानों तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके नियम के तहत प्रतिभूति संपत्तियों/बंधक संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उपरोक्त नामित पार्टियों को भी सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त संपत्तियों में अलगाव, तीसरे पक्ष का हित का निर्माण न करें, जिस पर इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड का पहला प्रभार है।

दिनांक -24 अगस्त 2024 **अधिकृत अधिकारी,**
स्थान - दिल्ली **इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड**

केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd
1652/57/1, प्रथम तल, उज्जीवन लघु वित्त बैंक के ऊपर, सर्कुलर रोड, रेवाड़ी -123401, फोन नंबर 01274-258206
ईमेल: rewari@canfinhomes.com मो. नं. : 7625079233 CIN: L85110KA1987PLC008699

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, परिशिष्ट IV-A [नियम 8(6) के परंतुक देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी (ऋणियों) एवं गारंटर (गारंटरों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधकध्प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा कैन फिन होम्स लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, दिनांक **26.09.2024** को **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है"**, एवं **"जो कुछ भी है"** के आधार पर **ई-नीलामी** आयोजित करके बेची जाएगी। **ईएमडी** जमा करने की अंतिम तिथि **25.09.2024** सायं 5:00 बजे तक है। संबंधित तिथियों पर संबंधित ऋणी एवं गारंटरों से कैन फिन होम्स लिमिटेड को देय राशि, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क की वसूली के लिए।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम/डिमांड नोटिस की तिथि और बकाया राशि	बंधक संपत्ति / भार का विवरण	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि
1.	**उधारकर्ता: श्री मृगांका चक्रवर्ती पुत्र सिसिर चक्रवर्ती** सह-उधारकर्ता: श्री हैमी चक्रवर्ती पत्नी मृगांका चक्रवर्ती गारंटर: श्री गौरव मिश्रा पुत्र श्री राम नरेश मिश्रा **मांग नोटिस दिनांक:** 06.04.2021 **बकाया राशि:** रु. 23,11,298.00	फ्लैट नं. 006, ग्राउंड फ्लोर, टॉवर सी-2, एवलॉन होम्स, अलवर बाई पास रोड, भिवाड़ी जिला अलवर (राजस्थान) **चौहद्दी:** उत्तर : फ्लैट नं. 5, दक्षिण : फ्लैट नं. 7, पूर्व : खुला स्थान, पश्चिम : मार्ग की ओर **भार - शून्य**	रु. 6,00,000.00 / रु. 60,000.00
2.	उधारकर्ता: श्री अजाज अहमद पुत्र श्री मोहम्मद जमाल गारंटर: श्री गोपी राम बैरवा पुत्र शिव राम बैरवा गारंटर: श्री शबनम पुत्र श्री अब्दुल कयूम **मांग नोटिस दिनांक:** 06.04.2021 **बकाया राशि:** रु. 48,57,375.00	फ्लैट नं.604, छठी मंजिल, टॉवर-सिग्मा-12, कैमेलिया गार्डन-1, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी, अलवर (राजस्थान) **चौहद्दी:** उत्तर : खुला क्षेत्र, दक्षिण : फ्लैट नं. 608, पूर्व : सीढ़ियां, पश्चिम : फ्लैट नं. 603 **भार - शून्य**	रु. 14,70,000.00 / रु. 1,47,000.00
3.	**उधारकर्ता: श्रीमती सुनीता तोमर पत्नी श्री सोमवीर तोमर** सह-उधारकर्ता: श्री सोमवीर तोमर पुत्र सत्यपाल तोमर गारंटर: श्री गुरबक्स सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह **मांग नोटिस दिनांक:** 06.04.2021 **बकाया राशि:** रु. 35,64,714.00	फ्लैट नंबर 1205, 12वीं मंजिल, टॉवर-बी2, एवलॉन होम्स, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी, अलवर (राजस्थान) **चौहद्दी:** उत्तर : मार्ग की ओर, दक्षिण: फ्लैट नंबर 1204, पूर्व: मार्ग, पश्चिम: क्षेत्र / खुला **भार - शून्य**	रु. 10,00,000.00 / रु. 1,00,000.00
4.	**उधारकर्ता: श्री अजीत कुमार पुत्र दीवान चंद** सह-उधारकर्ता: श्रीमती बबीता पत्नी अजीत कुमार गारंटर: श्री गोविंद सिंह पुत्र नानक चंद **मांग नोटिस दिनांक:** 05.08.2020 **बकाया राशि:** रु. 58,70,030.00	फ्लैट नंबर 606, छठी मंजिल, टॉवर-ए 4, एवलॉन रंगोली, सेक्टर -65, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी, अलवर (राजस्थान) **चौहद्दी:** उत्तर : मार्ग का सामना, दक्षिण: फ्लैट नंबर 605, पूर्व: मार्ग, पश्चिम: सीढ़ियाँ / खुला **भार - शून्य**	रु. 13,60,000.00 / रु. 1,36,000.00

बिक्री की विस्तृत शर्तें कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट **https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx** पर दी गई हैं। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक: **www.bankeauctionwizard.com**

दिनांक: 23.08.2024 **हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: रेवाड़ी **कैन फिन होम्स लिमिटेड**

बीएमबी म्यूजिक एण्ड मैग्नेटिक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी-175, देवी नगर, न्यू संगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान, 302019
CIN No.- L18101RJ1991PLC014466 ईमेल : kcbokadia.kcb@gmail.com

33वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बीएमबी म्यूजिक एंड मैगनेटिक्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 33वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 को पूर्वा. 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांकित 22.08.2024 में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 और तदधीन विरचित नियमों के प्रावधानों ("अधिनियम"), सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय परिपत्रों नामतः सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित अन्य संबद्ध परिपत्रों, जिनमें सामान्य परिपत्र सं. 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021, 03/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 तथा 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए परिपत्र") सम्मिलित है तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में किसी एक स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।
2. एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी, जिनकी ई-मेल आईडीज कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों)/डिपॉजिटरी के पास 23.08.2024 को पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी देखी जा सकती है।
3. **रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :** शेयरधारक जिनके शेयर डीमैट रूप में, भौतिक रूप में हैं तथा जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, वे अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से डाल सकते हैं। ऐसी वोटिंग की विधि एजीम सूचना में वर्णित की जाएगी।
4. **ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण पंजीकृत करवाने की विधि :**
   शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं, उनसे अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण तथा/अथवा अन्य विवरण प्रपत्र आईएसआर-1 में कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट, एड्रोइट कार्पोरेट सर्विसेज प्रा. लि. पता : 18-20, जफरभाई इंडस्ट्रियल एस्टेट, मू तल, मकवाना रोड, मारोल नाका, अंधेरी (ई), मुंबई-400059, भारत के पास अथवा **www.adroitcorporate.com** पर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

शेयरधारक, जिनके शेयर डीमैट रूप में है तथा जो उपरोक्त विवरण पंजीकृत/अद्यतन करवाने के इच्छुक हैं, उनसे उसका पंजीकरण/अद्यतनीकरण अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास करवाने का अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त सूचना कम्पनी के सभी शेयरधारकों के हितार्थ एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

किसी संदेह की स्थिति में, शेयरधारक **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा +91-9910532226/91-8260057110 पर तथा चेयरमैन को +91-9810017118 पर कॉल करें अथवा **kcbokadia.kcb@gmail.com** पर अनुरोध ई-मेल भेजें।

कृते
बीएमबी म्यूजिक एण्ड मैग्नेटिक्स लिमिटेड
ह./-
कस्तूर चन्द बोकाडिया
प्रबन्धक निदेशक
(डीआईएन : 01828803)

स्थान : जयपुर
तिथि : 23.08.2024

FEDERAL BANK

Your Perfect Banking Partner
Regd. Office. Aluva Kerala
Cluster Office, 2/8, Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P.
CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

PUBLIC NOTICE FOR RUPEEK GOLD AUCTION

Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular that e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., on **11th September, 2024** through online **portal: https://gold.samil.in.** Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at **Cluster Office, 2/8, Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P.** for further information. In case e -auction is not materialized for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale/E-auction of the items on any subsequent date/s without further notice.

S.No.	Branch Name	Account Name	Loan Account Number
1.	Lucknow/Vikas Nagar	AKANSHA GAUTAM	19816100015179
2.	Lucknow/Vikas Nagar	AVINEESH SINGH	19816800012179
3.	Lucknow/Vikas Nagar	TAPES BANERJEE	19816100015161
4.	Lucknow/Vikas Nagar	AVINEESH SINGH	19816100015179
5.	Lucknow/Vikas Nagar	AKANSHA GAUTAM	19816800012179
6.	Lucknow/Vikas Nagar	NAAZ FATIMA	19816800011676
7.	Lucknow/Vikas Nagar	SUNIL KUMAR YADAV	19816800011205
8.	Lucknow / Cantt Road	AVANISH KUMAR	11496800015882
9.	Lucknow / Cantt Road	RISHABH MISHRA	11496800016690
10.	Lucknow / Cantt Road	YASH RAJ ATHWANI	11496100166948
11.	Lucknow / Gomti Nagar	SHAIL MISHRA	16796800011004
12.	Lucknow / Gomti Nagar	SHARAD SHUKLA	16796800011053
13.	Lucknow / Gomti Nagar	VIKAS GUPTA	16796100014963
14.	Lucknow / Gomti Nagar	RINKI SINGH	16796800010766
15.	Lucknow / Gomti Nagar	YASH RAJ ATHWANI	16796800013463

PLACE: LUCKNOW, U.P. **Authorised Officer,**
DATE: 23.08.2024 **(The Federal Bank Ltd.)**

फॉर्म-ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

एपीएस इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	**एपीएस इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	02 मार्च, 2021
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान सं.	U45400DL2021PTC377794
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: डारुका भवन, 207 जीवन नगर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110014 और डी-138, सेक्टर-51 गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201301
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	9 अगस्त 2024 सामूहिक आदेश 22 अगस्त 2024 को प्राप्त हुए
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	5 फरवरी, 2025
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	**सुमित शुक्ला** IBBI **पंजी नं.** IBBI/IPA-003/IP-N00064/2017-18/10550
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पता: बी-4/702, कृष्णा आम्रा गार्डन, प्लॉट नं. 7, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद ईमेल: sumit_shukla@rediffmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पत्राचार पता: 401, टावर-सी, प्लॉट नं. ए-40, आई-थम, सेक्टर-62, नोएडा प्रक्रिया ईमेल: cirp.apsinfra@gmail.com
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	5 सितंबर 2024
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित	लागू नहीं (उपलब्ध जानकारी के अनुसार)
13.	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	(क) वेब लिंक: https://